खण्ड-350, अंक-10
शुक्रवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1903
(27 मार्च, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..1159–1163
प्रश्नोत्तर	..1165–1230
कानपुर बेसिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में अमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1231
बस्ती जनपद के विकास खण्ड मनवापुर इटवा व खुनियांव में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1231–1232
पुलिस चौकी, ठाकुरगंज थाना, चौक (लखनऊ) के पुलिस इन्स्पेक्टर श्री दीननाथ दुबे व श्री जय करन सिंह द्वारा मुसाहिब गंज की दो मुस्लिम लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1232–123
मथुरा के कतिपय मुहल्लों में व्याप्त गंदगी से बीमारियों की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1233
सदर अस्पताल, मुरादाबाद में कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1233–1234
दि हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक, श्री खुशवन्त सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..1234–1235
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में सदस्यों के चुनाव हेतु चुने पाये गये नामों की घोषणा	..1235–1237
राज्य मंत्री श्री के0 पी0 तिवारी के शैडो द्वारा एक विधान भवन रक्षक के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	.. 1237
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..1238–1239
1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29—सतर्कता, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रोद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81—गृह (पुलिस विभाग)—पूंजीगत परिव्यय	.. 1240–1326
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. 1326
नत्थियां	.. 1327–1328

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य 349

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिंदल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)

गोपी न थ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय , श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रबल ब्रह्मच री, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चर जीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
च रु चन्द्र ओझ , श्री (पिथौरागढ़)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीर)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (श हजहांपुर)
जन र्दन प्रस द ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुन प्रसाद, श्री (ब र बंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुराद ब द)
जियाराम शुक्ल 'विकल पाकेती', (फैजाब द)
जोर ज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैर ज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट र म, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आ जमगढ़)
तेज बह दुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आ जमगढ़)
थममन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (ज लौन)
दल गिर, श्री (आ जमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुम र, श्री (मु जफ्फरनगर)
दीप नरायन वन मंथ, श्री (गोंड)
दीपू उर्फ दीप न रायण, श्री (आ जमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधन थ राजभर, श्री (आ जमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बह दुर सिंह, श्री (क नपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
भनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)

धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू ल ल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुम र, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परम ई ल ल, श्री (हरदोई)
परम त्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
पर गी ल ल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
प रवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप न र यण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रतीप कुम र यादव, श्री (ब रबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू न रायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैज बाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आ लम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रस द विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बच्च पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी र म, श्री (व राणसी)
बब न सिंह, श्री (बलिया)
बलर म सिंह य दव, श्री (इट वा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)

बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरीज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
महम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्यक्ष, श्री (गोंडा)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुवंर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)

राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनर)
राम भजन लाल, (खीरी)
राम यज्ञ सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोभनाथ सिंह, (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपूर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज' श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुगमलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)

हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 27 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले के ग्राम ढुमरांव व इमलियाडीह के मानचित्र की छपाई

*1--श्री झिलमिट राम--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के तहसील मोहम्मदाबाद के ढुमरांव व इमलियाडीह में अभिलेखों तथा मानचित्रों व स्थल पर गम्भीर त्रुटियां व दोषपूर्ण अभिलेखों के होते हुए भी वर्ष 1978 में जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही 52 (1) के प्रकाशन की निदेशालय को अग्रसारित की गयी थी और इमलियाडीह व ढुमरांव के अन्तिम नक्शे रुड़की प्रेस को छपने को भेज दिये गये है और जुमला कार्यवाही प्रकाशन धारा 52 (1) निदेशालय पर शासन के आदेश से रोक कर पुनः स्थल अभिलेख व मानचित्र शुद्ध तैयार कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या गलत नक्शा रुड़की प्रेस से वापिस मंगाने का आदेश देने तथा त्रुटियों व दोषपूर्ण अभिलेखों के होते हुए भी धारा 52 के सिफारिश करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जंराज गौतम)--

इन दोनों ग्रामों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन की संस्तुति अक्तूबर, 1978 में चकबन्दी निदेशालय को भेजी गई थी तथा अन्तिम भू-चित्र छपने के लिए रुड़की प्रेस भेजा गया था । चूंकि इन ग्रामों की चकबन्दी में हुई कुछ कथित अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं अतः चकबन्दी निदेशालय द्वारा धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन नहीं किया गया । शिकायतों की जांच की जा रही है और उन्हें ठीक करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । जांच पूरी होने के बाद ही यह पता चलेगा कि क्या अनियमितायें हुई हैं और तभी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध, यदि आवश्यक हुआ, कार्यवाही की जायेगी ।

श्री झिलमिट राम--

माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम ढुमरांव व इमलियाडीह में चकबन्दी हुई और वहां पर कुछ कथित अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, यह प्रश्न में ही कहा गया है कि यह संस्तुति प्राप्त हुई थी धारा 52 के प्रकाशन हेतु । लेकिन उसमें कुछ कमी थी, तो वापस कर दी गयी, उसी बीच में शिकायतें हुई हैं । अब उन शिकायतों की जांच हो

रही है। जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री झिलमिट राम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी ने 26-7-80 को यह आदेश दिया था कि दोनों ग्रामों के नक्शे गलत बने हैं, स्पष्ट मिलान करके नक्शा शुद्ध बनाया जाय ? क्या उस आदेश पर नक्शा दुरुस्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जांच में यह सभी नक्शे की गलती ठीक की जायगी, मौके पर कुछ चक रोड का भी है, तो वह सभी के लिए जांच चल रही है और वह जांच पूरी हो जाने पर ही कार्यवाही की जायगी।

श्री लालसा--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कब से यह जांच चल रही है और जांच के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, चकबन्दी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं। इसलिए उस जांच में कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है।

पाकिस्तान दूरदर्शन से मुरादाबाद के दंगा सम्बन्धी चलचित्र का प्रदर्शन

*2--श्री हुकम सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि मुरादाबाद नगर में माह अगस्त, 1980 और उसके पश्चात् हुये दंगों के चलचित्र जो पाकिस्तान दूरदर्शन द्वारा दर्शाये गये, का संकलन प्रदेश सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् किया गया था ? यदि नहीं तो क्या सरकार उपर्युक्त के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराके दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी नहीं। इस विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आप देखेंगे कि 29-11-80 को प्रश्न दिया गया था और कई बार सरकार ने इसको स्थगित कराया और इतने दिन स्थगित कराने के बाद में तीन महीने के बाद इस निष्कर्ष पर सरकार पहुंची कि इस विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही अपनी सुविधाओं के अनुसार मुरादाबाद काण्ड पर अपना स्टैंड बदलते रहे। कभी इन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों का हाथ है दंगे कराने में, जब कि सारी पत्र-पत्रिकाओं में यह बात छपी कि मुरादाबाद में पाकिस्तान से कोई टीम आई और वहां पर फिल्म बना कर उसने दिखाई तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस

बात की उन्होंने राज्य सरकार की किसी एजेंसी से जांच कराई है कि वहां पर कोई टीम आई या नहीं आई और उसने वहां पर आकर फिल्म बनायी या नहीं बनाई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, प्रश्न यह किया गया था कि दंगे के चलचित्र, जो पाकिस्तान दूरदर्शन द्वारा दर्शाये गये, का संकलन प्रदेश सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् किया गया था ।

इस सम्बन्ध में हमने सभी सम्बन्धित विभागों से सूचना मांगी और हमें पता चला कि प्रदेश सरकार के किसी विभाग ने न तो इस प्रकार की अनुज्ञा दी और न उन्हें इसका संज्ञान है । जहां तक समाचार-पत्र का सवाल है, उनकी कटिंग्स के ऊपर सरकारी स्तर पर जो कार्यवाही की जाती है, वह अलग चीज है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो पाकिस्तान के टेलीविजन से 13 अगस्त के चित्र दिखलाये गये, उसके सम्बन्ध में क्या आपने कोई जांच-पड़ताल की कि यह चित्र किस तरह से पाकिस्तान पहुंचे ? यदि की गयी, तो क्या विवरण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस प्रश्न में मैं फिर निवेदन करूंगा कि केवल इतनी बात पूछी गयी है कि अनुज्ञा दी गयी या नहीं दी गयी और इस सम्बन्ध में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि वे यथासम्भव अपनी एजेंसी से जांच करायें ।

श्री हुकम सिंह--

बड़ तरीके से माननीय मन्त्री जी के पास जो जानकारी है, सदन को देना नहीं चाहते । यह प्रश्न पूछा गया था, नवम्बर के महीने में । अनुज्ञा नहीं दी होगी, वैसे ही वे आ गये और फिल्म बनाकर ले गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में यह बात आ गयी तो क्या आपने इसकी जांच करायी ? यदि करायी, तो किस एजेन्सी से करायी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसका उत्तर देना जनहित में नहीं है । इसकी जांच हम करा रहे हैं ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न करने के बाद आपने कोई जांच करायी या नहीं और जब मैंने आरोप लगाया कि फिल्म बनायी गयी है, तो क्या आपने उसकी सत्यता प्रमाणित कराया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आपका प्रश्न करने पर जो सूचना आयी, जो आधार बना, उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जौनपुर जिले में गोमती की बाढ़ के फलस्वरूप नलकूपों की विद्युत् कटौती एवं विद्युत् शुल्क

*3--श्री जंग बहादुर सिंह--

क्या विद्युत् मंत्री को यह जानकारी है कि गोमती में बाढ़ के कारण जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र सुरल व बदलापुर की नलकूप की लाइन 2 1/2 माह से अधिक समय तक काट दी गई थी ? यदि हां, तो इस अवधि का बिजली चार्ज उपभोक्ताओं से कम करके वसूला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

गोमती नदी में वर्ष 1980 में आयी भीषण बाढ़ के परिणामस्वरूप जौनपुर के विकास क्षेत्र बदलापुर एवं खुटहन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी तथा बिजली की लाइनों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से 11,000 वोल्ट के कुछ विद्युत् पोषकों में सप्लाई लगभग दो माह के लिये बन्द कर दी गई थी ।

उक्त अवधि में निजी नलकूप के उपभोक्ताओं से 144 रु0 प्रति अश्व शक्ति/प्रति वर्ष नियत चार्ज लिया जाता था जिसे उपभोक्ता असतन डेढ़ घंटे प्रति दिन विद्युत् उपभोग करके औद्योगिक दर की अपेक्षा में पूर्ण कर लेता था। यह धनराशि पूर्व साल की विद्युत् खपत पर आधारित है । यह धनराशि उपभोक्ता की सुविधा के लिये उनसे प्रतिमाह 12 रु0 प्रति अश्व शक्ति की दर से ली जाती थी । सुरक्षा की दृष्टि से काटे गये फीडरों से प्रभावित उपभोक्ताओं को और कोई भी छूट नहीं दी गई है ।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बिजली के कनेक्शन निजी नलकूप के लिए दिए जाते हैं तो उसका बाण्ड होता है, एग्रीमेन्ट होता है, तो क्या उस बाण्ड में जैसा आपने बताया कि वर्ष भर का होता है, तो कोई ऐसी शर्त बाण्ड में होती है कि कितने घंटे बिजली देने के बात बाण्ड में भरी जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, एग्रीमेन्ट तो उस पूर्ति के लिए होता है जो कनेक्शन होता है और उसका फिक्स्ड चार्ज देने का एग्रीमेन्ट होता है । यह आदेश दिए गए थे कि 31 मार्च तक कोई कनेक्शन न काटा जाय । माननीय विधायक का पत्र प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है ।

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[8वें मंगलवार के 38(2) में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत् प्रसारण उपखंड, बुलन्दशहर में वर्क आर्डर की विभिन्न दरों के सम्बन्ध में जांच

*5--श्री नन्दराम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे गुरुवार के निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर जो श्री हिम्मत

सिंह व श्री अवधेश कुमार द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि चार वर्क आर्डर के विभिन्न कार्यों में दी गई दरें अधिक होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था पर विचार किया जा रहा है ? जांच पूरी हो जाने पर बाकी धन का भुगतान शीघ्र किया जायेगा ? यदि हां, तो जांच पूरी हो गई और भुगतान का निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध जांच अभी चल रही है जहां तक प्रश्नगत चार वर्क अर्डर के विरुद्ध अवशेष भुगतान का प्रश्न है, अनुबन्ध के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान कर दिए जाने का निर्णय ले लिया गया है ।

ओबरा ताप विद्युत् गृह की राख का ठेका

*6--श्री अकबाल हुसैन—

क्या विद्युत् मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड ने 'ओबरा के नये यूनिट के राख को हटाने का ठेका 1979–80 में लगभग 1 करोड़ रुपये पर इन्डयोर प्रा0 लि0 कम्पनी, नई दिल्ली को बगैर टेंडर लिए दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1979–80 में ओबरा के नये यूनिट के राख को हटाने का ठेका किस एजेन्सी को दिया गया, कितना पैसा उसमें मिला और उसमें टेंडर लिए गए थे कि नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, प्रश्न है कि ओबरा के नये यूनिट के राख को हटाने का ठेका 2 करोड़ रुपये का इन्डयोर प्रा0 लि0 कंपनी, नई दिल्ली को बिना टेंडर के दिया गया है, तो मान्यवर, इन्डयोर कम्पनी को जो ठेका दिया गया था उसमें सम्पूर्ण राख को हटाने, एवं हटाने के लिए संयत्र की स्थापना, उसका टेस्टिंग और संचालन आदि का ठेका था । इससे गलतफहमी पैदा हो गई । लेकिन नई यूनिट का कमीशन होना था जिसके द्वारा राख हटाना था ।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, जो इन्डयोर कम्पनी को ठेका दिया गया उस पर पहले से टेंडर कोई आह्वान किया गया था कि नहीं और कितने लोगों ने टेंडर दिया था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इंडयोर कम्पनी को 1975-76 में ओबरा के विस्तार की द्वितीय चरण संख्या 9, 10 और 11 की सम्पूर्ण राख को हटाना था जिसके सम्बन्ध में मैं बता चुका हूं। दोनों अवसर पर टेंडर लिए गए और दो टेंडर आए थे। इंडयोर कम्पनी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड ने टेंडर दिये थे। दोनों पर सेन्ट्रल की परचेज कमेटी ने विचार किया और तब निर्णय लिया।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ओबरा का नया प्लान्ट कब कमीशन हुआ और उस पर राख हटाने का कार्य किसके द्वारा कराया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

ओबरा पावर हाउस में 12 यूनिट हैं जिसमें 9, 10 और 11 में बताया लेकिन बाकी के लिए सूचना मंगानी पड़ेगी कि किसमें कब हुआ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, इंडयोर कम्पनी को जो एक करोड़ रुपये का ठेका दिया तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस राख में कोई खनिज भी रहता है जिससे उस कम्पनी ने ओबरा की यूनिट 9, 10, 11 की राख एक करोड़ में लिया, इसलिए इसमें उस राख में जरूर दूसरे मैटेरियल खनिज रहे होंगे ? अतः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें कौन-कौन खनिज रहे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं प्रश्न समझ नहीं पाया। दो करोड़ रुपये का ठेका राख को हटाने का संयत्र लगाने का ठेका है और बाकी विवरण दे चुका हूं।

श्री श्रीकृष्ण माथुर, मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत् के विरुद्ध सी० आई० डी० की कथित जांच

*7--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान मुख्य अभियन्ता, विद्युत् खंड, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध पहले से जब यह मुख्य अभियन्ता नहीं थे, सी० आई० डी० की जांच चल रही है तथा इनके विरुद्ध पी० ए० सी० पैरा 8 की अनियमितता का भी आरोप है और इनकी चरित्र प्रविष्टि भी प्रतिकूल रही है ? यदि हां, तो इन्हें किस आधार पर मुख्य अभियन्ता बनाया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्री श्रीकृष्ण माथुर, सम्प्रति मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) के विरुद्ध सी० आई० डी० जांच का कोई जानकारी विद्युत् विभाग को नहीं है। श्री माथुर के विरुद्ध पी० ए० सी० पैरा-8 की अनियमितता के आरोप होने का विशिष्ट आशय स्पष्ट नहीं है कि यह किस वर्ष तथा किस आरोप से सम्बन्धित है। श्री माथुर के प्रतिकूल प्रविष्टि के आंशिक आलोपन के उपरान्त, दिनांक 19 जुलाई, 1980 को सम्पन्न हुई बैठक में विभागीय चयन समिति ने इन्हें मुख्य अभियन्ता पद पर स्थानापन्न एवं अस्थायी नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया। उक्त अनुशंसा के आधार पर श्री माथुर को मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) के पद पर नियमित नियुक्ति के आदेश जारी किए गए।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने पहले ही इंकार कर दिया कोई चार्ज नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह श्रीकृष्ण माथुर, मुख्य अभियन्ता हैं, इनको प्रतिकूल प्रविष्टि करने का क्या कारण था और प्रतिकूल प्रविष्टि क्यों आलोपित की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

1 जनवरी, 1980 को एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर स्थायी कर दिया गया है और 1976-77 में अर्जित प्रतिकूल प्रविष्टि पर चयन समिति ने अनुशंसा की थी कि इनके मामले को दुबारा देखा जाय। इनके मामले पर विद्युत् परिषद् ने विचार किया और निर्णय लेने से पूर्व विधि परामर्शी की राय ली गई और उनकी राय लेकर प्रतिकूल प्रविष्टि आलोपित की गई।

श्री मोहन सिंह--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जो पब्लिक अन्डर टेंडिंग कमेटी है 1974-75 की इस आदरणीय सदन की, उस समिति के प्रतिवेदन के पेज 29 पर लिखा है--"श्री श्रीकृष्ण माथुर, अधीक्षण अभियन्ता के स्पष्टीकरण के प्रकाश में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनके सर्किल में हुई अनियमितताओं के बारे में अपने आपको अनभिज्ञ बताना सर्वथा अविश्वसनीय तथा सत्य से परे प्रतीत होता है।" जो इस सदन की समिति है वह उनके स्पष्टीकरण को असत्य मानते हुए दन्डित करने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि करने का निर्देश करती है। क्या इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट की मंत्री जी को जानकारी है ? तथा इतनी स्पष्ट सिफारिश के बावजूद भी कथित भ्रष्ट व्यक्ति को पदोन्नति दी गई और प्रतिकूल प्रविष्टि आलोपित की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पूरी जानकारी समिति के बारे में है। मैंने निवेदन किया कि विद्युत् परिषद् ने विचार किया था, विधि परामर्शी ने विचार किया उसके बाद 1 जनवरी, 1980 को निर्णय लेकर एडीशनल चीफ इंजीनियर पद पर स्थायी कर दिया।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस कमेटी का उल्लेख मोहन सिंह जी ने किया इतने स्पष्ट प्रतिवेदन हैं, उसको टिप्पणी है उसके बाद विद्युत् परिषद् और विधि परामर्शी उसके ऊपर के अधिकारी हैं, कौन ऊंचा स्थान रखता है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, सदन की समिति की आख्या होती है उसकी प्रक्रिया के बारे में उसको निपटाया जाता है। उस पर कार्यवाही की जाती है। मान्यवर, इनको 1 जनवरी, 1980 को एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर स्थायी किया गया।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा मंत्री जी ने कहा समिति का प्रतिवेदन उनकी नोटिस में है। क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन से चार्ज ऐसे थे जिसको देखते हुए सदन की समिति ने यह रिकमन्डेशन की थी और सदन की समिति के रिकमन्डेशन

के बाद भी कौन सा अच्छा कार्य उनका था (श्री माथुर का) जिससे एडवर्स इन्ट्री इक्सपंज हो गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

समिति की रिपोर्ट सारे माननीय सदस्यों को उपलब्ध है।

श्री रियासत हुसैन--

समिति की रिपोर्ट आपकी नोटिस में थी तो कौन से चार्ज थे बता दें सदन को ?

श्री ब्रह्म दत्त--

समिति की रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि सदन की रिपोर्ट को देखते हुए सारी कार्यवाही की गई। प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है उसके बाद प्रत्यावेदन आता है। इन सबके बाद 1 जनवरी, 1980 को एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर स्थायी कर दिया।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने स्पष्ट पूछा था कि कि कौन से चार्ज थे उसका रिफरेन्स है तो प्रतिवेदन में कौन से चार्ज थे जिसकी इंक्वायरी हुई और प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, तो क्या वह चार्ज हैं आपके पास बता दें ताकि सदन को मालूम हो जाय कि कौन से चार्ज थ, जिनको इक्सपंज करके तरक्की दी गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सदन की समिति का चार्ज तो कोई एक्सपंज नहीं कर सकता है लेकिन समिति के चार्ज के परिणामस्वरूप जो प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गयीं होंगी उनको एक्सपंज किया गया है।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैं दो प्रश्न जानना चाहता हूं पहली चीज क्या इस अधिकारी के खिलाफ कोई विजीलेंस की इंक्वायरी हुयी थी और दूसरे क्या कोई प्रमोशन होने जा रहा है, जिसमें इनका नाम कंसीडर किया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, सामान्यतः जो एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कन्फर्म होता है, उसका चीफ इंजीनियर के लिए नम्बर आता है और जब चीफ इन्जीनियर के पद पर कन्फर्म होता है, तो सदस्य बनाने पर विचार किया जाता है। मैं सम्पूर्ण मामले में, जो समिति का प्रतिवेदन है और माननीय सदस्यों ने जो ध्यान आकृष्ट किये हैं, मैं स्वयं इसको देखूंगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि श्री एस0 के0 माथुर की प्रोन्नति पर जब विचार हो रहा था तो श्री हरपाल सिंह की प्रोन्नति पर भी विचार हो रहा था। क्या यह सत्य है कि श्री हरपाल सिंह के खिलाफ कोई भी इन्ट्री नहीं है और श्री माथुर के खिलाफ इंट्री होने के बावजूद भी श्री माथुर की पदोन्नति कर दी गयी ? यदि यह सत्य है तो क्या श्री माथुर को रिवर्ट करके श्री हरपाल की पदोन्नति करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्री हरपाल सिंह की कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा मैं सारे प्रकरण जिनकी सदन में चर्चा हुयी, उनको देखूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधि परामर्शी से जो परामर्श लिया है वह किन बिंदुओं पर लिया है ? जो समिति की रिपोर्ट है उसकी क्या बाध्यता है यह हमारी नियमावली में स्पष्ट है । तो विधि परामर्शी से क्या यह राय ली गई कि इनके खिलाफ यह आरोप हैं, इनकी प्रोन्नति की जाय या नहीं और विधि परामर्शी ने क्या राय दी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, अगर इजाजत हो तो जो कार्यवाही है, डेढ़ पेज की है, मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ें नहीं, प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं विधिवत् बताने को तैयार हूं । मैं डेढ़ पेज पढ़ने के लिए तैयार हूं अगर मान्यवर, आपकी इजाजत हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारी जो सदन की कमेटी है उसकी रिपोर्ट की क्या बाध्यता है, यह हमारी नियमावली में स्पष्ट है । इस बिंदु पर दोबारा विधि परामर्शी की रिपोर्ट लेने की क्या जरूरत पड़ी और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो हमने विधि परामर्शी की राय ली वह यह ली कि जो प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं और यह जो तमाम कारण हैं क्या इसके अन्तर्गत इनका एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर स्थायीकरण किया जा सकता है और विधि परामर्शी की राय के बाद उनका स्थायीकरण किया गया और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 1980 को यह स्थायी एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कर दिए गए हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1-1-80 को जो महत्वपूर्ण घटना थी उसको उन्होंने 17-2-80 को अमहत्वपूर्ण घटना में परिवर्तित कर दिया । तो क्या इन रिकमन्डेशन्स के तहत कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं मान्यवर, पहले ही कह चुका हूं कि आज माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, सम्पूर्ण ए टू जेड तक मैं उसमें देखूंगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन की कमेटी की जो संस्तुतियां हैं वह तो अलग हैं। क्या यह बात सत्य है कि मुख्य अभियन्ता विद्युत् के खिलाफ सन् 73-74 में, आपके पास अगर हो तो देखें, कि क्या उस वक्त इनके खिलाफ काफी शिकायतें थीं और उसकी जांच की गयी थी और उसके अनुसार उनके प्रति प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी, तो क्या उसको भी देखने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं समस्त पत्रावलियां मंगाकर स्वयं देखूंगा और जो माननीय सदस्यों ने जानकारी मांगी है, उससे अवगत करा दूंगा।

*8--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

[दिनांक 27 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[30-1-81 को तारांकित प्रश्न सं0 12 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में डिस्टीच्यूट योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण

*2--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत जनता सरकार ने डिस्टीच्यूट योजना चलाई थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निराश्रित असमर्थ को माह में (14) चौदह जिलों में राशन दिया जाता था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार ने उक्त योजना को समाप्त कर दिया है ? यदि नहीं, तो माह जून, 1980 से राशन वितरण बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री जैराज गौतम--

डिस्टीच्यूट योजना प्रदेश के केवल 14 जिलों में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई थी। यह योजना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं की गई है। 23-7-80 को यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि जिन क्षेत्रों में खरीफ की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है, वहां के निराश्रित व्यक्तियों को उक्त योजना के अन्तर्गत 30-9-80 तक 15 किलो गेहूं प्रति निराश्रित प्रति माह नि:शुल्क वितरित किया जाता रहे। इसके पश्चात यह वितरण कार्य 30-11-80 तक जारी रखने के आदेश भी प्रसारित किये गये ? इस समय भी ऐसे क्षेत्रों में जहां ओला-वृष्टि से रबी की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है वहां अन्य राहत कार्यों के साथ निराश्रितों को फरवरी तथा मार्च, 1981 में 15 किलो प्रति मास की दर से गल्ला उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में वाराणसी जिले की दो तहसीलों में, बरुणा नदी के दक्षिणी हिस्से में तथा ज्ञानपुर तहसील में और इसके अलावा जनपद मिर्जापुर व बस्ती में भयंकर ओला पड़ा है और आपने फरवरी, मार्च, 81 तक ही सहायता देने की बात कही है । तो क्या माननीय मंत्री जी अन्य राहत कार्य के साथ-साथ यह डिस्टीच्यूट योजना अभी लागू रखने पर विचार करेंगे, क्योंकि अभी भी ओला बराबर पड़ रहा है, और लोगों की फसलें इससे प्रभावित हो रही ह ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इस आशय के आदेश दिये जा चुके हैं कि जहां ओलावृष्टि हुयी है और इससे 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को क्षति पहुंची है, वहां यह योजना लागू रहेगी, और उनके लगान माफ कर दिये जायेंगे । और यह योजना मार्च, 1981 तक ही थी, लेकिन मार्च के बाद भी कोई दिक्कत रहेगी तो सरकार का इस तरह का उद्देश्य ही यह है कि अनाज वितरण का है कि किसी को भखमरी का शिकार न होने दिया जाए । अगर ऐसी स्थिति आगे रहेगी तो यह योजना जारी रखी जायेगी ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह राहत कार्य योजना जो फरवरी-मार्च, 1981 तक ही है और बनारस के 5 ब्लाक्स में जबर्दस्त ओला अभी भी पड़ रहा ह, सेवापुर, भदोही और औराई आदि में इसके अलावा जिला मिर्जापुर और बस्ती में भी यही स्थिति है, तो क्या उन स्थानों में यह योजना मार्च, 1981 के बाद भी जारी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने अभी कह दिया कि जहां भी इस तरह की स्थिति होगी, वहां पर यह योजना जारी रहेगी, वहां पर भुखमरी के कारण किसी को मरने नहीं दिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह डिस्टीच्यूट योजना ऐसे लोगों के लिए है, जो हैन्डीकैप हैं, लूले, लंगड़े, अंधे और अपाहिज हैं, उनके लिए हैं और ऐसे लोग जो कि फिजिकली मजदूरी करने के योग्य नहीं है, और जिनके सामने जीविका का प्रश्न हर समय आता है, तो क्या इस तरह के लोगों के लिए यह योजना सदैव जारी रखने की कृपा करेंगे, ताकि उनके मुंह से दुआ निकल सके ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह जो इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी जून, 1980 में इस पर पुन: विचार हुआ, उस समय इस तरह के 3 लाख 70 हजार लोग इस प्रकार की लिस्ट में थे । उस लिस्ट के कुछ लोगों को वृद्धावस्था की पेन्शन मिल गयी । अब प्रदेश के जिलाधिकारियों को लिखा गया है कि वह एक पक्की लिस्ट बनायें ताकि वह मौजूद रहे और निराश्रित असमर्थकों को राहत पहुंचाई जाय । इस तरह के पक्के रिकार्ड बनाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्कीम निराश्रितों की सेवा करने के लिए चालू की गयी थी, उसको चालू रखना जरूरी है। 1980-81 में इसके लिये कितना बजट निर्धारित किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसका उत्तर दे दिया है कि इस पर पुनर्विचार हुआ था कि फिर से इसका रिकार्ड रखा जाय, रिकार्ड रखा जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो उसको कन्टीन्यू किया जायेगा। मुख्य उद्देश्य तो यह है कि कोई भूखा नहीं मरने पायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्दर्भित कि क्या जिलाधिकारियों ने सूचियों का पुनरीक्षण कर दिया ? जो सूचियां पुनरीक्षित की गयीं तो क्या उसमें ऐसे लोग बहुत संख्या में पाये गये जिनकी उदरपूर्ति का कोई साधन नहीं है ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देने का कष्ट करेंगे कि जिनके पहले के राशन कार्ड बने हुए थे उन्हीं राशन कार्डों पर उन्हें सामान उपलब्ध कराया जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, इस पर विचार किया जायेगा।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

जिला देवरिया में पडरौना में अतिवृष्टि से कितना नुकसान हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी इसको बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से प्रश्न है।

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[20-2-1981 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं0 2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में कोषाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतनमान एवं भत्ता

*4--राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कोषाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत अन्य अधिकारियों के वेतनक्रम क्या है ? क्या यह सही है कि कोषाध्यक्षों को छुट्टी व भत्ता सम्बन्धी सभी सुविधाओं से वंचित कर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

कोषाध्यक्षों को उनसे ली गयी जमानत के आधार पर इस प्रकार नियत वेतन दिया जाता है :--

(1) 50 हजार रुपये से कम की जमानत पर बैंकिंग कोषागार में 450 रु0 तथा नान-बैंकिंग कोषागार में 500 रु0 प्रतिमाह।

(2) 50 हजार रुपये से अधिक किन्तु 75 हजार से कम की जमानत पर 620 रु0 प्रतिमाह ।

(3) 75 हजार रुपये या उससे अधिक किन्तु एक लाख रुपये से कम की जमानत पर 740 रु0 प्रतिमाह ।

(4) एक लाख रुपये या उससे अधिक की जमानत पर 800 रु0 प्रतिमाह ।

कोषाध्यक्षों के अधीन कोई अधिकारी कार्य नहीं करता है । उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के वेतन क्रम इस प्रकार हैं :--

(1) तहसीलदार 200-320 ।

(2) स्टाम्प वेंडर तथा मनीटेस्टर 185-265 ।

(3) कैश चपरासी 165-215 रु0 ।

कोषाध्यक्षों की सेवा शर्तें अन्य राजकीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों से भिन्न होने के कारण उन्हें छुट्टी व राजकीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते नहीं दिये जाते हैं ।

प्रदेश में जल विद्युत् गृह एवं तापीय विद्युत् गृह से विद्युत् का उत्पादन

*5—श्री मित्रसेन—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में तापीय एवं जल विद्युत् इकाइयां अपनी क्षमता का कितना प्रतिशत उत्पादन कर रही हैं ? क्या यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत् उत्पादन अन्य प्रदेशों के अनुपात में बहुत पीछे है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

माह फरवरी, 1980 में परिषद् के तापीय विद्युत् गृहों से विद्युत् उत्पादन 627 मि0 यू0 व जल विद्युत् गृहों से 299 मि0 यू0 हुआ है जो कि उनकी अधिष्ठापित क्षमता (क्रमशः 2077 मेगावाट एवं 176·35 मेगावाट) का क्रमशः 44·9 प्रतिशत व 37·8 प्रतिशत है ।

यह सत्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत् उत्पादन अन्य प्रदेशों के अनुपात में पीछे है । जहां तक जल विद्युत् उत्पादन का सम्बन्ध है वह जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है और उसकी अन्य प्रदेशों के विद्युत् उत्पादन से तुलना का कोई औचित्य नहीं है । हां तापीय विद्युत् उत्पादन की तुलना अवश्य की जा सकती है तथा उत्तर प्रदेश का तापीय विद्युत् उत्पादन जहां कुछ प्रदेशों के अनुपात में आगे रहा है वहीं कुछ अन्य प्रदेशों से पीछे रहा है । उत्तर प्रदेश में तापीय विद्युत् उत्पादन के कुछ प्रदेशों से पीछे रहने के कारण निम्न है :--

(1) जब कि महाराष्ट्र में कई बड़ी-बड़ी आयातित तापीय इकाइयां कार्यरत है तथा मध्य प्रदेश की इकाइयों को अच्छा कोयला उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश में स्वदेश निर्मित इकाइयों की क्षमता लगभग 1,400 मेगावाट है और कोयले की आपूर्ति अच्छी नहीं है ।

(2) परिषद् के अन्तर्गत कुल अधिष्ठापित 2,077 मेगावाट की तापीय क्षमता में से 196 मेगावाट की क्षमता कानपुर विद्युत् गृह 'केसा' (65 मेगावाट) तथा प्रदेश के अन्य लघु विद्युत् गृहों में स्थापित है। इन विद्युत् गृहों की ईकाइयां काफी पुरानी एवं उजरित हो चुकी हैं और उच्च श्रेणी के कोयले के लिये परिकल्पित हैं जो कि उपलब्ध नहीं हो पाता फलस्वरूप इन इकाइयों से विद्युत् उत्पादन क्षमता का केवल 25–30 प्रतिशत तक ही हो हो पाता है।

(3) ओबरा स्थित 200–200 मेगावाट की तीन स्वदेशी इकाइयां अभी स्थिर रूप से परिचालित नहीं हो पायी हैं तथा इनसे अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पा रहा है।

(4) परिषद्/प्रादेशिक सरकार व ऊर्जा मंत्रालय के स्तर से भरसक प्रयास किये जाने के उपरान्त भी कोयले की आपूर्ति में निम्नलिखित अवरोध व्याप्त है :—

(क) परिषद् के परामर्श के बिना कोयले की रेक्स का अन्यत्र व्यावर्तन।

(ख) हरदुआगंज विद्युत् गृह के लिये जहां यांत्रिक ढंग से कोयले को उतारने का प्रबन्ध है, बन्द बैगनों में कोयले की आपूर्ति।

(ग) वांछित ग्रेड के कोयले की आपूर्ति न हो पाना।

(घ) पूरी मात्रा में कोयले की आपूर्ति न होना।

(5) दिनांक 26–4–80 से हरदुआगंज 'अ' विद्युत् गृह की इकाइयां आक्जलरी टान्सफार्मर में आग लगने के कारण भारी क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द करनी पड़ी। जिससे उत्पादन में कमी हुई।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि तापीय विद्युत् और जल विद्युत् में 44.9 प्रतिशत और 37.8 प्रतिशत उत्पादन हुआ, यह स्तर बहुत नीचे है, तो ऐसे कितने तापीय विद्युत् गृह देश में हैं जहां 44.9 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन हुआ है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

हर इकाई के बारे में तो नहीं लेकिन ओवर-आल जो प्रोडक्शन हुआ उनके बारे में मैं निवेदन कर सकता हूं। सूची लम्बी है मान्यवर, पढ़ सकता हूं, महाराष्ट्र में 60.3, गुजरात में 58.6, देहली, 55.9, मध्य प्रदेश 52.2 उत्तर प्रदेश 44.1, हरियाणा 43.3, डी0 वी0 सी0 42.6, आन्ध्र प्रदेश 42.3, पश्चिम बंगाल 41.6, तमिल नाडु 39.8, बिहार 38.1, उड़ीसा 37.1, पंजाब 36.0, आसाम 25.6 है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, इन्होंने कम उत्पादन होने के विभिन्न कारण बताये हैं, तो क्या कोई इस तरह की प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं जिससे उत्पादन बढ़े ? यदि हां, तो वह कौन सी प्रक्रिया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो कारण हैं वह मैंने बताया । कोयला अच्छा नहीं मिला, उसकी पूर्ति के लिए डेली मानेटरिंग कर रहे हैं, मरम्मत नहीं हुई थी वह करा ली है, इसके परिणाम भी परिलक्षित हुए । अगस्त, 1980 में 27.4, सितम्बर में 27.6, अक्तूबर में 30.2, नवम्बर में 35.0, दिसम्बर में 40.9, जनवरी में 42.1 और फरवरी में 44.9 प्रतिशत रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि स्थिति और ठीक होगी ।

श्री जयदीप सिंह--

जैसा उन्होंने कहा कि तापीय विद्युत् इकाइयों के लिए अच्छा कोयला उपलब्ध नहीं हुआ, उसके लिए डिजाइन की गई, तो उनको अच्छा कोयला मिला या शुरू से ही अच्छा कोयला नहीं मिल, और जब अच्छा कोयला मिला, तो उनका उत्पादन कितना हुआ ? ऐसी कितनी इकाइयां हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इकाइयां तो बहुत हैं, अलग-अलग हैं । मैंने पहले ही जिक्र किया था कि विद्युत् गृहों की हालत खराब है, अब 200-200 मेगावाट की जो इकाइयां हैं, वह पूरी तरह से अभी स्टेबलाइज नहीं हो पायी हैं, और जो कारण हैं उनके बारे में कदम उठाये गये हैं ।

श्री जयदीप सिंह--

पुरानी इकाइयों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और नई बड़ी-बड़ी हैं, उत्पादन शुरू नहीं हो पाया, तो क्या ये इकाइयां डिजाइन की गई हैं अच्छ कोयले के हिसाब से या जो कोयला मिल रहा है उसके हिसाब से ? या यह केवल बहाना बनाया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

बहाना बनाने का प्रश्न नहीं है । हम सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी, बो० एच० ई० एल०, सी० ई० ए० के साथ परीक्षण कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, तीनों अथारिटीज जो हैं, दिल्ली में बैठ कर मानेटरिंग कर रहे हैं ।

श्री ऊदल--

क्या यह बात सही है कि अपेक्षाकृत उत्पादन कम हुआ है और जो रेनू सागर का विद्युत् गृह है, उसका उत्पादन ज्यादा हुआ है और दूसरी बात क्या यह भी सही है कि सोहावल, मऊनाथभंजन आदि बन्द पड़े थे ? यदि हां तो इन कारणों को दूर करने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि छोटे पावर हाउस में कोयले का अभाव रहा दूसरे हमने वहां रेल मंत्रालय, कोल मंत्रालय से भी सम्पर्क स्थापित किया और रेनू सागर का जहां तक प्रश्न है, जो आयातित कोयला है, वह अधिकतर बीना डैम का कोयला है और हम चेष्टा कर रहे हैं कि बीना डैम का कोयला हमें ज्यादा मिले ।

श्री भूदेव व श्री देवदत्त ग्राम सिंधौली, जिला कानपुर द्वारा भूमि का फर्जी स्थानान्तरण

*6—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद कानपुर के एस० ओ० सी० कार्यालय में जिल्द बन्दोबस्त 45 के खाता सं० 800 पर सीलिंग की जो भूमि नं० 884 श्री भूदेव व देवदत्त आदि, निवासी गांव रौगांव सिधौली, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर के नाम दर्ज पाई गयी वह भूमि उक्त भूदेव आदि द्वारा उनके निजी चक नं० 917 व 1064 से बिना किसी विधिक केस-मुकदमा और बिना किसी फाइल के ही फर्जी रूप से स्थानान्तरित होना कार्यालय रिकार्ड से प्रमाणित है ? यदि हां, तो विक्रमादित्य सिंह, निवासी गांव सिधौली, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1980 को उक्त अवैध एवं धोखाधड़ीपूर्ण जैसे गम्भीर काण्ड की लिखित सूचना जिलाधिकारी, कानपुर को देने के उपरान्त उपरोक्त भूदेव आदि पांचों भाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जैराज गौतम--

जी हां ।

प्रासंगिक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दिनांक 11-11-1980 को अंकित करा दी गयी है जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मामला काफी गम्भीर है । अगर आप इस तरह से देखें कि सीलिंग की जमीन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किये हुए, बिना किसी केस मुकदमे के, बिना किसी फाइल के निजी चकों को ट्रान्सफर कर दिया गया और जब इसका मुआयना किया गया, तो उसी दिन दरखवास्त दे दी गई कि इसको निकाल दिया जाय । काफी दिन बाद निकाल देने से इंकार कर दिया गया । पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई ।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या पूछ रहे हैं ? जो पूछना चाहते हैं ? वह प्रश्न कीजिए ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए । निश्चित रूप से बुद्धि का प्रयोग करेंगे अब की बार ।

श्री मोती लाल देहलवी--

इसमें संयुक्त संचालक चकबन्दी और कानपुर के जिलाधिकारी का इसमें गोलमाल है । मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से जब 1-4-80 को दरखास्त दी गई तो 7 महीने वह दरखवास्त कहां गुम रही, उस पर तत्काल कार्यवाही क्यों

नहीं हुई तथा पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की गई ? दूसरा, जो सीलिंग की जमीन दर्ज की गई है इसमें किस-किस अधिकारी के हस्ताक्षर हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यह सही है कि बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी फाइल के यह हस्तान्तरित हो गया, दर्ज हो गया सीलिंग की जमीन । अब जब यह जानकारी हुई तो इसको ठीक कराया संयुक्त संचालक चकबन्दी ने । मान्यवर, 3-7-79 को ठीक करा दिया लेकिन ठीक कराने के बाद माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि उसी वक्त क्यों नहीं पुलिस में रिपोर्ट की गई ? अब इसमें देर तो जरूर हुई है लेकिन रिपोर्ट हुई उन लोगों के खिलाफ जिसने फोरजरी का काम किया है और अब यह जांच हो रही है । जांच में जो कुछ भी निकलेगा, जिसके खिलाफ, कोई अधिकारी के खिलाफ, जिन लोगों के नाम दर्ज हुये हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिया । मैंने पूछा था कि किस-किस अधिकारी के दस्तखत हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, हर एक कहता है कि हमारे दस्तखत नहीं हैं । दस्तखत अपठनीय हैं । जो क्लर्क हैं उन्होंने मना किया, जो अधिकारी हैं, उन्होंने मना किया कि हमारे दस्तखत नहीं हैं । बिल्कुल फोरजरी है । इसमें विवेचना हो रही है । उसको हो जाने दीजिए सब अपने आप निकल आयेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इतना समय हो गया इस पर रिपोर्ट किये हुये, कार्यवाही कुछ नहीं । यह देखिये, आश्चर्य की बात । जिसमें फर्जी सीलिंग की जमीन ट्रान्सफर की गई, जांच कौन कर रहा है पुलिस कर्मचारी । क्या पुलिस कर्मचारी डी० डी० सी० की जांच कर पायेंगे, जो लोग इसमें इनवाल्व हैं, उनकी जांच कर पायेंगे ? जरा देखिये, कितनी आश्चर्य की बात है । इस सरकार को क्या हो गया ? मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट किस धारा में अंकित की गई और रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

रिपोर्ट धारा 467,218 के अन्तर्गत फोरजरी और धो धड़ो में की गई है ।

मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के मुसलमान लेखपाल एवं हिन्दू कानूनगो का स्थानान्तरण

*7—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 अगस्त, 1980 में मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी में आठ मुसलमान लेखपाल और एक हिन्दू कानूनगो के तबादलों को निरस्त किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? उन पर जिला मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा आज दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री जैराज गौतम—

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के आठ मुसलमान लेखपाल तथा एक हिन्दू कानूनगो का स्थानान्तरण जिले की अन्य तहसील में न करके उनकी पूर्व की तैनाती के स्थान पर ही तैनात करने के निर्देश जिलाधिकारी को तत्कालीन राजस्व मंत्री के आदेशानुसार उनके निजी सचिव द्वारा भेजे गये थे। जिलाधिकारी ने शासन से पुनर्विचार का अनुरोध किया जिस पर जिलाधिकारी को अपने विवेकानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया। शासन ने पुनर्विचार कर जिला अधिकारी को पुनः ये आदेश निरस्त करने हेतु लिखा है।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, पिछले सत्र में इस आदरणीय पीठ से इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो चुकी है। पिछले सत्र में माननीय सदस्य राम स्वरूप वर्मा ने सवाल उठाया था जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मण समझते हैं। कई माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की थी। माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि अगर मूल भाव आ सकता है, तो धर्म से लगे शब्द के प्रश्न नहीं पूछने चाहिये। स्वीकार करने का अधिकार आपको है। आगे के लिए इसकी व्यवस्था करें। इस प्रश्न में इन्होंने 8 मुसलमान लेखपाल और एक हिन्दू कानूगो के तबादलों को निरस्त करने की बात की है। क्या यह प्रश्न आ सकता है? लेखपाल हिन्दू, मुसलमान कोई भी हो सकता है। आगे के लिए ऐसी व्यवस्था करने की कृपा कर कि इस तरह के प्रश्न स्वीकार न हों जब कि मूल भाव आ सकता है। पिछले सत्र में यह आ चुका है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, जो आ चुका है उसी के हिसाब से होगा। जैसी व्यवस्था इस बारे में हो चुकी है, वही होगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो अंतिम आदेश निरस्त करने के लिए माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारी को दिए हैं, तो क्या जिलाधिकारी को माननीय मंत्री जी, इतना पुराना मामला हो गया है, इसको देखते हुए, यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च के पहले-पहले जो आदेश माननीय मंत्री जी ने दिए हैं उनका इमप्ली-मेंटेशन हो जायं और लेखपालों का ट्रान्सफर निरस्त हो जाय और उनको पुरानी जगह पर काम मिल जाय ?

श्री बैजनाथ कुरील—

28-2-81 को यह आदेश हुए थे कि जिलाधिकारी ने जो आदेश किए हैं 9-7-80 को उनके ट्रान्सफर के, उनको वापस ले ले, उनको अपने स्थान पर कायम कर दिया जाय। माननीय सदस्य बता रहे हैं कि उनको नहीं लिया गया है तो इसकी मैं जानकारी करा लूंगा कि क्यों नहीं लिया गया। क्या कठिनाई है। समय अवश्य ज्यादा हो गया है। 28-2-80 को आदेश गए थे। माननीय सदस्य कह रहे ह कि अभी नहीं हुआ तो मैं इसकी जानकारी करूंगा कि क्या बात है। मार्च का महीना है, काम ज्यादा है या क्या बात है।

श्री रियासत हुसैन--

आपने तो जांच पड़ताल करने के बाद ही आदेश किये होंगे। अब तो सिर्फ इम्प्लीमेन्ट करने की बात है।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

*8--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]।

प्रदेश में बिक्रीकर की वसूली

*9--श्री राम कुमार भार्गव--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1,00,000 रुपए के बिक्रीकर के कुल कितने बकायेदार हैं? क्या उनकी वसूलयाबी के लिए शासन ने कोई आदेश पारित किए हैं? यदि हां, तो वह आदेश क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त--

प्रदेश में 1-1-81 को एक लाख रुपये के या उससे अधिक बिक्रीकर के 726 बकायेदार थे, जिनमें से 3 एक लाख रुपए तक के थे। बकाया की वसूली की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अन्तर्गत नियमानुसार की जा रही है। अतः वसूलयाबी के लिए शासन द्वारा आदेश पारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम कुमार भार्गव--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बिक्रीकर अधिनियम 1948 की धारा 8 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है और यह भी माना है कि 726 बकायेदार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां हजार-दो हजार बकायेदार ऐसे थे, जिनको तहसील वाले गिरफ्तार कर ले गए। क्या ये जो 726 बकायेदार हैं, इनकी कुड़की हो चुकी है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है?

श्री ब्रह्मदत्त--

आपने सवाल 1 ही लाख के बकायेदारों के सम्बन्ध में पूछा। ज्यादा पूछते तो, तो मैं बता देता। 3 बकायेदार थे 1 लाख रुपये के। मेरठ की एक फर्म है जिस पर फर्म से बकाया की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। बकाया की वसूली की कार्यवाही हो रही है। दूसरी मुरादाबाद की एक फर्म है जिस पर 3-1-73 को वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसमें संयुक्त जांच में बकाया अदेय पाया गया। अपलेखन के प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन हैं। तीसरी फर्म वाराणसी की है जिसकी वसूली के प्रमाण-पत्र 10-6-71, 30-6-79 व 22-9-79 को जारी किए गए। बाकीदार के न मिलने के कारण वसूली सम्भव न हो सकी। अतः संयुक्त जांच के बाद अपलेखन की कार्यवाही की जायेगी। 1-1-81 को प्रदेश में एक लाख से ऊपर धनराशि के बिक्रीकर के बकायेदारों की संख्या 723 थी। बकायेदारों पर 50.14 करोड़ की धनराशि बकाया थी जिसमें से 24.42 करोड़ की धनराशि सरकारी विभागों पर बकाया है, जिसमें से 7.24 करोड़ की धनराशि न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित है। शेष बकायादार द्वारा 25.72 करोड़ की धनराशि देय है, जिसमें से

7. 15 करोड़ न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित है। अतः शुद्ध वसूली योग्य बकाया की धनराशि 18. 57 करोड़ की है। 28 फरवरी, 1981 को आयुक्त बिक्रीकर द्वारा मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर अनुरोध किया गया है कि वे वसूल होने योग्य बकाया धनराशि 31-3-81 वसूल करना सुनिश्चित करें।

जौनपुर जिले के ग्राम डिहिया का विद्युतीकरण

*10--श्री जंग बहादुर--

क्या विद्युत् मंत्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद के खुटहन विकास क्षेत्र के ग्राम डिहियां में विद्युतीकरण का कार्य 8-10 साल पूर्व प्रारम्भ किया गया और ट्रान्सफार्मर, खम्भे तथा तार ग्राम में पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो विधुतीकरण अब तक न किये जाने का कारण क्या है ? क्या मन्त्री जी शीघ्र विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जौनपुर जनपद के खुटहन विकास क्षेत्र के ग्राम डिहिया के केवल एक पुरवा पहाड़ी का चक का विद्युतीकरण का कार्य 8-10 साल पूर्व प्रारम्भ किया गया था। इस समय उक्त ग्राम में 10 खम्भे, एक डबल पोल सेट तथा एक ट्रान्सफार्मर रखे हुए हैं। ग्राम डिहिया के निवासियों द्वारा एक पुरवा विशेष के विद्युतीकरण का उग्र विरोध किये जाने की स्थिति में विद्युतीकरण का कार्य रोकना पड़ा।

वर्तमान स्थिति में उक्त ग्राम का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत होना है जो ग्रामवासियों की रुचि एवं सक्रियता पर निर्भर करेगा।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर 8-10 वर्ष से जो सामान पड़ा हुआ है और विद्युतीकरण नहीं हुआ है जब कि एक दूसरे गांव में, जहां कि केवल 40-50 हरिजन ही हैं, वहां का विद्युतीकरण कर दिया गया। इसलिये क्या मंत्री जी उस गांव का विद्युतीकरण करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे गांव वालों से कह दें कि वे विरोध न करें अन्यथा मुझे आदेश देना पड़ेगा कि वे सामान को किसी दूसरे हरिजन ग्राम में ले जांय।

टाण्डा तापीय विद्युत् परियोजना के सम्बन्ध में किसानों का अनशन

*11--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित किसान संघर्ष समिति के माध्यम से टांडा तहसील प्रांगण में सन् 1978-79 में प्रभावित किसानों की जायज मांगों को लेकर किसानों ने अनशन किया था, तथा सरकार व स्थानीय अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का समझौता हुआ था ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ट्रान्सफार्मर की खरीद

*12—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1979 में विद्युत परिषद ने जो 60 करोड़ रुपए के ट्रान्सफार्मर्स के खरीद के आर्डर दिए थे वे पहले खरीदे गए ट्रान्सफार्मर के रेट से काफी अधिक रेट के थे ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वर्ष 1979 में लगभग 43 करोड़ रुपये के ट्रान्मफार्मर्स खरीदे गये। इनमें से लगभग 30·5 करोड़ रुपये के ट्रान्सफारमर्स पहले खरीदे गये समान क्षमता के ट्रान्सफारमर्स से अधिक रेट पर खरीदे गये तथा लगभग 12·5 करोड़ रुपये के ट्रान्सफारमर्स पहले खरीदे गये समान क्षमता के ट्रान्सफारमर्स से कम रेट पर खरीदे गये।

ट्रान्सफारमर्स के रेट में बढ़ते घटते कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, निर्माण लागत में उतार-चढ़ाव, तकनीकी परिकल्पना में सुधार तथा बाजार में उपलब्धि एवं आपसी स्पर्धा पर निर्भर करते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ट्रांसफारमर खरीदने के आदेश किस अधिकारी के द्वारा हुए और जो पिछले साल ट्रांसफारमरों की खरीद हुई वह किस रेट पर हुई, 1979 में वह उसके पिछले साल से कितने ज्यादा रेट पर खरीदे गये, उससे कितना ज्यादा रुपया परिषद् को देना पड़ा। दूसरे, माननीय मंत्री जी ने माना है कि साढ़े 30 करोड़ रुपये के ट्रांसफारमर पहले खरीदे गये समान क्षमता के ट्रांसफारमर से अधिक रेट पर खरीदे गये तथा लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपये के ट्रांसफारमर पहले खरीदे गये समान क्षमता के ट्रांसफारमर से कम रेट पर खरीदे गये।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये समय हो रहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं जानना चाहता हूं कि किस के आदेश से खरीद हुई और पिछले साल के रेट क्या थे और इस साल के रेट क्या थे ? जो ज्यादा रेट से खरीद हुई उससे शासन को कितने करोड़ रु० ज्यादा देने पड़े ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अध्यक्ष महोदय, जो 50 लाख से कम टेंडर होते हैं, उसके लिए बोर्ड में एक कमेटी होती है और 50 लाख से ऊपर का जो सामान होता है, उसके लिए पूरा बोर्ड बैठता है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेन्ट के तथा दूसरे प्रतिनिधि होते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी संस्तुति के आधार पर यह होता है। 1979 की जो बात कही गयी है उसकी विस्तृत सूचना मेरे पास है, केवल 4 मिनट शेष रह गये हैं आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ देता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

कितना करोड़ ज्यादा लगा यह बता दें।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, वह तो अलग-अलग बताना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के कुछ कहने पर) अभी मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको सुन लें ।

श्री ब्रह्म दत्त—

इसकी पूरी विस्तृत सूचना मेरे पास है, अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सूचना उपलब्ध करा दीजिये । उन्होंने कहा है कि पूरी सूचना आप चाहें, तो उपलब्ध करा देंगे ।

गोरखपुर जिले की तहसील सदर में राप्ती नदी के कछार में चकबन्दी

*13—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में सदर तहसील के राप्ती नदी कछार से सम्बन्धित ग्रामों में रिकार्ड आपरेशन इस समय हो रहा है ? यदि हां, तो उस दिशा में अभी तक कितना कार्य सम्पन्न हुआ ? क्या जिलाधिकारी, गोरखपुर ने अपनी संस्तुति पत्रांक 431/पी0 के0-सदर, दिनांक 7-2-80 द्वारा सदर तहसील के उक्त क्षेत्र में चकबन्दी कराने हेतु भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जैराज गौतम—

जी हां, गोरखपुर जनपद की तहसील सदर के कछार से सम्बन्धित ग्राम रिकार्ड आपरेशन के अन्तर्गत है । जिलाधिकारी, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 7-2-80 द्वारा तहसील सदर के 48 ग्रामों में भू-मापन क्रियायें समाप्त कर चकबन्दी क्रियायें कराने की संस्तुति राजस्व परिषद् को भेजी थी । इन ग्रामों में से 6 ग्रामों में रिकार्ड आपरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तरों पर है । राजस्व परिषद् ने तहसील सदर के 38 ग्रामों में ही चकबन्दी कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा, जो शासन के विचाराधीन है ।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि 6 ग्रामों में रिकार्ड आपरेशन पूरा हो गया है, यह रिकार्ड आपरेशन का कार्य किस स्टेज पर जाकर पूर्ण होता है, जैसे पैमाइश होती है, फिर पड़ताल होती है उसके बाद पर्चे वितरित होते हैं उसके बाद डिनोटिफिकेशन होता है। मैं जानना चाहता हूं कि किस स्टेज पर बंदोबस्त की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जिससे वह कह रहे हैं कि 6 गांवों में बन्दोबस्त पूरा हो चुका है । दूसरा यह कि जिलाधिकारी गोरखपुर ने 48 ग्रामों में भू-मापन क्रियायें समाप्त कर दी हैं । उसमें आपने कहा

है कि 6 में पूर्ण हो चुका है । आपने उत्तर में यह कहा है कि 38 ग्रामों में ही चकबन्दी कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, तो शेष 4 गांव उसमें छोड़ दिये गये हैं ..

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें नहीं तो तब तक समय समाप्त हो जायेगा ।

श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर उन्होंने यह कहा कि 6 गांवों में रिकार्ड आपरेशन की प्रक्रिया हो चुकी है । वह कौन सी स्टेज पर है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह मैं कैसे बताऊं कि प्रक्रिया पूरी कैसे होती है । पूरे रिकार्ड की सारी जांच होने के बाद, उसमें उस गांव में जब कोई काम बाकी नहीं रह गया है--उसी को हम कहते हैं कि यह काम समाप्त हो गया है । बाकी और गांवों में यह काम विभिन्न स्तरों पर है कहीं पर्चे बन गई हैं और कहीं बन रही हैं ।

श्री अध्यक्ष--

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त ..

(व्यवधान)

केदारनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइये, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त होने के बाद आप कोई प्रश्न न करें । अब आपका जो अल्पसूचित प्रश्न है वह लिया जायगा ।

*14--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर हटाया गया]

विकास क्षेत्र, जलालपुर, जौनपुर की चक रोडों पर कब्जा

*15--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्रामों के प्रायः सभी चक रोडों पर स्थानीय काश्तकारों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है और क्षेत्रीय जनता को आवागमन में घोर असुविधा हो रही है ? क्या सरकार इन चक रोडों पर से अनधिकृत कब्जे हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

जौनपुर जनपद के जलालपुर विकास क्षेत्र में चकरोडों पर अनधिकृत कब्जों के केवल 35 मामले प्रकाश में आये । सभी मामलों में अनधिकृत कब्जे हटवा दिये गये ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के बाद तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

*16--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

[14वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में होटलों को दिया गया बार लाइसेन्स

*17--श्री धरम पाल (बहराइच)---

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में होटलों तथा क्लबों में शराब का सिलसिला शुरू करने के लिये बार लाइसेन्स देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन ह ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्री भानुप्रताप सिंह)---

शासन ने 1 अप्रैल, 1979 से प्रदेश में लागू पूर्ण मद्यनिषेध की क्षेत्रवार प्रसार की नीति पर अगस्त, 1980 में ही पुनर्विचार करके सभी मैदानी जिलों के लिए समान मद्यनिषेध नीति कार्यान्वित की है जिसके अन्तर्गत होटलों तथा क्लबों में देशी शराब के विक्रय तथा उपभोग पर प्रतिबन्ध है और विदेशी मदिरा के होटलों तथा क्लबों में नियंत्रित विक्रय तथा उपभोग के लिए क्रमशः लाईसेंस और परमिट की व्यवस्था कर दी गयी है ।

क्लबों को बार लाईसेंस दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है । होटलों को बार लाईसेंस 1 अप्रैल, 1978 से पूर्व भी दिया जाता था और उसी व्यवस्था को प्रभावी कर दिया गया है ।

मैनपुरी जिले की शिकोहाबाद क्षेत्र के साबुन उद्योग पर बिक्री-कर की छूट

*18---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम की धारा 4-जी के अन्तर्गत मिलने वाली फार्म-3-ख की सुविधा मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र की साबुन इकाइयों को, जो उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा संचालित हैं विज्ञप्ति संख्या 2958, दिनांक 20 मई, 1976 के आधार पर पूर्वगामी प्रभाव से बन्द कर दी गयी है जबकि यह सुविधा प्रदेश के अन्य स्थानों पर इस प्रकार की इकाइयों को प्राप्त है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त---

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन कच्चे माल पर बिक्रीकर की रियायत के सम्बन्ध में एक शर्त यह भी है कि उत्पादित माल पर बिक्रीकर देय न हो । शिकोहाबाद की कतिपय साबुन औद्योगिक निर्माता इकाइयों को, जो खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रमाणित संस्थाएं होने के कारण अपनी बिक्री पर कर से मुक्त थी, उपरोक्त शर्त का ध्यान रखे बिना गलती से मान्यता प्रमाण-पत्र दे दिये गये थे जिसके आधार पर समितियों ने फार्म 3-ख देकर बिना बिक्रीकर दिये कच्चा माल क्रय किया । बाद में उक्त प्राविधान जानकारी में आने पर मान्यता प्रमाण पत्रों को पूर्वगामी प्रभाव से निरस्त कर दिया गया जिसके कारण उक्त इकाइयों पर लगभग 42,700 रुपये का कर भार पड़ गया । यह देखते हुए कि पूर्वगामी प्रभाव से मान्यता प्रमाण-पत्र निरस्त करना विधि के अनुकूल नहीं था और इन इकाइयों पर यह कर भार, जिसे वह अपने ग्राहकों से अब वसूल करने में असमर्थ है,

विभागीय अधिकारियों की भूल के कारण पड़ा है, उक्त धनराशि को अपलिखित कर दिया गया है ।

*19--श्री गोरे लाल शाक्य--

[26वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

--श्री खैरुल बशर--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत गन्ना समितियों के खाद का स्टाक

**1--श्री केदार नाथ सिंह, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री राम हर्ष राय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक ने लगभग एक सप्ताह पूर्व से वित्त पोषण योजना लागू करके गोरखपुर एवं प्रदेश के अन्य तीन जिलों की गन्ना समितियों को नकद खाद किसानों में वितरित करने से रोक दिया है ? यदि हां तो क्यों ? इस समय सम्बन्धित समितियों के पास कितनी खाद गोदामों में पड़ी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

सम्बन्धित समितियों में खाद के स्टाक की सूचना जिलेवार संलग्नक में दर्शाई गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. . . .पर ।)

श्री केदार नाथ सिंह--

मेरे मूल प्रश्न में है. . .वित्त पोषण योजना लागू करके गोरखपुर एवं प्रदेश के अन्य तीन जिलों की गन्ना समितियों की नगद खाद किसानों में वितरित करने से रोक दिया गया है, दोनों के उत्तर मन्त्री जी ने नहीं दिये हैं, तो क्या वह निश्चित मत के हैं कि वित्त-पोषण योजना इन चार जिलों में लागू नहीं है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य का जो प्रश्न है और उसका जो उत्तर मैंने दिया है, उसमें शायद उनके समझने और मेरे समझाने में दिक्कत हुई है । यह बात सही है । 4 जिलों में वित्त पोषण योजना--वैसे तो सारे के सारे 136 सहकारी गन्ना प्राइमरी समितियों में यह लागू है, लेकिन काफी दिनों से इसमें जो, दिक्कत आ रही थी, 1975-76 से यह लागू है । उन दिक्कतों की वजह से पिछली बजट चर्चा में दोनों पक्षों से यह बात कही गई थी कि या तो इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए या समाप्त किया जाना चाहिए, तो मैं और सदन इस निश्चित मत के हैं कि इस योजना को समाप्त कराया जाए, लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों की इच्छा कुछ इस प्रकार की है कि इसको सरल किया जाए और इसको प्रदेश के अलग-अलग गन्ना क्षेत्र में एक-एक जिले को

लेकर लागू कर दें । उसके अनुसार मेरठ में मुजफ्फरनगर, रुहेलखन्ड में रामपुर मध्य क्षेत्र में फैजाबाद और पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर जनपद में इस योजना को लागू किया गया है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मन्त्री जी ने बताया कि 4 जिलों में वित्त पोषण योजना गन्ना समितियों में लागू है । हमारी जानकारी जहां तक है गन्ना समितियों को नगद खाद बेचने से रोक दिया गया था और जो मन्त्री जी ने कहा है, इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करा ली जाए कि यह गलत सूचना दी गई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

ऐसा नहीं है, सूचना गलत नहीं दी गई है, केवल हमारे समझाने और समझने में थोड़ी देर है । आपका यह कहना है कि नकद खाद बेचने से उनको रोक दिया गया है, तो ऐसी बात नहीं है एक आदेश गन्ना आयुक्त को गया उसके पैरा 4 में कहा गया था कि गन्ना समितियां किसी भी दशा में गन्ना उत्पादकों को खाद के रूप में सीधा ऋण वितरित नहीं करेंगीं । इस पैरे से आपको कुछ भ्रम पैदा हो गया है । अगर इसको समझा सकूं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया वित्त पोषण की है, उसमें गन्ना समितियां किसानों से आवेदन-पत्र प्राप्त करती हैं । उसके पश्चात् वे एक लिस्ट बनाती हैं, उसको सहकारी समिति गन्ना किसानों की जहां-जहां पर है, वे हर न्याय स्तर पर हैं, उसको वहां पर भेजते हैं, स्वीकृति के लिए तत्पश्चात् गन्ना समितियां जो आवेदक होते हैं, उनको दे दिया करती हैं खाद और जो उन्हें बीज की आवश्यकता होती है । नकद के रूप में पहले भी नहीं देते थे किसी और कारणों से ताकि उनका दुरुपयोग न होने पाये । इस प्रक्रिया से वित्त पोषण योजना में काफी समितियां प्रभावित हो गयी, मूल प्रश्न यह है । जब हमने एतराज किया और जो हमारे रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, जब उनसे चर्चा हुई और हम लोगों ने बहुत सख्ती से इस पर रोष जाहिर किया और कहा कि इससे सारी गन्ना समितियां और गन्ना किसान प्रभावित हैं और इससे गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ रहा है, तो प्रदेशीय सरकार ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों से कहा और साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार से भी चिन्ता व्यक्त की और लिखा कि इस योजना को समाप्त कर दें क्योंकि जो पहले लिस्ट बनाई जाती है और फिर अनुमोदन प्राप्त करना होता है, इसमें बहुत दिक्कत पैदा हो रही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में सरलीकरण की योजना लागू की गई है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनको यह विदित है कि इस मार्च के महीने में एक टीम अधिकारियों तथा रिजर्व बैंक की इन 4 जिलों में स्टडी के लिए गई थी ? यदि हां, तो उस टीम ने वहां पर क्या देखा और क्या निर्णय किया ? क्या यह योजना वहां पर सफलीभूत हुई है या नहीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उसके निर्णय की निश्चित जानकारी मेरे पास नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि वह योजना वहां पर सफल नहीं हुई और न हो सकती है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जब मंत्री जी का यह कहना है कि न तो यह योजना सफल हुई है और न हो सकती है तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में कि इससे गन्ना किसानों और गन्ना समितियों को भी क्षति हो रही है सरकार इसको तुरन्त समाप्त करके गन्ना समितियों द्वारा ऋण देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इस दिशा में प्रयत्न हो रहा है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

यह योजना केवल 4 जिलों में लागू की गयी है जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना देवरिया जिले में होता है जहां पर 14 चीनी मिलें भी हैं, तो इसको वहां पर लागू न करने का आधार क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री केदार नाथ सिंह--

गन्ना आयुक्त के द्वारा शासन ने नकद खाद की बिक्री रुकवा दी है । उत्तर में जो सूचना दी गयी वह गलत है । मैं स्वयं गन्ना समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य हूं । प्रबन्ध समिति को डी0 सी0 ओ0 का टेलीफोन गया और उसके बाद कहा कि चिट्ठी भेजी जायेगी । लेकिन एक छटांक खाद भी नहीं पहुंची, तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि मंत्री जी ने सदन में गलत सूचना दी है ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

ऐसी बात नहीं है । मैंने कोई गलत सूचना नहीं दी है है ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

उत्तर हो गया है ।

श्री अकबाल हुसैन--

जब यह योजना असफल रही है तो क्या मंत्री जी गन्ना किसानों को खाद समितियों के माध्यम से दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इनके ही माध्यम से मिले यही प्रयत्न रहता है । मैं आपकी भावना से अवगत हूं और सारा सदन इस बात को जानता है कि यह योजना सफल नहीं हो सकती और इस कारण सरकार को इसमें कुछ करना पड़ेगा ।

प्रदेश के नगरों में विद्युत् की कटौती

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल में एक आदेश शासन की सहमति से राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा जारी करके नगरों में बिजली आपूर्ति में कटौती कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

रबी की अन्तिम सिंचाई की भारी मांग को पूरा करने के लिए तथा रिहन्द जलाशय के नीचे जल स्तर को देखते हुए प्रदेश के मुख्य नगरों में एक घन्टे की अतिरिक्त कटौती की गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस समय मान्यवर, कटौती के आदेश जारी हुये उसके कुछ ही दिन पहले मुख्य मंत्री जी की ओर से जो पत्र मिला उसमें यह जानकारी दी गयी थी कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन की मात्रा बढ़ गई है और उसके बाद ही यह आदेश कटौती वाले जारी हो गये, तो क्या सरकार इस आदेश पर पुनः विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सिंचाई की आवश्यकता और रिहन्द के जल स्तर को ध्यान में रखकर ही ऐसे आदेश देने पड़े हैं। जिस दिन यह ठीक हो जायेगा, यह आदेश खत्म हो जायेंगे। वैसे जितनी कटौती की गई थी, उतनी नहीं रही है, उसको रोज हम रिव्यू करते रहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस समय नगरों को जितने घन्टे बिजली मिलना चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल रही है और इस तरह की शिकायतें निरन्तर आ रही हैं। जिसने घन्टे की कटौती के आदेश हैं उससे भी अधिक घन्टे तक बिजली गायब रहती हैं । क्या इस तरह की शिकायतें सरकार को मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उत्तर प्रदेश 4 जोन्स में बंटा ह, दो जोन्स में दिन में बिजली दी जाती ह और दो जोन्स में रात में । शिकायतों को दूर करने के लिये ही एक किसान मित्र सेल की स्थापना की गयी है और इसमें 24 घंटे शिकायतें सुनने और कार्यवाही करने का इन्तजाम किया गया है । जन प्रतिनिधियों की जो भी शिकायतें मिलती हैं, उनको सिंचाई और विद्युत विभाग के अभियन्ता, जो इसमें रखे गये हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मंत्री जी ने बताया कि रिहन्द का जल स्तर नीचे गिर जाने के कारण बिजली उत्पादन में कमी हुई और कटौती करना पड़ी । कृत्रिम वर्षा, बादल बनाकर, की जो आपकी योजना थी, क्या उसके द्वारा कृत्रिम वर्षा कराकर रिहन्द के जल स्तर को पूरा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह सरकार व्यवहारिक योजना में विश्वास करती है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

हरदोई में जितने घंटे की कटौती के आदेश ह, उससे भी 4-5 घंटे अधिक बिजली की कटौती हो रही है । मेरी इस सूचना के आधार पर क्या

माननीय विद्युत् मंत्री जी, जिनको मैंने इस बारे में पत्र भी लिखा है, इसकी जांच करायगे और हरदोई को अधिक बिजली देने के आदेश देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था और उस पर मैंने विस्तृत सूचना मांगी है। कभी-कभी एसा हो जाता है कि मशीन आदि की खराबी के कारण अधिक कटौती हो जाती है। विद्युत् की उपलब्धि बढ़े इसके लिये प्रयास जारी हैं।

श्री मित्रसेन—

किसानों को इस समय जायद फसल तथा मड़ाई आदि के लिये बिजली की जरूरत रहती है, इसको देखते हुये किसानों की बिजली सप्लायी बदस्तूर कायम रखेंगे मंत्री जी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

किसानों की आवश्यकता की देखते हुये यह किया गया है। उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, न कि घटाने का।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि नगरों की बिजली काटी जाय, लेकिन प्रदेश कृषि प्रधान है और फसल खेत से खलियान में आने लगी है, तो क्या माननीय मंत्री जी देश की अर्थ व्यवस्था और मौसम की खराबी को देखते हुए गांवों की बिजली बढ़ायेंगे ताकि किसान को शेशर चलान के लिये भी बिजली मिल सके ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सिंचाई के मुकाबले शेशर के लिये बिजली अवश्य कम है लेकिन उसके लिये भी बिजली की व्यवस्था हम अवश्य करेंगे।

श्री भीखालाल—

नगरों में बिजली की कटौती की गयी है लेकिन मेरी निश्चित सूचना है कि देहातों में बिजली बढ़ने के बजाय जितने घंटे पहले बिजली मिलती थी उतनी भी नहीं मिल रही है और शहरों की कटौती के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी यह जांच करा लेंगे, कि शहरों में कटौती की जा रही है, उसमें देहातों में बिजली की सप्लाई में बढ़ोत्तरी हुई या नहीं हुई है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

फिक्सड डिमाण्ड नहीं रहती है। 20 मिलियन यूनिट अगर है, तो बारिश हो जाने पर 15 मिलियन यूनिट रह जाती है। हम लोग जिला मैजिस्ट्रेट के स्तर पर विद्युत् अभियन्ता और सिंचाई अभियन्ता के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई गयी है, उसकी माह में एक दफा मीटिंग हो और विद्युत् अभियन्ता तथा सिंचाई अभियन्ता जो भी कठिनाई आवे उसका निराकरण करेंगे। और अगर वह नहीं कर पायेंगे तो उनका निराकरण हम करेंगे।

श्री सूबेदार सिंह—

उत्तर प्रदेश में बिजली की दोहरी नीति है ग्रामीण क्षेत्र के लिये अलग और शहरी क्षेत्र के लिये अलग जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा असंतोष बढ़ रहा है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार बिजली, सप्लाई के सम्बन्ध में समान व्यवस्था करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जो वर्तमान व्यवस्था है उससे ज्यादा तर्कसंगत व्यवस्था और हो नहीं सकती।

श्री रियासत हुसैन—

थ्रेसिंग का काम रात में होता है और ग्रामों में मौसम की सुविधा भी रात में होती है, तो क्या देहाती क्षेत्र में बिजली रात में अधिक मिले भले ही दिन में कम कर दी जाय इसकी माननीय मंत्री जी व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इस सम्बन्ध में राय अलग-अलग हैं। जो आलू के काश्तकार हैं वे दिन में चाहते हैं, रात में नहीं चाहते लेकिन हम 6 घंटे रात और 6 घंटे दिन की व्यवस्था आल्टरनेटिव्ली कर रहे हैं, इससे तर्क संगत व्यवस्था और नहीं हो सकती।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री मोती लाल देहलवी—

[7 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सं0 115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राजकिशोर शुक्ला, गन्ना पर्यवेक्षक, बस्ती की पेंशन एवं ग्रेच्युटी

2—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकिशोर शुक्ल, गन्ना पर्यवेक्षक के बभनान, जनपद बस्ती में सन् 1972 में रिटायर होने के बाद अभी तक उन्हें पेंशन, भविष्यनिधि तथा ग्रेच्युटी नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। इस कर्मचारी को सन् 1972 में सेवा निवृत्त किये जाने के बजाये अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसके विरोध में वे बिना सूचना के अनुपस्थित हो गये और अनावश्यक पत्र व्यवहार करने लगे। इस कारण पेन्शन सम्बन्धी कागजात समय से नहीं तैयार हो सके। अब इनकी पेन्शन, भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

राम सागर मिश्र कालोनी, लखनऊ एवं आस-पास की कालोनियों का विद्युत् कनेक्शन

3—श्री हरदेव—

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है कि विद्युत् वितरण उपखण्ड-1 निशातगंज, लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले उप केन्द्र एच0 ए0 एल0 फैजाबाद रोड, लखनऊ

के राम सागर मिश्र नगर एवं आस-पास की कालोनियों एवं ग्रामों के उपभोक्ताओं द्वारा 6 माह पूर्व कनेक्शन के लिये इस्टीमेट की धनराशि जमा कर दी गयी है ? यदि हां, तो अभी तक उन्हें कनेक्शन न देने का क्या कारण है ? सरकार उन्हें कब तक विद्युत् कनेक्शन देने की कृपा करेगी ? क्या मन्त्री जी उक्त केन्द्र के कार्य कलापों की उच्च स्तरीय जांच कर कर वहां की व्यवस्था को यथाशीघ्र ठीक कराने तथा सम्बन्धित कनेक्शनों को शीघ्र लगवाने की भी कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विद्युत् वितरण उपखण्ड-1, निशातगंज, लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले उपकेन्द्र एच0 ए0 एल0 फैजाबाद रोड, लखनऊ के राम सागर मिश्र नगर एवं आस-पास की कालोनियों एवं ग्रामों के उपभोक्ताओं द्वारा 6 माह पूर्व नये कनेक्शन के लिए इस्टीमेट की धनराशि जमा करा दी गयी है ।

अभी तक उन्हें कनेक्शन न दिये जाने का कारण निम्नलिखित है :--

(1) फैजाबाद रोड स्थित एच0 ए0 एल0 उप केन्द्र से निकलने वाला 11 के0 वी0 राम सागर फीडर केवल राम सागर मिश्र नगर कालोनी की विद्युत् आपूर्ति हेतु ही पर्याप्त है। आस-पास की कालोनियों एवं ग्रामों का कनेक्शन भी यदि इसी फीडर से दे दिया जाय, तो अत्यधिक वोल्टेज ड्राप होगा तथा राम सागर मिश्र नगर में विद्युत् आपूर्ति सुचारु रूप से कर पाना सम्भव न होगा ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि एच0 ए0 एल0 उप केन्द्र से 11 के0 वी0 की एक अलग लाइन बनायी जाय जिससे राम सागर मिश्र नगर की आस-पास की कालोनियों एवं ग्रामों में विद्युत् कनेक्शन दिया जा सके । परन्तु इस लाइन के निर्माण कार्य में, आवश्यक सामान मिलने में कठिनाई के कारण कनेक्शन न दिये जा सके। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

यू0 पी0 सर्जिकल इण्डस्ट्रीज एवं सूरज सर्जिकल इण्डस्ट्रीज, मेरठ को सुरासव का आवंटन

4--श्री ऊदल--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 सर्जिकल इण्डस्ट्री, परतापुर, मेरठ व सर्जिकल इण्डस्ट्री, मेरठ को करीब 5 वर्षों से अब तक एसीटोन डालकर रेक्टीफाइड अल्कोहल प्रतिवर्ष हजारों लीटर सर्जिकल काटन बनाने के लिए एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर के टेक्नोलाजिस्ट की राय पर दी गयी है । क्या यह सही है कि एक पौण्ड भी सर्जिकल काटन नहीं बनाया गया और सब शराब बनाने के लिये ब्लैक में बेची गयी ? क्या यह भी सत्य है कि अब टेक्नोलाजिकल अफिसर ने, जो इलाहाबाद में सन् 1978 से आबकारी विभाग में आ गये हैं, अपनी राय बदल दी है ? अब तक कितना लीटर अल्कोहल दोनों फैक्टरियों को दिया गया और कितने रुपए का नुकसान हुआ और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

यह सही है कि यू0 पी0 सर्जिकल इण्डस्ट्रीज परतापुर, मेरठ व सूरज सर्जिकल इण्डस्ट्रीज, मेरठ को लगभग 5 वर्षों से विशेष विकृत सुरासव सर्जिकल

काटन बनाने के लिये आवंटित किया गया किन्तु यह सही नहीं है कि एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर के अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट की राय पर अल्कोहल आवंटित किया गया ।

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि उपरोक्त दोनों यूनिटों ने विशेष विकृत सुरासव का प्रयोग नहीं किया तथा सर्जिकल काटन नहीं बनायी । उक्त यूनिटों को आबंटित विशेष विकृत सुरासव से शराब बनाने का कोई मामला भी जानकारी में नहीं आया है ।

यह सत्य है कि अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट ने अपनी पहली राय मेसर्स सूरज सर्जिकल इण्डस्ट्री को उनकी मांग पर दी थी कि एसीटोन जैसे अहानिकारक विकारक से विकृत सुरासव का उपयोग सर्जिकल काटन के निर्माण में हो सकता है, तदोपरान्त अल्कोहल टेक्नोलालिस्ट ने आबकारी आयुक्त को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 25-3-76 में यह सूचित किया कि वर्तमान समय में कतिपय उद्योग इकाइयां बिना अल्कोहल के प्रयोग के एक्जाबेंट काटन बना रही है । अतः एक्जाबेंट काटन बनाने के लिये अल्कोहल का प्रयोग अति आवश्यक नहीं है । अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट का स्थानान्तरण आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर सन् 1978 से हो गया है ।

मेसर्स यू0 पी0 सर्जिकल काटन मेरठ को वर्ष 1975 से वर्ष 1980 तक 2,21,000 (दो लाख इक्कीस हजार) बल्कि लीटर विशेष विकृत सुरा आवंटित किया गया तथा मेसर्स सूरज सर्जिकल मेरठ को 1,67,500 (एक लाख सरसठ हजार पांच सौ) बल्कि लीटर विशेष विकृत सुरासव, जो प्रायः 5 प्रतिशत एसीटोन से विकृत थी, का कोटा आबंटित किया गया था । इन इकाइयों को विशेष विकृत सुरासव देने से आबकारी राजस्व को हानि होने का या किसी किस्म की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास विभाग द्वारा रुहेलखण्ड एवं मध्य क्षेत्र द्वारा ए0 डी0 बी0 सेट्स की खरीद

5--श्री मोहन सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 से 1978 के बीच मध्य रुहेलखण्ड एवं मध्य क्षेत्र में कितने कीमत का ए0 डी0 बी0 सेट क्रय हुआ और वर्तमान समय में कितने कीमत का ए0 डी0 बी0 सेट गोदामों में पड़ा हुआ है ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

वर्ष 1975 से 1978 के बीच रुहेलखण्ड एवं मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत कुल रुपया 51,88,860·76 पैसे के ए0 डी0 बी0 सेट्स क्रय किये गये । इनमें रु0 33,80,117·51 पैसे के रुहेलखंड क्षेत्र में तथा रुपये 18,08,743 पैसे के मध्य क्षेत्र से सेट्स क्रय किये गये । वर्तमान समय में कुल रु0 17,790·35 पैसे का कीमत के सेट्स जिसमें रुहेलखंड क्षेत्र में रु0 8,233·35 पैसे तथा रुपये 9,557·00 पैसे मध्य क्षेत्र की समितियों के गोदामों में वितरण हेतु शेष हैं ।

श्री अलीमुद्दीन, ग्राम इन्दारा, जिला आजमगढ़ का बन्दोबस्त अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

6--श्री राम अासरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 नवम्बर, 1980 का अलीमुद्दीन ग्राम इन्दारा (करीमाबाद) जिला आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा किए गये गैर-कानूनी कार्य की जांच किसी उच्च अधिकारी

द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । मामला निगरानी में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई दिनांक 27 मार्च, 1981 के लिये निश्चित है ।

हरदोई जिले के सवायजपुर में विद्युत् स्टेशन का निर्माण एवं ट्रान्सफार्मर

7--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के ग्राम सवायजपुर में पावर स्टेशन बन गया है ? यदि हां, तो अब तक वहां ट्रान्सफार्मर्स न भेजे जाने के क्या कारण हैं और ट्रान्सफार्मर्स कब तक पहुंचा दिए जायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं । हरदोई जनपद के ग्राम सवायजपुर में 33/11 के0 वी0, 1500 के0 वी0 ए0 क्षमता के विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण कार्य अभी चल रहा है ।

सवायजपुर विद्युत् उपकेन्द्र के लिये 1500 के0 वी0 ए0 क्षमता के ट्रान्सफार्मर का प्रबन्ध किया जा रहा है तथा आशा की जाती है कि ट्रान्सफार्मर उपकेन्द्र पर जून 1981 के अन्त तक पहुंच जायेगा ।

बरेली रेंज के बिक्री-कर विभाग द्वारा आवास विकास परिषद् के फ्लैटों की खरीद

8--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रेंज के बिक्रीकर विभाग ने आवास विकास परिषद् से गत दो वर्ष पूर्व विभागीय अधिकारियों के निवास स्थान हेतु 14 फ्लैटों का क्रय 7,00,000 (सात लाख) रुपयों में किया है ? यदि हां, तो उक्त फ्लैटों में अब तक सरकार का कितना धन व्यय हुआ और कितनी आय हुई ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में तैनात अधिकारियों से फ्लैटों में रहने की इच्छा विधिपूर्वक नहीं मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

बिक्रीकर विभाग ने बरेली में दिनांक 31 मार्च, 1978 को आवास विकास परिषद्, लखनऊ से 14 आवासीय फ्लैट रु0 6,10,180 में खरीदे थे ।

इन फ्लेटों का कब्जा प्राप्त होने की तिथि से अब तक सरकार द्वारा इन पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी जब कि इनसे विभाग को रु0 7,153.50 की आय हुई ।

इन फ्लेटों में रहने हेतु बरेली में तैनात अधिकारियों से उनकी इच्छा विधि पूर्वक लिखित रूप से दिनांक 14 अप्रैल, 1978, 18 सितम्बर, 1978 व 9 अगस्त, 1979 को मांगी गयी थी जिन अधिकारियों ने निर्धारित प्रारूप में अपने प्रार्थना-पत्र दिये थे उन्हें नियमानुसार भवन आवंटित किये गये थे ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम पिरुआ के नलकूपों का ट्रान्सफार्मर

9—श्री दीपू उर्फ दीपनारायण—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ब्लाक रानीपुर के ग्राम पिरुआ में किसानों को उनके निजी नलकूपों के लिये कितने हार्स पावर का ट्रान्सफार्मर लगाया गया है और उस ट्रान्सफार्मर पर कितने हार्स पावर के नलकूप चल रहे हैं और कितने नलकूपों को वैधानिक कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक रानीपुर के ग्राम पिरुआ में किसानों को बिजली देने के लिए 100 के0 वी0 ए0 क्षमता का ट्रान्सफारमर लगाया गया है। उक्त ट्रान्सफारमर पर 18 (अठारह) नलकूप चल रहे हैं जिनको सम्मिलित हार्स पावर 98.5 है। यह सभी नलकूप कनेक्शन वैधानिक हैं।

10—श्री हरिवंश सहाय—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

11—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत क्षेत्र अल्मोड़ा में अभी तक (17 जनवरी, 1981) कितने गांवों को विद्युत दी गई है तथा कितने गांवों को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक विद्युत दिये जाने की संभावना है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तहसील में दिनांक 17 जनवरी, 1981 तक 355 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था।

31 मार्च, 1981 तक रानीखेत तहसील में 20 अन्य गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति

12—श्री मेंहदी असगर—

क्या सरकार अप्रैल सन् 1981 से जून, 1981 तक किसानों को बिजली की सप्लाई कम से कम 18 घंटे देने पर विचार कर रही ह ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं।

अप्रैल 81 से जून 81 तक विद्युत की सम्भावित उपलब्धता तथा उसकी मांग को देखते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति 18 घन्टे प्रतिदिन दे सकना सम्भव नहीं है।

बस्ती जिले ग्राम छितरापार की चकबन्दी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

13--श्री पंचानन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम छितरापार, तहसील नगर, जनपद बस्ती में चकबन्दी के फलस्वरूप कितने जोतदार ऐसे हैं जिसके चकों का क्षेत्रफल उनकी मूल जोत के क्षेत्रफल से पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है ? क्या कितने ऐसे जोतदार है जिनके चकों का क्षेत्रफल उनकी मूल जोत से पच्चीस प्रतिशत से अधिक कम हो गया है ? क्या इस संबंध में कोई शिकायत दिनांक 6 जून, 1974 चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को मिली थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् उपखन्ड, बुलन्दशहर में वर्क आर्डर के कार्यों का भुगतान

14--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे गुरूवार के निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि छः वर्क आर्डर के विभिन्न कार्यों में दी गयी दरें अधिक होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था ? यदि हां, तो भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? कौन अधिकारी दोषी पाया गया व उसे क्या दंड दिया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

अक्तूबर, 1980 में एक सम्बन्धित खन्ड को भुगतान का निर्णय दिया जा चुका है और कार्यालय को उपयुक्त फन्ड भुगतान करने के लिये उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

जांच अभी चल रही है ।

श्री बृजमोहन एवं श्री एस0 के0 बवेसिया, आबकारी निरीक्षक, हरदोई का निलम्बन

15--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आबकारी विभाग द्वारा कतिपय आबकारी निरीक्षकों को अनुचित ढंग से निलम्बित किये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी, सन् 1981 के मध्य के आसपास उन्हें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो निलम्बन के कारण क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां । श्री बृज मोहन एवं श्री एस0 के0 बवेसिया, आबकारी निरीक्षक, हरदोई के निलम्बन के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1981 शासन को प्राप्त हुआ था ।

इस शिकायती पत्र द्वारा माननीय सदस्य ने आबकारी मंत्री से दो हरिजन आबकारी निरीक्षकों सर्वश्री बृजमोहन व एस0 के0 बबेसिया को गलत तरीके से व जातिगत द्वेष के कारण ही निलम्बित किये जाने की शिकायत की थी। निलंबन के कारण निम्न थे :

1--आबकारी गोदाम, संडीला, हरदोई से अवैध तरीके से लगभग 2300 लीटर ओ0 पी0 शराब तथा तीन बोरे भांग के गायब होने के गोलमाल संबंधी मामले में उक्त दोनों निरीक्षकों के विरुद्ध जांच चल रही है। मामला अति गंभीर व काफी राजस्व के घपले व चोरी से संबंधित है जिसमें मुख्य रूप से इन्हीं दोनों आबकारी निरीक्षकों का हाथ होना इंगित हो रहा है।

2--श्री बृजमोहन के ऊपर मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने अपने स्थानान्तरण के साथ गोदाम का स्टाक विधिवत् रूप से अपने उत्तराधिकारी को नहीं सौपा। गोदाम के स्टाक का आखिरी सत्यापन, रिकार्ड के अनुसार उन्हीं के द्वारा किया गया था। उन पर दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने सप्लाई कंपनी के कर्मचारियों/चौकीदार इत्यादि को लखनऊ में अपने तथा कथित बन रहे मकान व अन्य प्राइवेट कामों में अनुचित रूप से लगाया।

3--श्री श्रीकृष्ण बबेसिया पर मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने गोदाम का चार्ज न उचित रूप से लिया और न ही स्थानान्तरण के साथ उचित रूप से अपने उत्तराधिकारी को सौपा।

श्री श्री कृष्ण बबेसिया पर दूसरा आरोप यह है कि गोदाम से गायब हुयी शराब के अनुरूप शराब का एक केस पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर शराब इनके पास विश्लेषण हेतु भेजे जाने पर उन्होंने विश्लेषण करने से इंकार किया।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर की गयी प्रारम्भिक जांच से उक्त दोनों निरीक्षकों को दोषी पाए जाने का संकेत मिला जिसके आधार पर इनके निलम्बित किए जाने के आदेश दिए गए। कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि सम्भवतः इन निरीक्षकों के अलावा कुछ अन्य अधिकारी भी इस मामले में शामिल हों। अतएव फिलहाल उक्त दोनों निरीक्षकों के निलम्बन आदेश का कार्यान्वयन रोक दिया गया है तथा ये निरीक्षक ड्यूटी पर वापस कर दिए गए हैं।

सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में कर्मचारियों की नियुक्ति

16--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में प्रचार उपखंड में नई नियुक्तियां इस सत्र में की गई हैं ? यदि हां, तो क्या गन्ना सेवा नियमावली में उन नियुक्तियां का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गन्ना विकास विभाग द्वारा किराए पर लिया गया चन्ना संघ का भवन

17--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ, लखनऊ द्वारा क्रय किया गया भवन गन्ना विकास विभाग को किराए पर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना किराया पूरे वर्ष में गन्ना संघ को मिला है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

पूरे वर्ष के किराए के भुगतान का मामला शासन के विचाराधीन है ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा "राजभाषा अधिकारी" के पद हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

18--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या विद्युत् मंत्री को ज्ञात है कि अप्रैल 1980 में राज्य विद्युत् परिषद् में 'राजभाषा अधिकारी' की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये थे तथा आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15-4-1980 थी ? यदि हां, तो कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? क्या उपरोक्त पद हेतु अभी तक अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया ? यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । इस सम्बन्ध में कुल 99 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए परन्तु अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया क्योंकि इस पद की आवश्यकता अब न होने के कारण परिषद् द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है ।

आगरा जिले के विद्युत् कनेक्शन एवं ट्रान्सफार्मर

19--श्री विजय सिंह राना--

क्या विद्युत् मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1980-81 में कितने विद्युत् कनेक्शन मांगे गए और इस आवश्यकता के अनुरूप कितने ट्रान्सफार्मर उपलब्ध हैं और कितनों की आवश्यकता है ? यह आवश्यकता कब तक पूरी कर दी जायेगी ।

श्री ब्रह्म दत्त--

आगरा जनपद में वर्ष 1980-81 में 1398 विद्युत कनेक्शन निजी नलकूपों राजकीय नलकूपों एवं उद्योगों के लिए मांगे गए जिनमें से 883 कनेक्शन दिए जा चुके हैं ।

आवश्यकता के अनुरूप 25 के0 वी0 ए0 के 29 (उन्तीस), 63 के0 वी0 ए0 के 6 (छः) तथा 100 के0 वी0 ए0 के 2 (दो) ट्रान्सफार्मर उपलब्ध हैं ।

उपरोक्त उपलब्ध ट्रान्सफार्मर्स के अतिरिक्त 25 के0 वी0 ए0 के 70(सत्तर), 63 के0 वी0 ए0 के 46 (छियालिस), 100 के0 वी0 ए0 के 6(छः) तथा 630 के0 वी0 ए0 के एक ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है ।

ट्रान्सफार्मर की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति सम्भवतः अगले छः माह के दौरान में कर दी जायेगी ।

जजी मुरादाबाद में डेपुटेशन पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन

20--श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि कलेक्ट्रेट मुरादाबाद के पांच कर्मचारीगण जो जजी मुरादाबाद के डेपुटेशन पर वर्ष 1967 से गए थे और

जब डपुटेशन से 1-3-73 को कलेक्ट्रेट मुरादाबाद को वापिस आए तो उनको दिनांक 1-3-73 से 22-11-73 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो किस कारणवश ? इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ? इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक सम्भव होगा ?

श्री बंजनाथ कुरील--

कलेक्ट्रेट मुरादाबाद के 5 कर्मचारीगण जो जजी मुरादाबाद में वर्ष 1967 से डेपुटेशन पर गए थे और 1-3-73 को कलेक्ट्रेट मुरादाबाद में वापस आने की तिथि से 22-11-73 तक के वेतन का भुगतान किए जाने हेतु 7-3-81 के शासन देश द्वारा जिलाधिकारी मुरादाबाद को आदेश दे दिए गए हैं । मुरादाबाद के अतिरिक्त आगरा तथा कानपुर के ऐसे ही कुछ कर्मचारियों का मामला सम्बन्धित जिलाधिकारियों, शासन के राजस्व तथा न्याय विभागों के मध्य विचाराधीन रहा । अतः विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है ।

जिलाधिकारी मुरादाबाद ने शासन को 20-3-81 को सूचित किया है कि उक्त जनपद के सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन आहरण बिल कोषागार में भेज दिए गए हैं और सम्बन्धित कर्मचारियों को 1-3-73 से 22-11-73 तक की अवधि का वेतन कोषागार से प्राप्त करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है ।

सहारनपुर जिले के देवबन्द का नलकूप

21--श्री रामस्वरूप निम--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवबन्द जिला सहारनपुर का ट्यूबवेल नं0 40 कितने दिनों से खराब पड़ा है ? क्या उसे ठीक कराने की कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सहारनपुर जिले का राजकीय नलकूप संख्या 40 देवबन्द सबूह चालू हालत में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर विभाग के संख्या सहायकों का नियमितीकरण

22--श्री मित्रसेन--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि 1-1-77 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा 14-5-79 को स्पष्ट आदेश जारी करने के उपरान्त भी बिक्री कर विभाग में 1975 में तदर्थ रूप से नियुक्त संख्या सहायकों को अभी तक नियमित एवं स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

बिक्रीकर विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त संख्या सहायकों की सेवा की शर्तों के विषय पर शासन तथा लोक सेवा आयोग के स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है । अन्तिम निर्णय हो जाने पर ही इनका नियमितीकरण एवं स्थायीकरण किया जाना संभव होगा ।

23—श्री हरिवंश सहाय—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कोषागार कर्मचारियों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट

24—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 78 में कोषागार कर्मचारियों से हुये समझौते के अधीन गठित हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आज तक प्रकाशित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

कोषागार कर्मचारियों के कार्य के मापदण्ड निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन शासन द्वारा किया गया था। कोषागार कर्मचारियों के कार्य के मापदण्ड निर्धारित किए जा चुके हैं। समिति की रिपोर्ट प्रकाशित किया जाना आवश्यक नहीं है।

कोषागार के कैश अनुभाग के कर्मचारियों को राज्य सेवक की मान्यता

25—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार के कैश अनुभाग के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार बनाम ओध नारायन सिंह के मामले में अपने निर्णय दिनांक 9-3-1964 द्वारा कैश शाखा के कर्मचारियों को सदैव से राज्य का सेवक माना है अतः उन्हें किसी दिनांक विशेष से राज्य का सेवक घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिक्रीकर विभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल

26—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जनपद में सेल्स टैक्स विभाग में ऐसे कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो दस वर्ष से अधिक समय से स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

लखनऊ जनपद में बिक्रीकर विभाग में तीन अधिकारी तथा 66 अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कर्मचारी व 61 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसे ह जो दस वर्ष से अधिक की अवधि से स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं ?

यह तीन अधिकारी अधिकतर शासन, बिक्रीकर आयुक्त के मुख्यालय अथवा अन्य विभागों में कार्यरत रहे हैं तथा जन सम्पर्क के किसी भी पद पर अविरत रूप से 5 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहे हैं। अधिकांशतः इनके द्वारा नितान्त तकनीकी तथा विशिष्ट (स्पेशलाइज्ड) कार्य किया गया है।

लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विषय में शासन के आदेश हैं कि अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को सामान्यतः जनपद के बाहर स्थानान्तरित न किया जाये।

श्री हरिहर नाथ श्रीवास्तव एवं श्री मोहम्मद हसन जाफर, चकबन्दी विभाग, बाराबंकी की सेवा समाप्ति के आदेश का निरस्त

27—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री हरिहर नाथ श्रीवास्तव एवं मोहम्मद हसन जाफर, न्यायालय लिपिक, चकबन्दी विभाग, जनपद बाराबंकी की सेवा समाप्ति का आदेश लोक सेवा अधिकरण से 1977 व 1978 में निरस्त हो गया था और दोनों की पुनः नियुक्ति 1977 व 1978 में हो गयी थी ? क्या लोक सेवा अधिकरण के आदेशानुसार दोनों को बकाया वेतन का भुगतान हो गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील—

जी हां ।

सर्वश्री हरिहर नाथ श्रीवास्तव तथा मोहम्मद हसन जाफर, न्यायालय लिपिक द्वारा वेतन भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूरी न करने के कारण उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका । उन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फैजाबाद को निर्देशित कर दिया गया है कि वे उक्त कर्मचारियों से प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कराकर उनके अवशेष वेतन का भुगतान शीघ्र करा दें ।

विद्युत् विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं की पदोन्नति एवं आरक्षण कोटा के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन

28—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 से वर्ष 1980 के मध्य कितने अधीक्षण अभियन्ताओं की प्रोन्नतियां अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पदों पर की गयीं ? उनमें कितने सामान्य अभ्यर्थी हैं और कितने आरक्षण कोटे के हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

वर्ष 1977 से वर्ष 1980 के मध्य सम्पन्न हुये चार चयनों में कुल 37 अधीक्षण अभियन्ता अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु चयन किये गये । इन अधिकारियों में सभी सामान्य अभ्यर्थी हैं तथा कोई भी आरक्षण कोटे का नहीं है ।

29—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या यह सही है कि इन प्रोन्नतियों के विरुद्ध कुछ प्रत्यावेदन भी राज्य विद्युत् परिषद् को प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो किन लोगों के तथा प्रत्यावेदनों के आधार क्या हैं और उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां । उपरोक्त प्रोन्नतियों के विरुद्ध छः सामान्य अधिकारियों यथा सर्वश्री राम कृष्ण गौतम, भगवत स्वरूप मित्तल, मथुरा राय, ईश्वर चन्द्र कोहली, मुस्तफा हुसैन एवं बनवन्त राय अग्रवाल तथा पिछड़ी जाति के अधिकारी श्री राम आधार

सिंह से प्रत्यावेदन प्राप्त हुये थे । सामान्य अधिकारियों के प्रत्यावेदनों का आधार प्रोन्नति में अतिक्रमण तथा वरीयतानुसार चयन न किया जाना था तथा पिछड़ी जाति के अधिकारी के प्रत्यावेदन का आधार आरक्षण कोटे के अधीन प्रोन्नति नहीं दिया जाना था । चूंकि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के चयन का आधार "योग्यता एवं सर्वथा उपयुक्तता" है, सामान्य अधिकारियों के प्रत्यावेदन अस्वीकृत कर दिये गये । पिछड़ी जाति के अधिकारी ने चूंकि नियमानुसार पद के लिये चार वर्ष की अनुमोदित सेवा जुलाई, 1979 तक पूर्ण नहीं की थी, उन्हें प्रथमतः यह उत्तर दे दिया गया कि उनकी अभ्यर्थिता पर विचार अधीक्षण अभियन्ता पद पर चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूर्ण होने पर किया जायेगा । दिनांक 10-12-79 तथा 6-6-80 को हुये चयनों में चयन समिति द्वारा बनाई गई सूची में उनका नाम नहीं था अतएव उन्हें यह अवगत करा दिया गया कि उनके विषय में अग्रिम चयन में विचार किया जायेगा ।

गांव सभा सकलपुर, जिला वाराणसी की भूमि पर अतिक्रमण एवं श्री राम नगीना गिरी, नायब तहसीलदार की संदिग्ध सत्यनिष्ठा

30—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा सकलपुर, परगना कसबार राजा, जिला वाराणसी की आराजी नं0 233/1 रकबा 31 डि0 एवं 233/5 रकबा 0·9 डि0 गांव सभा की सम्पत्ति के बारे में परगनाधिकारी, दक्षिणी वाराणसी कुसुम शर्मा ने 23-10-80 को निरीक्षण करके लेखपाल, कानूनगो और रामनगीना गिरी, नायब तहसीलदार, वाराणसी एवं सभापति को दोषी ठहराया है और अपने आदेश संख्या 722/प0 अ0 बा0/द0, दिनांक 20 नवम्बर, 1980 के द्वारा तहसीलदार, वाराणसी को आदेश की प्रतियां भेज कर कार्यवाही करने को लिखा है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

लेखपाल एवं पर्यवेक्षक कानूनगो को परगनाधिकारी, वाराणसी दक्षिणी के आदेश दिनांक 20-11-80 द्वारा दोष के लिये चेतावनी दी गई है तथा राम नगीना गिरी, नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है । ग्राम प्रधान के निलम्बन आदेश के अनुपालन में आरोप-पत्र तामील हेतु भेजा गया है । भू-खण्ड 233/1 व 233/5 से अतिक्रमणकारी के विरुद्ध दिनांक 6-1-81 को धारा 122वीं के अन्तर्गत बेदखल करके 49(ड़) हर्जाना हेतु जारी कर दिया गया है ।

31—श्री ऊदल—

क्या परगना मजिस्ट्रेट, दक्षिणी वाराणसी कुसुम शर्मा ने अपने उक्त आदेश में नायब तहसीलदार श्री राम नगीना गिरि वाराणसी की सत्य निष्ठा को संदेहात्मक बताया और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाह की संस्तुति की है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तत्कालीन परगनाधिकारी, वाराणसी (द0) द्वारा श्री राम नगीना गिरी, नायब तहसीलदार की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाये जाने की आख्या दी गई है । जिस पर श्री रामनगीना गिरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है । श्री राम नगीना गिरी, नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

तहसील पडरौना, जिला देवरिया के हरिजन लेखपालों की सेवा समाप्ति

32--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र --

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1977 में तहसील पडरोना, जिला देवरिया में 8 हरिजन लेखपाल नियुक्त किये गये ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 2555/दी-बी/65, दिनांक 14 मई, 1966 सेवाविजूद भी उन्हें सेवा मुक्त किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद देवरिया की तहसील पड़रौना के 4 स्थायी लेखपालों के निलम्बन तथा 4 ही के उच्च पद पर अस्थायी रूप से पदोन्नति के कारण हुयी रिक्तियों में 8 हरिजन व्यक्तियों को प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभाव में, पूर्णतया अस्थायी/तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था । उक्त 4 लेखपालों के सेवा में बहाल होने तथा 3 लेखपालों के मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने के कारण 7 हरिजन लेखपाल स्वतः हट गये तथा एक अब भी कार्यरत है । प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 14 मई, 1966 इनके मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि मितव्ययता के फलस्वरूप पदों में कमी के कारण इन व्यक्तियों को छंटनी नहीं की गयी है बल्कि जिन कर्मचारियों के निलम्बन व पदोन्नति के स्थान पर ये नियुक्त हुये थे वे कर्मचारी बहाल व प्रत्यावर्तित हो गये ।

मुरादाबाद जिले के ग्राम बुढ़ानपुर खालसा एवं रहीमाबाद आदि में भूमि आवंटन

38--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील अमरोहा के ग्राम-(1) बुढ़ानपुर खालसा, (2) रहीमाबाद (3) फजलाबाद (4) भंकरी में 29-10-75 तक हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया गया था परन्तु अभी तक भी उक्त भूमि पर इन व्यक्तियों का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो इस अधिकार को दिलाने में क्यों देरी हो रही है तथा कब तक अधिकार दिलाये जाने की सम्भावना है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्रामों में वर्ष 1975 में किए गए भूमि आवंटन में सभी आवंटियों को उसी समय कब्जा दिला दिया गया था ।

'कब्जा दिलाओ अभियान' के दौरान सितम्बर, 1980 में 19 आवंटियों के कब्जे के बारे में शिकायत मिली जिन्हें पुनः कब्जा दिया गया ।

प्रश्न का शेष भाग उत्पन्न नहीं होता ।

बरेली जिले के ग्राम पचपेड़ा में गन्ना क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग

4---श्री चेतराम गंगवार--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2-11-80 को प्रश्नकर्त्ता एक पत्र जिला बरेली में ग्राम पचपेड़ा में गन्ना खरीद केन्द्र खोलने के सम्बन्ध

में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो गन्ना क्रय केन्द्र उक्त ग्राम में कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

जिला बरेली के ग्राम पचपेड़ा में क्रय केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 31-10-80 प्राप्त हुआ था । चूंकि पचपेड़ा ग्राम आटा मांडा क्रय केन्द्र से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तथा उक्त ग्राम में क्रय केन्द्र खोलने में यातायात की कठिनाई है, अतः क्रय केन्द्र खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव, जिला आजमगढ़ पर बकाया गन्ना मूल्य

35--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव, जनपद आजमगढ़ में गत वर्ष किसानों द्वारा गन्ना आपूर्ति का भुगतान किया जाना अभी शेष है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का बकाया है और उसके भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां । किसानों द्वारा गत वर्ष (1979-80) का गन्ना आपूर्ति के निमित्त 15 फरवरी 1981 तक का केवल नौ हजार रुपया बकाया है जिसका भुगतान खुला हुआ है ।

फैजाबाद जिले में दिये गये शराब के लाइसेन्स

36--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फैजाबाद में सन् 1978, 1979, 1980 में देशी एवं अंग्रेजी शराब विक्रय करने हेतु कितने लाइसेन्स दिये गये तथा प्रति वर्ष शराब की आय क्या रही ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भू-राजस्व पर दी गई छूट

37-श्री भीखालाल तथा श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978 की बाढ़, 1979 के सूखा तथा 1980 की अतिवृष्टि तथा बाढ़ से क्षति ग्रस्त फसलों के लिए प्रत्येक वर्ष की भू-राजस्व में कितनी-कितनी रकम के छूट के प्रस्ताव जिलों से प्राप्त हुए हैं और छूट देने के बाद भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों का कितना बतालबा वसूला जाना है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इस प्रश्न में बहुत ब्योरे निहित हैं । अतः इसके उत्तर के लिए सूचना एकत्रित करने में जो श्रम, समय व व्यय होगा, वह लाभ के अनुरूप न होगा ।

38—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया ।]

राज्य लाटरी के पुरस्कारों का भुगतान

39—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछली 6 लाटरियों में प्रत्येक में कुल पारितोषिक धन कितना था और उसमें से कितना धन बांटा गया और जो धन बांटने से रह गया इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार कोई ऐसा तरीका अपनायेगी जिससे कि लाटरी का इनाम जीतने वालों को सही एवं समय से सूचित किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के 86वें ड्रा से 91वें ड्रा तक पुरस्कारों के भुगतान की स्थिति निम्न प्रकार है :—

ड्रा सं0	तिथि	पुरस्कार की राशि (रु0 में)	भुगतान की गई राशि (रु0 में)	भुगतान की जाने वाली राशि (रु0 में)
1	2	3	4	5
86	21-4-80	26,95,800	22,21,002.90	..
87	21-6-80	28,40,400	23,98,189.50	..
88	21-7-80	13,39,600	11,44,807.60	20.00
89	21-8-80	13,39,600	11,43,489.70	3,020.00
90	8-11-80	38,73,440	33,25,010.32	2,050.00
91	1-1-81	24,65,705	22,21,475.65	69,840.00

उ0 प्र0 राज्य लाटरी के नियमानुसार पुरस्कृत टिकट के प्रस्तुत किए जाने पर ही पुरस्कार का भुगतान किया जाता है । उपरोक्त कालम—5 में जो धनराशि भुगतान हेतु दर्शायी गयी है वे वह धनराशि है जिसके इनामी टिकट कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं परन्तु निम्नांकित कारणों से उनका भुगतान अभी नहीं हो सका है :—

(1) फटे हुए टिकटों का प्राप्त होना ।

(2) अग्रिम रसीद का स्टाम्प सहित प्राप्त न होना ।

(3) टिकट प्रस्तुतकर्ताओं से उनके निवेदनानुसार आयकर छूट प्रमाण-पत्र का प्राप्त न होना ।

इसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्परता से की जा रही है ।

2--लाटरी नियमों के अनुसार पुरस्कार विजेता को पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पुरस्कृत टिकट अग्रिम रसीद सहित निदेशालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो पुरस्कृत टिकट निदेशालय में पुरस्कार विजेता द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किए जाते उनका भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

3--प्रत्येक ड्रा के सम्पन्न होने के पश्चात ड्रा परिणाम भारत वर्ष के प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है ताकि टिकट क्रेता अपने टिकट को परिणाम से मिला सके। इसके अतिरिक्त यदि किसी टिकट क्रेता द्वारा परिणाम की मांग कार्यालय से की जाती है तो वह उसे भेज दिया जाता है। वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ।

बरेली जिले में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

40--श्री जयदीप सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, 1975 से दिसम्बर, 1980 तक बरेली जनपद में कितने भूतपूर्व सैनिकों को कितनी कृषि योग्य भूमि आवंटित की गई है और वह इस जनपद में उपरोक्त काल में आवंटित भूमि का कितना प्रतिशत है ? क्या सरकार मौजूदा प्राथमिकता के स्थान पर भूमि आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक न्यूनतम प्रतिशत निश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

बरेली जनपद में जून, 1975 से दिसम्बर, 1980 तक केवल 45 भूतपूर्व सैनिकों को कुल 1.74 हेक्टयर भूमि आवंटित की गई है। उसका प्रतिशत उपरोक्त काल में आवंटित भूमि को देखते हुए नगण्य है ।

केवल भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त प्राथमिकता के स्थान पर न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करना सम्भव नहीं है क्योंकि वरीयता क्रम में सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए ऐसा करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप बहुत से पात्र व्यक्ति भूमि आवंटन के लाभ से वंचित हो जावेंगे ।

बुलन्दशहर के कस्बा डिबाई में विद्युत गृह का निर्माण एवं ठेकेदारों का भुगतान

41--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बुलन्दशहर के कस्बा डिबाई में 132 कि0 वाट विद्युत उप केन्द्र का नव-निर्माण वर्ष 1978-79 में हुआ है ? यदि हां, तो उसके निर्माण में कितने ठेकेदारों ने कितने अनुबंधों या कार्य आदेशों के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया है ? उनका कितना-कितना भुगतान करना तथा जमानत का रुपया लौटाना अब तक शेष है ? उनका पूर्ण भुगतान न करने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां ।

सात विभिन्न फर्मों/ठेकेदारों ने 5 (पांच) अनुबन्धों तथा 6 छः कार्य के आदेशों के अनुसार कार्य पूरा किया ।

केवल दो फर्मों की जमानत की कुल धनराशि रु0 18,276.00 का भुगतान अभी शेष है ।

सम्बन्धित एक फर्म द्वारा किए गए कार्यों के दोष अभी दूर नहीं किए गए हैं तथा दूसरी फर्म द्वारा कार्य अनुबन्ध में दिए गए समय में कार्य पूर्ण न करने के कारण कटौती का मामला विचाराधीन है ।

अवशेष भुगतान अभी तक न किए जाने के लिए राज्य विद्युत परिषद् का कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवकुमार, सर्राफा बाजार, बुलन्दशहर का विद्युत विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

42–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री शिवकुमार, सर्राफा बाजार, बुलन्दशहर के शिकायती पत्र दिनांक 10–4–1979 व 21–11–1979 जनपद विद्युत निर्माण खंड, मेरठ को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कौन अधिकारी दोषी पाया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त––

श्री शिव कुमार, सर्राफा बाजार, बुलन्दशहर का शिकायती पत्र दिनांक 10–4–79 कार्यालय रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित खंड में प्राप्त हुआ नहीं पाया गया, परन्तु उनके शिकायती पत्र दिनांक 21–11–1979 सम्बन्धित खंड में प्राप्त हुआ था । इस शिकायती पत्र में 6 नं0 सहायक अभियन्ता आवास गृहों के निर्माण हेतु अनुबन्ध के सम्बन्ध में सात शिकायतें की गई थीं । इन शिकायतों पर आवश्यक जांच की गई और यह पाया गया कि उनमें से चार पर कोई कार्यवाही की जाना शेष नहीं है । शेष शिकायतों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :––

(1) ठेकेदार द्वारा किये गये अनुबन्ध के अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्क प्राक्कलन बनाकर अधीक्षण अभियंता को स्वीकृति हेतु खण्ड द्वारा भेज दिया गया है । स्वीकृति के बाद तद्नुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

(2) ठेकेदार द्वारा विभाग को वापिस की गई कुछ सीमेन्ट और ईटों की कीमत की भुगतान की मांग के सम्बन्ध में अभिलेखों की जांच करने पर इस प्रकार की किसी वापसी की पुष्टि नहीं हुई । ठेकेदार से कहा गया कि सामान की वापसी की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें जो अभी तक उनसे प्रतीक्षित है ।

(3) ठेकेदार द्वारा कुछ सीमेन्ट हापुड़ से बुलन्दशहर तक की ढुलाई की मांग के सम्बन्ध में जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य हेतु कोई भी अनुबन्ध अथवा कार्यादेश नहीं किया गया था । अतः उन्हें सूचित कर दिया गया कि उनको इसका कोई भुगतान नहीं होना है ।

इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

फैजाबाद के ग्राम घटौली में हरिजनों की भूमि पर अवैध कब्जा

43—श्री राम सागर—

क्या सरकार को जानकारी है कि घटौली, पोस्ट घटौली, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के निवासी श्री मिहीलाल, जहांगीर तथा अन्य हरिजनों को मकान बनाने हेतु ग्राम प्रधान द्वारा आबादी की जमीन 1975-76 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की गयी थी जिस पर हरिजनों ने अपना छप्पर आदि रखा था तत्पश्चात् उसी गांव के सवर्ण जमींदार श्री जगजीवन तिवारी पुत्र श्री दातादीन तिवारी ने अपने गिरोह के साथ हरिजनों के छप्पर तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया और उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके अवैध कब्जे को हटा कर उन गरीब हरिजनों को कब्जा दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र, फूलपुर, जिला इलाहाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

44—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद फूलपुर लोक सभाई क्षेत्र में 1—श्री राम सूचित आत्मज श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद, 2—श्री सर्वजीत सिंह आत्मज श्री महावीर प्रसाद, 3—श्रीमती विद्यावती जी निवासीगण ग्राम करनपुर, पो0 रमईपुर, इलाहाबाद, 4—श्री अरुण कुमार आत्मज श्री महेश प्रसाद एवं 5—श्री त्रिभुवन नाथ आत्मज श्री राम प्रसाद, निवासीगण अल्लापुर (शहर इलाहाबाद) के नाम से उक्त लोक सभाई क्षेत्र के विभिन्न ग्राम समाजों की जमीनों पर अवैधानिक रूप से नाम दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन ग्राम समाजों में और कितनी-कितनी भूमि उक्त 5 लोगों के नाम अवैधानिक तरीके से दर्ज की गयी हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । अब तक प्राप्त जांच के परिणाम के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र की विभिन्न गांव सभाओं के 30 ग्रामों की कुल 1190-11-4 बीघा भूमि पर इन व्यक्तियों तथा इनके सम्बन्धियों के फर्जी एवं संदिग्ध इन्द्राज पाये गये हैं जिनका विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है ।

ग्राम डुहिया, जिला फैजाबाद के विद्युतीकरण की मांग

45—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डुहिया, पो0 मुबारकपुर, टांडा, जनपद फैजाबाद में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 1 जनवरी, 1981 को सदस्य, विधान सभा क्षेत्र टांडा, फैजाबाद द्वारा पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा विकास क्षेत्र के ग्राम डुहिया का विद्युतीकरण सामान्य योजना में किया जाना है। डुहिया ग्राम में कनेक्शन हेतु एक भी आवेदन पत्र आवश्यक 'अर्नेस्ट मनी' की धनराशि 25 रु0 के साथ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

हरदोई जिले के विद्युत् शुल्क के बकायेदार

46—श्री हरिशंकर तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 24-1-81 को जिला हरदोई में बिजली के कितने ऐसे बकायेदार हैं जिन पर 50,000 रु0 से अधिक बकाया है ? यदि हां, तो उसे वसूल करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के (विद्युत् वितरण खण्ड) जनपद हरदोई में विद्युत् के छः ऐसे बकायादार 24 जनवरी, 1981 को थे, जिनपर 50,000 रु0 से अधिक बकाया था।

इन बकायादारों पर वसूली के निम्नलिखित उपाय किये गये हैं—

1—सर्वश्री राकेश कोल्ड स्टोरेज सण्डीला पर 74,337.20 रु0 बकाया था जिनमें से अब कुल 4,667.74 रु0 बकाया है जो न्यायालय श्रीमान् मुन्सिफ मजिस्ट्रेट पूर्वी, हरदोई के अधीन विचाराधीन हैं।

2—सर्वश्री शंकर कोल्ड स्टोरेज खाण्डी पर 64,872.53रु0 बाकी है। जिस पर सेक्शन 5 की नोटिस उत्तर प्रदेश राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत जिला मैजिस्ट्रेट, हरदोई को भेजा गया।

3—सर्वश्री यू0 पी0 मेटिल इन्डस्ट्रीज संडीला पर 1,30,401.63 रु0 बकाया था। इसके इंस्टालमेन्ट विद्युत् परिषद् द्वारा माह अगस्त, 1980 में कर दिया गया है जिनके अनुसार हर माह रु0 10,000 वसूली हो रहा है।

4—यू0 पी0 स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन संडीला पर 1,04,247.75 रु0 बकाया है यह धनराशि इन्टरनल आडिट की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित की गयी है जिस पर उपभोक्ता ने आपत्ति की है जिसकी जांच की जा रही है।

5—राजकीय नलकूप—पर 80,033.99 रु0 बकाया है यह धनराशि नलकूपों की बन्दी के कारण सिंचाई विभाग द्वारा बिजली के बिल में से कटौती कर ली गई है जिस पर समायोजन इस माह में कर दिया जायेगा।

6—अध्यक्ष नगरपालिका, हरदोई पर 1,13,456.86 रु0 बकाया है जिसकी वसूली के लिए जिलाधिकारी हरदोई एवं नगरपालिका अधिकारियों से परामर्श जारी है।

आगरा जिले के विकास क्षेत्र, बरौली अहीर के गांवों के विद्युतीकरण की मांग

47—श्री विजय सिंह राना—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास क्षेत्र बरौली अहीर के समस्त गांव विद्युतीकरण की कोई योजना शासन द्वारा

स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

आगरा जनपद के विकास क्षेत्र बरौली अहीर में शत प्रतिशत विद्युतीकरण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि सीमित मात्रा में होने के कारण ।

देवरिया जिले में नई तहसील के गठन का कथित प्रस्ताव

48--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में 2 (दो) नई तहसील बनाने का प्रपोजल शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नई तहसील बनाने का आधार क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[6-2-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित]

बुन्देलखण्ड विकास सलाहकार परिषद् का गठन

50--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बुन्देलखंड के विकास के लिए बुन्देलखंड विकास सलाहकार परिषद् का गठन करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां ।

बुन्देलखंड विकास सलाहकार परिषद् का गठन कर दिया गया है तथा इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

1--माननीय मुख्य मंत्री जी...अध्यक्ष ।

2--श्री ब्रह्मदत्त नियोजन मंत्री, पदेन...उपाध्यक्ष (1) ।

3--श्री के0 पी0 तिवारी, उपाध्यक्ष (2) राज्य मंत्री सिंचाई एवं विद्युत् ।

4--कुलपति बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी..सदस्य, ।

5--झांसी मंडल के समस्त जिला परिषदों के..अध्यक्ष सदस्य ।

6--झांसी मंडल के समस्त संसद सदस्य..सदस्य ।

7--शासन द्वारा मनोनीत झांसी मंडल के 10 विधायक...सदस्य ।

8--आयुक्त, झांसी मंडल, झांसी...सदस्य सचिव ।

सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के सेवा निवृत्त-कर्मचारियों की भविष्य निधि

5 .--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ के अन्तर्गत कितने ऐसे कर्मचारी/अधिकारी हैं जो दिनांक 30-6-1980 तक सेवा निवृत्त हुए हैं ? क्या उन्हें सहकारी गन्ना सेवा नियमावली के अध्याय XVIII की धारा 164 के अनुसार उनके सी0 पी0 एफ0 के धन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में दिनांक 30-6-80 तक कुल 30 कर्मचारी/अधिकारी सेवा निवृत्त हुए हैं । उनमें से नियमानुसार 7 कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जा चुका है । अवशेष मामलों में एक कर्मचारी का भुगतान शीघ्र ही कराया जा रहा है । 18 कर्मचारियों के दावे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं तथा 4 कर्मचारियों को यह भुगतान (भविष्य निधि) अभी देय नहीं हुआ है ।

सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी

52--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ, लखनऊ में दिनांक 30-6-1980 तक कितने कर्मचारी/अधिकारी सेवा निवृत्त हो गये हैं तथा क्या उन्हें सहकारी गन्ना सेवा नियमावली के अध्याय XVI की धारा 149 के अनुसार उनको ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में दिनांक 30-6-80 तक 30 कर्मचारी/अधिकारी सेवा-निवृत्त हुए । उनमें से नियमानुसार 14 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है । शेष 16 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

बरेली तहसील में पुनः चकबन्दी की अधिसूचना

53--श्री जयदीप सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की बरेली तहसील में चकबन्दी हुई थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार

बरेली तहसील में तुरन्त पुनः चकबन्दी कराने के आदेश पारित करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, वर्ष 1955 में चकबन्दी हुयी थी। बरेली तहसील में दुबारा चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4-क(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 24-12-1980 को जारी की जा चुकी है।

विकास क्षेत्र तहबरपुर, आजमगढ़ के अन्तर्गत विद्युत् विच्छेदन की कार्यवाही

54--श्री रामकुंवर सिंह--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहबरपुर विकास क्षेत्र में कितने प्रार्थना-पत्र विद्युत्विच्छेद हेतु अधिशासी अभियन्ता (नियत अधिकारी) विद्युत् वितरण खंड प्रथम, आजमगढ़ के यहाँ दिये गये और इन प्रार्थना-पत्रों पर कब-कब और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विकास खण्ड तहबरपुर में 1976 में विद्युत् विच्छेद हेतु 11 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर स्थायी विद्युत् विच्छेदन की कार्यवाही 9/76 से 1/77 तक कर दी गई जिसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1228 पर।)

55--श्री रामकुंवर सिंह--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उक्त विकास खंड में वर्ष 1976 में विच्छेद हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर विच्छेद की कार्यवाही वर्ष 1978 व 1979 में की गई ? यदि हां, तो इसकी कुल संख्या क्या है और इस प्रकार की तसावली क्यों की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं।

आजमगढ़ जिले के विकास क्षेत्र तहबरपुर के अन्तर्गत दिये गये विद्युत् कनेक्शन

56--श्री रामकुंवर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत विकास क्षेत्र तहबरपुर में वर्ष 1978 व 1979 में कितने लोगों को बिजली का कनेक्शन मकान में रोशनी हेतु दिया गया ? मकान मालिकों से प्रति व्यक्ति पांच सौ रुपया जो लिया गया क्या वह सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आजमगढ़ जनपद के तहबरपुर ब्लाक में वर्ष 78 व 79 में क्रमशः 11 व 27 कनेक्शन मकान में रोशनी हेतु दिये गए स्वीकृत अनुमानित व्यय के अनुसार ही सर्विस लाइन एवं जमानत की धनराशि उपभोक्ताओं से परिषद् के कोष में जमा कराकर कनेक्शन देने की कार्यवाही की गई है। उक्त मकान गालिकों में से एक से रु0 715·00, एक से रु0 339·75 तथा 36 से रु0 85·00 से रु,0 137·75 अनुमानित धन जमा कराकर कनेक्शन दिए गए हैं।

विकास क्षेत्र तहबरपुर, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत दिए गए विद्युत् कनेक्शन एवं विद्युत् कनेक्शन के विच्छेदन की कार्यवाही में विलम्ब

57--श्री राम कुंवर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को रोशनी हेतु कनेक्शन दिया गया है उन्हें केबिल व खम्भा भी दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त-

जिन उपभोक्ताओं के अनुमानित व्यय में केबिल तथा खम्भा का प्राविधान था उन्हें केबिल व खम्भा देकर ही कनेक्शन दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं के अनुमानित व्यय में खम्भा का प्राविधान नहीं था, उन्हें केवल केबिल लगाकर कनेक्शन दिया गया है।

58--श्री राम कुंवर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के पास वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में ऐसी शिकायतें मिली कि विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत विच्छेदन की रिपोर्ट काफी दिनों तक प्रेषित नहीं किया जिससे उपभोक्ताओं को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ी ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री ब्रह्मदत्त-

वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में विद्युत विच्छेद की सूचना समय-समय पर कर्मचारियों द्वारा प्रेषित की गयी। इस सम्बन्ध में जब कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त हुई तब उस पर अविलम्ब कार्यवाही की गयी। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति विद्युत् विच्छेद की रिपोर्ट देने में विलम्ब की वजह से नहीं उठानी पड़ी।

59--श्री राम कुंवर सिंह-

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर में वर्ष 1978-79 में विद्युत विच्छेद हेतु कितने आवेदन-पत्र दिय गये और आवेदन-पत्र देने के कितने-कितने दिनों बाद विद्युत् कर्मचारियों ने विद्युत् विच्छेद हो जाने की रिपोर्ट दिया ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वर्ष 1978-79 में आजमगढ़ शहर में 19 प्रार्थना-पत्र विद्युत विच्छेद हेतु प्राप्त हुए तथा उन सभी की विद्युत काटने की रिपोर्ट 3 से 6 माह के अन्दर प्राप्त हो गयी।

एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर का इलाहाबाद में स्थानान्तरण एवं राजस्व में वृद्धि

60—श्री जंगबहादुर तथा श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1978 में एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर से इलाहाबाद स्थानान्तरित अलकोहल प्रयोगशाला के स्थानान्तरण के पश्चात् इस प्रयोगशाला की कार्यक्षमता एवं अर्जित राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है ? क्या यह सही है कि अर्जित राजस्व में वृद्धि होने के बावजूद भी इस प्रयोगशाला को पुनः एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर में भेजने के प्रयास हो रहे हैं ? क्या यह सही है कि अभी तक प्रयोगशाला के साथ स्थानान्तरित स्टाफ, जो कानपुर में स्थायी था, इलाहाबाद में अस्थायी ही है और इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी नहीं हो पाया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

प्रयोगशाला के एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर से इलाहाबाद स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन ने 24 अप्रैल, 1978 को आदेश निर्गत कर दिये थे किन्तु अन्तिम रूप से स्थानान्तरण कार्य पूर्ण होने तक दिसम्बर, 1979 तक कानपुर में परीक्षण कार्य होता रहा । प्रयोगशाला के इलाहाबाद स्थानान्तरित हो जाने के बाद से तुलनात्मक रूप से कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है । अर्जित राजस्व में हुयी वृद्धि निम्नवत् है :—

वर्ष	कार्यस्थल	प्राप्त राजस्व	वृद्धि (रु0 में)
		रु0	
1977–78	कानपुर	98960	..
1978–79	कानपुर	93520	..
	इलाहाबाद	17760	..
	योग ..	111280	12320
1979–80 :			
(1) 15–9–79 तक	कानपुर	32,800	
	इलाहाबाद	11760	
(2) 16–9–79 से 31–3–80 तक	कानपुर और इलाहाबाद	72240	
	योग ..	116800	5520
1980–81 28–2–81 तक	इलाहाबाद	111600	..

यह सही नहीं है कि राजस्व में वृद्धि होने के बावजूद प्रयोगशाला को स्थानान्तरित करने का प्रयास हो रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रयोगशाला को इलाहाबाद अथवा कानपुर में उपयोगिता और राजस्व के उपर्युक्त आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है और प्रयोगशाला के स्थानान्तरण करने का मामला विचाराधीन है।

यह सही है कि प्रयोगशाला में कार्यरत स्टाफ को इलाहाबाद में अभी स्थायी नहीं किया गया है और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी नहीं किया गया है क्योंकि विचारोपरांत यदि प्रयोगशाला को स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय होता है तो स्थायीकरण और सेवा शर्तों के निर्धारण की आवश्यकता न होगी।

श्री साबिर अली, ग्राम कांट, जिला शाहजहांपुर का गन्ने के बीज के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

61--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-1-81 को श्री साबिर अली पुत्र श्री किफायत अली, निवासी ग्राम कांट, जिला शाहजहांपुर ने एक आवेदन-पत्र गन्ना आयुक्त, लखनऊ को इस आशय का दिया है कि सन् 1979-80 में उनके द्वारा गन्ना बीज, जो 31 कृषकों की रोजा सोसाइटी शाहजहांपुर के माध्यम से 1204 कुन्टल कीमत 18,060 दिलाया गया, का अब तक भुगतान नहीं दिलाया गया ? सरकार उपरोक्त बकाया का भुगतान श्री साबिर अली को तत्काल करायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्री साबिर अली पुत्र श्री किफायत अली निवासी ग्राम कांट जिला शाहजहांपुर का प्रश्नगत आवेदन-पत्र तारीख 29-1-81 प्राप्त हुआ है, परन्तु जांच करने पर उनके कथनानुसार सप्लाई किए गये। 1204 कुन्टल बीज के स्थान पर केवल 522 कुन्टल बीज के वितरण का ही सत्यापन हो सका है। इस सत्यापित बीज वितरण का भुगतान, श्री साबिर अली ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है।

अवशेष 682 कुन्टल बीज, जिसका वितरण सत्यापित नहीं हो सका है, के सम्बन्ध में आवेदक के दावे के बारे में जांच प्रगति में है।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में गन्ने की सघन खेती किये जाने की मांग

62--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या गन्ना विकास मंत्री अपने पत्र संख्या 5513, दिनांक 3-11-1980 के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील को सुरक्षित घोषित करके गन्ने की सघन खेती कराय जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित तत्कालीन गन्ना मंत्री के पत्र की प्रति सम्प्रति उपलब्ध नहीं है अतः प्रश्न में वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है।

सहकारी गन्ना समिति संघ के महा प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

63--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री प्रश्नकर्ता कक पत्र दिनांक 30-1-81 जो उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के महा प्रबन्ध? एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्य शिकायतें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ।

इस शिकायती-पत्र की मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं--

1--गन्ना संघ के संचालन हेतु अर्जित धन का अधिकारियों को खुश करने के लिए 90 रु० प्रति दिन अतिथि सत्कार में खर्च किया जाना।

2--सरकारी कर्मचारियों की गन्ना संघ में प्रतिनियुक्ति।

3--विगत 5 वर्षों से की गई अवैधानिक नियुक्तियों आदि में अनियमितताएँ।

4--अनावश्यक रूप से मोटर कार का क्रय।

5--वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध सी० आई० डी० जांच के उपरान्त भी प्रबन्ध निदेशक के पद पर अनुचित नियुक्ति।

उक्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

रामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति

64--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जनपद में किसानों को चार घन्टे भी आज कल बिजली न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि दोषी व्यक्तियों को जिनके कारण कृषि उत्पादन में हानि हो रही है क्या दण्ड दिया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

रामपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को माह जनवरी तथा फरवरी, 1981 में निर्धारित औसतन 7 घन्टे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति के विरुद्ध क्रमशः 7 घन्टे 45 मिनट तथा 7 घन्टे 10 मिनट प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की गई।

माह जनवरी तथा फरवरी, 1981 तथा आजकल भी ग्रामीण क्षेत्रों को चार भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को एक दिन छोड़कर रात में 8 घन्ट तथा दिन में 6 घन्टे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है।

मुजफ्फरनगर शहर के उद्योगों को विद्युत आपूर्ति

65—श्री मेंहदी असगर—

क्या यह सही है कि मुजफ्फरनगर शहर स्थित विद्युत्गृह से मुजफ्फरनगर के आस-पास के 8 कि0 मी0 क्षेत्रफल में स्थित फैक्टरियों को 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं ।

मुजफ्फरनगर शहर के 66 के0 वी0 उप संस्थान के आस-पास के 8 कि0मी0 क्षेत्रफल में 5 नं0 मिनी स्टील प्लान्ट (आर्क फर्नेस) 14 नं0 स्टील रोलिंग मिल, 6 नं0 चीनी उद्योग, 1 नं0 मिल्क प्रोडक्ट मिल तथा कुछ अन्य उद्योग स्थित हैं । विद्युत् उपलब्धता के आधार पर इन उद्योगों पर लागू विद्युत् कटौतियां/प्रतिबन्धों के अनुसार ही विद्युत् आपूर्ति कराई जा रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

1—मिनी स्टील प्लान्ट (आर्क फर्नेस)—

8 घंटे प्रतिदिन ।

2—स्टील रोलिंग मिल—

12 घंटे प्रतिदिन (4-2-81 से 4-3-81) ।

9 घंटे प्रतिदिन 5-3-81 से अब तक।

3—चीनी उद्योग—

जब चलती है तब कोई प्रतिबन्ध नहीं ।

4—मिल्क प्रोडक्ट मिल—

शहर में विद्युत् उपलब्धता के आधार पर ।

5—अन्य उद्योग—

उन पर लागू विद्युत् कटौतियों के अनुसार तथा शहर में विद्युत् उपलब्धता के आधार पर ।

प्रदेश के गन्ना अनुसंधान केन्द्रों द्वारा गन्ना बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति तथा व्यय एवं प्रचार के साधन

66—श्री ऊदल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना अनुसंधान केन्द्र प्रदेश में कहां-कहां कार्य कर रहे हैं और सन् 1975 से लेकर 1980 तक कितने तथा किन-किन किस्मों को उन्होंने निकाला और उनके नाम क्या हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

67--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1975 से लेकर 1980 तक कितने क्वींटल गन्ना के बीज नयी वैरायटी में पैदा किया गया और किन-किन जिलों में कितने किसानों को दिया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

68--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि सन् 1975 से 1980 तक प्रत्येक गन्ना अनुसंधान केन्द्रों पर कितने रुपए खर्च किये गये उसमें अनुसंधान पर कितना एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तनख्वाह, टी0 ए0, डी0 ए0 पर कितना ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

69--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मत्री को पता है कि प्रत्येक जिले के गन्ना विकास विभागों द्वारा नई किस्म के बीजों के बारे में कोई न तो प्रचार करते हैं और न ही किसानों को बताते हैं ? यदि हां, तो क्या कोई योजना प्रसार एवं प्रचार के लिए बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई जिले के सवायजपुर में विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण

70--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद में ग्राम सवायजपुर में कोई हाइडिल स्टेशन बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या प्रगति हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां, एक विद्युत् उपकेन्द्र बनाया जा रहा है।

सवायजपुर 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र के लिये सान्डी से सवायजपुर तक 33 के0 वी0 लाइन का निर्माण हो चुका है तथा उपकेन्द्र पर स्विच गीयर भवन और स्विचयार्ड का कार्य पूरा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले के किसानों का विद्युत् कनेक्शन

71--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 को कितने किसान ऐसे थे जिन्होंने डी0 एल0 फार्म जमा कर दिया है किन्तु उन्हें विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है ? क्या सरकार इन्हें शीघ्र कनेक्शन देने के सम्बन्ध में आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 को बांदा जनपद में केवल 6 किसानों के बी0 एल0 फार्म जमा थे जिन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा सका। किसानों द्वारा औपचारिकतायें पूरी किए जाने पर उन्हें कनेक्शन दे दिया जायेगा।

कानपुर जिले में दिया गया गृह अनुदान

72—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार प्रथम सत्र 1981 के दिनांक 30 जनवरी, 1981 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संदर्भ में राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जनपद को गृह अनुदान हेतु जो 188 लाख 70 हजार रुपया दिया गया वह कितनी बार में दिया गया तथा क्या इस धनराशि के पश्चात् भी जिलाधिकारी, कानपुर ने इस मद में धन देने की मांगें पुनः सरकार से की ? यदि मांगे की तो कितनी बार व कब-कब तथा कितने धन की ?

श्री बैजनाथ कुरील—

कानपुर जनपद को गृह अनुदान हेतु जो 188 लाख 70 हजार रुपया दिया गया वह बारह बार में दिया गया। इस धनराशि के दिये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी, कानपुर ने इस मद में अतिरिक्त धन की मांग नहीं की।

विजयगढ़ टाउन एरिया, जिला अलीगढ़ की भूमि पर जमींदारी समाप्त किये जाने की मांग

73—डाक्टर धर्मपाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा सूर्यपाल सिंह, निवासी अवागढ़, जिला एटा की जमीन्दारी आज भी विजयगढ़ टाउन एरिया, जिला अलीगढ़ में मौजूद हैं ? अगर हैं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद अलीगढ़ की विजयगढ़ टाउन एरिया की सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के समस्त कृषि क्षेत्रों की जमींदारी दिनांक 1 जुलाई, 1964 से समाप्त की जा चुकी है। उक्त अधिनियम में परिभाषित कृषि क्षेत्र से भिन्न भूमि की जमींदारी समाप्त करने का प्राविधान नहीं है।

सीतापुर तहसील के कतिपय ग्रामों में गृह अनुदान का आवंटन

74—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में तहसील सीतापुर के अन्तर्गत रघुनाथपुर (मकनपुर), बेनीसराय, मुदरासन, पोखरापुरवा, करसौरा, एकेली, रौरापुर, इब्राहीमपुर, महादेव अटरा, नवा नगर में गृह अनुदान 1980 में बंट गया ? यदि बंटा, तो कितना-कितना और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजमाथ कुरील—

तहसील सीतापुर के प्रश्नगत ग्रामों में गृह अनुदान वितरित किया जा चुका है । वितरण की तिथि एवं धनराशि निम्न प्रकार है—

ग्राम	वितरण की तिथि	धनराशि (रुपयों में)
1—रघुनाथपुर (मकनपुर)	13-2-81	8,000.00
2—बेनीसराय	20-1-81	3,500.00
3—मझासन	10-2-81	4,000.00
4—पोखरापुरवा	31-1-81	2,750.00
5—करस्योरा	17-2-81	4,350.00
6—टकेली	10/26-10-80	7,450.00
7—रीरापुर	17-2-81	7,900.00
8—इब्राहीमपुर	28-2-81	250.00
9—महादेव अटरा	18-8-80	11,120.00
10—नवीनगर	15-2-81	14,900.00
	योग ..	64,220.00

राज्य नियोजन संस्थान के शोध अधिकारी के पद हेतु साक्षात्कार

75—श्री शिव पाल सिंह तथा श्री राम करन सिंह—

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि श्री राम चन्द्र आजाद, सदस्य, विधान परिषद्, टांडा, फैजाबाद द्वारा दिनांक 24-1-1981 को कोई पत्र जिसमें राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) में शोध अधिकारी (इंजीनियरिंग) के पदों के लिये हाल में हुए साक्षात्कार के सम्बन्ध में भारी अनियमितताओं का उल्लेख किया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ था । जिस पर सम्यक् रूप से विचार किया गया । चयन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई । माननीय सदस्य को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

हिण्डालको को विद्युत् आपूर्ति एवं प्रति यूनिट दर

76—श्री धरमपाल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की कीमत प्रति यूनिट क्या आती है । तथा हिण्डालको को किस दर से प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति की जाती है ।

श्री ब्रह्म दत्त—

बिजली उत्पादन की कीमत वर्षवार निकाला जाता है । वर्ष 1978–79 के लिये विद्युत् गृहों के बस बार पर (क्रय की गई बिजली को छोड़कर) समन्वित (पूल्ड) विद्युत् उत्पादन की कीमत 19·74 पैसे प्रति यूनिट निकाली गई है । वर्ष 1979–80 के लिये यह दर लगभग 23·77 पैसे प्रति यूनिट निकाली गई है जो अभी अस्थाई है ।

मेसर्स हिन्डालको को दी जाने वाली मुख्य सप्लाई की दर 30–6–80 से पहले तक 19·57 पैसे प्रति यूनिट थी पर 30–6–80 से प्रभावी होने वाली दर का मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है । इस बीच परिषद् ने 30–6–80 से अपनी ओर से मुख्य सप्लाई की बिलिंग अन्य भारी उद्योगों पर लागू विद्युत् दर प्रारम्भ कर दी है जिसका औसत दर 30–6–80 तथा 1–8–80 से प्रभावी भारी उद्योगों पर लागू विद्युत् दर पर 90 प्रतिशत लोड फैक्टर 132 के0 वी0 पर 0·85 पावर फैक्टर पर क्रमशः लगभग 30·2066 पैसे प्रति यूनिट तथा 33·313 पैसे प्रति यूनिट आती है परन्तु मेसर्स हिन्डालको 30–6–80 से अभी भी अपने पुरानी दर पर भुगतान कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जब तक केन्द्र सरकार का निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वे पुरानी दर पर ही भुगतान करेंगे ।

इसके अतिरिक्त मेसर्स हिन्डालको को 60 मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत् आकस्मिक सहायता के रूप में दी जाती है जिसका विद्युत् दर भारी उद्योगों पर समय–समय पर लागू दरों के प्रथम स्लेब पर आधारित है। इस विद्युत् की औसत दर 1–8–80 से प्रभावी भारी उद्योगों पर लागू दर के आधार पर लगभग 44 पैसे प्रति यूनिट आती है ।

राम सागर कालोनी, लखनऊ के निकट गृह स्वामियों का विद्युत् कनेक्शन

77—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित राम सागर कालोनी के सन्निकट पिकनिक स्पाट पर स्थित मकानों के कितने गृह स्वामियों का बिजली कनेक्शन प्राप्त करने हेतु एग्रीमेंट एवं सिक्योरिटी मनी सितम्बर 80 में एस0 डी0 ओ0 प्रथम विद्युत् वितरण उप खंड, सातवीं गली, निशातगंज, लखनऊ के कार्यालय के आदेश से जमा किये गये ? क्या उनको विद्युत् कनेक्शन दे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब विद्युत् कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

राम सागर कालोनी के सन्निकट पिकनिक स्पाट पर स्थित मकानों के 13 गृह स्वामियों का बिजली कनेक्शन प्राप्त करन हेतु एग्रीमेंट एवं सिक्योरिटी माह

सितम्बर 80 में एस0 डी0 ओ0 प्रथम विद्युत् वितरण उप खंड, सातवीं गली, निशातगंज, लखनऊ के कार्यालय के आदेश से जमा किए गये। उक्त 13 गृह स्वामियों में से 9 को विद्युत् आपूर्ति की जा चुकी है। शेष चार गृह स्वामियों को विद्युत् कनेक्शन देने का कार्य जारी है तथा उन्हें कनेक्शन शीघ्र दे दिये जायेंगे।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा मैसर्स खेमका केबिल वर्क्स, कलकत्ता एवं मैसर्स बिहार केबिल्स एण्ड वायर इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता द्वारा कण्डक्टरों को खरीद

78—श्री रामजी राम—

क्या विद्युत् मंत्री राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सन् 1979 व 1980 में दिये गये कंडक्टरों के आर्डरों के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् ने प्रोक्योरमेंट सर्किल 2 के द्वारा कलकत्ते की खेमा केबिल वर्क्स लि0 तथा बिहार केबिल एंड वायर इन्डस्ट्रीज लि0 को बिना यह देखे कि उनकी फैक्ट्री है या नहीं और बिना उनके अर्नेस्ट मनी की शर्त पूरा किये करोड़ों रुपया के आर्डर दिये? क्या इन कम्पनियों ने आर्डरों पर सिक्योरिटी दी? यदि नहीं, तो परिषद् ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

मैसर्स खेमका केबिल वर्क्स कलकत्ता को वर्ष 1979 में तथा मैसर्स बिहार केबिल्स एण्ड वायर इंडस्ट्रीज कलकत्ता को वर्ष 1980 में कन्डक्टर सप्लाई के लिये क्रमशः लगभग रु0 85·50 लाख तथा रु0 227·15 लाख के आर्डर दिये गये। इन आर्डरों के दिये जाने के पूर्व उक्त फर्मों के फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं किया गया तथा न ही उनके द्वारा 'अर्नेस्ट मनी' जमा की गयी थी।

अभी नहीं।

उक्त फर्मों से आर्डर स्वीकार करा कर जमानत जमा कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यदि ऐसा सम्भव न हो सका तो निश्चय ही उक्त फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा मैसर्स एक्सप्रेस केबिल्स, पटना एवं नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोडक्ट्स कलकत्ता से कण्डक्टर की खरीद

79—श्री रामजी राम—

क्या एक्सप्रेस केबिल्स से परिषद् का लिटीगेशन चल रहा है और नेशनल स्क्रू एंड वायर प्रोडक्टस ने भी निविदा संख्या 85/78 में लगभग करोड़ रुपये के आर्डर की पूर्ति नहीं की? यदि हां, तो उसकी 1 प्रतिशत व 5 प्रतिशत बैंक गारंटी का कितना रुपया जब्त किया गया? यदि नहीं, किया गया, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां।

मेसर्स एक्सप्रेस केबिल्स पटना से राज्य विद्युत् परिषद् का लिटीगेशन चल रहा है । मेसर्स नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोडक्ट्स कलकत्ता को निविदा संख्या 85/78 के अन्तर्गत लगभग रु0 4·60 करोड़ के कण्डक्टर की आपूर्ति के आदेश दिये गये थे जिसमें लगभग रु0 34·5 लाख की सप्लाई की जा चुकी है ।

मेसर्स नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोडक्ट्स कलकत्ता से कन्डक्टर की आगे की आपूर्तियों को पूरा कराये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इन प्रयत्नों में यदि सफलता न मिल पायी तो फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ।

वाराणसी–पिन्डरा विद्युत् लाइन की बाबतपुर विद्युत् लाइन के तारों की चोरी

80––श्री ऊदल––

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी से पिंडरा आने वाली मेन विद्युत् लाइन बाबतपुर (निबाहेका–ताल) में पक्की रोड से दो तीन फर्लांग दक्षिण है जिससे प्रत्येक माह में तार की कटिंग हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लाइन को हटाकर पक्की रोड वाराणसी–जौनपुर के किनारे से ले जाने पर विचार करेगी ? क्या यह सत्य है कि सन् 1978 से लेकर सन् 1980 एवं 4 जनवरी, 1981 तक बीसा बार तार चोरों ने 10–10 खंभे का तार काट कर उठा ले गये हैं ? यदि हां, तो इनको रोकने के हेतु क्या–क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त––

वाराणसी से पिंडरा जाने वाली 33 के0 वी0 की मुख्य लाइन बाबतपुर (निबाहे–का–ताल) में पक्की सड़क से लगभग 100 मीटर से 335 मीटर दूर पर है । यह सत्य नहीं है कि उक्त लाइन पर प्रत्येक माह तार की कटिंग हो जाती है ।

वाराणसी पिंडरा मुख्य लाइन का उक्त भाग पक्की सड़क से अधिकतम लगभग 335 मीटर दूर पर ही है और सड़क से भली प्रकार दिखायी पड़ता है । अतः इसको पक्की सड़क के और पास लाने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं प्रतीत होती ।

दिनांक 1–1–1978 से 4–1–1981 की अवधि में वाराणसी–पिंडरा मुख्य लाइन के उक्त भाग में तारों की चोरी की 17 घटनायें हुयीं ।

पुलिस विभाग से सम्पर्क स्थापित करके वर्ष 1979–80 में पी0 ए0 सी0 का कैम्प लगवाया गया था तथा वर्तमान में प्रतिदिन पुलिस की गश्त रात में सुरक्षा हेतु लगवाई गयी है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम किन्तूर निवासी हाजी मोहम्मद बशीर का विद्युत कनेक्शन

81––श्री प्रदीप कुमार यादव––

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किंतूर विकास खंड राम नगर, जनपद बाराबंकी के श्री हाजी मोहम्मद बशीर को औद्योगिक कनेक्शन देने हेतु दिनांक 14–7–80 को एग्रीमेन्ट हो चुका है और कार्य को स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उन्हें अब तक कनेक्शन न देने का क्या कारण है ?

श्री बहुगुणा—

श्री हाजी मोहम्मद बशीर, ग्राम किन्तूर, विकास खण्ड रामनगर जिला बाराबंकी को 10 हर्स पावर का औद्योगिक कनेक्शन देने हेतु अनुबन्ध दिनांक 15-7-80 को किया गया था। कार्य करने के लिए आदेश दिनांक 26-7-80 को दिये गये थे।

चूंकि श्री हाजी मोहम्मद बशीर को कनेक्शन देने का प्राक्कलन चार और भावी उपभोक्ताओं के साथ 15 प्रतिशत का रिटर्न के आधार पर बनाया गया था और इन चार भावी उपभोक्ताओं ने अभी तक वांछित धनराशि जमा करके अनुबन्ध नहीं किया है, अतः श्री बशीर को कनेक्शन देने के लिए आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री बशीर को अलग से कनेक्शन देने हेतु संशोधित प्राक्कलन बनाया जा रहा है और वांछित धनराशि जमा करने पर उन्हें कनेक्शन दे दिया जायेगा।

बरेली रेंज, बिक्री-कर विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

82—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रेंज के बिक्री कर विभाग में वर्ष 1975-76 में शासनादेशों की अवहेलना करके तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी ? यदि हां, तो कितनी और किस कर्मचारी को नियुक्ति की गई थी ? क्या इन अनियमित नियुक्तियों के वर्ष 1976-77 में समाप्ति के आदेश शासन ने दिये थे ? यदि हां, तो सुभाष सक्सेना व वीरेन्द्र कुमार पान्डे एवं अन्य ऐसे कितने कर्मचारी थे जिन पर उक्त आदेश लागू नहीं किया गया ?

श्री बहुगुणा—

वर्ष 1975-76 में तृतीय श्रेणी के निम्न सात कर्मचारियों की नियुक्ति अनियमित रूप से बिना चयन समिति से नाम मंगाये सहायक आयुक्त (श) बिक्रीकर बरेली द्वारा सीध ही कर ली गई थी—

1—श्री राम अवतार अग्रवाल,

2—श्री रमेश चन्द्र,

3—श्री वीरेन्द्र कुमार पान्डेय,

4—श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना,

5—श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा,

6—श्री अनिल कुमार

7—श्री सतीश कुमार।

चतुर्थ श्रेणी के किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

बाद में स्थिति का ज्ञान होने पर शासकीय आदेश से नहीं, वरन् तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त बिक्रीकर के आदेश से अक्तूबर, 1976 मे उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई।

उपयुक्त सात व्यक्तियों में से तीन कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति निम्न परिस्थितियों में बाद में की गयी :

1—श्री वीरेन्द्र कुमार पान्डेय की फरवरी, 1978 में शासनादेश के फलस्वरूप तदर्थ रूप से पुर्ननियुक्ति की गई ।

2—श्री राम ओतार अग्रवाल का नाम जिला चयन समिति से प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त (शासकीय) द्वारा अप्रैल, 1977 में इनकी पुर्ननियुक्ति की गई ।

3—श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा, आशुलिपिक के प्रत्यावेदन पर शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इनकी सेवा समाप्ति की नोटिस वापस ले ली जाय । तदनुसार जून, 1976 में उन्हें अपने पद पर बहाल कर दिया गया ।

मेसर्स खेमका केबल वर्क्स, मेसर्स बिहार केबुल एन्ड वायर इन्डस्ट्रीज, मेसर्स नेशनल स्क्रू एन्ड वायर प्रोडक्टस, कलकत्ता से कन्डक्टर की खरीद

83—श्री छत्तर सिंह—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के पर्चेज सर्किल 2 लखनऊ के निविदा संख्या 85/1978 में डीजल कंडक्टर के लगभग 6 करोड़ रुपये के आर्डर को जो कि 1830 रुपये प्रतिकिलोमीटर पर था कलकत्ते की नेशनल स्क्रू एंड वायर प्रोडक्टस ने पूर्ति नहीं की और अब वह कंडक्टर दूसरों से 2450 रुपये प्रति किलोमीटर पर खरीदा जा रहा है ? जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपये का घाटा है ? क्या परिषद ने नेशनल स्क्रू के खिलाफ रिस्क पर्चेज की या अन्य कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मेसर्स नेशनल स्क्रू एन्ड वायर प्रोडक्ट्स, कलकत्ता को निविदा संख्या 85/78 के अन्तर्गत लगभग 4·60 करोड़ रु0 के डीजल कन्डक्टर की आपूर्ति के आदेश 20000 किलोमीटर के लिये 1800 रु0 की दर पर तथा शेष 5000 किलोमीटर के लिये 1895 रु0 की दर पर दिये गये थे । इसमें से उक्त फर्म द्वारा लगभग 34·5 लाख रु0 के 1887 किलोमीटर कन्डक्टर की सप्लाई की जा चुकी है ।

यह सत्य है कि निविदा संख्या 85/78 के बाद 'डीजल' कन्डक्टर के आर्डर निविदा संख्या 125/80 के अन्तर्गत 2207 रु0 से 2450 रु0 प्रतिकिलोमीटर की दर से दिये गये हैं परन्तु इसके कारण इस अवधि में अल्यूमीनियम एवं एच0 टी0 जी0 एस0 कोर वायर की बढ़ी हुई दरें तथा सामान्य महंगाई है ।

मेसर्स नेशनल स्क्रू एन्ड वायर प्रोडक्ट्स, कलकत्ता से 'डीजल कन्डक्टर' की आगे की आपूर्तियों को पूरा कराये जाने के प्रयत्न जारी हैं, अतः वर्तमान स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य विद्युत परिषद् को घाटा हुआ ।

जी नहीं ।

उक्त फर्म से कन्डक्टर की आगे की आपूर्तियां को पूरा कराये जाने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों में यदि सफलता न मिल पायी तो फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ।

84–श्री छत्तर सिंह--

क्या जनवरी, 1980 में परिषद् के मुख्य अभियन्ता, श्री टी० सी० अग्रवाल से उपरोक्त कम्पनी ने कलकत्ते में कहा था कि लगभग 1,000 किलोमीटर कंडक्टर उत्तर प्रदेश के लिये तैयार हैं ? क्या बाद में वह मध्य प्रदेश को दे दिया था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मेसर्स नेशनल स्क्रू एन्ड वायर प्रोडक्ट्स, कलकत्ता ने मुख्य अभियन्ता, श्री टी० सी० अग्रवाल को ऐसी कोई सूचना नहीं दी थी । उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् को अन्यथा भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि उक्त फर्म ने 1000 किलोमीटर कन्डक्टर जो उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के लिये था उसे मध्य प्रदेश को दे दिया । वैसे भी उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि उसका सम्बन्ध केवल उसके आर्डर तक ही सीमित है ।

85--श्री छत्तर सिंह--

क्या उपरोक्त कम्पनी से सम्बन्धित खेमका केबिल वर्क्स और बिहार केबिल ऐण्ड वायर इंडस्ट्रीज ने परिषद् के करोड़ों रुपये के कंडक्टर के आर्डरों की पूर्ति नहीं की तथा परिषद् ने इन सब आर्डरों के बारे में केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभाग को लिखा था कि इन आर्डरों का अल्पमिनियम न दिया जाय जिससे इन कम्पनियों को ब्लैक करने का अवसर मिलता है ? नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मेसर्स खेमका केबिल वर्क्स, कलकत्ता तथा मेसर्स बिहार केबिल्स एण्ड वायर इंडस्ट्रीज, कलकत्ता को कन्डक्टर सप्लाई के लिये क्रमशः लगभग रु० 85·50 लाख तथा रु० 136·25 लाख के आर्डर दिये गये हैं । मेसर्स खेमका केबिल वर्क्स कलकत्ता ने अभी आर्डर स्वीकार नहीं किया है जबकि मेसर्स बिहार केबिल एन्ड वायर इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता ने आदेश स्वीकार कर लिये हैं एवं माल निरीक्षण के लिये भी प्रस्तुत कर दिया है । प्रयत्न किये जा रहे हैं कि मेसर्स खेमका केबिल वर्क्स, कलकत्ता भी आदेश को स्वीकार कर लें ।

जी नहीं ।

उक्त फर्मों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न तभी उठेगा जबकि राज्य विद्युत् उनसे कन्डक्टर की सप्लाई प्राप्त करने के लिये किये जा रहे अपने प्रयत्नों में असफल हो जाता है ।

सगड़ी तहसील, आजमगढ़ के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

86--श्री पंचानन--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में 31 दिसम्बर, 1980 को कितने ऐसे राजकीय नलकूप थे जिनका निर्माण पूर्ण हो गया है और उन्हें विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है ? इसमें से कितने ऐसे राजकीय नलकूप हैं जिनका निर्माण एक वर्ष पूर्व पूरा हो गया है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में दिनांक 31-12-1980 की स्थिति में केवल दो राजकीय नलकूपों के ऐसे मामले थे जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर वी० एन्ड एल० फर्म राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त करा दिये गये थे और कनेक्शन नहीं दिया गया था ।

एक भी नहीं । उपरोक्त दोनों ही मामलों में वी० एन्ड एल० फार्म दिनांक 27-12-1980 को प्राप्त हुये थे ।

गाजीपुर जिले की तहसील मोहम्मदाबाद के बीरपुर ग्राम का विद्युतीकरण

87—श्री पंचानन—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद की मोहम्मदाबाद तहसील में स्थित ग्राम बीरपुर का विद्युतीकरण कब किया गया ? क्या उक्त गांव की एक तिहाई आबादी का विद्युतीकरण अभी (15 जनवरी, 1981) तक नहीं किया गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

गाजीपुर जनपद की मोहम्मदाबाद तहसील में स्थित ग्राम बीरपुर का विद्युतीकरण माह नवम्बर, 1964 में किया गया ।

ग्रामवासियों द्वारा विद्युत लाइन के खम्भों को गाड़ने में अवरोध उत्पन्न करने के कारण उक्त ग्राम के एक हिस्से का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीन एवं चपरासियों की राजस्व विभाग, देवरिया में नियुक्ति

88—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि आद्या शंकर, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 5671/1/9/75, तद्दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 के अनुसार सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आदेश दिया गया कि जनपदों में रिक्तियों की भर्ती छंटनीशुदा कर्मचारियों में से की जायेगी ? यदि हां, तो क्या इसका पालन जनपद देवरिया में किया गया ? यदि नहीं, तो क्या छंटनी शुदा कर्मचारियों को तत्काल भर्ती करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद देवरिया में किसी भी रिक्ति में कोई नया आदमी नहीं रखा गया है, कृषि विभाग छटनी शुदा अमीन व चपरासियों में से 73 अमीन व 59 चपरासी को सामयिक संग्रह स्टाफ के रूप में भर्ती किया गया है तथा 12 अमीन व 5 चपरासियों को पूर्ण वर्षकालिक के रूप में भर्ती किया गया है ।

कानपुर बेसिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री मोती लाल देहलवी--

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर समुचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं ।

मान्यवर नगर कानपुर के बेसिक शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित अध्यापक विगत 23 मार्च, 1981 से अपने असह्य कष्टों के निवारणार्थ आमरण अनशन कर रहे हैं। आमरण अनशन के पूर्व उनका क्रमिक अनशन विगत 6 अक्तूबर, 1980 से जारी रहा है । अध्यापकों एवं अध्यापिकायें अपनी दुखःद समस्याओं के समाधान के लिए तमाम वैध एवं तमाम उचित मार्ग का अनुसरण करते आ रहे हैं, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकल सका है और इसलिए उन्हें आमरण अनशन करने पर बाध्य होना पड़ा है ।

मुझे जानकारी मिली है कि अध्यापकों के आमरण अनशन की सहानुभूति में कानपुर नगर के तमाम स्कूलों के अध्यापकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है । यदि हड़ताल हो गई तो छात्रों को शिक्षा की बहुत क्षति होगी । स्थिति विस्फोटक बन गई है ।

मैंने अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की मांगों को समझा है और अनुभव किया है कि वस्तुतः उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है । उनकी बहुत सी मांगे अत्यन्त उचित और समाधान करने के लायक हैं ।

अस्तु आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि कृपया अध्यापकों की उचित मांगों का समाधान कर सरकार उनके अनशन को समाप्त कराने तथा सम्भावित हड़ताल से छात्रों की शिक्षा-हानि को बचाने की अनुकंपा करें ।

बस्ती जनपद के विकास खंड मनवापुर इटावा व खुनियांव में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय--**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनमति से मैं सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत विकास खंड मनवापुर इटावा, खुनयांव के अधिकांश भागों में पिछले उपलवृष्टि से क्षति हो गयी थी जिससे वहां के लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत बहुत ही कम छोटे पैमाने पर कार्य प्रारम्भ कराया था । काफी संख्या में पीड़ित लोगों ने उस पर कार्य किया परन्तु अभी तक खाद्यान्न के अभाव

[श्री माता प्रसाद पान्डेय—]

में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा सकी । राहत कार्य के सन्दर्भ में सरकार ने हेतुक–अहेतुक दोनों प्रकार की सहायता देने के लिए तहसील मुख्यालय पर धन का भी प्राविधान कर दिया है परन्तु वहां के परगनाधिकारी के निष्क्रियता एवं दलगत राजनीति में फंसे होने के फलस्वरूप आबंटित धन का कोई वितरण नहीं किया गया है । गृह अनुदान भी अभी तक नहीं वितरित किया गया जबकि इसके लिए धन उपलब्ध है ।

माननीय, मजदूरों को मजदूरी न मिलने से तथा सरकार द्वारा घोषित राहत कार्यों के धन न वितरित करने से जनता में घोर रोष, असंतोष व्याप्त है । उल्लेखनीय है कि लगभग 500 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी विकास खण्ड खुनियांव के रतनपुर कोनरा मार्ग का भी जो दिसम्बर, 1979 में कार्य किया गया था, अभी नहीं मिल पाई है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्रीय जनता को राहत दिलायें । माननीय, आबंटित धन हेतुक–अहेतुक यदि 31 मार्च तक नहीं वितरित किया गया तो, वह वापस हो जायेगा । ऐसा प्राविधान बताया जाता है ।

पुलिस चौकी ठाकुरगंज थाना चौक (लखनऊ) के पुलिस इंसपेक्टर श्री दीनानाथ दुबे व श्री जयकरन सिंह द्वारा मुसाहिब गंज की दो मुस्लिम लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ —

माननीय, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाना अत्यन्त आवश्यक है । पुलिस चौकी ठाकुरगंज, थाना–चौक के पुलिस इन्सपेक्टर श्री दीनानाथ दुबे तथा श्री जयकरन सिंह मुसाहिबगंज मोहल्ले के मुस्लिम परिवार की दो लड़कियों को लगातार तंग कर रहे हैं । दोनों लड़कियां कुमारी फकरुन्निशा, कुमारी जेबुन्निशा 27 दिसम्बर, 1980 को अपने ही मुहल्ले के गुन्डों रूप नारायण, मानबहादुर नारायण तथा रविकान्त के विरुद्ध शिकायत करने पुलिस चौकी गयी थीं और दोनों लड़कियों ने उक्त गुन्डों के बारे में शिकायत करते हुये पुलिस चौकी में कहा कि उन गुन्डों के आतंक से वे अपना घर छोड़कर अपनी बहन के घर रह रही हैं । गुन्डे घर के ताले तोड़कर सभी सामान उठा ले गये जब वे अपने मकान पर गयीं तो उनको धमकी दे रहे हैं कि मकान छोड़कर चली जाओ नहीं तो तुम लोगों के ऊपर तेजाब फेंक दी जायेगी । उन लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने उक्त गुन्डों के यहां से सामान बरामद किया लेकिन सामान पुलिस ही हड़प कर गई । तथा राजनीतिक दबाव में आकर गुन्डों के खिलाफ कोई उचित कार्यवाही नहीं किया । उन लड़कियों ने ठाकुरगंज पुलिस चौकी के इस लापरवाही की शिकायत थाना चौक एवं एस० पी० सिटी लखनऊ से किया शिकायत करने के बाद उक्त पुलिस इन्सपेक्टर श्री दीनानाथ दूबे ने उन लड़कियों को थाने में बुलाया तथा उनका हाथ पकड़ कर घसीटते हुए हवालात के अन्दर ले गये 'तुम लोग अधिकारियों से शिकायत करती हो आज हम तुम लोगों को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा । उन लड़कियों ने दरोगा से ठीक ढंग से बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पुलिस चौकी ठाकुरगंज थाना (लखनऊ) के पुलिस इन्सपेक्टर श्री दीनानाथ दुबे व श्री जय करन सिंह द्वारा मुसहिबगंज की दो मुस्लिम लड़कियों के साथ दुर्व्यहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अतर्गत सूचना

करने के लिए कहा तो उनको मार-पीट कर हवालात में बन्द कर दिया गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करने का भी प्रयास किया गया। और बाद में उनके परिवार के लोगों को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। तथा पुलिस ने धारा 394 के तहत झूंठा मुकदमा लगा कर उन्हें जेल भेज दिया। जमानत पर छूट कर आने के बाद उक्त लड़कियों ने पुलिस अधिकारियों, मुख्य मन्त्री एवं मंत्रियों को प्रार्थना-पत्र देकर अपनी इज्जत व जानमाल की सुरक्षा की मांग किया लेकिन आज तक उनक बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आज भी उक्त पुलिस इन्सपेक्टर उन दोनों लड़कियों को डरा धमका रहा है। मान्यवर, इस लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे उक्त दोनों लड़कियों की जान-माल व इज्जत की सुरक्षा करायी जा सके।

मथुरा के कतिपय मुहल्लों में व्याप्त गंदगी से बीमारियों की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे शहर मथुरा के मोहल्ला मनोहरपुरा, दरेशी, बद्रीनगर, भरतपुर दरवाजा बृजनगर, बनखन्डा, चाह, कठौती कुआं, सुभाषनगर, अन्तापाड़ा, झींगुरपुरा तथा नये नगले में घोर गन्दगी व्याप्त है। इनमें बहने वाले नाले-नालियों को सफाई नगरपालिका नहीं कर पा रही है। इस कारण तरह-तरह की बीमारियां लोगों में फैल रही है। देश विदेश से लाखों की संख्या में आने वाले यात्रियों पर इसका बुरा असर पड़ता है। जनपद की मुख्य-मुख्य शिक्षण संस्थायें इन्हीं बस्तियों के आस-पास हैं। जंकशन बस स्टैंड आदि के रास्ते वहीं होकर गुजरते हैं। मनोहरपुरा में खुले कट्टी घर (कसाईबाड़े) हैं।

श्रीमन् आपके माध्यम से मेरा शासन से अनुरोध है कि मनोहरपुरा में खुले कट्टी खानों को रोका जाय तथा नगरपालिका मथुरा से उक्त बस्तियों की गंदगी एवं नाले-नालियों की सफाई शीघ्र कराई जावे।

सदर अस्पताल, मुरादाबाद में कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, दिनांक 26 मार्च, 1981 को जिला सदर अस्पताल, मुरादाबाद में वहां के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। मालूम यह हुआ है कि ए0 डी0 एम0 (सिटी) ने किसी जांच के सम्बन्ध में अस्पताल के कम्पाउन्ड में किसी स्टोर क्लर्क के निवास स्थान पर छापा मारा था। छापे की कार्यवाही के दौरान ए0 डी0 एम0 (सिटी) ने स्टोर क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इस दुर्व्यवहार के विरोध में सारे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों तथा आउटडोर मरीजों के लिए भारी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है और इसी वजह से व्यापक रूप से चिन्ता, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है क्योंकि काफी मरीज गम्भीर परिस्थितियों में भी अस्पताल में भर्ती हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबर हुसैन—]

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

दि हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री खुशवन्त सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री हुकम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 2 मार्च, 1981 को नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक श्री खुशवन्त सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 28 फरवरी, 1981 के उक्त समाचार-पत्र में प्रकाशित एक संपादकयी टिप्पणी में साधारणतः देश के सभी विधायकों एवं सांसदों की बाजारी गुंडों (स्ट्रीट गैंग्स) से तुलना करना जानबूझ कर उनकी प्रतिष्ठा को गिराना है एवं चरित्र हनन का प्रयास है जिससे उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और माननीय सदन का अवमान हुआ है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो मैंने निर्णय ले लिया है, मैं निर्णय पढ़ रहा हूं ।

श्री हुकम सिंह—

लेकिन मान्यवर, निर्णय के बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने निर्णय पढ़ना शुरू कर दिया है, अब आप बैठ जायं ।

माननीय श्री हुकम सिंह की इस शिकायत पर निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित सम्पादक के पक्ष की जानकारी हेतु उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मैंने उन्हें एक पत्र दिनांक 4 मार्च, 1981 को भिजवाया था । उसके पश्चात् मुझे यह जानकारी हुई है कि उक्त सम्पादक, श्री खुशवन्त सिंह राज्य सभा के सदस्य भी हैं । अतः मान्य संसदीय परम्पराओं एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 79 में निहित सिद्धान्त के अनुसार इस मामले में अपने निर्णय के लिए अब मैं श्री खुशवन्त सिंह के उत्तर की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझता । उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत यदि मैं प्रागदर्शन में इस निष्कर्ष पर पहुंचूं कि श्री खुशवन्त सिंह, जो 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक होने के साथ-साथ राज्य सभा के सदस्य भी हैं, इस सदन के अवमान या अभिकथित विशेषाधिकार की अवहेलना के अभिसूचित मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं तो मैं इस विषय को राज्य सभा के माननीय सभापति को निर्दिष्ट कर सकता हूं ।

यद्यपि सन्दर्भित सम्पादकीय टिप्पणी में विधि निर्माताओं एवं सदस्यों के सम्बन्ध में एक सामान्य टिप्पणी भी की गयी है परन्तु उसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा की किसी घटना या कार्यवाही का उल्लेख न करते हुए दो अन्य विधायी निकायों में हाल में घटित घटनाओं का जिक्र किया गया है । इस प्रकार सन्दर्भ सहित सम्पूर्ण सम्पादकीय टिप्पणी को दृष्टि में रखते हुए उनका कोई सीधा सम्बन्ध इस आदरणीय सदन या उसके सदस्यों से नहीं प्रतीत होता । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स, लोक सभा तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी इस आशय की व्यवस्थायें हो चुकी हैं कि कतिपय अवसरों पर किसी मामलों को, यद्यपि वह सदन के विशेषाधिकार भंग या अवमान की परिभाषा में प्राविधिक रूप में आता हो, सदन द्वारा नजरन्दाज किया जाना या उस पर कार्यवाही न करना ही सदन की गरिमा के अनुकूल होता है और यह भी कि सदन की जांच की प्रक्रिया का प्रयोग इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि उसमें गैर जिम्मेदारी से कही गयी बातों को महत्व मिले । इस प्रसंग में हाउस आफ कामन्स, वेस्टमिन्स्टर के स्पीकर, माननीय जार्ज थामस ने अक्तूबर, 1980 "दि पार्लियामेंटेरियन" में प्रकाशित अपने एक लेख में यह राय प्रकट की है कि लघु अवमानों (माइनर कन्टेम्पट्स) को नजरन्दाज करना चाहिए और सदन पर यह दायित्व है कि वह किसी अवमान को दण्डित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कम से कम करें ।

उपर्युक्त कारणों से प्रश्नगत मामले को मैं इस योग्य नहीं समझता कि इस पर अग्रेतर कार्यवाही की जाय । अतः विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के उक्त नियम 79 के अन्तर्गत मैं माननीय श्री हुकम सिंह द्वारा अभिसूचित इस प्रश्न को अग्राह्य करता हूं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में सदस्यों के चुनाव हेतु वैध पाये गये नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत समय के अन्दर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो दिनांक 26 मार्च, 1981 को सूक्ष्म परीक्षा के पश्चात् वैध पाये गये हैं—

1—श्री अमर सिंह (सहारनपुर) ।

2—श्रीमती कमला साहनी (बस्ती) ।

3—श्री प्रवीन कुमार शर्मा (बुलन्दशहर) ।

4—श्री प्रभु नारायण सिंह (जौनपुर) ।

5—श्री पंचानन (आजमगढ़) ।

6—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री (वाराणसी) ।

7—श्री रूप राम दिनकर (शाहजहांपुर) ।

8—श्री मुईद अहमद (सुल्तानपुर) ।

—श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा) ।

[श्री अध्यक्ष--]

10--श्री केशरी प्रसाद (जौनपुर) ।

11--श्री हरदेव (बलिया) ।

12--श्रीमती कमला देवी (हरदोई) ।

13--श्री रुद्र प्रताप सिंह (देवरिया) ।

14--डा0 कृष्णवीर सिंह कोशल (आगरा) ।

15--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (हरदोई) ।

16--श्रीमती धनेश्वरी देवी (वाराणसी) ।

17--डा0 विनोद कुमार तिवारी (पीलीभत) ।

18--श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी (आजमगढ़) ।

19--श्री ललई सिंह चौहान (मैनपुरी) ।

20--श्रीमती महारानी दोहरे (इटावा) ।

21--श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव) ।

22--श्री रमाकान्त मिश्र (इलाहाबाद) ।

23--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय (गोंडा) ।

24--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) ।

25--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (गोरखपुर) ।

26--श्रीमती प्रेमवती तिवारी (लखनऊ) ।

27--श्री पन्ने लाल (गोरखपुर) ।

28--श्री दामोदर शर्मा (मेरठ) ।

29--श्री राम सिंह (सहारनपुर) ।

30--श्री खुबादीन अंसारी (देवरिया) ।

31--श्री वृद्धि नारायण सिंह (वाराणसी) ।

32--श्रीमती किशोरी शुक्ला (गोरखपुर) ।

33--श्री शिव नारायण सिंह नेगी (नैनीताल) ।

34--श्री द्वारिका नाथ धवन (देहरादून) ।

35--श्री कुंवर बहादुर मिश्र (हमीरपुर) ।

36--श्री नन्द किशोर सिंह (देवरिया) ।

37--श्री राम हर्ष राम (गाजीपुर) ।

38--श्रीमती गौरी देवी (गोरखपुर)।

39--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (गोरखपुर)।

40--श्री त्रिवेनी (आजमगढ़)।

41--श्री राजकुमार राय (आजमगढ़)।

2--नामों की वापसी के लिए अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 31 मार्च, 1981 के 5 बजे अपरान्ह तक नियत है। अतः यदि उक्त समय तक उक्त परिषद् में पूर्णीय रिक्तियों की संख्या से जो अतिरिक्त नाम हैं, वापस नहीं ले लिए गए, तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 4 अप्रैल, 1981 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

3--उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

राज्य मंत्री श्री के0 पी0 तिवारी के शैडो द्वारा एक विधान भवन रक्षक के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि कल गेट नं0 5 पर विधान भवन के रक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। मैं सारी अहमियत समझ रहा हूं। एक शैडो का और एक विधान भवन रक्षक का कुछ झगड़ा हुआ है जिसको आप सदन में उठाना चाहते हैं। यह दोनों सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए जैसे-जैसे उनके कार्य और नियम हैं उसमें यह उठेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वह शैडो मंत्री का था। मंत्री जी के दबाव पर विधान भवन रक्षक पर उसने दबाव डाला कि 12 आदमियों को अन्दर ले जाने दो। उसने रोका तो उसको मारा गया और उन आदमियों को अन्दर लाने की कोशिश की गयी। इसलिए यह चलता रहा तो काम नहीं चलेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जनता पार्टी के शासन में मंत्री लोग विधान भवन रक्षक को मारते थे लेकिन अब इनके राज्य में मंत्रियों के शैडो रक्षकों को मारने लगे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो सूचना दी है वह मात्र इतनी है। 26 मार्च को 10-45 बजे गेट नं0 5 से राज्य मंत्री श्री के0 पी0 तिवारी के शैडो द्वारा विधान भवन रक्षक के साथ किये गये दुर्व्यवहार के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं। उनके शैडो ने दुर्व्यवहार किया है। मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्यस्थगन की 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सर्वश्री हरिवंश सहाय, नन्द किशोर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह एवं कुबेर भंडारी की, देवरिया शहर में कोतवाली पुलिस द्वारा विगत 23 मार्च से 25 मार्च, 1981 के बीच शहर के विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर नोट छापने की मशीन, बम बनाने का कारखाना तथा चोरी की 49 साइकिलें तथा 3 मोटर साइकिलें बरामद करने के सम्बन्ध में हैं ।

दूसरी, श्री सूबेदार सिंह की, दिनांक 26 मार्च, 1981 को दिल्ली में आयोजित किसान रैली में भाग लेने हेतु जा रहे उत्तर प्रदेश के तमाम पुरुषों एवं महिलाओं को प्रदेश पुलिस द्वारा बसों एवं रेलों से उतारने तथा उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की, 26 मार्च, 1981 से उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य निदेशालय (मलेरिया) द्वारा पी0 एच0 डब्लू0 एवं हेल्थ इन्स-पेक्टर के पदों की भर्ती हेतु हो रहे साक्षात्कार में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ।

चौथी, श्री हुकम सिंह की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने के उपरान्त मुख्य मंत्री एवं न्याय मंत्री द्वारा इलाहाबाद के वकीलों की हड़ताल हेतु तथा पश्चिमी क्षेत्र में चल रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में है ।

पांचवीं, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री नन्द राम, श्री जटा शंकर सिंह एवं थम्मन सिंह की थी, दिनांक 18 मार्च, 1981 को लखनऊ जिले के थाना-मोहन लाल गंज के ग्राम कल्ली पश्चिम में श्री राम लखन दीक्षित द्वारा श्रीमती राधा देवी के साथ बलात्कार की कोशिश करने तथा उन्हें थाने में रिपोर्ट लिखने से रोकने एवं गम्भीर रूप से मारने-पीटने के विषय में है, यह सभी अस्वीकार हुई हैं ।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, आप सुन लें बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री हरिवंश सहाय जी, आप बैठें, जरा सुन लें । आपने 56 के अलावा 51 में दिया है नियम 51 का समय आये तो कहियेगा ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैंने जो सूचना दिया है सरकार की साजिश से पूरा प्रदेश जल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में सारा बयान आ चुका है, बहस हो चुकी है। यह नियम 56 का नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

श्री सूबेदार सिंह, आप बैठ जायं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, सरकार आन्दोलन करा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यस्थगन का विषय नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री राम आसरे वर्मा—

कल मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे उसमें उनके उठाये गये एक मुद्दे के सिलसिले में है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बुला लिया है इनको भाषण देने दीजिये। आपकी जो सूचना है वह मुख्य मंत्री ने दस्यु के बारे में कुछ कहा था उसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। आपको मौका है जो कहना होगा कहियेगा यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। मुख्य मंत्री जी की समझ में जो आया उन्होंने कहा जो आपकी समझ में आये, कहियेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि मुस्तकीम मारा गया....।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आपको मौका है, भाषण में कहियेगा।

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्; अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग—अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29—सतर्कता, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37—विज्ञान तथा प्रोद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81—गृह पुलिस विभाग पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)†

(12 बजकर 40 मिनट)

*श्री मोहन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम को कोई चीज नहीं है। इस सरकार में माननीय मंत्रीगण मारे जा रहे हैं, जिलाधिकारी पीटे जा रहे हैं, अधिकारी खुद सुरक्षित नहीं हैं तो सामान्य जनता की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिये ऐसी निकम्मी सरकार जो चेतना शून्य है उसके हाथ में 120 करोड़ रुपया देने के मैं सख्त खिलाफ हूं।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज से कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ दस्यु उन्मूलन के सिलसिले में कि, इलाहाबाद रेंज के डी0 आई0 जी0 15 दिनों तक बेहड़ में रहे। ऐसी घटना पिछले 35 वर्षों में नहीं हुयी। मेरी समझ में नहीं आया कि पुलिस प्रशासन की तारीफ में यह समाचार छपा था या उनके निकम्मे पन को उजागर करने के लिये यह समाचार छपा था। एक डी0 आई0 जी0 को छोड़कर कोई काबिल नहीं था जो इन 35 वर्षों में बीहड़ों में जाता। मान्यवर, उसके साथ एक और बयान छपा था कि फूलन देवी तीन सूबों की पुलिस के घेरे में है, वह मारी जायगी और उसके दूसरे दिन अखबारों में छपा कि फूलन देवी घेरा तोड़कर बाहर निकल गयी है। एक तरफ 3 सूबों की पुलिस के घेरे के बारे में समाचार प्रकाशित होता है और दूसरी तरफ वह निकल जाती है। तो ऐसे डी0 आई0 जी0 को सैक करना चाहिये था। यह शर्म की बात है। दिक्कत यह है कि एक सूबे में एक आई0 जी0 होना चाहिये और 7 डी0आई0जी0 रख दिये हैं। 7 डी0 आई0 जी0 होने चाहिये और 56 डी0 आई0 जी0 रख दिये हैं। लेकिन मुख्य रूप से जहां पर अधिकारियों की जरूरत है वहां कोई अधिकारियों की बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है। जिला प्रशासन चलाने के लिये एक आई0 ए0 एस0 नाकाफी है, 4, 4 आपने रख दिये लेकिन आई0 पी0 एस0 एक ही रहेगा जिसके जिम्मे शास्त्र के लाइसेंस की जिम्मेदारी नहीं है और जिसके जिम्मे गुंडा ऐक्ट का मुकदमा चलाने का दायित्व भी नही दिया है। इसमें आपको महत्वपूर्ण परिवर्तन करना पड़ेगा।

एक तरफ आपने डिप्टी एस0पी0 राना को बर्खास्त कर दिया लेकिन दूसरी तरफ मंशा राजपूत कांड के मुख्य अभियुक्त को बहाल कर दिया। ऐसी सरकार जो सिफारिशों के सामने बकरी की तरह मिमियाती है और कमजोर अधिकारियों के सामने सिंहनी की तरह दहाड़ती है, ऐसी निकम्मी सरकार को 11 करोड़ जनता के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का सफेद चेहरा जिस पर उनके मंत्रिमंडल का एक-एक साथी दागदार चिन्ह की तरह है। मैं इनके बारे में एक, दो उदाहरण

†दिनांक 26 मार्च, 1981 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके सामने रखना चाहता हूं । माननीय गन्ना मंत्री जी हमारे जिले में गये थे, वायरलेस की कापी है । खड्डा का दरोगा वायरलेस करता है कि साढ़े 12 बजे रहे हैं, माननीय गन्ना मंत्री जी हमारे थाने में बैठे हुये हैं और उनके निर्देश पर 307 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत महेश प्रसाद विधायक की ओर से खड्डा के जनरल मैनेजर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और हवालात में डाला जा रहा है । मान्यवर शर्म की बात है कि एक वरिष्ठ मंत्री अपने विभाग के अधिकारी को हथकड़ी लगाकर झूठे मुकदमें में बन्द कराते हैं वह भी ऐसे विधायक की ओर से जिसके बारे में पुलिस के लोग बयान देते हैं कि हिन्दू–मुस्लिम दंगे के अन्तर्गत उसको 107/117 में चालान किया जा चुका है ।

दूसरे मंत्री हमारे गोयल साहब बैठे हैं । 2 साल पहले जाजमऊ, थाना कानपुर में इशेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के तहत उन पर मुकदमा चला आज तक अदालत से बरी नहीं हैं और वह मुख्य मंत्री के मंत्रि मंडल के सदस्य के रूप में उनके साथ बैठ रहे हैं । मान्यवर, एक उपमंत्री, सुल्तानपुर जिले के श्री जैराज गौतम के बारे में इसमें लिखा है । मुख्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, और मान्यवर, आपके संज्ञान में यह दरख्वास्त है, आप देखें । इसमें लिखा है कि उप मंत्री श्री माननीय जैराज गौतम के पास एक दरख्वास्त उक्त घटना की दिनांक 9–2–81 को दिया ताकि जांच शीघ्र करायी जावे । दिनांक 10–2–81 को मंत्री जी अपने घर पहाड़पुर बस्ती आये थे । वहां फिर जानकारी हेतु गये । प्रार्थी तथा लड़के जब पहुंचे तो दो मुलजिमान वहाँ मौजूद थे । एक मुलजिम डकैती में गये कपड़े भी पहने था । मुलजिमान हम लोगों को देखकर भाग खड़े हुये । एक मुलजिम बाबूलाल नेमी जो डकैती में गया कपड़ा पहना था उसे पकड़वाया । देवनारायण उपाध्याय जिसका नाम बाद में मालूम हुआ, भाग निकला था । बाबू लाल, ग्राम भुवरपुर, थाना कादीपुर और देव नरायन का ग्राम महमूदाबाद, थाना कादीपुर का बताया गया । मुलजिम बाबू लाल को जब पकड़ कर लाये तो उप मन्त्री महोदय तथा उनके भाई बिगड़ गये और कहने लगे कि मन्त्री का दरवाजा है किसी चमार का नहीं, डांट कर मुलिजम को छुड़ा दिये जब मुलजिम चले गये तो उप मन्त्री ने कहा कि सुल्तानपुर आओ वहां एस0 पी0 से कहकर कार्यवाही करायी जायेगी । दिनांक 11–2–81 को डाक बंगला सुल्तानपुर आया तो दोनों मुलजिमान बैठे थे, मुझे यकीन हो गया कि उप मन्त्री का संरक्षण मुलजिमान पर है । इसलिए निर्भय वह घूम रहे हैं । दो–तीन दिन के बाद थाना कादीपुर को सारी कहानी बताया तो दरोगा जी ने कहा कि इस बात को कहीं न कहिए ।

दूसरे मान्यवर, एक समाचार छपा है कि हरिजनों की जमीनें ठाकुर लोग हड़प रहे हैं और दूसरे हमारे राज्य के मन्त्री, उप मन्त्री के पास कहां से इतनी रकम आ रही है, जो दिन पर दिन दूना बढ़ता जा रहा है । आज मान्यवर, एक खबर छपी है, हमारे आदरणीय नेता हैं, साथी हैं श्री काशी नाथ मिश्रा जी हमारे क्वार्टर के पास ही रहते हैं, बराबर उनके यहां आना जाना है, उनके बारे में एक खबर छपी है कि उन्होंने एक मामले में सफाई दी है जो कि खुले

]श्री मोहन सिंह—]

रूप में डकैती का मामला है, उसमें साफ कत्ल किया गया है, लेकिन उस कत्ल के मुकदमें में मिश्रा जी ने एक चिट्ठी लिखी कि इस मुकदमें के तथ्य सही नहीं हैं। इस मुकदमें को वापस ले लिया जाय। यह मान्यवर, पुलिस की तहकीकात में इन्टरफियरेंस है। क्या माननीय राज्य मन्त्री जी स्वयं उक्त घटना के मौके पर गये थे, क्या सारी घटना की जानकारी उनको है, जो उन्होंने मुकदमे की वापसी के लिए लिखा। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का सामान्य प्रशासन कैसे चलेगा? इस पर मुझे सख्त अफसोस और असन्तोष है। हमारे गृह राज्य मन्त्री...।

*श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य, लगता है कि हरिजन विरोधी है, अकसर देखा गया है कि यह इसी तरह के प्रश्न उठाते हैं, सदन में मान्यवर, यह माननीय सदस्य भी पहले मन्त्री रह चुके हैं, उनको मालूम होगा कि जब भी कोई मन्त्री अपने घर जाता है तो उनके साथ पुलिस और बरोगा आदि रहते हैं, अगर ऐसी कोई बात वहां होती और कोई मुलजिम वहां आया होता तो तुरन्त घटना स्थल पर ही कार्यवाही हो जाती ऐसी कोई घटना वहां नहीं घटी लगता है माननीय सदस्य को गलत सूचना मिल गयी है, मान्यवर, इसकी जांच करवा ली जाये, जैसा भी होगा, खुद ही सामने आ जायगा।

श्री मोहन सिंह--

गलत सूचना क्यों दी गयी ?

श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, बगैर किसी सच्चाई के किसी जाति विशेष का नाम लेकर इस तरह सदन में और सदन के बाहर घोषणा नहीं करनी चाहिए, जब तक जांच के आधार पर कोई निश्चित मत सामने न आये। मान्यवर, इनकी बातों से साफ लगता है कि माननीय सदस्य हरिजन विरोधी हैं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह जो इन्होंने कहा कि मैं हरिजन विरोधी हूं मैं, इस पर मुझे सख्त विरोध है। हरिजनों के लिए सदन में और बाहर रह कर भी मैंने जितना संघर्ष किया है। मैंने तो एक शिकायती-पत्र का हवाला दिया था। इसके लिए मान्यवर, चाहूंगा कि सदन की एक कमेटी बना कर शिकायती-पत्र की जांच होनी चाहिए। अगर इसके द्वारा तथ्य सही साबित हों तो कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि सदन की एक कमेटी बने आपकी अध्यक्षता में और उसके द्वारा जांच हो, तभी पता चलेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बार कहा था कि अपराधी जो होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। इसमें हरिजन और ठाकुर का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है अपराधी का और प्रश्न है प्रदेश को शासन की बागडोर को ठीक से चलाने का। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के रहते प्रदेश का प्रशासन ठीक नहीं किया जा सकता है दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि दो-दो राज्य मन्त्रियों ने वापस कराया। पुलिस के ऊपर जब मन्त्रियों का इस तरह से दबाव होगा, प्रशासन उस पर हावी रहेगा तो अराजकता कैसे दूर होगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29--सतर्कता, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रयोग विभाग तथा अनुदान संख्या 81--गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मोहन सिंह--

बीच में जो उनकी सफाई आयी, उसका समय आप न लें । आप कहते हैं कि दखलअन्दाजी पुलिस के काम में मन्त्रि परिषद् को नहीं करनी चाहिए परन्तु एक एस० पी० कैसे शान्ति और व्यवस्था को नियन्त्रण में रख सकता है क्योंकि उसे व्यवस्था के नियन्त्रण के अधिकार नहीं देते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि दो सिपाही मरे, पुलिस ने अभियुक्तों को दफा 7 के तहत बन्द किया और आपने उन्हें संरक्षण दिया । इसके बारे में आया है कि "स्पोक अबाउट सरटेन ट्रूथ" । मैं कोई एस० पी० के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ हूं, यदि समाज अपने अधीनस्थ अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करेगा, राजय हस्तक्षेप करेगा, प्रशासन हस्तक्षेप करेगा, तो इससे प्रशासनिक सुधार नहीं हो सकता है ।

तीसरी बात मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि एक इनकी पार्टी के सदस्य हैं, इन्हीं के एक विधायक हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि मुनाफाखोरी करके बाहर जो पाकिस्तान में चीनी पहुंचाई गई है उसमें उन्हीं के दल के एक सदस्य का हाथ है । इन सारी चीजों की सफाई वे करते हैं ।

माननीय, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे आदरणीय नेता सदन ने कल कहा था पुलिस की कानून व्यवस्था के बारे में कि उनको पूर्ण हिमायत की जाती है । उत्तर प्रदेश में हमेशा से यह होता आ रहा है कि पुलिस सर्विस में पुलिस का ही अधिकारी होना चाहिये, उन पर आई० ए० एस० का संरक्षण नहीं होना चाहिये । आज कानून और व्यवस्था में सुधार न हो पाने का एक कारण यह भी है जिले में एस० पी० और डी० एम० का झगड़ा होता है । यह झगड़ा आपसी वरीयता को लेकर चलता है तो ऐसे झगड़े के बीच कानून और व्यवस्था की कौन जिम्मेदारी सम्भाले और कैसे कानून और व्यवस्था देश और प्रदेश में कायम हो ?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बारे में भी कहना चाहता हूं । एक मिनट में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मुझे कल अफसोस हुआ माननीय मुख्य मन्त्री जी का भाषण सुन करके कि उन्होंने अपने बजट भाषण में जो यहां प्रस्तुत किया उसमें महत्वपूर्ण स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा । मैं कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज्यादा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की दरख्वास्तें पेन्शन के लिये आपके विभाग में बन्द पड़ी हुई हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जब बेचारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी अपनी दरख्वास्ते पेन्शन के लिये देते हैं तो होता क्या है कि अगर दिल्ली की सरकार को दरख्वास्त दी गयी तो दिल्ली की सरकार सूबे की सरकार से पू-

[श्री मोहन सिंह---]

तांछ करती है, इनक्वायरी करती है, फिर सूबे की सरकार उस पर अपनी इनक्वायरी करती है । जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है । इसमें दो-दो और तीन-तीन साल बीत जाते हैं और परिणाम स्वरूप स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की वृद्धावस्था होने के कारण उनका जीवन अस्त हो जाता है । होना यह चाहिये जो एप्लीकेशनें आपके यहां आयें उनपर आप अपनी संस्तुति करके भेज दें ।

इसके अतिरिक्त एक घृणित कार्य और कराया जाता है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को सरकार पेन्शन देती है तो उन्हें पेन्शन लेने के लिये कोषागार में उनसे एक हलफनामा भरा जाता है । हलफनामें पर उन्हें लिखना पड़ता है कि "मैंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया है" मान्यवर, जिनका हम सम्मान करते हैं उनकी विधवाओं से ऐसा हलफनामा भरवा कर हम उन्हें अपमानित क्यों करना चाहते हैं, इससे उनका अपमान होता है । आप उनको पेन्शन दीजिये और यह हलफनामा न भरवा कर आपके पास अपनी ऐजेन्सीज हैं, उनसे जांच कराइये कि सही व्यक्ति को पेन्शन मिल रही है या नहीं या इसने दूसरा विवाह तो नहीं किया है, पर सामने-सामने आप उस विधवा का अपमान क्यों करते हैं । जब आपने उन्हें पेन्शन मंजूर किया है तो उसे पेन्शन देने के लिए उसको निरन्तर अपमानित न करिये ।

इस विवेकशून्य, चेतनाशून्य और निकम्मी प्रदेश सरकार का एक नमूना है कि लखनऊ शहर में अमीनाबाद में एक व्यापारी की हत्या कर दी गयी । उस हत्या के कारण सारा अमीनाबाद बन्द रहा, व्यापारियों ने घेराव किया और यहां आप कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था पर नियन्त्रण रखे हैं । आपने फीगर्स दी कि 1,300 डकैतों को मारा और मान्यवर आप देख रहे हैं कि जितने दुस्साहसपूर्ण कार्य इनके समय में हो रहे हैं कानून और व्यवस्था आपकी एकदम अतिग्रस्त हो गयी है । इनकी सारी बातें गलत साबित होती जा रही हैं ।

श्रीमन्, रामपुर और इलाहाबाद में छापे पड़े, तमाम डकैती का सामान मिला, 20 करोड़ का माल बाहरी देशों का बरामद हुआ । जब विधायक ही डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं तभी ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य हो रहे हैं । इसके लिये सही रास्ता सोचना पड़ेगा कि जनता को कैसे राहत मिल सके, कैसे कानून और व्यवस्था देश में कायम हो सके । आज उत्तर प्रदेश में कोई सी० आई० डी० का आई० जी० नहीं है। एक पोस्टिंग करने में आपको इतना समय लगता है यह आपके अनिर्णय का कारण है । आई०ए०एस० हमने इसी लिए, आई०ए०एस० हर मर्ज की दवा नहीं है, खतम किया था । तब इन्होंने कहा था कि बाबू बनारसी दास जी को अपना रिस्तेदार रखना था इसलिए विभागीय अधिकारी को रखने के लिए यह लागू किया, तो क्या अब मैं यह मान लूं कि लोकपति त्रिपाठी के साले को वहां रखना था इसलिए वहां उनको बैठा दिया गया । इससे प्रशासन का स्तर गिरता है, लोगों में निराशा पैदा होती है, कुण्ठा पैदा होती है । ऐसी निराशा, उदास अफसरशाही की पलटन ले कर इस प्रदेश का प्रशासन सुधारा नहीं जा सकता ।

*श्री ओम प्रकाश जिन्दल---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपने जो मुझे बोलने का समय दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारी इस सरकार के जमाने में, विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को भी ज्ञात होगा, जितने कुख्यात डकैतों को मारा गया वह जनता सरकार के 3 साल में नहीं। उन्होंने अत्याचार, बलात्कार हत्यायें की थी एक नमूना था। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि अभी हाल ही में आगरा के अन्दर एक कुख्यात डकैत मारा गया, वह हमारे इसी सदन के लोक दल के एक सदस्य हैं, उनका संरक्षण उसे प्राप्त था। इसी वजह से वह तीन सालों तक बचा रहा क्योंकि उसे भूतपूर्व माननीय राज्य मंत्री महाराजा भदावर का उसे संरक्षण प्राप्त था। और जब वह डकैत मारा गया तो ये लोग बड़ी–बड़ी बातें करने लगे हैं। और हम पर आरोप लगाते हैं। पंत नगर की घटना को लें, अलीगढ़ की घटना को लें, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें हुई। मान्यवर, इनके मंत्री भ्रष्ट थें इतने कि आज वह उसको छिपाने के लिए हमारे मंत्रियों और विधायकों का चरित्र हनन कर रहे हैं। एक तो मंत्री भ्रष्ट होता है और एक मंत्री वह होता है जो किसी को अपना कर के, किसी महिला के साथ बलात्कार करता है और आज सदन में बड़ी–बड़ी बातें करता है। कल मैंने देखा कि हमारे माननीय नेता, विरोध दल एक वकील की तरह से तरह–तरह के सवाल उठाये थे और 4 घंटे का समय पूरा कर दिया था . . .

(व्यवधान)

श्री सूबेदार सिंह––

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

जब वह बैठते नहीं है तो मैं आपको कैसे बुलाऊं ? जब वह बैठें तभी तो बुलाऊं। आप बैठ जायं।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल––

मान्यवर, जब कोई छोटा सा भी अपराध होता है तो पुलिस की आलोचना की जाती है। लेकिन उसकी जड़ में कोई नहीं जाता। आज आप देखें, हमारे प्रदेश की जन संख्या 12 करोड़ हो गई है, देश की 68 करोड़ हो गई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस पहले थी 20 करोड़ पर वही आज भी है। 68 करोड़ पर भी वही है। हमारे प्रदेश में 4 करोड़ पर जो थी वही आज है। इस प्रकार आप देखें, एक हजार आदमियों पर पुलिस कान्स्टेबिल की जो संख्या है, वह एक है। मान्यवर, आप देखें पुलिस का काम पहले अपराधों की रोकथाम करना होता था, अपराधियों को दंड दिलवाना होता था लेकिन आज सब काम पुलिस को करवाना है। परीक्षायें करवानी हैं तो पुलिस, किसी वी० आई० पी० की सुरक्षा की ड्यूटी करनी है तो पुलिस और किसी डिपार्टमेन्ट, फूड या किसी अन्य डिपार्टमेन्ट को जांच

[श्री ओम प्रकाश जिन्दल---]

करने की बात होती है तो पुलिस करती है । माननीय विरोध पक्ष के लोग कोई अगर दंगे कराते हैं तो या कोई जलसा निकलवाते हैं या शहर में कोई बलवा करवाते हैं तो उनको रोकथाम करने का काम पुलिस का होता है । मैं चाहता हूं कि पुलिस का काम केवल अपराध नियत्रंण करने की हो । इस सम्बन्ध में मान्यवर, एक सुझाव देन चाहता हूं कि पिछले दिनों माननीय धरमबीर की अध्यक्षता में एक पुलिस कमीशन की स्थापना हुई थी और उन्होंने कुछ टुकड़ों के अन्दर अपनी रिपोर्ट भेजी है । कि उस पर आप कुछ कार्यवाही करवायें । मैं समझता हूं मैं चाहता हूं उससे कुछ अपराधों की रोकथाम में सहायता मिलेगी ।

मान्यवर, पुलिस के कार्यों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, शान्ति व्यवस्था का काम जो एक एस0 एस0 पी0 के जिम्मे होता है । दो, अपराधों को नियंत्रित करन का काम, जनता की शिकायतों को सुनने की बात तथा अतिथियों की सुरक्षा की बात होती है । मान्यवर, एक एस0 एस0 पी0 क्या-क्या बात देखे और एक सी0 ओ0 एक क्षेत्र में होता है । मैं चाहता हूं इसमें अलग-अलग पुलिस की व्यवस्था की जाय । बनारस और आगरा ऐसे स्थान हैं जहां वी0 आई0 पी0 हर समय आते रहते हैं, मेहमान आते हैं उनके लिए वी0 आई0 पी0 पुलिस की अलग से स्थापना बनारस और आगरा में होनी चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा का कार्य पुलिस करे और अन्य काम वी0 आई0 पी0 पुलिस करे ताकि अपराधों की रोकथाम में हमको मदद मिले । आज क्या होता है परीक्षायें शुरू होती हैं तो पुलिस की ड्यूटी लगा दी जाती है । पुलिस का समय लगना चाहिये अपराधों की रोकथाम में लेकिन उनकी रोकथाम में पूरा समय हमारी पुलिस नहीं लगा पाती इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह भी है कि इसके लिए एक एस0 पी0 की अलग से स्थापना होनी चाहिये । एडीशनल एस0 पी0 की स्थापना कई जगह की हुई है, यह स्थापना होनी चाहिए । अभी मुरादाबाद में भी आपने एक एडीशनल एस0 पी0 की नियुक्ति की है, इस प्रकार मान्यवर, आप यह देखें और हमारे आगरा तथा बनारस में इसकी व्यवस्था कराने की कृपा करें । इसी प्रकार हमारे मुख्य मंत्री के कार्यकाल के अन्दर एक अभियान चलाया गया और अवैध हथियार पकड़े गए जिसमें विरोधी पक्ष का काफी हाथ था और तमाम चीजें सामने आईं इसके लिए शासन ने जो काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है । मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं, ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में । ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ सुधार होना चाहिए। मैं आपका ध्यान अपने आगरा जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आगरा एक ऐतिहासिक नगर है और वहां पर विदेशों और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं । वह बहुत पुराना है इसलिए सकरा बना हुआ है इसलिए वहां पर ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये और उसके लिए जो व्यवस्था पहले से है उसमें ट्रैफिकमैन की बढ़ोत्तरी वहां होनी चाहिये और उनका अलग से पुलिस से हटकर एक ट्रैफिक सेल होना चाहिये महानगरों के अन्दर जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्थी सुधर सके । महानगरों के अन्दर जैसे एक अभियान चलाया जाता है "अतिक्रमण हटाओ" अभियान, उसमें पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है इसके लिए अलग से पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिये ।

मान्यवर, एक सुझाव और अपने माननीय सदस्यों के बारे में देना चाहता हूं वह यह कि सदस्यों का कोई प्रोटोकाल नहीं है । मेरा सुझाव है कि सदस्यों का प्रोटोकाल होना चाहिए जिससे आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 द्वारा

माननीय सदस्यों का जो दुर्व्यवहार होता है वह बड़े शर्म की बात हो जाती है और जब सदन में विशेषाधिकार की बात आती है तो उसमें सालों लग जाते हैं। मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्यों की बात मानकर उस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और माननीय सदस्यों का एक अलग प्रोटोकाल होना चाहिये और स्ट्रिक्टली उस पर अमल कराया जाना चाहिये।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं। जो एम0 एल0 एज0 की शिकायतें हमारे शासन के पास आती हैं उन शिकायतों को उन्हीं अधिकारियों के पास जांच के लिए भेज दिया जाता है। मान्यवर, इसमें मेरा सुझाव है कि माननीय एम0 एल0 एज0 और माननीय संसद सदस्यों की जो शिकायतें आयें उनके लिए विशेष सेल का गठन होना चाहिये जिसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सम्बन्ध न हो, जांच अलग से हो और जांच करके हमारे मुख्य मंत्री जी, मंत्रियों को बतायें जिससे शीघ्र ऐक्शन हो सके।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को मान्यवर, अगर लकवा मार विवेक की सरकार कहा जाय तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी

(शोर)

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि एक डी0 एस0 पी0 जिसके खिलाफ चार्ज शीट चली गई अदालत में उसको रिइन्सटेट कर दिया और माननीय राज्य मंत्री जवाब क्या देते हैं सदन में, कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए रिइन्सटेट किया गया।

गृहराज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

यह जवाब कहां था ?

श्री मोती लाल देहलवी--

आपने कहा है अनुपूरक प्रश्नों के समय अपने उत्तर में। मैं राज्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर साम्प्रदायिक सौहार्द्र आपको बनाना था तो, मान्यवर, आगरा में सुलहकुल मनाने के बजाय आप मुरादाबाद गए होते जिनको आपकी पुलिस ने वहां विधवा ...

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एक निवेदन है, आपको समझा दूं। मान्यवर, माननीय सदस्य ने चूंकि मेरा रिफरेन्स दिया है इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जवाब कृपा कर कार्यवाही में पढ़ लें। मैंने इसके बारे में रिइन्सटेट के बारे में उस दिन स्पष्ट बताया था।

श्री मोती लाल देहलवी--

जब माननीय रियासत हुसेन ने कुरान का हवाला दिया था। मैं यह कह रहा था कि सुलहकुल मनाने के बजाय आप मुरादाबाद गए होते। मुरादाबाद में जिन मुसलमानों का खून हुआ है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जो महिलायें विधवा हुई हैं जिनके आज भी आंसू बन्द नहीं हैं, अगर आप में जरा भी हैरत और गैरत होती, मान्यवर, तो आप गये होते मुरादाबाद। उन मासूम बच्चों के आंसूओं से, उन विधवाओं के आंसूओं से बाल्टी भरी होती और उससे मुंह धोये होते। आप साम्प्रदायिक सौहार्द्र इस तरह करेंगे-एक ऐसे डी० एस० पी० को रिइन्सटेट कर के जिसके खिलाफ महिलाओं को जला कर मार डालने का आरोप है। उसको रिइन्सटेट कर के साम्प्रदायिक सौहार्द्र पैदा करना चाहते हैं।

मान्यवर, मैंने कहा कि यह सरकार लकवा मार विवेक की सरकार है। यह इसलिए कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि जितने अतारांकित प्रश्न आते हैं सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित उन सबका उत्तर अपूर्ण दिया जाता है क्योंकि जानते हैं कि इस पर पूरक प्रश्न होंगे नहीं। अपूर्ण उत्तर, गोल मोल उत्तर जिस में यह सिर्फ जिन्होंने इनको रिपोर्ट दी है, सूचना दी है, उसकी वकालत कर देते हैं। इनका विवेक गवाही नहीं देता, यह विवेक से काम लेने वाले नहीं रह गये हैं। सूचना सही है कि नहीं तथ्यों पर आधारित है नहीं कोई विवेक, बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते।

मान्यवर, यह आंकड़े देते हैं कि कत्ल कम हो गये, डकैतियां कम हो गई, राहजनी कम हो गई, गृह भेदन कम हो गये, मैं माननीय मंत्री जी से दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आंकड़े आपको दिये गये हैं कि बिलकुल झूठे और बेबुनियाद होते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप आंकड़े पेश करना चाहते हैं तो सही आंकड़े दें और वह तभी होगा जब कि हर विधायक के क्षेत्र में....

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय देहलवी जी ने "झूठ" शब्द का प्रयोग किया है यह अर्तसदीय है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैंने झूठ शब्द का प्रयोग आंकड़ों के लिये किया है कि आपके आंकड़े झूठे हैं। आपके आंकड़े तब सही होंगे जब मुख्य मंत्री हर जिले को आदेश करेंगे कि उस जिले के हर क्षेत्र में कहां-कहां डकैती हुई कितने-कितने लोगों का कत्ल किया गया और किन-किन लोगों के घरों में चोरी व गृह-भेदन हुआ, जिले के एस० पी० इसकी सूचना विधायकों को और उनको दें। तभी सही आंकड़े मालूम हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हो और इस तरह से सुधार करना चाहते हैं तो करिये। सुधार नहीं होगा। गलत आंकड़े देने से सुधार नहीं होगा। आपकी जो पुलिस है वह डकैती की घटनाओं को दर्ज करती ही नहीं है और यदि दबाव पड़ा तो चोरी दर्ज करा देंगे। चोरी होगी तो भगा देंगे।

मेरे जनपद में एस० एस० पी० ने घटनाओं को दबाये रखने के लिये एक स्टैंडिंग सरकुलर आर्डर नं० 7 अपने अधीन सभी थानेदारों को और डी० एस० पी० को

भेजा है । मान्यवर, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको सारांश में बता देना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि बगैर उनकी अनुमति के कोई भी बात प्रकाशित न करायी जाय । मैं कहना चाहूंगा कि जब पुलिस के अफसरान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस तरह से आर्डर भेजेंगे घटना प्रकाश में नहीं आयेगी तो कैसे प्रशासन में सुधार आप कर सकेंगे । मान्यवर, बहुत सी घटनायें अखबार में नहीं आती हैं । इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जितने कत्ल डकैती, राहजनी, गृह-भेद और चोरियां आपके समय में हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब तक राजनीतिक लोगों का व्यक्तिगत आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक सरकार भी शुद्ध नहीं हो सकती है और न ही प्रशासन शुद्ध हो सकता है तथा न ही वह सम्भव है । जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने बताया और कारण आपको सुनाया उसी तरह से एक दूसरा कारण यह भी है कि आपको गलत तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट दी जाती है और उसे ही आप यहां पर पढ़कर सुना देते हैं और उसकी वकालत करते हैं । पुलिस के लोगों का गलत काम करने का मनोबल सिर्फ इसलिये बढ़ता है कि उनकी वकालत इस सदन में होती है । आपने देखा कि हमारे जनपद कानपुर शहर में पी रोड पर जहां कि भारी भीड़ रहती है वीरेन्द्र सिंह चन्देल का कत्ल 10 बजे दिन में कर दिया गया जहां पुलिस लगी हुई थी और 200 गज की दूरी पर थाना भी है । लेकिन दिन दहाड़े उसका कत्ल किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि उसमें राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त था । । वहां का डी0 ए0 वी0 कालेज का छात्रावास अपराधियों का अड्डा बना कर रख दिया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी में साहस हो तो वह पता लगा लें और उस अड्डे को समाप्त करायें लेकिन मैं जानता हूं कि नहीं करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरे क्षेत्र के गांव उड्डा में एक डकैती हुई उसमें नामजद रिपोर्ट है जिसमें पुलिस के लोग पकड़े गये, चौकीदार का नाम है लेकिन मान्यवर, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई बड़ी से बड़ी शिकायत दीजिये, माननीय मुख्य मंत्री जी को दीजिये वह जिले में चली जायेगी और उसी दरोगा के पास जायेगी जिसके खिलाफ शिकायत है और अगर बहुत कोशिश की तो सी0 ओ0 के पास जांच के लिए चली जायेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को सुन लें कि पुलिस इतनी चालाक होती है कि वह सी0 ओ0 को मिलाये रहती है जो पैसा कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा सी0 ओ0 को दे देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि सी0 ओ0 ही जांच करेगा । मैं कहना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर घटनायें होती है उनकी आप वकालत करते हैं । मेरे क्षेत्र में बंडी अलीपुर एक

[श्री मोती लाल देहलवी---]

ग्राम हैं उस गांव का एक आदमी छन्ना शुक्ला को बिलहौर पुलिस ने बिना अपराध के पकड़ लिया और उसको इतनी मारपीट की और उसके टट्टी के रास्ते में डंडा कर दिया गया । उसको बचाने के लिए पुलिस यहां लखनऊ लाई, लेकिन यहां उसकी मौत हो गयी । उसकी जांच किसको दी गयी एक एस0 डी0 एम0 को । वह एस0 डी0 एम0 मिले हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मोती लाल देहलवी---

उन्हीं से जांच करा रहे हैं । आज क्या हो रहा है ज्वाईन्ट डायरेक्टर कानसालिडेशन के खिलाफ शिकायत हैं और उसकी जांच कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है ।

हमारे यहां 105 बोरी चीनी गायब हुई जिसमें बिलहौर के कुछ राजनीतिक लोगों का और एस0 डी0 एम0 का हाथ हैं उसकी जांच कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है ।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मोती लाल देहलवी---

तो क्या पुलिस किसी आफिसर के खिलाफ जांच कर पायेगी आज यही कारण है कि अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है ।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हू । मान्यवर, इस प्रदेश के चरित्र श्रेष्ठ और कर्मयोगी मुख्य मंत्री ने जो बजट सदन में रखा है उसका मैं रोम-रोम से समर्थन और स्वागत करता हूं ।

श्री मोहन सिंह---

ब्लैकलिस्ट से नाम कटवाना चाहते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मोहन सिंह जी, जरा धीरज रखें । मान्यवर, नाम कटेगा तो मेरा बनेगा तो मेरा इसमें किसी को क्या लेना देना । मान्यवर, जैसा आपको विदित है और सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और कांग्रेस (आई) के टिकट पर जीतकर आया हूं । मैं कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस संगठन की एकता पर और यहां से नहीं गली कूचे तक इस शरीर का एक-एक रोम श्रीमती इंदिरागांधी की नीतियों पर न्यौछावर होता है ।

मान्यवर, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर दो शब्द बोलूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय 1 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खानगुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय मुख्य मंत्री जी और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन का अर्थ है आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का गिरोह । हमारे मुख्य मंत्री जी चरित्र श्रेष्ठ और मंत्री लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन जिनके हाथों में कार्यकारी सत्ता है,उनके हाथ बड़े विषैले और नापाक हैं । उनके हाथों में हमारा प्रशासन सुरक्षित नहीं है । आई०सी०एस० और आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों ने प्रजातन्त्र के फल को अपनी बपौती बना लिया है । वह कहते हैं अधिकारी हम हैं, प्रशासन हम हैं, प्रशासन हमारा है और यह खद्दरधारी व्यक्ति अस्थायी हैं । आज आये हैं कल चले जायेंगे । जो हम लाखों लाख जनता से चुनकर आते हैं दास बन जाते हैं और यह आई० पी० एस० अफसर जनता के और हमारे स्वामी बन जाते हैं ।

हम तो कहते हैं कि हम अस्थायी हैं । मैं अपने दल की नीतियों के लिए आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यदि हमें जनता को दक्ष, कुशल और जन कल्याणकारी शासन देना है, जो हमने वायदे उनके सामने किये हैं, और जन-जन की सुलझी हुई तस्वीर को जनता और शासन के सामने रखना है तो मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कम से कम 10 वर्ष के अनुभव वाले प्रशासनिक अधिकारियों को ही आप क्रमशः पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी बनाने की कृपा करें ।

आज प्रायः प्रत्येक जिला किस लौंडपन का शिकार हो गया है, उससे प्रशासन की दक्षता समूल चौपट हो गई है । कानून और व्यवस्था की विषम स्थिति बन गई है । आपका प्रशासन ऐसे-ऐसे काम कर रहा है जिनका कुछ कहना नहीं । ऐसे-ऐसे अधिकारी हमारे आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के रूप में जिले में बैठे हैं, जिनको न कलम पकड़ने की तमीज है और न फाइल देखने की, केवल उनके सामने तुर्रा है कि हम आई ए० एस० हैं या हम आई० पी० एस० हैं ।

मेरे जिले बाराबंकी को तो प्रशासन ने एक पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र ही बना रखा है । जब मैंने यहां पर अपने जिले के पुलिस विभाग के बारे में प्रश्न कर दिया, तो पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जिनको प्रश्न करना है, कर ले और जवाब तो उसका मैं दूंगा । जो जवाब मैं दूंगा वह मंत्री जी देंगे और मैं देख लूंगा सब । मेरे चुनाव क्षेत्र हैदरगढ़ के एस० डी० एम० एक आई० ए० एस० है, इस सांड के सामने वह एक बछिया जैसे लगते हैं । यह डबल एम० ए०, एल० एल० बी० कुछ काम न आया । मैं कहता हूं आम को वह कहते हैं इमली । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम थाने में, तहसील और जिला मुख्यालय पर तो विधायकों का समुचित मान किया ही जाना चाहिए और उनकी बात सुनी जानी चाहिये । हम लाख-सवा

[श्री श्याम लाल वाजपेयी—]

लखनऊ के प्रतिनिधि गली कूचों को धूल फांक कर यहां आते हैं, और जब हम उनके सामने बैठते हैं तो हमारी हैसियत कुत्ते से ज्यादा नहीं है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक अनुरोध और करूंगा यदि आप पुलिस प्रशासन को चुस्त बनाना चाहते हैं । आपकी नीयत साफ है, आपका दिल साफ है, इसमें दो राय नहीं, सम्मानित सदस्य मुक्तकंठ से यह बात कहते हैं । लेकिन मान्यवर, आपके बैठे हुए इन आई० ए० एस० और पी० सी० ए० अधिकारियों की नीयत साफ नहीं है । ये लोग सारे अधिकार अपने में ही सीमित करना चाहते हैं । ये लोग जिला परिषदों, नगर पालिकाओं और टाउन एरियाज में जन प्रतिनिधि न आ जायें, इसलिए इनका चुनाव नहीं होने दे रहे हैं । ये लोग सब कुछ अपने कब्जे में किये हुए हैं । कम से कम इन संस्थाओं में चुनाव कराकर जन प्रतिनिधियों को उनमें जाने का मौका दीजिए ? आप उनका क्यों पोषण कर रहे हैं ?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर उन्हें प्रशासन को चुस्त बनाना है तो पुलिस विभाग में गांव के चौकीदार से लेकर इन्सपेक्टर तक को आपको मजबूत करना होगा । डी० एस० पी० और एस० पी० तो धोखे की टट्टियां हैं । ये लोग कोई काम नहीं करते हैं । केवल थानों की जीपें लेकर अय्याशी और ऐशो आराम करने के लिये लखनऊ आते हैं । मेरी प्रार्थना है कि आप चौकीदार से इन्सपेक्टर्स तक का वेतन बढ़ाइये और जब तक उनका वेतन नहीं बढ़ता है विभाग में कुछ होने वाला नहीं है । जब उनका वेतन बढ़ा गये तो वे हर काम में अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और हम जनप्रतिनिधि के रूप में जायेंगे और उसकी सेवा करेंगे ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आदेश दिये हैं कि 30 अप्रैल तक कोई स्थानातरण नहीं होंगे, मैं उनका स्वागत करता हूं । ठीक है हम लोगों को उन्होंने जिल्लत से मुक्ति दिला दी लेकिन जब बाराबंकी के तहसीलदार का बहराइच को तबादला हुआ उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया लेकिन छुट्टी लेकर चले आये और जन प्रतिनिधियों से कहते टिली ली ली और उसे कैंसिल भी करा लिया । इसी प्रकार से बाराबंकी के 3 कांग्रेस (आई०) के विधायक गृह सचिव से मिले और उनसे बाराबंकी के इन्सपेक्टर को हटाने के लिए कहा । वे हट भी गये । माननीय राम औतार दीक्षित जो हरदोई के विधायक हैं और माननीय राम कुमार भार्गव जो कि सीतापुर के विधायक हैं ने और मैंने भी पत्र लिखकर दिया मगर बाराबंकी के एस० पी० ने उसको 15 दिन की छुट्टी दिलादी और जो व्यक्ति उनकी जगह पर आया उसको 15 दिन की ट्रेनिंग पर बख्शी के ताल पर भेज दिया । वह पुलिस का अधिकारी अब इस सचिवालय में कार लेकर घूम रहा है और कह रहा है कि मैं ट्रान्सफर रुकवा कर रहूंगा ।

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या कभी आपको राम लीला देखने का मौका मिला है ? उसमें राम, लक्ष्मण और जानकी होती हैं । उनको मुकुट पहनाया जाता है । उनका काफी शृंगार आदि किया जाता है और लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, किन्तु जब वे उस कार्य से रिटायर हो जाते हैं तो कहीं गली कूचे में बाड़ी पोते हुये नजर आते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम

से माननीय मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और स्वर्गीय श्री संजय गांधी की नीतियों के अनुसार प्रदेश की प्रगति में यदि कोई अधिकारी बाधक बनता है या बाधा पहुंचाता है, तो कांग्रेस (आई०) के यह सभी माननीय सदस्य, जो इतने बहुमत में हैं, माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में पूर्ण आस्था रखते हुये, ऐसे अधिकारियों से टक्कर लेने में कभी पीछे नहीं हटेंगे ।

मान्यवर, विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य ने माननीय विद्याभूषण जी पर 40 लाख रुपये का एक आरोप लगाया है । माननीय विद्याभूषण जी से मेरा परिचय लखनऊ से ही है, उनसे मेरी बात हुई, मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर 40 लाख रुपये वाला आरोप सही सिद्ध हो तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिये और अगर वह सिद्ध नहीं होता है तो इस सम्मानित सदन के समक्ष आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य को क्षमा याचना करना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय अब समाप्त हो गया है, आप कृपया बैठें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अभी खतम करता हूं मान्यवर । आज जिलों में जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के सामने जिस तरह से माननीय विधायकों का अपमान होता है वह एक चिन्तनीय विषय है । इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ सोचना चाहिये । मान्यवर, हम आपके सिंहासन से लेकर श्मशान तक के साथी हैं,

(हंसी)

आपसे नम्र निवेदन यह है कि जब तक आपका यह रुतबा है, तब तक यह अधिकारीगण आपको सलाम करेंगे, जिस दिन यह रुतबा खतम हो जायेगा, यह आपको सलाम तक नहीं करेंगे ।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं एक निवेदन इन हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, अगर उनको विधायकों से कुछ शिकायत है तो वे उनसे कमरे में बुलाकर कह सकते हैं, बजाय इसके कि अखबारों में उसे छपायें । मैं उनसे यह साफ कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपसे

[श्री इमाम लाल बाजपेयी—]

द्वारा, कि इन्दिरा गांधी की नीतियों में जिनकी आस्था हैं उसे इन आफिसरों की गोली से दबाया नहीं जा सकता । इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमें जो सदन की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुं उसके लिए हमें गर्व है, आवश्यकता इस बात की है कि इन बड़े-बड़े अधिकारियों पर आप अंकुश लग यें, अपने मंत्रियों के हाथ मजबूत करें और मंत्री हम विधायकों के हाथों को मजबूत करें, अगर इन अधिकारियों को यह पता चल गया कि आप कमजोर हैं, तो इन अधिकारियों को अपनी बगल में दबोचने में देर नहीं लगेगी इन शब्दों के साथ एक बार में फिर मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से, रोम-रोम से, समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री मंत्री जी ने कल अपने भाषण में आसमान से लेकर जमीन तक की सारी चुनौतियों का जिक्र किया और सारी चुनौतियों का मुकाबला 'बाखूबी' किया । उन्होंने मुरादाबाद की चुनौती का मुकाबला उन्होंने भी किया और दस्यू उन्मूलन का भी मुकाबला किया । मुरादाबाद की चुनौती का मुकाबला उन्होंने जिस तरह से किया अगर में उसकी गहराई में जऊं तो जो कुछ भी तथ्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किये हैं सच्चाई से दूर हैं । अगर मुरादाबाद की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही है तो हर सदस्य के लिए स्वाभाविक हो जाता है वह पूछे कि इतनी बड़ी घटना जिससे पूरा प्रदेश कांप उठा, इसकी जानकारी प्रदेश के सी० आई० डी० विभाग को क्यों नहीं मिल पाई । यदि सी० आई० डी० विभाग को मिलीं तो उस विभाग ने सूचना शासन को क्यों नहीं दी ? अगर नहीं दी तो फिर किसी भी इन्टेलिजेंस के अधिकारी को चाहे ऊंचा हो अथवा नीचे का हो, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? इसी तरह से दस्यु उन्मूलन कांड हुआ ।

हमारे यहां डकैतों के उन्मूलन के लिए एक अलग स्क्वायड बना दिया गया है, उनके लिए डी० आई० जी० नियुक्त कर दिया गया है । बेहमई कांड हुआ फिर भी डकैतों के उन्मूलन करने वाले डी० आई० जी० के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई लेकिन चुनौती का मुकाबला उन्होंने किया । फूलन देवी की गंध तक शासन को नहीं मिल पा रही है लेकिन वहां पर एक दूसरी 16 वर्षीय दस्यु सुन्दरी और पैदा हो गई और उसके आतंक से पूरा बुन्देलखण्ड इलाका ग्रस्त है । मुस्तकीम के मारने की घटना सामने आई । जनसाधारण ने इस बात की आशंका व्यक्त की कि मुस्तकीम मारा गया। पुलिस ने अपने चेहरे को बचाने के लिए शासन को गुमराह किया है । नकली मुस्तकीम को शायद मारा गया । इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री ने मारे जाने के सम्बन्ध में ईनाम की घोषणा अभी तक नहीं की है । आज अखबार में मुस्तकीम के बारे में छपा है कल मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मुस्तकीम मारा गया और अखबार में आता है कि मुस्तकीम ने औरई में कमरिया बाबा पर चादर चढ़ाई और 1 हजार रुपया भी चढ़ाया । इस तरह से दस्यु उन्मूलन किया गया है जब कि वह दस्यु चम्बल घाटी और यमुना के बीहड़ इलाकों में अपने को सुरक्षित किए हैं । यह चुनौती है, जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुकाबला किया यह सही है कि प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी चिन्तित हैं । उनकी चिन्ता पर कोई आशंका नहीं है । प्रयत्नशील हैं लेकिन अकेले । माननीय मुख्य मंत्री जी की चिन्ता से काम चलने वाला नहीं

है । आज जो मंत्रिमंडल में इन्दिरा गांधी रूपी बालू के गारे से एकता बनी हुई है वह ज्यादा दिन तक कायम रहने वाली नहीं है । इर्द डगमगा रही है, कब बैठ जाय कहा नहीं जा सकती ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज प्रदेश में एक अध्याय और जोड़ा गया । मुठभेड़ों का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ उसे सारे लोग जानते हैं, सदन में उसकी चर्चा भी हो चुकी है । हमारे राज्य गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को बुला कर जिस तरह के निर्देश दिये और उन निर्देशों के तहत हर थानों में एक कोटा फिक्स्ड कर दिया था कि मुठभेड़ होगी और डकैत मारे जायेंगे ।

[1 बजकर 40 मिनट]

मान्यवर, अगर डकैत मारे जाते, तो सबको खुशी होती । पता नहीं डकैतों ने कितनों हत्यायें की होंगी और कितनों की इज्जत लूटी होगी । लेकिन शातिर डकैत या तो जेलों में चले गये या बाहर घूम रहे हैं । उसका नतीजा यह हुआ कि डकैतियां, चोरी, लूट दिन प्रतिदिन होती रहीं और जो आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री जी पेश किये हैं, उन आंकड़ों के ऊपर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे आदमी को विश्वास नहीं है । मान्यवर, डकैत और बदमाश, चोर आदि पकड़े काफी गये, मारे गये, लेकिन पकड़े और मारे वे लोग गये जिन्होंने अपना काम शुरू कर लिया था और उनकी हिस्ट्री थी, पुलिस के लिए भी एक ग्राउण्ड बन गया कि इनकी यह हिस्ट्री है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राम आसरे जी समय का ख्याल रखें । 2 मिनट और रह गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अगर मुठभेड़ों में मारे गये, जन भावना के अनुकूल ठहरते हैं, तो माननीय राज्य मंत्री को इसका श्रेय मिलेगा यदि ऐसा नहीं है, तो वह पाप इनके सिर पर चढ़ कर बोलेगा ।

मान्यवर, आज देख रहे हैं कि पुलिस के अन्दर मनोबल क्षीण होता जा रहा है । उसका कारण है उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों के ऊपर शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । आज कान्स्टेबिल हेड कान्स्टेबिल अपनी आवाज भी उठाते हैं, मांग भी करते हैं, लेकिन अनुशासन के शिकंजे में जकड़े होने के कारण उनकी आवाज बन्द हो जाती है । कान्स्टेबिल और हेड कांस्टेबिल के लिए अगर पदोन्नति की बात की जाती है, तो उनके लिए विभागीय परीक्षायें ली जाती हैं । यह विभागीय परीक्षायें रद्द की जायं 1881 का जो पुलिस मैनुअल है, वह आज भी कायम है और उसी के अनुसार हमारे पुलिस प्रशासन की कार्यवाहियां होती हैं । अंग्रेजी जमाने का यह मैनुअल आज की परिस्थितियों में अब उसका व्यवहारिक रूप नहीं रह गया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि अंग्रेजी विरासत से मिले हुए रेगुलेशन्स को आज

[श्री राम आसरे लर्मा---]

की परिस्थितियों में ढालें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उसी में दफा 7 और 29 हैं जो उत्पीड़क है । मान्यवर, विशेष सेवा भत्ता माननीय नारायण दत्त तिवारी के जमाने में दिया गया और उसी को वेतन माना गया था और उसी पर महंगाई भत्ता भी दिया गया, लेकिन उनके लिखने के बावजूद कि उन्हें विशेष सेवा भत्ता दिया जाय, उसे काटा न जाय । किन्तु कुछ न हुआ । आज इस परिपेक्ष में माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर ध्यान दें । मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आज हमारे प्रदेश में दिन प्रति दिन डकैतियों की, हत्याओं का और लूट आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पुलिस के कर्मियों को मोड़ना पड़ेगा और उनकी जो दर्दनाक परिस्थितियां हैं उनको दूर करने के लिए शासन को कदम उठाना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत गृह और सामान्य विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जो कल जब बजट प्रस्तुत करते हुए उन कार्यों की विवेचना कर रहे थे, जो पिछले 10 महीनें में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शासन ने जनहित में शासन को चुस्त बनाने के लिए किया है । तो वास्तव में हम जो कांग्रेस (आई0) के विधायक हैं, हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे ।

मान्यवर, 10 महीने में किसी सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है । मान्यवर, आज जो मुख्य मंत्री हैं या जब आपके मुख्य मंत्री थे, तब क्या हालत थी, उसको और उसके अन्तर को आप नजरअंदाज कर देते हैं और करना भी चाहिए आपको । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जिसको लेकर 10 महीने के अन्दर सारी समस्याओं को हल कर दिया जाय ।

माननीय नेता, विरोधी दल के भाषण को मैंने सुना । किसानों के बारे में कहते हैं, बड़ी तकलीफ होती ह इधर के माननीय सदस्यों को जब कांग्रेस (आई0) का कोई विधायक या माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों के हित की बात करते हैं तो एक कारण हो सकता है इसका कि आपके दल के नेता जो अपने को किसान का बेटा कहते हैं, तो आपको बुरा लगता ह कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह किसानों के नेता कैसे हो गये । एक अन्तर ह आपके जो नेता हैं, जो अपने को किसानों का नेता कहते हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी में, और वह यह है कि आपके नेता ने अपने शासनकाल में किसानों की जेब से 1 करोड़ रुपया निकालकर थैली के रूप में स्वीकार कर लिया और हमारे मुख्य मंत्री जी ने करोड़ों रु0 किसानों को जेब में डालकर उनके हितैषी होने का प्रमाण दे दिया । आपके कार्यकाल में गन्ना किसानों की क्या गत हुई, 300 करोड़ रु0 की उनकी हानि हुई, उस समय आप कहां चले गये थे, उस समय किसानों के बेटे कहां चले गये थे और किसान के बेटे के पीछे चलने वाले कहां चले गये थे । लेकिन माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जमाने में किसान की हालत में सुधार हुआ । आलू के किसान और गन्ने के किसानों को सुविधायें दी गयीं । "किसान मित्र सेल" की स्थापना की गयी । ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिये ग्रामीण रोजगार योजना चालू की गयी । लेकिन माननीय मोतीलाल देहलवी जो कह रहे थे कि इस सरकार के सोचने की शक्ति को

लकवा मार गया है । वास्तव में इस प्रदेश के विरोधी दल के नेताओं की सोचने की शक्ति को लकवा मार गया है, वे सही को गलत और गलत को सही बताते हैं ।

अभी जो इनकाउन्टर हुए, उसके विषय में कहा गया । जो भी बात या जो भी कार्य किया जाय चाहे वह जनहित का हो या प्रदेश के हित का हो, उस पर यह आलोचना करते हैं । हमारे मंत्री कारगर कार्यवाही भ्रष्टाचार के खिलाफ करते हैं तो आप कहते हैं कि अधिकारी को अकारण सताया जा रहा है और अगर मंत्री अफसरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करता है तो आप कहते हैं कि मंत्री पर नौकरशाही हावी है । आप हर बात को उल्टे ढंग में लेते हैं ।

मान्यवर, आपने कहा कि जितनी मुठभेड़ हुई सब गलत हुई अगर गलत हुई तो 85 पुलिस मैन किस में मारे गये, जाहिर है कि डकैतों का सफाया करने में प्रदेश की जनता के जन–जीवन की सुरक्षित करने में उन्होंने अपनी जानें दी हैं । डकैती उन्मूलन के बारे में मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस समस्या के समाधान हेतु कारगर कदम उठाया । हां, चरित्र हत्या की राजनीति में आप जरूर माहिर हैं लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि चरित्र हत्या की राजनीति हत्या की राजनीति को जन्म देती है और हत्या की राजनीति प्रजातन्त्र की हत्या कर देती है । मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि शीशे के मकान में बैठकर दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते हैं । आपके क्या कारनामें हैं उन पर भी आप नजर डालें ।

मान्यवर, समय कम है इसलिये मेरा एक और सुझाव है कि मुख्य मंत्री जी प्रदेश के विशाल हृदय और गतिशील मुख्य मंत्री हैं, प्रादेशिक सेना की यहां 5 बटालियनें हैं और मुख्य मंत्री जी टी० ए० एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं । वर्ष 1962, 1965 और 1971 में जो चीन, पाकिस्तान और बांगलादेश की लड़ाईयां हुई उनमें टी० ए० के जवानों और अफसरों ने अपनी जानों की कुरबानियां करके देश के सर को ऊंचा किया । तामिलनाडु, केरल, बंगाल, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि सभी जगह जो लोग टी० ए० लगे हैं उनमें जवानों को 15 साल की सेवा पूरी करने पर टी० ए० मंडल प्राप्त होते हैं, अधिकारियों को 20 साल की सेवा पूरी करने पर टी० ए० डिकोरेशन प्राप्त होता है, जवानो को 15 साल की सेवा पूरी करने पर 1500 रुपये एक बार दिये जाते हैं और अधिकारियों को 20 साल सेवा करने पर एक बार 2500 रुपये दिये जाते हैं । इस प्रकार कुछ लाख रुपये का सवाल है क्योंकि जब छोटे–छोटे प्रदेश दे सकते हैं तो हमें आशा है कि प्रादेशिक सेना के जवानों और अफसरों का सम्मान करके उनको यह सुविधा देने का श्रेय हमारे मुख्य मंत्री जी प्राप्त करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन और पुलिस के अनुदानों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । श्रीमन्, वैसे तो मुख्य मंत्री ने कल अपनी तकरीर में आंकड़ों के जरिये यह कोशिश किया कि

[श्री गौरीशंकर एडवोकेट—]

अपराध की संख्या घटी है। इसलिये मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आंकड़े उन्होंने पेश किये हैं वह तो वह जाने और उनके अधिकारी जानें। लेकिन जन मानस में जो भावना है उसको मैं आपके माध्यम से मान्यवर, सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा कि एक ईमानदार मुख्य मंत्री मिला है। इसमें दो राय नहीं है कि मुख्य मंत्री की छवि अच्छी है और इसको विरोधी माननीय सदस्य भी मानते हैं कि वह ईमानदारी और निष्पक्ष होकर स्वच्छता के साथ काम करना चाहते हैं। मान्यवर, यह भी सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को इस समय मुख्य सचिव श्री टी0 पी0 तिवारी भी अच्छे मिले हैं जिनको ब्लाक लेवेल से लेकर ऊपर की सारी सेवाओं का अनुभव है और गृह सचिव भी ठीक हैं। इसलिये समझ में नहीं आता कि जबकि मुख्य मंत्री अच्छे हैं, ईमानदार हैं और ब्यूरोक्रेटिक हेड मुख्य सचिव और उनके सहयोगी गृह सचिव भी अच्छे हैं तो कौन सा कारण है कि आपकी छवि उत्तर प्रदेश की जनता पर अच्छी नहीं पड़ती है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। आपका प्रशासन का इतना अच्छा ढांचा होते हुये उसकी छाप जनता में विपरीत है।

मान्यवर, परसों मैं इलाहाबाद से आ रहा था, सहारनपुर फास्ट पैसेन्जर (डबसप्रेस) से तो होता यह है कि 5 किलोमीटर गाड़ी चलती है और लोग ईंटें लेकर दौड़ते हैं और हौज पाईप में मार देते हैं। यही नहीं हौज पाईप को वह गांव लेकर चले जाते हैं। यह एक बार नहीं दो बार नहीं तीन-तीन बार नहीं मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं लखनऊ तक आने तक कम से कम 15 बार होज पाइप काटकर उठा ले गये और ड्राइवर अपनी कैबिन से लाकर दूसरा लगाता था। उसको ईंटों या पैर से मार कर तोड़ देते थे। आखिर इस असुरक्षा का कारण क्या है। यह ला लेस नेस क्यों है। आप कहेंगे यह रेलवे का मामला है मेरा विभाग नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्दर ला एण्ड आर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिये मैं निश्चित रूप से आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं।

आज अपराध स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। आज गांव-गांव गली-गली में यह भावना पैदा हो गई है कि आज गांव, गली का जीवन असुरक्षित हो गया है। लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि लम्बी चौड़ी सड़कों पर बड़े-बड़े शहरों में भी जन जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं अपनी बीहड़ पट्टी की बात नहीं करना चाहता हूं जहां दिन दहाड़े नहीं निकल सकते। मैं आपके कबाल टाउन्स, बड़ी महानगरियों की बात कर रहा हूं जहां शाम ढलते नर नारी यह समझता है कि सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। मैं चाहता हूं कि इस ओर कड़े कदम उठाये जायं। आखिर कौन सी बात है ऐसी आपके सामने पूरा प्रशासन है फिर कौन सी कमजोरी के जिसके कारण आप प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यह मंत्री आपकी मदद नहीं करते क्योंकि यह मंत्री चाटुकारों के घेरे में घिरे रहते हैं और उनके कमरों में हजूम लगा रहता है। इसके कारण यह कोई सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। चूंकि मंत्रिमंडल के सदस्य निष्क्रिय हो गये हैं इसलिये जो सुझाव हम लोग दे रहे हैं उससे कोई कदम उठा सकें तो आपकी बहुत बड़ी महानता होगी।

बीहड़ पट्टी में जहां जमुना क्वारी चम्बल में जो डकैती की समस्या है। आप उस बीहड़ का समतलीकरण क्यों नहीं कराते, केन्द्र सरकार वर्डबैंक से मिले जहां से हैवी बुलडोजर लेकर 100-20 किलोमीटर का

समतलीकरण करा दें। अगर इतना न कर सकें तो कम से कम खुदा के नाम पर इतना जरूर कर दें कि जो महत्वपूर्ण पंचनद योजना है उसको कार्यान्वित कराये। वहां पर बांध बनवा दें तो उस बीहड़ में पानी भर जाएगा वह जल-मग्न हो जाएगा। इसलिए इस पंचनद योजना को आप कार्यान्वित कराएं।

जो आरक्षण की बात कही और जो आपने कैरी ओवर स्कीम लागू किया है उसका मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किन्तु आज 30-31 वर्षों के बाद भी क्लास (1) में 2-3, क्लास (2) में 3-4, क्लास (3) में 8-9 और क्लास (4) में 12-13 परसेंट ही आरक्षण पूरा हो पाया है। चूंकि आप साहित्य के ज्ञाता हैं इसलिए मैं कुछ शब्द आपकी सेवा में कहना चाहता हूं यदि आप इस प्रदेश की इन समस्याओं को हल न कर सकें :--

जोगन की भोगन की विकल वियोगन को,
जग में न जागती जमातें रह जायेंगी,
कहैं रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन,
तो ये दुखद्वन्द की न रातें रह जायेंगी,
प्रेम नेम छोड़ ज्ञान क्षेम जो बतावत हो,
अरे भीत हो नहीं तो क्या छातें रह जायेंगी,
घातें रह जयेंगी न कान्ह की कृपा ते इतीं,
ऊधो बस कहने को बातें रह जायेंगी।

तो मान्यवर, यह बातें रह जायेगी कहने को। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं इसके साथ-साथ जो अधिकारी मिले हैं आपको वह ईमानदार हैं इसलिए आप कुछ ऐसा करें जिससे यह सब चीजें ठीक हो। अन्त, में मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं--

लग रहा है फिर कोई लहर आने को है,
इस शहर के बाद भी कोई शहर आने को है,
रक्त खोरों पढ़ सको तो पढ़ लो अपना मर्सिया,
फिर नए विद्रोह की कोई खबर आने को है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम औतार दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो सामान्य प्रशासन की यह बहस हो रही है इस बहस को मैं कल से सुन रहा हूं। सबसे प्रमुख बात यह है कि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश कोई भी जिला, कोई भी गांव तब तक आगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम औतार दीक्षित---]

नहीं बढ़ सकता, तब तक उसकी तरक्की नहीं होती है जब तक वहां पर ग्राम-वासियों के हृदय में यह भावना न हो कि हम सुरक्षित हैं । मैंने कल से लेकर आज तक जो चर्चायें सुनीं उनमें केवल दोषारोपण ही देखा । क्योंकि किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा यह नहीं कहा गया कि कौन सा प्रयोग किया जाय जिससे हम अपने प्रदेश की तरक्की कर सकें । जितना भी संभव हुआ, जितना भी संभव है हमारे माननीय मुख्य मंत्री प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रदेश को एक ऐसा शासन देने की जो भी कल्पनायें हैं उनको कार्यान्वित करने में माननीय मुख्य मंत्री जी लगे हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज केवल दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने की जो एक प्रथा बन गई है उसको छोड़कर हम अगर कुछ कांस्ट्रक्टिव कामों की ओर देखें तो अवश्य इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है ।

आपके माध्यम से मैं अपने सम्मानित विधायक भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रदेश की कल्पना और इतने बड़े प्रदेश की बात तो सभी लोग करते हैं लेकिन क्या उन्होंने अपने गांव की कोई तरक्की की है जिसमें उनका जन्म हुआ है । मेरा अपना विश्वास है कि उन्होंने अपने गांव के बारे में कभी यह नहीं सोचा होगा कि हमारा गांव कहां पर है और उसके बारे में क्या करना चाहिए । मेरा अपना निश्चित मत है कि यदि इस प्रदेश के तमाम सम्मानित विधायक केवल इसी संकल्प पर जुट जायं कि मुझे अपने गांव की तरक्की करनी है तो बहुत जल्दी ही साढ़े चार सौ गांवों की तरक्की हो जायगी । मैं मान्यवर, अपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यद्यपि मेरा आई० ए० एस० आई० पी० एस० से कोई लगाव नहीं है, मैं उनका कोई समर्थक नहीं हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पर कमेंट तो बहुत हो रहे हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी तो हो रही है लेकिन किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं सुझाया कि उन सबको हटाने के बाद कौन सी कार्यप्रणाली अपनाई जाय जिसके माध्यम से देश और प्रदेश का शासन चलाया जा सके ।

श्री कुबेर भण्डारी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम औतार दीक्षित--

आपको मालूम नहीं है कि आई० ए० एस० क्या है, आप बैठ जायं । बोलने दें ।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह आई० ए० एस० की तलवार हम लोगों के गले पर कब तक लटकेगी ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मैं माननीय सदस्यों और माननीय नेता विरोधी दल से यह भी कहना चाहता हूं कि कम से कम सदन की मर्यादा और सदन में जो नियमावली बांटी

गई है उसका अध्ययन अगर माननीय सदस्यों को समुचितढंग से करवा दें तो अच्छा होगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि प्रदेश बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की आबादी ही नहीं देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती हुई आबादी की हमारे और हमारे शासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है । आज हमारे प्रदेश में पुलिस की जितनी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है । इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं कि पुलिस को आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होना चाहिए । हमारे माननीय मुख्य मंत्री इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं । अभी कुछ समय पहले हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने हेलीकाप्टर की बात कही थी । आज उनको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि दस्यु उन्मूलन के लिए हमने हेलिकाप्टर का प्रयोग संभव कर दिया है ।

दूसरी बात यह है कि मैं खासतौर से आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे कुछ जो कुशल अधिकारीगण हैं, सेल्स, सी0 आई0 डी0 और विजिलेन्स में पड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके मामलों में शीघ्रता से निर्णय लें और कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, जो कुशल प्रशासक हैं, और कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहते हैं, उनको इस ओर उत्साहित करना चाहिए और ऐसे अफिसर्स को फील्ड में लेना चाहिए । फील्ड में सबसे बड़ा काम सब-इन्सपेक्टर सिपाही और इन्सपेक्टर्स का होता है और जब फील्ड में ऐसे आफिसर्स पहुंच जाते हैं, तो वह वहां की समस्याओं को बहुत अच्छे ढंग से निपटाते हैं । और दूसरी बात यह है कि उनको समुचित सुविधाएं दी जाएं । बढ़ते हुए क्राईम को देखते हुए । ज्यादा से ज्यादा अच्छी किस्म की जीपें और वायरलेसेज सुविधाएं दी जाएं और मार्डन किस्म के इक्युपमेन्ट उन्हें दिए जाएं । ताकि इस माडर्न जमाने के डाकुओं के पास जो नए-नए प्रकार के शास्त्र होते हैं, उनसे कुशलता और होशियारी के साथ मुकाबला किया जा सके ।

तीसरी बात मान्यवर, यह कि लोकतन्त्र की मर्यादा को जीवित रखने के लिए और जनता की दिक्कतों को देखते हुए जन-प्रतिनिधियों को कुछ दायित्व और जिम्मेदारी सौंपी जाए । और उनका गठन इस प्रकार से होना चाहिए कि आज की बढ़ती हुई अराजकता में वह भी अपना कुछ पार्ट अदा कर सकें । और जैसा कि बराबरी विरोध पक्ष के लोग खासतौर से डाकुओं और फूलन देवी का जिक्र करते रहते हैं तो उनसे पूंछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा समय रहा है जिसमें डाकू न रहे हों । मेरी समझ से ऐसा कोई भी जमाना नहीं रहा, जब कि डाकू न रहे हों । कभी मान सिंह तो कभी तहसीलदार सिंह और कभी कोई । इस तरह के घटना चक्र में कोई न कोई लोग पैदा होते रहे हैं और इसी तरह आज भी लोग पैदा हो रहे हैं । उनका दमन हमारे और आपके सहयोग से ही सम्भावित है । (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट का समय और मान्यवर, दे दें ।

श्री जुबैर मण्डारी--

आई० ए० एस० की डिफनीशन बता दीजिए ।

श्री राम औतार दीक्षित--

दूसरी बात मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी परिस्थिति मनुष्य जीवन में आकर खड़ी हो जाती है । तो हमारा दायित्व यह है कि हम उन परिस्थितियों का सामना बगैर किसी सोच और झिझक के करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाए। मान लिजिए कोई घटना दारूल सफा के सामने हो जाती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी उस मामले में गवाही और शहादत के लिए तैयार नहीं होता, तब दरोगा को किसी न किसी तरह उनकी गवाही का इंतजाम करना पड़ेगा और वह गवाहान को कहीं न कहीं से तैयार करेगा । तो मान्यवर ऐसे तरीकों को कम से कम खत्म करने के लिए जो भी सम्भव हो सके, इसके लिए हम सबको सक्रिय होकर आगे आना चाहिए ।

और दूसरी बात मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह अपराध की जो समस्या है, वह आर्थिक स्थिति से भी जुड़ी हुई है । चूंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था में इस तरह की महंगाई आ गयी है जिसकी वजह से हालतों में जरूर विरोध हो रहा है, उसके बारे में सत्ता पक्ष के लोग जागरूक हैं, हमारे मुख्य मन्त्री जी जागरूक हैं और हम स्थिति को नियंत्रण में करके आपको दिखा देंगे कि जैसा कि आप अपने तीन साल के समय में नहीं कर पाये हैं इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने रखेंगे, यदि समय ने हमारा साथ दिया तो ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये, आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री भीखा लाल जी आप कृपया समय के अन्दर ही अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, जो 20 मिनट का समय देते हैं, उतना ही समय में लूंगा बल्कि 19 ही मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

अधिष्ठाता महोदय, आज यह सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर यहां कल से चर्चा हो रही है, यह दोनों विभाग हमारे प्रशासन के एक आधार भूत अंग हैं । यह सारी शासन व्यवस्था जो है इसकी यह विभाग धुरा हैं, यह कहना गलत न होगा । अगर हमारे ये दो विभाग ठीक तरह से काम नहीं करते हैं तो पूरा प्रशासन हमारा ठीक तरह से नहीं चल सकता है । इसलिये सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग का ठीक होना तो बहुत ही जरूरी है । आज कल योजना का यूग है, तो यदि ये विभाग ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो हमारी योजनायें ठीक तरह से लागू नहीं होंगी, योजना का जो लक्ष्य है, योजना के अन्तर्गत उत्पादन का जो लक्ष्य है, हम उसे पूरा नहीं कर पायेंगे । उत्पादन के नये भौतिक आधारों की खोज करना अति आवश्यक है । हम आम जनता को सामाजिक न्याय दिलाने में, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति नहीं पैदा कर सकते हैं अगर हमारा सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ठीक नहीं होगा । हमारी

जनतांत्रिक प्रणाली कमजोर हो जायेगा। जनतांत्रिक प्रणाली से लोगों की आस्था मजबूत नहीं होगी यदि पूरे प्रशासन की धुरी ही ठीक नहीं होगी। इसलिये इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

जो कुछ बातें इस सदन में कही जाती हैं, हमारे शासक दल को उस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये और उस पर गहराई से विचार करना चाहिये। कल कुछ बातें यहां कही गयीं कि विरोधी पक्ष का काम केवल आलोचना करना और खाली गाली गलौज करना है और कुछ असंसदीय शब्दों का भी श्री त्रिवेनी जी ने इस्तेमाल किया। आज हमारे साथी दीक्षित जी कह रहे थे कि विरोधी पक्ष का काम तो बस आलोचना करना ही है। तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली में एक शासक पक्ष होता है और एक विरोधी पक्ष होता है। शासक पक्ष अपनी नीतियों को घोषित करता है और लागू करता है यह उसके संवैधानिक अधिकार हैं। विरोधी पक्ष का काम होता है शासक पक्ष की नीतियों में यदि कुछ कमी है और वे जन विरोधी हैं तो उसकी आलोचना सदन के अन्दर तथा बाहर करें और अपने सुझाव दें। इसके साथ ही जनमत को इकट्ठा करके शासन पक्ष को अपदस्थ करके विरोध में बैठा दें। एक बात और आप समझ लें कि अपनी गलती आपको नहीं दिखाई पड़ती है। प्रशासन की, मंत्रियों की गलतियां जाने-अनजाने होती रहती हैं, हम उन गलतियों को उजागर करते हैं और आलोचना करते हैं ताकि प्रशासन स्वच्छ रहे और प्रदेश में व्यवस्था कायम रहे।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कल आंकड़ों से सिद्ध कर दिया कि उनके प्रशासन ने हमारे प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया है। कत्ल, डकैती और अन्य अपराधों में कमी सब ठीक हो गयी हैं, यह बात माननीय मुख्य मन्त्री ने कल अपने बजट भाषण में सिद्ध करने का प्रयास किया। अगर हम दैनिक जीवन में यह अनुभव करते हैं कि शान्ति व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसे हम ठीक नहीं कह सकते, उसे आपके आंकड़े ठीक नहीं कर सकते हैं। आप नौकरशाही के आंकड़ों के जाल से बचिये। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यह आपसे आपके नीचे के अधिकारी पूछते हैं। अगर आप कहते हैं कि शान्ति और व्यवस्था ठीक सिद्ध करना चाहते हैं, तो वे वैसे आंकड़े आपको बना कर दे देते हैं और अगर आप कहें कि इसके विरोध में सिद्ध करना चाहते हैं, तो वे वैसे आंकड़े बना कर आपको दे देंगे। तो यह नौकरशाही तो आंकड़ों के तैयार करने में और असली तथ्य को और सही स्थिति को छिपाती है। तो मैं कहता हूं कि इस नौकरशाही से आप बचिये। स्थिति क्या है, उसको हम जीवन में जैसा महसूस करें, अगर शान्ति व्यवस्था ठीक है तब तो समझना चाहिए कि स्थिति ठीक है।

आज जनता में दो धारणायें व्याप्त हैं हमारे प्रदेश में। एक तो यह कि शासन नाम की चीज है ही नहीं और दूसरा धारणा है कि जनतांत्रिक प्रणाली हमारे प्रदेश में सफल नहीं हो रही है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी और बहुत ही दुखदायी होगी। आप जानते

[श्री भोला लाल---]

है क्यों जनता सोचती है कि आज प्रशासन नाम की चीज नहीं है क्योंकि नौकर-शाही बिल्कुल स्वच्छंद है, मंत्रि परिषद् विधान सभा का कोई अंकुश नहीं है और यह तभी होता है जब हम जनता के प्रतिनिधियों, विधायकों आदि, में कमजोरी होती है। हमको सोचना होगा कि, मोहन सिंह जो ने जो कहा है में उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अगर विधान सभा के सदस्यों का दामन, मेरा दामन, आप का दामन साफ नहीं है तो हम किस मुंह से नौकरशाही की आलोचना कर सकते हैं। जैसा अभी बेजपेयी जी ने कहा कि नौकरशाही हम लोगों के बारे में क्या सोचती है। इसलिए हमें आचरण, व्यवहार, सामाजिक जीवन के स्तर को उठाना होगा तभी प्रशासन पर अंकुश लग सकता है और इसमें शासक पक्ष की सब से अधिक जिम्मेदारी है।

जिला स्तर पर जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास नहीं किया जाता, जनता की समस्यायें अगर कोई अधिकारी के पास ले जाता है तो ठीक से सुनवाई नहीं होती। आज विधान सभा की गैलरियों में, दारुलशफा में इतनी भीड़ क्यों दिखाई देती है क्योंकि उनकी समस्याओं का निदान जिले में नहीं हुआ। इसलिए यहां दौड़े चले आये। मान्यवर, 1957 में जब में पहली बार चुन कर आया था तो यहां एक दरखास्त को टाइप कराने के लिए अमीनाबाद, कचेहरी जाना पड़ता था और आज दर्जनों बैठे हैं क्यों वे बैठे हैं, क्योंकि सैकड़ों लोग लखनऊ आते हैं और प्रार्थना-पत्र देते हैं जिनकी जिलों में समस्यायें हल नहीं हुई। इस चीज को रोकना पड़ेगा। इसके लिए दो काम करने होंगे, एक हम लोगों को, विधायकों को। जो सीधे यहां आते हैं प्रशासन के मामले में, तो पहले तो हमें चाहिए कि हम उनसे पूछें कि जिलाधिकारी और एस० पी० को प्रार्थना-पत्र दिया है या नहीं। यदि एस० पी० को, जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है तो हम उन्हें तुरन्त जिले में जाने की सलाह दें और दूसरे जब वह फिर यहां आते हैं, जिलों में समस्यायें हल नहीं होतीं तो सरकार को चाहिए कि वह जिन अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को हल करने की चेष्टा नहीं की, उदासीनता दिखलायी है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

मान्यवर, प्रशासन में रोज दखलंदाजी दिखलायी पड़ती है, इसको रोकना चाहिए। इसमें जो हस्तक्षेप होता है उससे करप्शन बढ़ता है, भाई-भतीजावाद बढ़ता है, हालत यह बन गई है कि किसी भी पद के लिए जगह हो, चपरासी से लेकर पी० सी० एस०, आई० ए० एस० तक, लोगों में यह भावना घर कर गई है कि जब तक कोई पैरवी नहीं होगा जगह मिल नहीं सकती चाहे जितनी योग्यता रखो और यह होता क्यों है ? क्योंकि दिखावे के लिए सूचना अखबारों में छप जाती है, दरखास्तें मंगा ली जाती हैं, सूचियां बन जाती हैं पहले से। ये चीजें बन्द होनी चाहिए और दखलंदाजी कम की जानी चाहिए।

इसके अलावा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक नीति और अपनायी है, तबादलों की नीति बनायी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो नीति अपनायी है कि किसी जिले के उच्चाधिकारी का 3 साल के पहले तबादला नहीं किया जायेगा मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि पांच साल तक रखिए। योजनाकाल तक रखें। योजना शुरू हो तो जिस विभागाध्यक्ष को वहां तैनात करें उसके खत्म होने तक उसकी जिम्मेदारी रखें। योजनाओं के लक्ष्य पूरे न होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का तबादला खालो न कीजिए, सजा दीजिए। उसको तरक्की और

तनुज्वली इसी आधार पर कीजिए । क्या फायदा होता है यदि एक योजना अवधि में 5–5 विभागाध्यक्ष बहुंच जायं । ऐसी स्थिति में कोई जिम्मेदारी नहीं समझता और उनको पूरा नहीं करता ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक नई चीज शुरू की है, कुछ सलाहकार मुकर्रर लिए हैं, अभी मालूम हुआ कि 3 सलाहकार मुकर्रर किए हैं, उनको डेढ़ हजार रुपया दिया जायेगा, बंगला मिलेगा, कार मिलेगी, स्टाफ मिलेगा इस प्रकार कई हजार रुपया खर्च होगा । मान्यवर, यह सलाहकार जिन विभागों में दिए गए हैं वह कोई विशेष योग्यता रखते हैं य विशेष रूप से दीक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है । यह किसके प्रति उत्तरदायी हैं । हम लोग जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उत्तरदायी हैं, विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । इनका काम क्या होगा, यह किसके प्रति उत्तरदायी हैं । ऐसा मालूम होता है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्रशासनिक अधिकारियों जैसे सचिव आदि, डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, तथा दूसरे अधिकारी हैं, उन पर इनको कोई यकीन नहीं रहा है या तो इनकी नीतियों के मुताबिक वे काम नहीं कर रहे हैं इसलिए सलाहकार मुकर्रर किए गए । इसके लिए मैं मुख्य मन्त्री जी को दोष नहीं देता हूं, मुख्य मन्त्री जी के पुराने संस्कारों को मैं दोष देता हूं ।

मान्यवर, आप भी जानते होंगे कि पहले नवाबों, राजा और महाराजाओं के जमाने में मुसाहब और मुशीरकार रखे जाते थे इसलिए इन्होंने भी मुसाहब रख लिया । इन मुसाहबों का काम होता था प्रशासनिक अधिकारियों की चुगली और बुराइयां करना तथा राजा महाराजाओं नवाबों की झूठी चाटुकारिता करना और चापलूसी करना । इन्हीं मुसाहबों के बारे में एक बात याद आ गई । एक बार नवाब साहब मुसाहबों के बीच में बैठे थे, चर्चा चल रही थी, सब्जियों पर चर्चा आ गई तो नवाब साहब ने कहा कि आलू की सब्जी बहुत अच्छी होती है तो मुसाहब ने कहा हां साहब क्या कहने आलू के हर तरकारी से आलू की तरकारी अच्छी होती है । फिर राजा साहब ने कहा कि बैंगन तो बड़ी रद्दी चीज होती है तो एक मुसाहब ने कहा कि सरकार इसी वजह से तो उसका नाम बेगुन रखा गया है । फिर नवाब साहब ने कहा कि वैंगन की सब्जी भले न अच्छी हो लेकिन वैंगन का भर्ता बड़ा लाजवाब होता है तो वही मुसाहब बोले कि हां जहांपनाह तभी तो उसके सिर पर ताज रखा होता है । तब नवाब साहब ने कहा कि अभी तो आप उसे बेगुन बता रहे थे और अब ताज रख रहे हैं तो उसने कहा कि मैं वैंगन का नौकर थोड़े ही हूं सिर्फ सरकार का नौकर हूं ।

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि ये मुसाहिब लोग आपका काम नहीं करेंगे, केवल चाटुकारिता करेंगे इसलिए आप अनावश्यक केवल अपने निकट बैठने वालों को राजनैतिक अनाथालय खोलकर सरकारी खर्च पर न पालिए । मैं इन नियुक्तियों का सख्त विरोध करता हूं और इन्हें समाप्त करने की मांग करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री धर्म सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, एक किस्सा थोड़ा सा बयान करना चाहता हूं । एक गरीब आदमी था गांव का । उसने एक छप्परा बनाया । बांस बगैरह इकट्ठे किये छान बनवाने के लिए । छान तैयार होने के बाद शाम का टाइम हो गया था, चिराग जलने लग गये थे । उस ने समझा मह छान तैयार हो गया है तो गांव वालों को बुलालूं और बुला कर छान को उठा कर के छप्पर को डाल दिया जाय । गांव के कुछ लोग अच्छे थे, कुछ बुरे भी थे । उनमें कुछ मसखरे टाइप के लोग भी थे जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनको छान को छप्पड़ पर उठा कर रखने से कोई मतलब नहीं था । मसखरे लोगों ने छप्परा को नीचे झूलाना शुरू कर दिया, कभी इधर-उधर की बात भी करते थे । यही हाल विरोधी दल के लोगों की भी है । वे छप्परा पर छान को रखना नहीं चाहते बल्कि उसको उठा कर झुलाना चाहते हैं और जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहते हैं । ये चीजें आपके सामने बयान करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैंने माननीय विरोधी दल के नेता को दो-तीन घंटे तक सुना बड़े प्यार से, मुहब्बत से । मैं बैठा रहा । श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को 6-7 घंटे बोलते देखा है हमने, चलिये गनीमत है कि नेता विरोधी दल तीन घंटे करीब बोले । सिवाय लैला मजनू के पीछे और मजनू लैला के पीछे उस तरीके से जो है, यह तमाम वाक्यात आप के सामने पढ़ते रहे । मुझे फख्र होता इस बात का कि माननीय विरोधी दल के नेता अपनी ही पार्टी के किसी आदमी को भेज कर जांच कराते उन वाक्यातों की । जांच कराने से पहले उन बातों को सोचते कि वे सुनी हुई बातें हैं, अखबार में निकली बातें, इधर-उधर की बातें हैं, इन से क्या फायदा है । मैं समझता हूं कि जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की भी है । जिन-जिन मुल्कों में जनतंत्र है वहां पर विरोधी पक्ष उतना ही जिम्मेदार है जितना सत्ता पक्ष । ला एण्ड आर्डर खराब है और बहुत सी बातें इस तरह की हैं, मैं मानता हूं, तो क्या जो सरकार है, मंत्रि मंडल है, यहां बैठे हैं, क्या वह नहीं चाहते कि ला एण्ड आर्डर ठीक हो । कौन सी इस तरह की बात है । जब आप सरकार में थे, इधर बैठते थे क्या आप की नीयत इस तरह की थी कि ला एण्ड आर्डर ठीक न हो । जहां तक अत्याचारों की बात है, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है, डकैत मारे जा रहे हैं, हैलीकाप्टर इत्यादि इस्तेमाल किये जा रहे हैं, बहुत काम हो रहा है । छप्परा तो आप उड़ा ले गये, उसको भरा ही नहीं, मसखरों की तरह. . .

श्री अधिष्ठाता—

आप के दो मिनट रह गये हैं । आप छप्परा कहते रहे और दो मिनट निकल गये ।

श्री धर्म सिंह--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । आज नैतिकता की दुहाई दी जा रही है, आज किसान रैली की बात की जा रही है, जब माननीय चौधरी चरण सिंह का जन्म विक्रस मनाया गया था उसका 7-8 करोड़ पैसा कहां चला गया । आप दुहाई देते हैं किसान रैली की । इसके साथ ही साथ बहुत सी बातें हैं जिनकी ओर आप ध्यान दें । मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो हमारे एम0 एल0 ए0 और एम0 एल0 सी0 तथा एम0 पी0 हैं उनकी ड्यूटी लगायी जाय कि वे एक-एक दिन में एक-एक गांव में जाय एस0 डी0 एम0 के साथ जांय और जो इस तरह के केसेज होते हैं कि हरिजनों को जमीन नहीं बांटी जाती है, उनको देखें । इस तरह से हर सब लोगों से काम लिया जाय । हफ्ते में एक दिन हीं चलें तो हम उनकी ज्यादा सेवा कर सकते हैं ।

मान्यवर, आपके पास नियम हैं जी0 ओ0 हैं लेकिन आज उनका पालन नहीं होता है । जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उसने इस सम्बन्ध में सख्त कदम उठाये हैं । इस तरह से हरिजनों का जो कोटा पूरा नहीं हो पाता उसे पूरा कराया जाय । अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपके पास 87 निगम हैं । वे घाटे में चल रहे है । इसलिये आप इन निगमों के आर्गनाइजेशन पर पुनर्विचार करें कि उनमें कैसे नुकसान न हो, वे लाभ पर चलें । कितना पैसा ये निगम खर्च करते हैं, क्या जनता की सेवा करते हैं इन सब चीजों को देखते हुये उनके रीआर्गनाइजेशन की आवश्यकता है । इन शब्दोंके साथ मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री अनवार मुहम्मद खां--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस ग्रांट पर बोलने की इजाजत दी । मुख्य मंत्री जी ने जिन चुनौतियो का मुकाबला करने की बात कही है उसके सिलसिले में मैं सिर्फ दो-तीन बातें करना चाहता हूं । आप हरिजनों की बात करते हैं । आपका शासन है, आपके पास जो रिपोर्ट आती हैं, जो आंकड़े आते हैं उनको आप गौर करके देख लें । 50 परसेन्ट थानों में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है । अगर आप इतना ही कर सकें कि सख्ती कर दें कि थानों में सही रिपोर्ट लिखा दी जा सकें और यह कर दें कि यदि हेड कांस्टीबुल और दरोगा रिपोर्ट लिखने के लिये मना करे तो वह उसके लिये जिम्मेदार होगा और वह जुर्म होगा । इतने ही में आपके आंकड़े सही आने लगेंगे । हम लोग गांव में जाते हैं तो यही बात सामने आती है कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । जहां तक हरिजनों की बात है, उनके लिये प्यार और मोहब्बत की बात है, उनसे तो सब लोग प्यार मोहब्बत करते हैं

[श्री अनवार मुहम्मद खां]—

और कहा जाता है कि कांग्रेस ने तो उसको बहुत बड़ी दौलत दी है । मेरे क्षेत्र में कुछ हरिजन हैं जो काफी मजबूत हैं लेकिन कायमगंज क्षेत्र के 16 मील दूरी पर एक बेबलपुर गांव है जहां कि सरदार सिंह एक जमींदार थे । उनके लड़के प्रकाश सिंह हैं, जो वहां पर हरिजनों को और गरीब लोगों को परेशान करते हैं । वहां का हर आदमी चाहे वह अहीर हो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो वह चारपाई की दौन पर बैठने का हकदार भी नहीं है । उसकी जमींदारी रावण जैसी जमींदारी है । उसकी जो जमीन सीलिंग में गई है उसके आज तक पट्टे नहीं हुये हैं और लाइसेन्सी बन्दूकों और राइफलों के जोर पर उनके पट्टे नहीं हो पाते हैं । मैंने 400 एकड़ जमीन बेबलपुर के लोगों को--मिस्त्री, कहार आदि लोगों को पट्टे दिलवाये हैं लेकिन जब वहां पर कानूनगो आदि लोग जाते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है । आज तक भी उन पट्टों पर अमलदरामद नहीं हुआ है ।

एक वहां पर कन्हई जाटव पश्चिम की तरफ रहता है । उसके कुछ अच्छे बैल हैं, खेती करते हैं । अभी एक महीना ठाकुर प्रकाश सिंह उनके घर गये और लाइसेन्सी बन्दूकों से फायर करके उनके घर पर आग लगा दी और घर जला दिया । सुबह जब वे रिपोर्ट लिखाने के लिये पंडित रामशंकर के पास आया तो उसने कहा एम० एल० ए० खां साहब से भी शिकायत उन्होंने की, किन्तु वहां भी उनको इन ठाकुर साहब ने बूढ़ी गंगा के पास बन्दूकों और रायफलों से फायर करके डराया और धमकाया, रिपोर्ट नहीं लिखाने दी । क्या मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच कराकर उसके खिलाफ मुकदमा चलायेंगे और उनके लाइसेन्सी असलहा जब्त करेंगे ? उसको धमकाया और न थाने में रिपोर्ट लिखाने दी गयी । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी गरीब आदमियों की बात करते हैं तो वह देखें कि उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा सकी । आज भी उनके मकान जले हुए मौजूद हैं । उन लोगों को राइफलों की नोक पर वापस कर दिया गया । आप इसकी जांच कराकर देख लें यह हरकत की गयी है । तो क्या आप इसकी जांच कराकर उनकी लाइसेन्स जब्त करायेंगे ।

तीसरी बात कहना चाहता हूं यह हरिजनों को प्यार की दुहाई देते हैं । यहां पर गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं । मेरे यहां एक बाबूराम तिवारी सिपाही है, जो इलाहाबाद का रहने वाला है वह अपने को मंत्री जी का रिश्तेदार बताया करता है एक और दूसरा सिपाही है वह भी इलाहाबाद का रहने वाला है । हमारे यहां कायमगंज चिलाबा बस्ती है, जिसमें हरिजन ज्यादा रहते हैं । वहां एक बारात आई बड़े-बड़े तमाशे ता पैसे वाले कराते हैं लेकिन वहां कठपुतली का नाच हुआ तो उस सिपाही ने लोगों पर ज्यादती की लेकिन 50 आदमी थे उन्होंने उसकी खूब पिटाई की । लिहाजा तिवारी पिट गये और चोटें मौजूद हैं लेकिन कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया पब्लिक के ऊपर । वह तिवारी कायमगंज में आया, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सारी चीजें बदनाम करने वाली है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अनवार साहब, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री अनवार मुहम्मद खां––

अभी तो बहुत थोड़ा बोला है। तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर जाती है। वह सिपाही कायमगंज से कमाल गंज गया वहां तमाशा हो रहा था जिसमें उसने एक बनिया को खूब पीटा अगर वहां का इंचार्ज तिपतमा न बचाता तो वह बहुत पिट जाता। उस तिवारी के खिलाफ 325 का मुकदमा कायम है। लेकिन वह कहता है कि मंत्री जी मेरे रिश्तेदार हैं। यहां निजी सचिव ने टेलीफून किया एस0पी0 को लेकिन उन्होंने कहा मेरी मंत्री जी से बात करा दें लेकिन बात नहीं कराई। वह सिपाही 15 दिन की छुट्टी लेकर इनकी कोठी में पड़ा रहा। वह कहता है कि मैं साले को जूते गढ़वा दूंगा और होमगार्ड में उसका तबादला करा दूंगा और दो एस0 पी0 का ट्रान्सफर हो गया उसकी बात सच निकली।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अनवार मुहम्मद खां––

तो इसके संबंध में पांचों जिलों से रिपोर्ट मांग लें। अंत में मैं कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मुरादाबाद में जैसा रियासत साहब ने कहा वहां एक मस्जिद है, जिसको तोड़कर मंदिर के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह जवाब दें किस तरह आपने काम किया है और दफा 144 व कर्फ्यू लगा रहा। मस्जिद को तोड़कर मन्दिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

***श्री संजय सिंह––**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जब 1977 में स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण जी, तत्कालीन लोकनायक ने हिन्दुस्तान भर के नौजवानों से कहा कि तुम हमारी लड़ाई में शरीक होओ तो हम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे और अगर रोजगार नहीं देंगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। परिणाम क्या हुआ वह आपके सामने है। मैं अपने प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के छात्रों और नवयुवकों के कल्याण के लिए एक कोष का गठन किया गया है, जिसमें 5 करोड़ रु0 की धनराशि दी गयी है, जिसके द्वारा प्रदेश में नौजवानों और छात्रों को हर तरह से अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संजय सिंह--]

प्रगति करने के लिए पूरा मौका मिलेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी विरोध पक्ष में भाई मोहन सिंह से लेकर अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने कुछ हमारे मंत्रियों की चर्चा की । मैं नहीं कहना चाहता कि पिछली लोकदल अथवा जनता सरकार में मंत्रियों ने क्या-क्या किया था । वैसे श्री रवीन्द्र किशोर शाही ने क्या किया, आबिद अली अंसारी ने क्या किया था । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज के विरोध पक्ष में हमारे बहुत ही चर्चित और अच्छा बोलने वाले एक सदस्य हैं, जिनको बिजली का भुगतान करना था । इस संबंध में इंजीनियर जाता है और एक ऐसा भी समय आता है कि उसका कनेक्शन काटना पड़े, तो इन माननीय सदस्य के भाइयों ने उन लोगों के साथ क्या व्यवहार किया था और उनका जिले में क्या परिणाम हुआ, यह भी हम सब जानते हैं ....

(व्यवधान)

आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं भी बोल सकता हूं, आप सुनने की क्षमता रखें । आज बहुत से लोगों ने कहा एन० एस० ए० क्यों हुआ, इसमें भ्रष्ट और आर्थिक अपराधियों को क्यों बन्द किया गया । पिछली सरकारों ने शाह कमीशन और उस तरह के तमाम दूसरे इंक्वायरी कमीशन स्थापित किये थे और इन्हें केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ बदले की भावना से गठित किया गया था । उसके बारे में क्या सोचा गया है । पिछली लोकदल की सरकार ने जब चुनाव हुआ था, उस समय डाकुओं का साथ तमाम मंत्रियों ने लिया था, मुलायम सिंह ने उस समय के डाकुओं का साथ लिया था और उन्होंने हर जिले में यह शक्ति दिखाना चाहा था कि उनके कुछ साथी हैं । तो उस समय सिर्फ डाकुओं के प्रभाव....

श्री मोहन सिंह--

यह निरन्तर व्यवस्था है कि जो इस आदरणीय सदन का सदस्य नहीं है, उनके बारे में बिना किसी डाकूमेन्ट्री-प्रूफ के, रपट के या किसी कमीशन की रपट के यहां कोई बात नहीं कही जा सकती है, केवल उन्हें ही पढ़ा जा सकता है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ?

श्री संजय सिंह—

इन्दिरा गांधी के खिलाफ आप लोग इतना बोलते हैं, क्या वह इस सदन की सदस्य हैं या कोई...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मोहन सिंह जी, आप बैठिये, वह कार्यवाही से देख लिया जाएगा ।

श्री संजय सिंह--

जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए-जैसा कि पिछले शासन में मंत्रियों के दफ्तर के बाहर लिखा हुआ लगा था कि कृपया स्थानान्तरण के बारे में बात न कर, लेकिन वहां सिर्फ स्थानान्तरण हुआ करते थे--उसको रोकने के लिए अप्रैल तक जो स्थानान्तरण स्थगित किये गये हैं तथा

उनके बारे में समुचित नीति निर्धारित की गई हैं, उससे निश्चय ही इस भ्रष्टाचार में कितनी राहत मिली है, यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है। आज सरकार में जितने अस्थाई कर्मचारी हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए उनका स्थायीकरण किया गया है, उनका भत्ता और आवासीय भत्ता बढ़ाया गया है। यह भी इस सरकार की प्रशंसनीय बात है। आज के शासकीय कार्य में हिन्दी को बड़ी प्रमुखता मिली है और यह आदेश दिये गये हैं कि विभिन्न विभागों में अधिकतर कार्य हिन्दी भाषा में किया जाए। यह भी उपलब्धि की बात है। हर तरह से प्रशासन को चुस्त करने के लिये और अन्य विभागों में जो राज्यपाल द्वारा पदक दिये गये, उसके साथ-साथ इस प्रशासन ने अपने प्रदेश की तरफ से धनराशियां निश्चित की हैं। यह भी बहुत उपलब्धि की बात है।

आज हर प्रकार की बहुत सारी बातें कही गयी है। कहा गया कि हरिजनों पर बहुत अत्याचार हुआ है। गत एक वर्ष के इस प्रदेश के शासन में सरकार की ओर से हर तरह के कदम उठाये गये हैं। इस प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचार रहा उससे बचने के लिए भी शासन कदम उठा रहा है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री और आज के इस मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली सरकारों के जमाने में जिस तरह की बातें होती थीं उनसे बचने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। हरिजनों, दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई के लिए भी हर प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं। अभी यहां पर कुछ व्यक्तियों ने मुरादाबाद की बात कही। पिछले ही शासन में अलीगढ़ में 2–3 साल तक इस तरह के दंगे रहे लेकिन उस समय की सरकार नहीं रोक पायी। मुरादाबाद में अशांति अवश्य हुयी लेकिन कितनी जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया गया यह कितनी प्रसन्नता की बात है।

पंतनगर का कांड और कानपुर की सूती मिल में मजदूरों पर गोलियां चलायी गयी ये सारी घटनायें किस समय में हुई थी? आज भी हर तरह से हर स्थान पर शांति व्यवस्था नहीं बनायी जा सकती लेकिन प्रशंसनीय बात यह है कि किस प्रकार से अशांति के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यही इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

अब मैं इस बजट पर बोलते हुए अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। पुलिस की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि समाज इसे आसानी से ग्राह्य हो और पुलिस भी इस समाज में कुछ अच्छा स्थान बनाये जिसके लिये हम चाहेंगे कि हर तरह से जो इसमें सुविधायें, जो बदलाव हो सके, वे किए जायं। आज इस प्रदेश में कुछ एस० पी० ऐसे हैं जिनके प्रमोशन की बात है। मैं चाहूंगा कि उनकी सेवा के अनुरूप उनकी पदोन्नति हो। उस प्रमोशन के हिसाब से उनका वेतन बढ़े। इस समय इन्सपेक्टर के रैंक वाले को वर्दी भत्ता मिलता है। मेरा सुझाव है कि वह सिपाही के स्तर तक दिया जाय। हर थाने में, थानों के हिसाब से पुलिस के अधिकारियों को जो ड्यूटीज या काम दिये जाते है उनको चाहिये कि हर गांव के स्तर पर अच्छा काम करें और इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

[श्री संजय सिंह--]

अन्त में इस बजट का समर्थन करते हुये निवेदन करूंगा कि जो मेरे सुझाव हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाय ?

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के कल के भाषण का आभारी हूं कि उन्होंने कल के भाषण को आरम्भ करके इसको सामान्य प्रशासन के बजाय सामान्य चर्चा का रूप दे दिया और जिसका उपयोग हमारे नेता विरोधी ने किया। उसके बावजूद भी मैं अपना बहस को सामान्य प्रशासन तक ही महदूद रखूंग, उसके बाहर जाने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कुछ फिगर्स दी, कुछ तादादें पुलिस की तारीफ में कही और कहा कि क्राइम्स इस तरह से घटे, डकैतियां इस तरह से घटीं। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री को सच कहें या अपनी प्रधान मंत्री को सच कहूं ? माननीय प्रधान मंत्री ने 24 तारीख को कान्फ्रेन्स बुलाई थी सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन का और स्टेट एंटी करप्शन एजेंसीज की उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस में जनता की आस्था कम हो रही है और क्राइम में पुलिस का डायरेक्ट इन्वाल्वमेंट है।

(व्यवधान)

यह सारे देश के लिए कहा है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बड़े बुजुर्गों की कहावत है यदि जान बचाने के लिए सम्पत्ति देनी पड़े तो सम्पत्ति देकर जान बचा लो और यदि सम्मान जा रहा हो तो जान दे दो सम्मान बचा लो।

माननीय सदस्यों के बारे में प्रोटोकाल के आदेश जिलाधिकारियों को समय-समय पर चीफ सेक्रेटरी, गृह मंत्री, विभागीय सेक्रेटरियों के द्वारा भेजे गये हैं और उनमें कहा गया है जब माननीय सदस्य किसी अधिकारी से मिलने जायं तो वह अधिकारी खड़े हो कर रिसीव करे और माननीय सदस्य बाहर जायं तो जिला अधिकारी का फर्ज है कि उसको दरवाजे तक छोड़ने जायं। अब कोई भी माननीय सदस्य चाहे इधर का हो अथवा उधर का हो उसको यह आदर प्राप्त होता है ? (नहीं नहीं की आवाजें) नहीं मिलता है। 70 से 80 तक ये आदेश आपके द्वारा पारित हुए हैं लेकिन उनको वह नहीं मानते। क्यों नहीं मानते और क्यों मानें ? देश आजाद हो गया, प्रजातन्त्र स्थापित हो गया। जब अंग्रेजों का राज्य था तो वही वर्ग रूल करता था। अंग्रेज उससे हुकूमत कराते थे। प्रजातन्त्र हो गया तो जनता इस देश की राजा हो गयी। आप भी ऐसा करते हैं हम भी ऐलान करते हैं पब्लिक मीटिंग में और जिलाधिकारी महोदय भी पब्लिक मीटिंग में यही ऐलान करते हैं कि जनता देश की राजा है। अब जनता द्वारा यह माननीय सदन चुना गया है। अब कार्यपालिका जिसको सम्मान देने की जरूरत है वह आज भी पहले की तरह यही समझती है कि रूलर हम ही हैं। जब तक आप उस कार्यपालिका की साइकालोजी को नहीं बदलेंगे तब तक यही हश्र होगा। आप और हम सभी देश के सेवक हैं और वे भी देश के सेवक हैं जब तक यह अहसास उनको नहीं कराया जायगा तब तक यह सम्मान मिलने वाला नहीं है। कैसे उनको एहसास हो कि वह भी देश के सेवक हैं। मेरा आपसे एक लफ्ज का सुझाव है कि जितनी जगह अफसर लगा हुआ है, उसको 'ओ' के बजाय 'एस' कर दीजिए ताकि वह भी यह महसूस करने लगें कि वह भी सेवक हैं, अफसर नहीं हैं। जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

भी एस0 डी0 ओ0 लगा हुआ है वहां एस0 डी0 एस0 लगा दीजिए। जहां पर बी0 डी0 ओ0 लगा हुआ है, वहां बी0 डी0 एस0 लगा दीजिए, तब उनको मालूम हो जायगा कि अब हम अफसर नहीं रहे, हम इस देश के सेवक हैं। जब तक यह आप नहीं बदलेंगे, तब तक यह रोने की स्थिति रहेगी।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, संविधान में वे आलरेडी पब्लिक सर्वेन्ट हैं।

श्री रियासत हुसैन--

आपको जितना मालूम है, उतनी ही बात तो आप करेंग। मान्यवर, मैंने सुझाव दिया था कि अब आपके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह तो नाकामयाब हो गये डाकुओं का मुकाबिला करने के लिए। आप स्वयं राजा हैं, आप स्वयं मैदान में जायं कि हम आ गये। आपने राजभवन से तलवार मंगवा ली वहां जाने के लिए। लेकिन हश्र क्या हुआ ? तलवार उठ गयी, आप यहां बैठे हुए हैं और डाकुओं में 6 और बढ़ गये, मुस्तकीम मारा गया, वह भी मशहूर बात हो गयी कि वह मारा गया कि नहीं मारा गया और माननीय काशीनाथ मिश्र बेचारे हमारे यहां चौखम्भा राज्य की वह बहुत बात करते थे। एक कुसमा नाइन, दूसरी मीरा रानी ठाकुर, तीसरी फूलन देवी और एक रोदी नाम की कल से और आ गयी। डाकुओं का चारों खम्भे इस तरह से पूरे हो गये। अब क्या हश्र होना है उन डाकुओं के बारे में, जो आपके अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि आज फलां जिले में फलां डाकू लोग आ गये हैं, आज वे मारे जाने वाले हैं।

मैं मान्यवर, एक बात सुना दूं। जब छोटे से हम थे, तो हमको एक कहानी सुनाई गयी थी कि बौना चोर करियल वाला बड़ा भारी चोर था। उसके बारे में रोजाना रिपोर्ट राजा के पास आती थी। तो उसके जो सहायक थे, वे कहते थे कि साहब चोरी हो गयी। वह राजा पूछा करते थे कि कहां है बौना चोर। वह होशियारी यह करता था कि चक्की का पार्ट जो होता है, वह तरकीब यह करता था कि रात को चोरी की और दिन में पानी भर लिया और चक्की के पार्ट में बैठ गया। तो जो उनके यहां आदमी हुआ करता था, जो हिसाब लगा कर बताता था कि वह समुद्र में बैठा है। तो यह तो किसी के दिमाग में आता ही नहीं था कि चक्की के डिब्बे में बैठा है। तो यही हाल आपके अधिकारियों का है कि कल को फूलन मारी जाने वाली है। पता नहीं यह कब तक बौना चोर की हालत चलेगी। आज 14 फरवरी के बाद आज 27-28 तारीख हो गयी, यह बड़े शर्म की बात है कि एक इतना बड़ा काण्ड बेहमई का और अभी तक आप उसका नाश नहीं कर सके। इससे ज्यादा और लज्जा की क्या बात हो सकती है ?

अब मैं कहना तो नहीं चाहता था, मैं इस अपने भाषण में मुरादाबाद का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुरादाबाद से ही शुरू किया, मैं नहीं बोलना चाहता था

[श्री रियासत हुसैन---]

मुरादाबाद के सिलसिले में, मैं मुरादाबाद के मामले में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुरादाबाद से शुरू किया। वे मुरादाबाद गये थे, एक जलसा किया। यह फोटो है घिरे हुये कुल 200 आदमियों की--कुल 200 आदमी। जिस मैदान में आपने 200 आदमियों का जलसा किया है, वहीं जब पंडित कमलापति त्रिपाठी गये थे, तो 10 हजार आदमी था। एक मुख्य मंत्री के 10 हजार आदमी आये और एक के लिए सिर्फ 200 आदमी। आपने एलान कर दिया कि 8-9 करोड़ रु0 दे दिया मुरादाबाद को, जिनका नुकसान हुआ 8-9 करोड़ रु0 दे दिया। आपने यह जो एलान कर दिया, यह ठीक है, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। 13 अगस्त को जो बच्चे मरे थे, या 13 अगस्त के बाद जो 3 दिन लगातार मुरादाबाद में ला एण्ड आर्डर खराब रहा, चारों तरफ गुण्डों और पी0 ए0 सी0 का शासन रहा। पी0 ए0 सी0 वालों ने गली-कुंचों में जा करके बलात्कार किए। बहन, भाई-भाई चिल्लाती रही, बेटी बाप-बाप चिल्लाती रही और बलात्कार होता रहा। क्या आपके रुपये पैसे उनकी इज्जत लौटा सकते हैं, क्या आपके रुपये मरे हुये की जिन्दगी वापस ला सकते हैं। "वर्ल्ड प्रेस" में आ गया कि 13 अगस्त को जो काण्ड हुआ तो आपके रेडियो में जो सूचनायें थीं . . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रियासत हुसैन जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, केवल 3-4 मिनट का समय और दे दें। तो आपके रेडियो ने जो सूचनाएं दीं। 13 तारीख को 1-05 के रेडियो पर जो आपकी सूचना थी, उसमें बताया गया था कि 15 आदमी मारे गए उसी दिन 7-20 बजे रेडियो ने सूचना दी कि 95 आदमी मारे गये, 14 तारीख को 8-00 बजे की न्यूज में था कि 105 आदमी मारे गये, 16 तारीख की न्यूज में था कि 112 आदमी मारे गए। जब एसेम्बली में आपने जवाब दिया 13 तारीख को ईद के दिन 3 आदमी मारे गए। यह कन्सीलिंग की बात है और अगर 3 आदमी मारे गये थे तो.....

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आप पहले पढ़ लीजिये, किस स्थान के लिये कहा गया है।

श्री रियासत हुसैन--

यह दोनों ईदगाह की बात है। तो अगर 3 आदमी मारे गये तो यह कौन सी 3 लाशें हैं, जिनको सुअर खा रहे हैं, यह कहां से आ गयीं। इस तरह से कन्सीलिंग के मामले में आपके लोग माहिर हैं। वे चाहें तो सांप को रस्सी बना दें और रस्सी को सांप।

जो मिनस्टरों के बारे में मोहन सिंह जी ने कहा, मिनिस्टरों के खर्चे बहुत बढ़ गये हैं, टेलीफोनों को छोड़िये, एक खर्च आपकी दिल्ली की रिहायश के फर्नीचर के ऊपर 62 हजार रुपया इस वर्ष में खर्च हुआ है। नयी दिल्ली में बने उत्तर प्रदेश निवास में फर्नीचर, चादरें, तकिया, दरियां और पर्दों पर 62 हजार रुपया खर्च हुआ है। यह हमारे मित्र श्री मित्रसेन जी के प्रश्न के उत्तर में आया है तो क्या पहले जो मंत्री थे, उनको कुर्सियां वगैरह नहीं मिली थीं।

श्री भगवती सिंह विशारद––

उठा ले गये थे।

श्री रियासत हुसैन––

इसलिये यह जो फिजूलखर्ची, है, इसकी तरफ आप ध्यान दीजिये।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन––

यह वजीरों के रहने का सवाल है नये वजीरों का नहीं। हाफिज जी दिखाई दिये इसलिये मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं––

चाहे गले के तेगे बराहना क्यों न हो।
लेकिन सितम गर की हिमायत न कीजिये।

अन्त में अपनी बात समाप्त करता हूं और नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी––

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन और पुलिस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं, कृतज्ञ हूं एक ईमानदार आदमी उत्तर प्रदेश को मिला है। माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये जो गौरी शंकर जी ने बातें कही हैं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। कल नेता विरोधी दल कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे और कुछ सुझाव नहीं दिया। जब कि प्रस्ताव यह था कि आलोचना करना चाहता हूं और कटौती प्रस्ताव रखकर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आलोचना तो लच्छेदार शब्दों में किया लेकिन सुझाव नहीं दिया। मोहन सिंह बोल रहे थे उन्होंने कुछ बातें की। श्री राम आसरे वर्मा जी ने इन्दिरा जी का नाम लिया। मैं वर्मा जी को बताना चाहता हूं कि इन्दिरा जी कायरों की नेता नहीं है वह बहादुरों की नेता हैं, संघर्ष की नेता हैं, इन्दिरा इस देश की ही नहीं संसार की नेता हैं। नेता–विरोधी दल ने लच्छेदार भाषण में बोल रहे थे और यह सौभाग्य की बात है कि डेढवर्ष पहले जो फौज यहां थी उस फौज के कप्तान नेता विरोधी दल थे। मोहन सिंह भी थे उस कम्पनी में।

यह सौभाग्य की बात है कि आंसू बहा रहे थे प्रदेश के किसानों के लिये। मैं याद दिलाना चाहता हूं जब उत्तर प्रदेश के आप कृषि मंत्री थे तो साल भर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—]

हवा बांधते रहे कि आलू का भाव तय कर रहे हैं और उस समय आलू 5 रुपये बोरे बिकी और धूर में सड़ी । मोहन सिंह जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे । उनका चरित्र अच्छा है वह भ्रष्ट नहीं हैं । किन्तु उनके जो कैबिनेट के मंत्री थे उनमें से 9 पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे सामूहिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे भैंस चोरी के आरोप लगे, लड़कियों को भगाने तथा उनके साथ कुकृत्य करने के आरोप लगे । मैं याद दिलाना चाहता हूं जब ढाई तीन वर्ष पहले यह इस बेंच पर बैठे थे । उनमें से ढ़ाई सौ के ऊपर माननीय सदस्य ऐसे थे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे । इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिये । तरह-तरह के आरोप थे, इसलिये मान्यवर, पहले आप अपने दामन को देखें फिर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगायें, चार्ज लगायें । मान्यवर, अंत्योदय की बात कही गयी, सारी गड़बड़ी इन्हीं के वक्त में हुयी और चार्ज यह हमारे ऊपर लगा रहे हैं । मैं, माननीय मुख्य मंत्री का आभारी हूं कि उनके वक्त में किसानों को गन्ने का अच्छा मूल्य मिला, इतना अच्छा गन्ने का मूल्य कभी पहले नहीं मिला है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज जो गन्ने का किसान है उसकी हिम्मत बन्धी है कि कांग्रेस की सरकार में अच्छा मूल्य मिलेगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इसलिये भी आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने नयी औद्योगिक नीति दी है । अब तक जो नीति चलती थी उसमें उद्योगपति मारे-मारे फिरते थे । कहीं कुछ इंतजाम था, कहीं कुछ था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को जो नयी औद्योगिक नीति दी है उसमें सारी सुविधायें एक ही स्थान पर मुहैय्या की जायंगी । जिस वक्त उद्योग लगाने की अनुमति दी जायगी उस वक्त समझ लिया जायगा कि बिजली की आवश्यकता है और वह मुहैय्या की जायगी ।

मान्यवर, परीक्षायें समय से हो रही हैं । इसलिये मैं, मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं । इनके शासन काल में कभी परीक्षायें समय से नहीं हुयीं और आज बड़ा भारी ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा शासन ठीक था । मान्यवर इससे बड़ा सबूत और क्या है कि इनके ढ़ाई वर्ष के शासन में एक भी पुलिस के अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुयी । लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने एक अधिकारी को बर्खास्त किया । मान्यवर, इसी के साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । पहला सुझाव यह है कि पहले जो हमारे आई० जी० पुलिस थे उनका अच्छा सम्मान होता था .....।

एक सदस्य—

आप मंत्री बन जायेंगे ।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

आपको तो बनना नहीं है, आप अफसोस न करिये । पहले हमारे यहां जो आई० जी० होते थे उनका सम्मान अधिकारियों में और सब जगहों पर रहता था । कुछ वर्षों से ऐसी परम्परा बन गयी है कि लगता है कि दर्जा कुछ घट गया है । राज्यपाल के जो सलाहकार हुआ करते थे उनमें आई० जी० पहले हुआ करते थे । उत्तर प्रदेश के सेक्रेटेरियट में आई० जी० के लिये एक अलग कमरा हुआ करता था, लेकिन वह परम्परा समाप्त हो गयी है । मैं पुलिस थानों के बारे में कहना चाहता हूं, थानों के अन्तर्गत जो कांस्टेबिल होते हैं उनके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है । कांस्टेबिल की कार्य प्रणाली पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है और प्रशासन पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता है । इसलिये पुलिस थानों पर

कर्मचारियों के रहने के लिये क्वाटर्स की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो मालखाने हैं उनकी दशा खराब है। हर कहीं थानों में आप चले जायं, लखनऊ के अन्दर, जो साइकिलें और मोटर साइकिलें चोरी की पकड़ी जाती हैं वह बाहर वैसे पड़ी रहती हैं जिसे धूप और बरसात के कारण उनकी दशा खराब हो जाती है। 2 वर्ष बाद जब मुकदमा लगता है तो जिस रूप में उसको पकड़ा गया था उसका रूप बदल जाने के कारण मुकदमों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिये मालखानों की व्यवस्था होनी चाहिये और उनका इंतजाम अच्छा होना चाहिये। अगर ऐसा इंतजाम हो जायगा तो जो मुकदमें छूट जाते हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहां थानों में जो सी0 ओ0 होते हैं उनके पास काम बहुत होता है, पुलिस लाइन देखनी पड़ती है, एकाउन्ट देखना पड़ता है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हर जिले के लिये एक एडीशनल एस0 पी0 की नियुक्ति की जाय जो मिसलेनियस कामों को देखे एकाउन्ट और दूसरे कामों को देखे।

माननीय सदस्यों ने आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अधिकारियों के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किए। उनके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे इनके साथ रहने का अवसर मिला, सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते, कुछ बहुत ही अच्छे और मिलनसार भी होते हैं और हर अधिकारी के पीछे ऐसी धारणा बना लेना किसी हद तक ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हर गोविंद वर्मा--

माननीय, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने और माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट का....

(शोर)

विरोध करता हूं।

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

माननीय, हम लोगों को बोलने का बराबर का समय नहीं दिया जा रहा है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय, बोलने वाले इधर ज्यादा हैं, इसलिए एक उधर का और दो माननीय सदस्य इधर के । ऐसी व्यवस्था माननीय, कीजिए ।

श्री हर गोविंद वर्मा---

माननीय, सामान्य प्रशासन पर कल से चर्चा चल रही है । आज पूरे प्रदेश की स्थिति क्या है, इसको आज बतने की जरूरत नहीं है । माननीय, आप भी जनता के बीच जाते होंगे और आपको भी जनता के विचारों को सुनना पड़ता होगा कि कहीं भी प्रदेश का प्रशासन चुस्त नहीं है । इसके माननीय, कई कारण हैं । एक तो कारण यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वह एक सामन्तवादी व्यवस्था से आए हैं । सामन्तवादी होने के कारण उनके साथ जो ब्योरीक्रैट लगा हुआ है, आज पूरी

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए ।)

तरह वही हावी है और सारे काम को वही कर रहे हैं । चाहे कोई भी काम आप ले लें, हर जगह यह सामन्तवादी ही हावी हैं । दूसरी बात माननीय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने साम्प्रदायिकता के बारे में कहा और कहा कि 10 महीने के शासनकाल में तमाम रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाया । मुरादाबाद का मामला जो अगस्त में हुआ, उसको पहले उन्होंने कहा कि यह पुलिस वालों की वजह से हुआ फिर उन्होंने बाद में कह दिया कि साम्प्रदायिक झगड़ा है, उसको साम्प्रदायिकता का पुट दे दिया गया ।

माननीय, यही नहीं आज ही कुछ हो रहा है, सामने आ कुछ रहा है । आज पूरे प्रदेश में क्राइम छाया हुआ है, डाकुओं का जोर है । आज आप अगर किसी भी थाने की जांच कराकर देख लें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 75% क्राइम को न दिखाकर 25 प्रतिशत ही दिखाया जा रहा है । इस तरह से पूरे प्रदेश के सामने गलत डेटाज रखकर यहां की 11 करोड़ जनता को गुमराह किया जा रहा है । यह सारी सामन्तवादी व्यवस्था का पुट है । माननीय मुख्य मंत्री जी पूरे प्रदेश को तो छोड़िए आप केवल किसी एक थाने को ही ले लें और वहां के क्राइम की जांच करायें तो आपको साफ पता चल जायेगा कि कितने क्राइम आज प्रदेश के अन्दर हो रहे हैं और कितने जनता के बीच लाये जाते हैं । फूलन देवी के बारे में चर्चा आज कई दिन से हो रही है और जब भी यहां फूलन देवी की चर्चा आती है तो यहां उधर के विधायक गण और मंत्री सभी उसे सुनकर घबराने लगते हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

माननीय, यह गलत कह रहे हैं कि यहां कोई भी फूलन देवी की चर्चा पर घबराता नहीं है ।

(व्यवधान)

अनुदान संख्या 8––मंत्रि परिषद अनुदान संख्या 17––सचिवालय, अनुदान संख्या 18––आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19––गृह विभाग (राजनीतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग अनुदान संख्या 25––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29––सतर्कता, अनुदान संख्या 30––नागरिक सुरक्षा अनुदान संख्या ६7––विज्ञान और प्रोद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81––गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत व्यय

श्री हरगोविन्द वर्मा––

उस दिन से परमानेन्ट पास खारिज किए गए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे यहां प्रदेश की राजधानी में भी, इस सचिवालय में भी फूलन देवी का भय व्याप्त है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रशासन जो है, जो हमारे कानून की व्यवस्था है उसका हमारे मुख्य मन्त्री जी प्रत्यक्ष दर्शन हो गया आपके गवर्नर हाउस में। अब आपको दिखाई पड़ा कि किस तरह से क्राइम, चोरी डकैती बढ़ती चली जा रही है। वहां से जो तलवार चोरी गयी है, तो अब जो तलवार मिली है वह झूठी तलवार है, शासन को बदनामी से रोकने के लिये यह काम किया गया है। इस प्रदेश का प्रशासन हमारे प्रदेश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारी सरकार इस 11 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे मुख्य मन्त्री ने कल कहा था कि कृषि, सिंचाई और पी0 डब्लू0 डी0 के मामले को लेकर मैं मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आप 35 किलो मीटर या 40 किलो मीटर पैदल चल करके देखें कि जून के माह में जो सड़क टूटी थी 11 किलो मीटर की सड़क, आज 9 महीने हो गये, 9 महीने से वह बराबर बन रही है और अभी तक बन नहीं पायी है। इससे साफ पता लगता है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री का कोई प्रभाव नहीं है। सारी नौकरशाही, सारे अधिकारी उस पर हावी हैं।

जिले के अन्दर जिलाधिकारी किस तरह से अनादर करते हैं माननीय सदस्यों का। कोई भी विधायक हो चाहे इस पक्ष का या उस पक्ष का विधायक हो क्योंकि पिछली बार उस तरफ की एक विधायिका की बात थी, वह विधायिका कांग्रेस (आई) की ही थीं उन्होंने भी इस बात को कहा था इस सदन में कि किस–किस तरह से वह अवहेलना करते हैं और सम्मान नहीं करते हैं।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य, अब आप बैठें, आपका टाइम हो गया।

श्री हरगोविन्द वर्मा––

अगर प्रशासन को सफल बनाने की चेष्टा करनी है तो पूंजीवादी व्यवस्था को खतम करने के लिए मजबूती के साथ कदम उठाना चाहिए। जो नौकरशाही हिन्दुस्तान के अन्दर आज सदियों से अपने पैर जमाए हुए हैं, गरीबों का खून जो चूसती चली आ रही है, कानून व्यवस्था को नाकाम किए हुए है, इसको खतम करने के लिए आपको सख्त कदम उठाने चाहिए। आज हिरण्याकश्यप के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था विराजमान है और यदि ऐसी ही कानून व्यवस्था बनी रही तो होलिका बनकर आप प्रशासन को जला देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप ब्यूरोक्रेसी को, सामन्तवादी व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करें और स्वच्छ प्रशासन लायें जिससे कि गरीबों को राहत मिल सके। आप एक मजबूत और सुसंगठित बन कर आप तभी यहां शासन

[श्री हर गोविन्द वर्मा--]

कर सकते हैं जबकि आप यहां की पूंजीवादी व्यवस्था को खतम करने की कोशिश करेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठ।--

मैं आपके माध्यम से सबसे पहले नेता विरोधी दल को और इस बहस में हिस्सा लेने वाले समस्त माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कुछ कटाक्ष भी किए हैं । कटाक्ष बराबर हुए परन्तु मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा समय भी सीमित है, माननीय नेता विरोधी दल के लिए इतना सीमित समय नहीं है, इसलिए इसी समय के अन्दर मुझे पूरे बिन्दुओं को कवर करना है लेकिन मैं कुछ खास बातों की ओर जो इस सदन में कही गई हैं, आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा ।

सबसे पहले माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण के बीच में इस प्रशासन का मूक समर्थन किया है । उन्होंने यह समर्थन किया है कि इस प्रशासन ने कुछ रचनात्मक कार्य किए हैं । साथ ही साथ उन्होंने बहुत ज्यादा गहन बातों की ओर, मूल त्रुटियों की ओर इशारा नहीं किया है । कुछ त्रुटियां जो प्रशासनिक हैं उनमें सुझाव भी दिए हैं । उन पर गुण--और सामान्य नियमों को देखते हुए मुख्य मंत्री इस पर अवश्य विचार करेंगे क्योंकि प्रजातंत्र की दो धुरी हैं, दो पहिए हैं एक शासन पक्ष और दूसरा विरोध पक्ष । मान्यवर, हमारे माननीय नेता, रियासत साहब ने चौखम्भा की ओर ध्यान दिलाया, उसका तो पता नहीं लेकिन उन्हें उसका सपना जरूर आता है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें एक दिन और बढ़ायें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठें । मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं चार बातों की ओर इशारा करना चाहता हूं । अपराध प्रशासन के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है । एक तो कानून, दूसरा कानून को लागू करने का माध्यम, तीसरा न्याय की प्रक्रिया और चौथा अपराध एवं सुधार करने की व्यवस्था । इसलिए इन चारों का क्या स्वरूप हो, इन पर शासन गहराई से विचार कर रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने संविधान की मंशा के अनुरूप पूरे तंत्र को चलाने की एक प्रणाली दे, चेतावनी भी दे, किसी भी आदमी को एक्स्ट्रा कान्स्टीट्यूशनल काम के लिए परमिट न करने का संकल्प किया है । मान्यवर, माननीय सदस्यों ने कहा कि इनकाउन्टर में कुछ लोग निरपराध मारे गये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 3--मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19--गृह विभाग राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29--सतर्कता, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रोद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81--गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने इनकाउन्टर में उसके नाम पर, किसी भी आदमी को निरपराध मारा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसमें आप सहयोग दें क्योंकि प्रजातन्त्र का स्वरूप तभी सिद्ध हो सकता है।

वर्तमान शासन, विरोध पक्ष के लोग, इधर के लोग कभी यह समझते है कि वर्तमान मुख्य मंत्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में वर्तमान शासन कई चीजों का एक्स्पेरीमेन्ट कर रही है। वह है शासन को निष्पक्ष, निष्कलंक और ईमानदारी से चलाने के लिये कौन से मुद्दे बनाये जायें। यह सही है कि वोट के तंत्र में दो चीजें प्रभावी भूमिका अदा कर रही हैं। एक तो उसमें अराजक तत्व हैं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अराजक तत्व किसी को हरा-जिता सकने की हैसियत रखते हैं। इसके बावजूद भी मुख्य मंत्री और वर्तमान शासन ने उस चुनौती को स्वीकार किया है और कहा है कि इनसे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इनका दमन होगा, दमन होगा, दमन होगा। इसके साथ वोट तंत्र में आता है विरोध पक्ष के नेता जन, जो इस कुर्सी पर सौभाग्य से बैठ चुके हैं, जब चुनाव लोक सभा का होने वाला था, वह इधर विराजमान थे, आरोप था कि पैसा इकट्ठा किया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिये। इसमें कालेधन का भी महत्व होता है। शासन ने उसे भी चुनौती दी है कि काले धन के सामने झुकेंगे नहीं, उसको दबायेंगे।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल ने एक इशारा किया जाति की तरफ, यह बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती लेकिन अगर उन्होंने जाति का नाम लिया है तो आई० जी० पी० के लिए आई० जी० पी० उनके लिए किस जाति के थे, उनको हटा दिया गया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुद्धिमानी से हटा दिया तो मान्यवर, बुद्धि जिसके पास होगी वही तो उसका प्रयोग करेगा। अगर कोई उसका दुरुपयोग नहीं करता है तो उसमें हमारी शिकायत नहीं होनी चाहिये लेकिन मान्यवर, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आई० जी० पुलिस को प्रमोट करके डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस बनाया गया है उनको हटाया नहीं गया है और यह कार्य आपके कार्यकाल में जो नीति निष्प्रभावी हो गई थी उसको प्रभाव में लाया गया है।

पुलिस के लिये सुविधाओं की बात कही गई तो सिपाहियों के लिए रहने के लिए मकान की व्यवस्था की गई है। उनके लिए एक ट्रेनिंग की व्यवस्था की, रिक्रूटमेन्ट की व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया है, उसका सदुपयोग हुआ है। मान्यवर, हमारी बड़ी मुश्किल है कि माननीय मोहन सिंह को हमारी हर सच्चाई दूसरे रंग की दिखाई देने लगती है, पता नहीं वह कैसा चश्मा लगाये हैं। मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि पुलिस में प्रमोशन्स के रिव्यू होने चाहिये तो माननीय मोती लाल देहलवी खाली बैठे रहते हैं उनका सभी प्रमोशन हो जाय और माननीय मोहन सिंह का सुपरशेसन हो जाय लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ऐसा नहीं होने देंगे। तो मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता था डकैत उन्मूलन के बारे में इस पर तुलसीदास जी याद आ गये :--

"कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक"

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

मान्यवर, कहा जाता है कि शासन सक्षम नहीं है। डाकुओं से मुकाबला करने के लिये इस शासन ने क्या किया है तो माननीय आपकी नजरों में मुस्तकीम, विद्याराम, बलवान आदि छोटे दिखाई पड़े। आपकी नजर में बड़ा केवल एक ही है, खासकर माननीय रियासत साहब से कहूंगा, वे मेरे बुजुर्ग भी हैं, उनको केवल फूलन देवी ही दिखाई देती हैं।

श्री रियासत हुसैन--

जो बड़ा होगा, वहीं तो दिखाई देगा। वही तो आपकी हवा खराब किये हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उनकी दिलचस्पी भी एक दिन समाप्त हो जायगी। एक दिन फूलन देवी को भी सदन के सामने, आपके सामने, हम संकल्प करते हैं और आप देखेंगे कि एक दिन वह भी आपके कदमों में होगी।

श्री धरमपाल--

उसको यहां नहीं, शमशान घाट पहुंचाइये।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

आप तो होली खेल रहे थे फूलन देवी के साथ।

श्री रियासन हुसैन--

इस सदन के अन्दर मैं एक स्पष्ट यह घोषणा चाहता हूं कि क्या मुस्तकीम मारा गया ?

(इस समय 3 बज कर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मेरी जानकारी में, जैसी कि मुझे सब तरफ से जानकारी मिली है, मुस्तकीम मारा गया है, मुस्तकीम आज जिन्दा नहीं है। और अगर आप उससे गुमराह होना चाहते हैं तो फूलन की चिट्ठी आपके घर पहुंच जायगी और आपको डर लगेगा कि कहां बुलाया गया है। एक झूठे प्रचार को स्वरूप देने में हमको और आपको सावधान होना चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों को कुछ उदाहरण देना चाहता हूं मैंने देखा है, पढ़ा है। 1952 में डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने गृह मंत्री की हैसियत से जब बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने भी चिन्ता प्रकट की थी कि अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा था कि अपराध का ट्रेन्ड बढ़ने का कारण ट्रान्जीशनल पीरियड के कारण हुआ है। उसको रोका जायगा। कुछ लोग आपको पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गये है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चहा जहां किसी अनुशासन की जैसी कोई चीज ही नहीं है।

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से। माननीय रियासत साहब मौजूद हैं, भीखा लाल जी मौजूद हैं। निवेदन इस बात का है कि 1967 में चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे। अपना बजट प्रस्तुत करते हुये उन्होंने बहुत फटकार लगाई थी। मैं उनके दो-तीन वाक्य

उद्धृत करना चाहता हूं । मान्यवर, उन्होंने कहा था "पुलिस की जो नुक्ताचीनी की गयी है कि पुलिस वाले गलती करते हैं, यह गलती करते हैं, वह गलती करते हैं । गलती तो सब करते हैं । हमने यह कभी नहीं कहा और न मेरे सहयोगियों में ही किसी ने कहा है कि पुलिस कोई गलती नहीं करती । हमारा ऐसा दावा नहीं पुलिस वालों के लिए और न किसी अन्य विभाग के लिए । न आज है न कल होगा कि उनकी तरफ से कोई गलती कभी नहीं होगी । 85000 आदमी पुलिस में काम करते हैं वे सब हमारे समाज के अंग हैं अगर हमारे समाज में कोई किसी से गलती न हो और हमारा समाज देवताओं का हो जाय तो पुलिस के लिये भी कहा जा सकता है कि उनसे कोई गलती नहीं होती या नहीं हो सकती । गलतियां होती हैं" बहुत डिटेल में उन्होंने कहा है ।

मान्यवर, इस बात की ओर मैं इसलिये संकेत करना चाहता हूं कि जब आपके ही नेता माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने यह कहा था पुलिस कभी गलती कर सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन वर्तमान शासन कहता ह कि पुलिस वाले गलती कर सकते हैं, गलती मनुष्य का स्वभाव है लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं हो सकता । कोई गलती करेगा तो उसको दण्ड दिया जायगा । उसको छोड़ा नहीं जायगा ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । एक व्यक्तिगत सवाल उठा । था । कल माननीय सदन में नेता विरोधी दल ने कहा कि कारबाइन से गोलियां चलीं । वर्तमान शासन ने कारबाइन को लाइसेन्स देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । और मान्यवर जब आप यहां पर मौजूद थे कारबाइनों का आपने सदुपयोग किया होगा । एक बात इसलिये कहता हूं कि आज के युग में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है । पूरी दुनिया में अपराधों की प्रवृति बढ़ रही है इसलिए कि वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से अपराधों की प्रवृति, मन्शा भी बदल रही है । आप ने भी देखा होगा अपराधों में किसका प्रयोग हो रहा है । एक जमाना था 1952, 1957 का जब पोस्टमारटम होता था तो चोट होती थी भाले की, गड़ासे की, लाठी की और आज के युग में पोस्टमारटम होता है तो चोट होती है बन्दूक की, पिस्तौल की, कारबाइन की । मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कि आप भी इस बात के लिये सजग हों, वर्तमान शासन सजग है । कहीं ऐसा न हो कि झूठा विरोध दिखाने के लिए, माफ कीजिये, सत्य से परे बात करने के लिये आप ऐसी भाषा बोल जायं जिस भाषा का अर्थ पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को गलत लगेगा ।

मेरा निवेदन है कि आरोप, प्रत्यारोप को छोड़े और तथ्यों पर जायं

(3 बज कर 40 मिनट)

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार पुलिस में है । मैं एलान करता हूं माननीय सदन के सामने, और यह संयोग की बात है, और

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---]

विभागों में तो मेरे रिश्तेदार हो भी सकते हैं लेकिन पुलिस में एक सिपाही से ले कर आई0 जी0 तक कोई भी रिश्तेदार नहीं है। और अगर कोई है, कोई कहता है कि मेरा रिश्तेदार है तो ऐसे नकली बनने वाले रिश्तेदार को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसको भी हथकड़ी लगा दी जायगी वह आपके सामने पेश कर दिया जायगा। लेकिन उसके लिये कुछ तथ्य होने चाहिये जिसे आपको प्रकट करना होगा।

एक बात और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। राजनीतिक पीड़ितों के बारे में माननीय मोहन सिंह जी को बड़ा दर्द है। मुझे खूब याद है कि राजनीतिक पीड़ितों का हिस्सा आपने मीसा बन्दियों में बांट दिया था। राजनीतिक पीड़ित लोग दौड़ कर इंदिरा गांधी के पास गये कि बताइये क्या होगा आपने हमें पेन्शन दी थी लेकिन वह अपने आप खा रहे हैं . . . . (व्यवधान)। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के निर्देश पर हमने निश्चय किया है कि जो कुछ 78 की फाइलें चल रही थी कि यदि किसी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की विधवा दूसरी शादी कर लेगी तो उसकी पेन्शन समाप्त हो जाती थी, लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि अब तक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की विधवा 60 साल की हो गई होगी तो दूसरी शादी करने का उसके लिये प्रश्न ही नहीं उठता है। इस लिए वह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रह गई है। अतः ऐसी सभी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को पेन्शन दी जायेगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय रियासत हुसैन साहब हवा में तलवार भांज रहे थे। उनके भाषण से लगा कि वे अपनी तलवार को कहीं लगाना चाहते हैं लेकिन वे ऐसा न कर सके, हवा में ही चलती रही। इसी में वे परेशान रहे वह तलवार खुल न सकी।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा ही तो है कि उनकी तलवार किसी को नहीं लगी।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं उनका आदर करता हूं इसलिए मैं सोंच रहा था कि वे कुछ तथ्य की बात कहेंगे किन्तु वह मुझे मालूम हुआ कि हवा में ही अपनी तलवार भांज रहे हैं। मान्यवर, आंकड़े देने का समय नहीं है किन्तु आपने जो इनकाउन्टर के बारे में कहा उसके सम्बन्ध में जांच हो रही है। मान्यवर, जिन लोगों ने कानून और व्यवस्था की रक्षा करने में अपने को बलिवेदी पर चढ़ा दिया उनकी संख्या कितनी है, यह भी आप जान लें। इस दो महीने के कार्यकाल में जब कि जनवरी से हमने यह कार्यक्रम शुरू किया है तब से 21 पुलिस कर्मियों को वीरगति प्राप्त हुई और उनकी जानें चली गई। मान्यवर, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको यह बात अच्छी न लगे जिनको पुलिस की तारीफ जरा भी न सुहाती है। 64 पुलिस कर्मी जख्मी हुये है जिन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया है।

मान्यवर, एक दिलचस्प बात है। मैं चाहूंगा कि नेता विरोधी दल और सभी माननीय सदस्य इस पर विचार करें। पूरे प्रदेश में सवा लाख पुलिस दल है और पूरे प्रदेश में में लाइसेन्स लिये हुये हथियारों की संख्या 5 लाख है। इसके अलावा कुछ अवैध हथियार भी सन् 77 के बाद बढ़े उसके कारखाने बढ़े थे। कुंवर जी आपको मतलब की बात कह रहा हूं जरा सुन लें।

में माननीय, कह रहा था कि वर्तमान शासन ने निश्चय किया है अवैध हथियारों के सम्बन्ध में कि अगर किसी पुलिस कर्मी के क्षेत्र में अवैध कारखाना पकड़ा गया तो उसे कठोर दण्ड दिया जायेगा और उसको काम के लायक नहीं समझा जायगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 1980 में 2,262 देशी बन्दूक पकड़ी गयी और 1055 विदेशी बन्दूक पकड़ी गयीं, पिस्तौल देशी 17,321 पकड़ी गयी, पिस्तौल विदेशी 109 पकड़ी गयी, रिवाल्वर देशी 249 पकड़ी गयीं, रिवाल्वर विदेशी 93 पकड़ी गयी इसके अतिरिक्त 3 मसकट पकड़े गये, रायफल देशी 124, रायफल विदेशी 109 तथा कारतूसों की संख्या 68,455 है जो अवैध पकड़े गये। ये इस तरह की चीज जो थी वह आपके शासन के कुकृत्य थे, उनको हमने रोकने का प्रयास किया है।

एक चीज और आखिर में कहना चाहता हूं हमारे मुख्य मन्त्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने निश्चय किया है कि निष्कलंक शासन का एक्सपेरीमेन्ट किया जाय और तमाम कांग्रेस के विधायकों ने उसमें सहयोग दिया है। हमारी नेता श्रीमती गांधी की जो मंशा है कि पूरे प्रदेश में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बने उनका हमने प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में होली का त्योहार शान्ति के साथ बीता है जो अत्यन्त अनुकरणीय है। उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और पुलिस के उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्होंने तमाम लांछनों का ख्याल न करके इसके लिए अथक प्रयास किया, बधाई देता हूं।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं हमारी मंशा साफ है जिसको नेता विरोधी दल भी समझते हैं लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणों से एक बात का इजहार किया आई0 पी0 एस0 के सेलेक्शन के बारे में। मुझे संकोच हुआ वह हमारे बुजुर्ग हैं, मैं कैसे कहूं 1979 में यह राज कर रहे थे उस वक्त उन्होंने एक निर्णय लिया, कानून बना दिया दिल्ली में भी इन्हीं का राज्य था, उस समय कानून बना दिया कि जब सलेक्शन कमेटी न बैठे और इस बीच में कोई 54 वर्ष का हो जाय तो उसको भी कंसिडर किया जायगा। तो उसी के तहत, आपके बनाये हुए कानून का उसे में कुकृत्य तो नहीं कहूंगा हमने पालन किया। जब पालन किया तो उस पर आप नाराज हो गये। हमें बड़ी तकलीफ होती है यह कहने में,

मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आये काम,

हाड़ न भूषण बन सका त्वचा न बाजन बाज।

मान्यवर, अपराध कोई करे, इश्क कोई लड़ाये और उसकी सजा कोई पाये। माननीय सदस्य को स्वप्न में कोई चीज दिखाई दे, फूलन देवी दिखाई दे और उसमें कोई वाक्या कर दें तो क्या होगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय रियासत साहब से एक बात कहना चाहता हूं

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

किन वोस्तो पर जाऊं कि अपनी वफा की,

कि मेरा सलूक जब उनको धोखा दिखाई दे।

हम तो कुछ भी करते हैं, आपको वह गलत और आपके चश्में में रंगीन दिखाई देता है। आप यकीन करें, वर्तमान शासन में अपराधियों पर नियन्त्रण जिस तरह से हुआ है, उसमें और अधिक प्रभावी नियन्त्रण हमारा होगा।

एक सदस्य—

धोखा देने वाले सब उधर ही बैठे हैं इधर नहीं बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

5 बजे इसमें मतदान होना है, इसलिए मैं नेता सदन और नेता विरोधी दल से जानना चाहूंगा कि वह कितना-कितना समय लेंगे, ताकि उसी हिसाब से यहां पर कार्यवाही चले।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं 25 मिनट विधाई में लूंगा, लेकिन मेरा निवेदन था कि इसमें यदि आप समय और बढ़ा दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जितना कल नेता विरोधी दल ने समय लिया था, उसका आज मुझे तिहाई समय चाहिए।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, समय बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1 घन्टा समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—

एक घन्टा 25 मिनट रह गये हैं, आप शान्त रहें तो काम आगे चले। कार्य सूची में आगरा में पकड़े गये शस्त्रों के सम्बन्ध में एक घन्टे की चर्चा आज और है, अतः अगर माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों की राय हो तो इसको कल के लिए कर दिया जाए और इसका एक घन्टा का समय इसमें और कर दिया जाए।

(सहमति मिलने पर)

अब इस पर पौने पांच बजे तक चर्चा चलेगी। इसके पहले कि इस पर कोई बोले मैं कहूंगा कि 5 मिनट ही समय उनके लिए रहेगा, पांच मिनट से ज्यादा कोई समय न ले।

श्री सूबेदार सिंह—

यह तो ज्यादती हो जायगी, श्रीमन्...

अनुदान संख्या 3--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रयोजन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29--सतर्कता, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रौद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81--गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

थोड़ा कष्ट उठा लें, पांच मिनट इस समय काफी है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, उस कुर्सी पर माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त, सम्पूर्णानन्द जी, चन्द्रभानु गुप्त जी और कमला पति त्रिपाठी जी सरीखे महान् विद्वान् आसीन रह चुके हैं और उनकी एक गरिमा इस देश और प्रदेश में रही है । जब आपकी प्रतिष्ठा उस कुर्सी पर बैठने के नाते गिरती है तो हम लोगों को खेद और क्षोभ होता है । जो नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देखें तो आपका अपना भाषण बदलना पड़ेगा । उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो जनसंख्या में पूरे भारतवर्ष में पहले नम्बर पर है और क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नम्बर पर पूरे भारत में आता है । इसकी गिरती हुई हालत को आप देखें । जो पर कैपिटा इन्कम पूरे देश की सन् 48-49 में 250 रही थी, उत्तर प्रदेश में उस समय यह 243-259 रुपया थी । वर्ष 1949-50 में भारत की पर कैपिटा इन्कम थी 256 तब उत्तर प्रदेश की 252 थी । वर्ष 1950-51 में यह भारत की 266 थी तो उत्तर प्रदेश की वर्ष 1951-52 में भारत की पर कैपिटा इन्कम 274 थी जबकि उत्तर प्रदेश की 244 । वर्ष 1977-78 में भारत की पर कैपिटा इन्कम 1189 और उत्तर प्रदेश की केवल 916 थी । वर्ष 1978-79 में भारत की पर कैपिटा इन्कम 1249 थी और उत्तर प्रदेश की 930 ।

जहां तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या का प्रश्न है वह ग्रामीण क्षेत्र में 47.85 है परन्तु शहरी क्षेत्र में यह 43·03 है । जो लोग वर्ष 1979 में इस गरीबी की रेखा से नीचे थे उनकी तादाद 416.10 थी और जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना में आंकड़े दिए हुए हैं वह और बढ़ जायेगी ।

निरक्षरता का जहां तक सम्बन्ध है वह इस समय हमारे प्रदेश का स्थान 24 वां था परन्तु नयी जनगणना के आधार पर इसका स्थान 25 वां हो गया है । इसका मतलब यह है कि हम दिन प्रति दिन अवनति की ओर जा रहे हैं । अनएम्पलायड की संख्या 1978-79 में 8.96 लाख थी जो पूरी तरह से अनइम्पलायड थे और 4.48 अन्डर अनएम्पलायड थे । तो जो एम्पलायमेन्ट की पोजीशन है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो कैपिटा की स्थिति है, उसमें आपके उत्तर प्रदेश का बहुत ही डार्क पहलू है । मैं बड़े ही अफसोस के साथ कहता हूं कि बजट के ऊपर आपकी ग्रिप या पकड़ नहीं है । जहां पर आपको खर्च करना चाहिए, वहां पर आप नहीं कर रहे है और जो खर्च आपको नहीं करने चाहिए थे, उनको आप कर रहे हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

आपके राजस्व परिषद् में लाखों रुपये प्रति वर्ष का व्यय होता है जिसका कोई भी उपयोग नहीं है। यह परिषद् एक सफेद हाथी की तरह से है। इसको आपको तुरन्त समाप्त करना चाहिए। आपने जो सलाहकार रखे हैं उन पर भी लाखों रुपये का बजट है, वह भी निरर्थक है। मेरी प्रार्थना है, जो व्यर्थ का खर्चा है उसको तुरन्त समाप्त कीजिए।

आपने जो पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को समाप्त कर दिया है उसके लिए भी मुझे बड़ा खेद है। जहां तक हरिजनों का रिजर्वेशन का प्रश्न है उनके उस कोटे को भी आज तक आप पूरा नहीं कर पाये हैं। क्लास एक और दो में तो बहुत ही ज्यादा कमी है। आशा यह थी कि आप 1977-78 के बाद कोई सबक सीखेंगे और पुलिस प्रशासन में भी और सामान्य प्रशासन में कोई नयी व्यवस्था लागू करेंगे। हमारी जो पुलिस की व्यवस्था है वह पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए कायम किया था। आज उसकी उपयोगिता नहीं है। इसको पूरी तरह से बदलना होगा, इसकी वर्दी को बदलना होगा और इसके स्थान पर लोक सेवी दल की स्थापना करनी होगी। तब जाकर लोकतांत्रिक पद्धति की चुनौतियों का आप सामना कर पायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैंने कल माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े ही गौर से सुना। उन्होंने अपने भाषण में केवल यह कहा कि उन्हें ऐसी सूचना मिली। कहीं-कहीं पर कहा कि उन्हें ऐसा बताया गया है। इन दोनों चीजों पर तो मुझे तकलीफ नहीं हुयी लेकिन जब उन्होंने सरकार और मुख्य मंत्री के खिलाफ चार्ज लगाया तो मैं आशा करता था कि नेता विरोधी दल कहीं पर स्टैन्ड करेंगे, कहीं तो उनके कहने में सत्यता होगी। मैं यह नहीं कह सकता कि माननीय नेता विरोधी दल ने झूठ बोला क्योंकि वह असंसदीय बात है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि वह सत्य से परे हैं। उन्होंने कुछ नाम लिये थे जिनमें से एक नाम का मैं जिक्र किये देता हूं। नत्थू सिंह का काउन्टर रामपुर से पकड़ कर दिखाया गया ऐसा उनका कहना था। लेकिन वास्तव में यह आदमी नत्थू सिंह ग्राम सहासा, थाना ममौरा, जिला बरेली का रहने वाला है। उसने 25 कत्ल, 12-14 डकैतियां और 12-12 रेप किये थे लेकिन कोई गवाही नहीं मिलती थी। जब अहमद हसन साहब एस0 पी0 का फौलादी पंजा पड़ा तो उससे वह नहीं बच सका। वह रामपुर गये तो रामपुर से लखनऊ आ गया और लखनऊ में जब वह नहीं बच पाया तो रुपया इकट्ठा करने के लिये ममौरा वापस चला गया। जब वह किसी बाजार से निकलता था तो दो-चार हजार रुपया ले लिया करता था। सी0 एल0 शर्मा ने उसे रुपया इकट्ठा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो बन्दूकें जो इम्पोर्टेड थीं, बरामद हुई। उसे पकड़ कर मोसा में जेल भेज दिया गया। मैं यही कहूंगा कि नेता विरोधी दल की ओर से ऐसी चीज सामने आती है तो दुख होता है।

फरिश्ते सब टूट गये हैं मेरे महखाने से,
फिर भी टूटे हुए सागर नहीं देखे जाते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रयोजन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29—सतर्कता, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रौद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81—गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

मेरी दरखास्त है कि माननीय नेता विरोधी दल को ऐसी चीजें सामने नहीं लाना चाहिये जिससे सदन गुमराह हो। यह सरकार मजबूती से चल रही है जिसके मुख्य मंत्री की मजबूती के साथ काम करने का मौका मिला हो उसे करने दिया जाना चाहिये, उसे परेशानी में नहीं डालना चाहिये।

मुख्य मंत्री जी से मेरी यह भी दरखास्त है अगर दूसरे फीगर्स आयें तो उनकी जांच कराइये ताकि जवाब देने में आसानी हो जाय। मैं भी कुछ फीगर्स पेश किये देता हूं। 16-6-77 से 31-12-77 तक जनता शासन में 2,508 डकैतियां पड़ीं जब कि मौजूदा शासन के दौरान 16-6-80 से 31-12-80 के दौरान 1806 डकैतियां पड़ीं। काफी संख्या कम हुई। इन फीगर्स को देखते हुए हमको पुलिस कर्मचारियों, डी0 आई0 जी0 खास कर जो सिपाही मारे गये उनको बधाई देना चाहिये। इसके अलावा जनता सरकार में सबसे बुरा नुकसान यह हुआ कि 30 वर्ष में जो पुलिस की साख बनायी गयी थी वह खत्म हो गयी पुलिस मारेल गिर गया जब अखबारों में पढ़ा कि सुन्दर डकैत के मारे जाने के पीछे भिंडर साहब बन्द कर दिये गये। इसमें 777 नान गजटेड आफिसर्स उत्तर प्रदेश में बन्द हुए लेकिन धीरे-धीरे हमने उस मारेल को लाने का प्रयास किया है और अगर वह मारेल वापस न आ पाता तो यह काम नहीं हो पाता। उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्य मन्त्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री धरमपाल—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज तक विरोधी पक्ष के लोगों पर एक आरोप लगता रहा है कि जो भी ये सत्तारूढ़ दल के लोग सही बोलते हैं, उसकी ये बधाई नहीं देते हैं। आज मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों को बधाई देता हूं कि 30 साल में आज सच बात बोलकर ये यहां पर आये हैं। कांग्रेस ने देश के हर कोने में नारा लगाया था कि इंदिरा को लायेंगे आधी रोटी खायेंगे। इसको इन्होंने सही सिद्ध कर दी है। यह पहली बार इन्होंने सही बोला था। श्रीमन्, 10 महीने हो गया किसी भी सरकार की परीक्षा के लिए 10 महीने का समय कम नहीं होता है। इस 10 महीने की हालात को देखने से यह मालूम होता है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके कई मंत्रीगण व्यभिचार में लिप्त हैं। महिलाओं की बिक्री कर रहे हैं। कोई शराब पीकर पलंग के नीचे पड़ा है। इस तरह से इनके कारनामों के कारण इनकी ईमानदारी पर कलंक है।

मान्यवर, यह एक सच्चाई है कि किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसकी टीम से लगाया जा सकता है। इन्होंने अपने एक चहेते को चलचित्र निगम का अध्यक्ष बनाकर फिल्म बनाने के लिए 1 लाख रुपया दिया। क्या यह सही नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धरमपाल--]

है कि इलाहाबाद के एक भ्रष्ट व्यक्ति को एक कारपोरेशन का अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया है ? क्या यह सही नहीं है कि इन्होंने अपने सगे भाई के लड़के को, सम्भवतः लड़का है या साला है, जहां तक मेरा ख्याल है "साला है", उसको कारपोरेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया है ? मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्ट रूप से भ्रष्ट व्यक्तियों का समर्थन करते हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह आरोप की परिधि में है । कृपया आपके पास अगर कोई प्रमाण न हो तो उसको न कहें । यह बिल्कुल सत्य से परे हैं । इसका सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री धरमपाल--

मैं उनके नाम लिस्ट सहित आपके पास भेज दूंगा ।

मान्यवर, यह सरकार दोहाई दे रही है कि प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की सिचुयेशन सही हो गयी, भ्रष्टाचार कम हो गया । तो उत्तर प्रदेश की दीवारों में क्यों लिखा जा रहा था कि 'राजीव लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ' ? इस तरह से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़े पैमाने पर है । स्थायी सरकार का नारा देने वाले आज इस सरकार की बात भी झूठी पड़ गयी है । आये दिन यह अखबारों में यह चर्चा में उड़ती रही है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जाने वाले हैं । समस्यायें ज्यों की त्यों हैं, बल्कि समस्यायें बढ़ती चली जा रही हैं । इन थोड़े से शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । किसी भी प्रदेश के लिए शासन को कानून और व्यवस्था को सही रूप देने के लिए उसका उत्तर-दायित्व पुलिस के ऊपर होता है । जून, 1981 को माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके बाद से आज तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, यदि पिछले तीन साल के आंकड़ों को उठा कर देखा जाय, तो यह सिद्ध होता है कि चाहे वह बलात्कार है, चाहे डकैती हो, चाहे चोरी हो, उनमें कमी आई है । प्रदेश के अन्दर सही कानून-व्यवस्था इस सरकार ने कायम की है । इस सरकार ने प्रदेश के 1,021 थानों में से 875 थानों में वायरलेस सेट दिया है । हमारी प्रदेश की सरकार न कई योजनायें चालू की, कई विचार रखे । 138 नये थाने और 13 अस्थायी रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं । प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार के लिये और प्रदेश को सही दिशा देने के लिये यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ।

यदि आप अपराध स्थिति को देखें तो पिछले 3 सालों के मुकाबले जब से मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शपथ ली, तब से अपराध स्थिति में काफी कमी हुई है । रेलों में जो भी क्राइम होते थे, उसके लिये एक अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के पद का सृजन किया गया है । जिन थानों में अपराध संख्या 400 तक थी, वहां एक इंस्पेक्टर के पद का सृजन किया गया है । जी० आर० पी० थानों को

वायरलेस से सुसज्जित किया गया है । सभी 45 थानों में जीप की भी व्यवस्था करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही ह । यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रेलों में जो घटनायें होती थीं, उन पर प्रभावी ढंग से काबू पाया गया है ।

डकैतों को अगर देखें तो पाते हैं कि इस समय दस्यु उन्मूलन अभियान को जितने जोर-शोर के साथ चलाया गया, पिछले सालों में इस प्रकार का कोई भी अभियान नहीं चलाया गया होगा । यह सब प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की दूरदर्शिता का परिचायक है ।

यदि आप हरिजनों को लें तो हरिजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक उप पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति की गयी है । हरिजनों के खिलाफ हिंसात्मक कार्यवाही करने वालों के शस्त्र जब्त कर लिये गये हैं और उनके लाइसेंस निलम्बित कर दिये जायेंगे ।

माननीय नेता, विरोधी दल को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था । उन्होंने प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि यह सरकार हरिजनों के लिये कुछ नहीं कर रही है । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश की सरकार ने सत्ता में आने के बाद हरिजनों को जितनी सहायता दी है, उतनी अपने शासन के 3 साल में आपने उनके प्रति वफादारी नहीं दिखायी । यह आपकी ही पार्टी थी जिसने इस देश को, जब एक हरिजन प्रधान मन्त्री बनने जा रहा था, उसको रोक दिया और आज आप हरिजनों के हमदर्द बनते हैं और कहते हैं कि प्रदेश की सरकार ने हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया । मैं सलाह देना चाहता हूं कि जब आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे, तब तो आप कुछ नहीं कर सके, आज आप विरोध पक्ष में बठे हैं, कम से कम इतना तो कर लीजिये कि जब आप वोट मांगने जायं तो जनता के सामने कह सकें कि आपने विरोध पक्ष की भूमिका अच्छे ढग से निभायी है । माननीय मोहन सिंह जी ने राजस्व उप मन्त्री श्री जराज गौतम जी पर आरोप लगाया कि वे डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं । तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिनके महल शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते । जिस समय आप सत्ता में थे तो मुझे जानकारी है कि एक इंस्पेक्टर ने अपनी डायरी में लिखा था कि शासन में एक मन्त्री ऐसे हैं कि 'जब से वह लखनऊ रहने लगे हैं तब से क्षेत्र में जरायम कम हो गये हैं तथा पशुओं की चोरी कम हो गयी है फिर भी निगरानी रखी जाये ।'

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं ।

[डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--]

जहां तक छात्रों की समस्या का सवाल है, आप लोग जिस समय सत्ता में थे चाहे वह पंतनगर, यूनिवर्सिटी हो, टनकपुर हो या फर्रुखाबाद हो, चाहे पूरनपुर हो आपने जिस निर्दयता के साथ गोली चलवाई उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब से सत्ता सम्भाली, उन्होंने छात्रों के कल्याण के लिये 5 करोड़ रुपये से एक छात्र कल्याण कोष की स्थापना की। परिणाम स्वरूप कई वर्षों बाद परीक्षायें समय से सम्पन्न हुई तथा विद्यालयों में पढ़ाई का वातावरण बना।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया आप बैठ जायं।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

5 हजार आबादी वाले गांवों में पुलिस चौकी कायम की जाय। सभी थानों में एक जीप दी जाय। नेपाल के बार्डर पर तस्करी को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायं। अन्त में मैं मुख्य मन्त्री के बजट का समर्थन करता हूं। ग्राम कुरैया जिला शाहजहांपुर में नया थाना खोला जाये। करनीनगर, शाहगढ़, बजरिया, जिला पीलीभीत में पुलिस चौकी स्थापित की जाय।

श्री रामधनी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौजूदा बजट पर कुछ कहने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री त्रिवेनी--

काहे अनाहक विरोध कर रहे हो ?

श्री रामधनी--

विरोध इसलिये कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण बड़ा लुंजगुंज था और अपंग था। नेता विरोधी दल ने 3 घंटे के अपने भाषण में बड़े विस्तार से पूरे प्रदेश का नक्शा खींचा। आज जो प्रदेश की मौजूदा स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। समय कम है इसलिये मैं अपने जनपद के सम्बन्ध में कुछ बातें बताकर पूरे प्रदेश का नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे जनपद की घटना से पूरे प्रदेश की स्थिति समझ में आ जायेगी। एक डेढ़ महीने के अन्दर हमारे जनपद गाजीपुर में 2-3 घटनायें हुई है। सैदपुर थाने के दरोगा रात में एक गांव में गये और वहां पर गांव वालों ने उनको अपहरण के रूप में बन्द कर दिया और जब उन्होंने माफी मांगी तब वह छूटे। जब वह पुलिस अधीक्षक के पास गये तो पुलिस अधीक्षक ने कहा रात में क्यों गये थे। दरोगा रात में नहीं जायेंगे तो क्या दिन में जायेंगे। यह है इनका स्वच्छ प्रशासन। एक महीने पहले 2 बजे दिन में सड़क पर बस को रोककर और बम फेंका गया यह सारी कार्यवाही 2 घंटे तक चलती रही। पुलिस का कुछ पता नहीं चला दूसरे तीसरे दिन आतंक फैल

गया पूरे क्षेत्र में हमने इसको सुना और देखा है। मच्छर मार अभियान तो सुना है, मूस मार अभियान तो सुना है लेकिन यादव मार अभियान माननीय मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में चला है। अहीर मार अभियान उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं दो तीन दिन तक ऐसी घटना चली। बसों को रोक कर वहां पर पूछा जाता था कि इसमें कौन अहीर है। यह है आपके स्वच्छ प्रशासन की मिसाल। अभी 13-14 दिन पहले सैदपुर, गाजीपुर थाने के बीच 33 ट्रकों में लूट हुई। वहां पर पुलिस वालों का कोई पता नहीं चला। मैं तो यह समझता हूं कि पुलिस वालों की इसमें साजिश थी। दो-तीन घंटों में 33 ट्रकों को लूटा गया, यह आपके स्वच्छ प्रशासन का नमूना है।

मैं जानना चाहता हूं कि यह ज्वलंत उदाहरण है गाजीपुर के, जिसके बारे में मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पुलिस विभाग के लोग, सर्तकता विभाग के लोग, थाने के लोग उस समय कहां थे जब यह तमाम वारदातें हुयीं। यह तमाम वारदातें 2-3 महीनों के अन्दर हुयी हैं।

मान्यवर, हरिजनों के बारे में बहुत बातें की गई हैं। मैं गाजीपुर जिले के बारे में एक मामला और बताना चाहता हूं। गाजीपुर में तलवल गांव में एक अबोध 9 साल की बालिका के साथ जघन्य बलात्कार किया गया और आज तक अपराधी का पता कहीं नहीं चला है। गुप्तांग फट गया और वह 10-15 दिन तक अस्पताल में रही। इसके बारे में जो कार्यवाही हुई उसकी कोई सूचना नहीं मिली है। यह आपके स्वच्छ प्रशासन का नमूना है। मैं मुख्य मन्त्री जी से मांग करना चाहता हूं कि उस लड़की की मां पहले ही मर चुकी है, उस बालिका के साथ यह जघन्य अपराध किया गया है, मैं मांग करता हूं कि उस हरिजन गरीब बालिका को अपने अनुदान कोष में से कुछ मदद देने की कृपा करें। मैंने कल का भाषण सुना कि हरिजनों की बड़ी मदद की जा रही है। गाजीपुर में शेरपुर में जो कांड हुआ था वह दुनिया में मशहूर है। वहां के कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझको दरखास्त दिया है। वहां पर 50-60 लोगों को पट्टे दिए गए थे लेकिन केवल 4-5 लोगों को कब्जा कराया गया है, बाकी वैसे ही पड़े हैं। 1975 में वहां पर 60-70 लोगों को पट्टे दिए गए लेकिन 4-5 लोगों को ही कब्जे मिले बाकी लोग वैसे पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया। बैठें।

श्री रामधनी--

मान्यवर, तमाम पढ़े लिखे हरिजन आज बेकार हैं, मैं चाहता हूं कि उनको आप काम दें और काम के बदले दाम दें। इन शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, एफ० आई० आर० लिखने का स्टेशन मेन पुलिस स्टेशन से अलग कर दिया जाय तो मेरा ख्याल है कि अगर इस प्रकार से कर दिया जाय तो जो लोग रिपोर्ट लिखाने जायेंगे उनको रिपोर्ट लिखाने में सुविधा होगी और वह जो रिपोर्ट लिखाने में कुछ इंसल्ट सी महसूस करते हैं उसमें कमी आएगी। यह जो अलग एफ० आई० आर० लिखने का स्टेशन खोला जाय तो उसको सिविलियनों के मातहत रक्खा जाय और कुछ कानून जानने वाले लोग उसमें रहें। बहुत से लोग रिपोर्ट लिखाने नहीं जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो वह बहुत इंसल्ट महसूस करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट को ज्यादा पावर दिया जाय। पुलिस स्टेशन को इंसपेक्ट करने और पुलिस अधिकारियों के करेक्टर रोल लिखने और उनसे सम्बन्धित रिपोर्ट ऊपर भेजने की पावर उनको दी जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतरी आएगी। पहले जो स्पेशल केसेज, स्पेशल ऐक्ट के केसेज, मैजिस्ट्रेट किया करते थे अब वह नहीं करते हैं। तो वह पावर मैजिस्ट्रेट को दी जाय जिससे मैजिस्ट्रेट का नियंत्रण पुलिस पर होगा और पब्लिक, पुलिस और मैजिस्ट्रेट का दायरा नजदीक का हो जायगा ऐसा मेरा विचार है।

इधर मैं देखता हूं कुछ दिनों से, पहले जब इन्सपेक्टर्स अदालत में हाजिर होते थे, तो पूरी यूनीफार्म में होते थे और सैल्यूट करते थे लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वे पैंट और बुशर्ट में हाजिर होते हैं और सैल्यूट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।

मान्यवर, आज भी मिलेट्री में आप देखें तो आपको मिलेगा, हर आदमी ड्यूटी के वक्त अपनी पूरी यूनीफार्म में होगा और जब भी किसी अधिकारी से मिलेगा तो पहले सैल्यूट करेगा। लेकिन इन पुलिस वालों को आजकल क्या हो गया है कि उनके अन्दर से यह सारी बातें निकलती जा रही हैं।

दूसरे मान्यवर आज प्रोसीक्यूशन मशीनरी को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है और इसमें सी० आर० पी० सी० को अमेण्ड करने की जरूरत है। अगर आप प्रासीक्यूटिंग मशीनरी को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर बन्विक्शन सेक्योर नहीं हो सकेगी और अपराधियों को सजा नहीं मिल सकेगा। दूसरे मान्यवर, एक निवेदन और करूंगा कि पुलिस और पब्लिक में सहयोग की आवश्यकता है। अपराधियों के उन्मूलन के लिए इस बात की बहुत आवश्यकता है। जिस मोहल्ले या गांव में जो डाकू या अपराधी रहता है तो उसको हर आदमी जानता है, लेकिन मौका पड़ने पर कोई सहयोग देने को तैयार नहीं होता। बल्कि उनका नाम कहीं—कहीं पर बाबा, और महात्मा जी है, गरीबों पर दया रखते हैं और शादियों आदि में सहायता करते हैं। इस तरह से ऐसे लोगों को पब्लिक वाले संरक्षण देते हैं। और इन अपराधियों और डाकुओं के बारे में बताते नहीं हैं। जैसा कि इस बारे में एक अंग्रेजी में कहावत है कि 'टु रान द पीटर एन्ड पे द पाल' इससे वातावरण दूषित होता है और इस तरह से प्रशासन में चुस्ती नहीं आ पाती है।

दूसरे मान्यवर, पुलिस में व्याप्त करप्शन को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए होता यह है कि इनको 3 प्रकार के व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है एक तो अपराधी किस्म के लोगों से और दूसरे पालिटिकल लोगों से। जो विद्यार्थियों और वर्कर्स को इकत्रित करते हैं और उनसे उपद्रव कराते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं, जिससे वह लाभ उठाते हैं। इसके लिए किसी ने कहा "भाव इस कैपेविल आफ एनीथिंग इक्सपेक्ट इन्टेलीजेन्ट ऐक्शन"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका नतीजा यह होता है कि देश और प्रदेश की शांति और व्यवस्था भंग होती है, जिसे कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मान्यवर, एक बात जरूर कहूंगा कि पहले से कहीं ज्यादा अब शांति व्यवस्था बेहतर है। जनता पार्टी और लोक दल के शासन काल में अराजकता, अशांति और उपद्रव का वातावरण हो गया था, लेकिन अब वर्तमान सरकार ने उस स्थिति को काफी कन्ट्रोल कर लिया है और शुक्र है कुदरत का कि मुल्क को अब एक सिम्बल मिला, एक नेता मिला और एक रास्ता मिला, जिससे मुल्क बराबर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। हताश, निराश नौकरशाही को इस फौज को लेकर, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलने वाली यह सरकार, सामान्य शासन, प्रशासन और गृह-शासन कैसे चला पाएगी, जो संकल्प विहीन हो, शक्ति-हीन हो, और सपनाविहीन हो। यह मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी द्वारा कही गई बात सत्य नहीं है।

(शोर)

एक सदस्य--

आपके पास कुछ स्टाक है ही नहीं बोलने का आप कहेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष --

तिवारी जी, आप अपने भाषण को जारी रखें।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, यह प्रशासन कैसे चलेगा। यह बिलकुल शक्ति विहीन है, नहीं-नहीं भारत देश की जनता ने इनको इतनी असीम शक्ति प्रदान की है। यह सपना विहीन भी नहीं है। मान्यवर, मैं तो वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करता हूं लेकिन इनके पास क्या कुछ कम है। महत्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियां इनके साथ हैं, उन्हीं नीतियों के कारण इस प्रदेश की जनता ने इनको यह शक्ति दी है, इनकी नीतियां मान्यवर, बड़ी थीं, सशक्त थीं, सपना नहीं यथार्थ के धरातल पर खड़ी हैं और अभी बहुत कुछ किया जा सकता है।

(मेजों की थपथपाहट)

और इस नाते मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन नीतियों के बदौलत हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो हुआ है, वह कुछ कम नहीं हुआ है। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अपराध की स्थिति खराब है, अपराध

[श्री श्याम नारायन तिवारी--]

हो रहे हैं, लेकिन मान्यवर, अपराध उन्मूलन में जिस संजीदगी से यह शासन लगा हुआ है, यह किसी से छिपा नहीं ।

(मेजों की थपथपाहट)

मुरादाबाद में सम्प्रदायिक हुआ, इतनी अल्प अवधि में वहां की स्थिति को नियंत्रण में किया, यह हमारे देश की जनता नोट करेगी ।

(मेजों की थपथपाहट)

इससे पहले कभी भी इतनी अल्प अवधि में, स्थिति पर कन्ट्रोल नहीं किया गया । जिन्होंने अपराध किये हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इन्होंने एक काम और किया है, इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ जिस काम की तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं अब तक होता यह रहा कि पांच वर्षों तक चुनाव हो जाने के बाद मैदान दुश्मनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था पर इन्होंने ऐसा नहीं किया । इन्होंने दिल्ली में किसान रैली करायी । जन रैली संगठित की ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इन्होंने किसान रैली आयोजित करके जनता के मनोबल को बढ़ाया । मैं भी किसान रैली के पक्ष में हूं उसका विरोधी नहीं हूं । उस रैली ने बैलगाड़ियों पर चढ़ने वाली देश को पिछड़ापन की स्थिति में रखने वाली नीतियों को परास्त करने का संघर्ष शुरू किया और गांधी जी और नेहरू जी की नीतियों पर चलने का, गरीबों को ऊंचा उठाने का जो साहसपूर्ण संकल्प इन्होंने किया है यह इन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है । पर इसे आगे बढ़ाकर, 20 इजारेदार घरानों का राष्ट्रीकरण कर एवं ऊसर भूमि सुधारों का लागू कर जनता का मनोबल और ऊंचा किया जाना जरूरी है मुझे यह कह कर इनसे कुछ लेना-देना नहीं है । देश भक्ति के नाते कहता हूं केवल आलोचना करके कोई मामला हल नहीं हो सकता है । कुछ मंत्री अच्छे बुरे मोहन सिंह जी के राज में और कुछ अच्छे बुरे मंत्री इसके राज्य में मंत्री पद पर असीन हो सकते हैं पर मैं यह कहता हूं कि जिन नीतियों को देश ने स्वीकार किया है, जिन नीतियों ने आपको गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चला कर यहां तक पहुंचाया है, जिनसे आप आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो सके हैं या स्वालम्बन के रास्ते पर चल पड़े हैं उन नीतियों को मान कर ही हम प्रदेश की व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं विघटनकारियों, अस्थिरता पैदा करने वाली प्रतिक्रियावादी एवं जातिवादी शक्तियों से लड़ सकते हैं और देश प्रदेश की प्रगति कर सकते हैं, आर्थिक उन्नति के रास्ते पर चलने के लिये सामान्य प्रशासन और गृह प्रशासन ठीक करने के लिए आर्थिक हालत में सुधार जरूरी है

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि मुख्य मंत्री जी जो 400 पुलिस उप अधीक्षक जो 10-12 वर्षों से अस्थायी हैं, उनको आप स्थायी करें। दूसरे जो डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी स्कीम है उसे आकस्मिक आवश्यकता पर ऐसे लोगों को दें जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गयी हो और जरूरत है । मान्यवर, तीसरी बात गृह विभाग की जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला आई० जी० के अन्डर में है, उसको स्थायी किया जाय, उसमें कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समस्या को हल किया जाय ।

अनुदान संख्या 3--मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25--गृह विभाग पुलिस, अनुदान संख्या 29--सतर्कता, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्राद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 82--गृह पुलिस विभाग पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

कृपया अब आप बैठें, आपका समय हो गया । अब केवल दो आदमी बोलेंगे एक इधर से और एक उधर से ।

*श्री आजाद कुमार कर्दम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आगरा की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आगरा के जिलाधिकारी की ओर विशेष रूप से ले जाना चाहता हूं । आगरा जिलाधिकारी ने अपने गेट के सामने एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें लिखा है कि तांगा, रिक्शा अन्य सवारी अन्दर आना मना है । एक बन्दूक धारी सिपाही भी खड़ा कर रखा है कि जनता को अन्दर घुसने न दिया जाये और जो भी रिक्शा, तांगा आये, कोई आये, उसको डण्डा मार कर भगा दिया जाये । मान्यवर, वहां एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने माननीय विधायक का अपमान किया था लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । यही नहीं, जिलाधिकारी आगरा शासन की किसी नीति का पालन नहीं करते, सरकार को बदनाम करते हैं, मनमानी करते हैं । एक आई० ए० एस० अधिकारी हैं, तमाम उनके कारनामें अखबारों में छप चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुयी ।

(व्यवधान)

हर जिले में माननीय विधायकों के साथ अपमान किया जा रहा है । एक मिसाल देना चाहता हूं, महाराष्ट्र के एक एम० पी० ने एक शिकायत की आई० ए० एस० अधिकारी के खिलाफ, उसे सस्पेंड कर दिया गया था, चीफ सेक्रेट्री ने कहा कि बिना जांच के यह क्यों किया गया । इस पर उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि 7 लाख की जनता के प्रतिनिधि ने लिख कर दिया है । यहां माननीय सदस्य अपनी शिकायत देते हैं और अधिकारी उसे झूठ कह कर टोकरी में डाल देते हैं । अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही, अधिकारी ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो प्रदेश किस प्रकार चलेगा । विरोध दल के, सत्ता दल के, सभी लोग यह जानते हैं, आई० ए० एस० अधिकारी अपने को ज्यादा चतुर, ईमानदार और समझदार समझता है । इस पर न सत्ता पक्ष का ध्यान है न विरोध पक्ष का । मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो सरकार किस प्रकार चलेगी ? आगरा के एक ए० डी० एम० सिविल सप्लाई हैं । इनके बारे में एक मुकदमा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री आजाद कुमार कर्दम—

दर्ज हुआ हरिजन का । वहां के अधिकारी इस केस को दबा रहे हैं जो अधिकारी उसे दबा रहे हैं उसमें वहां के एक सी० ओ० भी हैं । मैं आगरा के प्रशासन की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो वहां कोई भी घटना हो सकती है, अतः उस ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, कल जब हमारे मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे उस समय मैं देख रहा था कि विरोध पक्ष में काफी बेचैनी, बेकरारी थी । जिसका कारण मैं यह समझा कि बार-बार मुख्य मंत्री हथकड़ी व हैसियत की बात कर रहे थे इसलिए बहुत बेचैनी और बेकरारी थी । साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रशासन को जिस ने प्रदेश के अन्दर जो कुछ किया है वह आज तक नहीं हुआ । मान्यवर, हमारे जिले बुलन्दशहर के अन्दर कैत नाम की चीज नगण्य कर दी है । चार डकैत मारे गये इसी माह में कीरतपुर-धडमे। के पास एक स्थान है जो जाट बाहुल्य है । 5-6 हजार की भीड़ थी और वह पुलिस, प्रशासन, माननीय मुख्य मंत्री की जय बोल रही थी और कह रही थी कि आपने हम को इनसे छुटकारा दिलवा दिया है । वहां चार डकैत मारे गये थे ।

(4 बजकर 40 मिनट)

माननीय इतना ही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में जो लक्ष्मण डाकू था, जो कि पनसुरी बांधकर नाचता था और गाना गाता था, जो यह कई बार बता चुके हैं, वह डकैत दुर्दान्त डकैत हमारे शासन काल में मार दिया गया । उसके लिए दारुल उलूम के जकरिया में मीटिंग के अन्दर वहां के मौलाना ने कहा, वहां की जनता की ओर से, पब्लिक की ओर से मौलाना ने जो कहा था, वह यह है : माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए

तुम गुलशनें हयात में, फसले बहार हो,
तुम आ गए, चिराग उम्मीदों के जल गए ।

धन्यवाद ।

*श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया । मान्यवर, नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, जो ला ऐन्ड आर्डर के बारे में मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए थे यदि उसके साथ मुख्य मंत्री जी ने यह भी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए होते कि कितन लोगों के एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुए जैसा कि हमारे गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जहां एफ० आई० आर० दर्ज नहीं हुई थी, उनको सजा दी गई । कितने लोगों को थाने में जो असलहे पकड़े गए उनमें आपने कितने लोगों को सजायें दी । मान्यवर, इसी के सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि गन्ना के मूल्य के सम्बन्ध में जनपद गोण्डा में थाना उतरौला में एफ० आई०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आर0 दर्ज कराया गया तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस गलत नीति का, गन्ना मूल्य की गलत नीति का जो 15 दिसम्बर, सन् 80 तक 18 रु0 और उसके बाद 23 रु0 और अब 26 रु0 के हिसाब से दे रहे हैं इसी के सन्दर्भ में यह बताना चाहता हूं कि बलरामपुर चीनी मिल मालिक ने 18 रु0 25 पैसे के भाव से गन्ना खरीदा और किसानों को सादी पर्चियां दे दीं उसकी एफ0 आई0 आर0 उतरौला थाने में दर्ज कराई गई । वहां पर आत्माराम यादव, थाना इन्चार्ज हैं उसने मिल मालिक से मिलकर वहां पर अपने टूर्नामेन्ट के लिए काफी धन एकत्रित किया और उसके बाद जब हमने कहा और यहां प्रश्न उठाया तो यहां निश्चित रूप से यह कहा गया कि साक्ष्य के अभाव में उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 21 जनवरी, 1981 को वहां पर एस0 डी0 एम0 मौजूद थे, सी0 ओ0 मौजूद थे और हजारों की संख्या में वहां किसान मौजूद थे जो सादी पर्चियां लिए हुए थे । ऐसे तो आप संरक्षण दे रहे हैं गलत और भ्रष्ट अफसरों को भूमि अध्यापित के बारे में आपने कहा था कि जिनकी जमीन ली जाती है उनके परिवार के सदस्यों को आप नौकरी देंगे । हमारे जनपद गोण्डा के किसानों की जमीन ले ली लेकिन वहां के किसानों के बेटों को, उनके परिवार के लोगों को, काम नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अकबाल हुसैन--

आपने यह घोषणा की है कि वर्ष 1980–81 में आपके 138 थाने बनेंगे । लेकिन राज्य मंत्री जी, आपकी शिथिलता के कारण गोण्डा जिले में एक भी थाना अभी तक नहीं कायम हुआ है । वहां पर अपराध होते रहते हैं, राहजनी, आदि को कम से कम उनकी एफ0 आई0 आर0 तो दर्ज होनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री अकबर हुसैन--

मुझे आपने केवल दो मिनट भी नहीं दिए । मैं 5–6 बार लिख कर दे चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जायें।

श्री अकबर हुसैन--

मैं नहीं बैठूंगा। दो मिनट आपसे मांगे। मैं नहीं बैठूंगा। केवल दो मिनट...

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय अकबर हुसैन, कृपया बैठें। एक घन्टा टाइम बढ़ाया गया है। उसी हिसाब से ...

(व्यवधान)

श्री अकबर हुसैन--

आप निकलवा दीजिए। दो दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट आपने नहीं दिया। बार-बार लिख कर दे रहा हूं...

(श्री अकबर हुसैन सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि अपने सदस्यों को अनुशासित करें ...

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

माननीय मुख्य मंत्री जी के रहते हुये...

(शोर)

दहेज के नाम पर एक औरत जला दी गई...

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र सिंह को पुनः पुकारे जाने पर)

श्री यदुनाथ--

श्रीमन्, दो मिनट का समय दे दीजिए...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, सामान्य प्रशासन के अनुदानों पर इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये...

श्री यदुनाथ--

मेरे लिए नहीं है।

अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—धार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा आय-व्यय), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29—सतर्कता, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रोद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81—गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ जी, कृपया आप बैठ जायं। बैठ जायं, बैठ जायं। गौरी शंकर जी, मैं अनुरोध करता हूं कि आप माननीय सदस्य को अनुशासित करें। इस दल के नेता नहीं हैं। मैं कतई समय नहीं दूंगा। बिना अनुशासन के सदन नहीं चल सकता।

श्री यदुनाथ—

कौन जूनियर, कौन सीनियर ह। जरूरत नहीं है। मुझे समय दे दें। जो भी करना हो करें। कोई कार्यवाही करने में कोई बात नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

जब आश्वासन दे रहे हैं कि दुबारा विधान सभा में नहीं आना है, जितना समय चाहें कृपा कर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों के दुबारा, तिबारा आने से कोई सम्बन्ध नहीं ह। मैं कामना करूंगा कि आप हमेशा यहां आयें लेकिन एक सदस्य की हैसियत से यहां पर रहें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने भी जो उपयोगी सुझाव मेरे प्रस्ताव पर दिए हैं मैं बधाई देता हूं...

(श्री यदुनाथ के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

इनका कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री यदुनाथ—

आज तानाशाही की स्थिति हो गई ह। मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे 5 मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप नहीं बैठते हैं तो मुझको मजबूर होकर सदन चलाने के लिए वह कार्यवाही करनी पड़ेगी जो मैं कतई नहीं करना चाहता हूं . . .।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं ।

श्री यदुनाथ—

मैं 41 बार जेल गया हूं । मुझे आप समय दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कदापि समय नहीं दे सकताहूं । सदन को चलाना है । इनकी कोई बात नहीं लिखी जायेगी । नेता विरोधी दल बोलें ।

(श्री यदुनाथ अपनी जगह पर खड़े होकर बोलते रहे ।)

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में योगदान दिया और अपने सुझाव दिये । कुछ ने मेरे पक्ष में बोला—कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में और कुछ ने मुख्य मंत्री जी के समर्थन में बोला । लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से सदस्य जो उस पक्ष के थे उन्होंने भी दबी जबान से कहा कि कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है। इसको आप भी मानते हैं । मैं आपकी दो-एक बातों का जवाब देना चाहता हूं और उसे आवश्यक भी समझता हूं । माननीय श्याम लाल बाजपेयी ने भी सुझाव रखा, अच्छा सुझाव था कि जब तक आप माननीय सदस्यों का सम्मान हर जगह नहीं करेंगे, उनको ड्यू सम्मान नहीं दिया जायेगा तब तक प्रजातंत्र सही तरीके से नहीं चल पायेगा । माननीय अम्मार रिजवी के एक पत्र का हवाला दिया गया था जिसमें यह कहा गया है कि हर जिले में ग्रामीण विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका अध्यक्ष डी० एम० होगा और उसके सदस्य विधायक और एम० पी० ज० होंगे । मान्यवर, आपको ज्ञात होगा, पीठासीन अधिकारियों की मीटिंग में यह तय हुआ था कि जहां जन प्रतिनिधि किसी कमेटी में जायं उसमें सरकारी व्यक्ति चेयरमैन नहीं बनेगा । मेरा सुझाव है कि अपने इस आदेश को वापस ले लीजिये। जिलों में जितनी भी स्टेयरिंग कमेटी हैं

(श्री यदुनाथ के पुनः खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठें।

(व्यवधान)

मुझे ऐसा न करना पड़े मैं नहीं चाहता । जो आखिरी कार्यवाही होती है ।

श्री यदुनाथ—

मैं तैयार हूं, मुझे अपनी बात कहनी है . . .।

श्री अध्यक्ष––

माननीय यदुनाथ सिंह मैं अपने ही कुछ कथनों से प्रतिबद्ध हूं, मैं ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

किसी भी स्थिति में सदन में वह आखिरी कार्यवाही जो होती है वह नहीं करना चाहता।

श्री यदुनाथ––

मैं तैयार हूं, आखिरी कार्यवाही के लिए।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये माननीय यदुनाथ सिंह जी,

(श्री यदुनाथ के खड़े रहने पर)

माननीय गौरी शंकर जी से और इस सदन के प्रत्येक सदस्य से, प्रत्येक दल के नेतागणों से, माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल से और सबसे अधिक माननीय यदुनाथ जी से विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि सदन की मर्यादा के लिए जो बचन मैंने दिया है उसका पालन कराने के लिए, मुझे ऐसा अवसर न दें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ––

मर्यादा क्या है वह मैं जानता हूं।

श्री अध्यक्ष––

ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें, अगर न भी सुनाई पड़ता हो तो भी वह अपना भाषण जारी रखें।

(श्री यदुनाथ अपने स्थान पर बैठ गये)।

श्री राजेन्द्र सिंह––

मैं निवेदन कर रहा था कि जिलों में अनेकों कमेटियां हैं उनमें मैं चाहूंगा कि हमारे विधायक जो हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाय। इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा क्योंकि अभी तक जितनी भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष जिलाधिश होते हैं और

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

हमारे विधायक और एम० पी० सदस्य होते हैं इससे निश्चित रूप से उनका अपमान होता है। मेरा सुझाव है कि जितनी भी समितियां हैं उनमें जन प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दिया जाय। मैं यह भी कहूंगा कि जितने मंडलीय विकास निगम हैं उनके अध्यक्ष भी जनप्रतिनिधि बना दिये जायं तो मुझे एतराज नहीं है चाहे अपने दल के बना दीजिए। जब तक जन प्रतिनिधियों को नहीं उनमें बैठायेंगे तब तक सही स्थिति आपके सामने नहीं आ सकती है। श्रीमन् इसके साथ-साथ हमारे कई माननीय सदस्यों ने और कुछ बातें कहीं, विशेषकर युवराज संजय सिंह ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि सन् 197। में माननीय जय प्रकाश नारायण ने यह आवाहन किया ....

(व्यवधान)

जय प्रकाश नारायण के आवाहन का ही एक परिणाम था कि राजकुमार युवराज संजय सिंह जो रात के अंधेरे में श्री राम नरेश यादव, भूतपूर्व मुख्य मंत्री से मिलने गये थे। क्योंकि उनको शंका थी कि जनता शासन आनेपर कोई सख्ती न हो जाए। तो वह भी जनता के व्यक्ति की हैसियत से गये थे। एक बात और आई गृह राज्य मंत्री ने कहा था और कई माननीय सदस्यों ने इस पर कहा कि एन्काउन्टर्स के बारे में जो कुछ मैंने कहा था। मैंने यह कहीं नहीं कहा कि हमारे सरकारी पुलिस कर्मचारी नहीं मारे गये हैं, 21 कर्मचारी मरे हैं, एन्काउन्टर्स में भी लोग मारे गये। लेकन आपको इसमें डिस्टिंकशन करना होगा, माननीय मुख्य मंत्री को सदन में घोषणा करनी होगी कि इस प्रदेश के अंदर पुलिस का शासन है, कानून का शासन नहीं है। यह कहां का न्याय और कहां की इंसानियत है कि किसी व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले जाए, पकड़कर ले जाय और भले ही वह कितना बड़ा अपराधी हो, पुलिस उसको ले जाकर मार दे और फिर उसे एन्काउन्टर दिखा दे। मैं नहीं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यह सब हो रहा है। वह यह नहीं कह सकते हैं कि पुलिस का इतना अधिकार है कि कितना भी बुरा आदमी हो, किसी भी बुरे से बुरे आदमी को पकड़कर एन्काउन्टर दिखाकर मार दे। मेरा फर्ज है कि उन टेलीग्राम को आपकी नोटिस में ले आऊंगा। एक माता रामसनेही देवी हैं, उनका तार मेरे पास शाहजहांपुर से आया है, इस प्रकार है---

"पुलिस मेकिंग प्लान टू शाट माई सन गिरीश सक्सेना हू इज स्टूडेन्ट आफ एल० एल-बी० थर्ड इयर बाई शोइंग एन्काउन्टर बिकाज पुलिस हैव टेकेन रूपीज टेन थाउजेन्ड फ्राम अपोजिट पार्टीज माई सन वान्ट्स टू पास पीस फुल लाइफ गिव प्रोटेक्शन विद रिक्वेस्ट टू पुट अप क्वेश्चन"।

मैं चाहूंगा कि आप इसको देख लें। मेरा आपसे निवेदन है कि एक हार्डन्ड क्रिमिनल होता है, एक यूथ है, बेकार है उसको सुधारना समाज का काम है। इसमें आपको देखना होगा और उसका उपाय करना होगा यह नहीं कि उसे पकड़ कर मार दिया जाए। दूसरी बात कही गई, मैं उसी सम्बन्ध में कह दूं कि जैसा कि देहलवी जी ने बताया है कि एक एस० डी० एम० बिल्हौर, जिला कानपुर हैं, जिसके बारे में देहलवी जी आप से मिल चुके हैं, मोहन सिंह जी भी मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, उन्होंने शिकायत की है कि एस० डी० एम० ने उन्हें ह्यूमीलियेट किया है, दुर्व्यवहार किया है, उनकी जान का खतरा है। वह आपसे मिले हैं, आपने उन्हें आश्वासन दिया है कि उस पर ऐक्शन होगा, लेकिन फिर भी इतना समय

लगे, तो शिकायत का फायदा ही क्या । मैं चाहता हूं इसमें अविलम्ब सख्त ऐक्शन होना चाहिये ।

एक युवराज संजय सिंह के क्षेत्र का मामला है, वहां पर एक डाक्टर राम लखन तिवारी तथा कांग्रेस पार्टी के श्री यमुना प्रसाद शुक्ल के बीच का गम्भीर झगड़ा है तिवारी जी शायद लोकदल से सम्बन्धित हैं । मैं केवल सूचना दे रहा हूं, मुझे यह बताया गया है कि इन दोनों का कोई जमीन का विवाद है, मकान दोनों के पास हैं । इस झगड़े में श्री तिवारी ने कोर्ट से स्टे ले लिया और उसके बाद भी वे नहीं माने । श्री संजय सिंह के 100-150 आदमी गये और कन्सट्रक्शन का काम जोरों से शुरू हो गया । 25-3-81 को यहां से कोई डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जाते हैं । वे देखते हैं कि वहां पर 100-150 आदमी मौजूद थे । फिर हेड क्वार्टर्स से वायरलेस जाता है कि इन्क्वायरी मत कीजिए वह डी० एस० पी० वापस आ जाता है ।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि आई० पी० एस० का प्रमोशन नियमों के अनुरूप होगा लेकिन शैडो के बारे में बता दें कि क्या वह सही रूप से हुआ है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ सरकारी अधिकारियों की सेवाओं में वृद्धि की, कुछ ज्यादा या कम । मेरी प्रार्थना है कि सेवा निवृत्ति पर किसी का कार्यकाल न बढ़ायें । यह नियम पहले का बना हुआ है । उसको आप भी स्ट्रिक्टली फालो करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

हरिजनों के पट्टे की बात आयी । मैं भी चाहता हूं और आपने भी सदन में कहा है कि इतने पट्टों के पजेशन दिला दिए । मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना दें । दो आपकी तरफ के और एक सदस्य इस तरफ का उस समिति में हो और उसके लिए आप किसी एक जिले को छांट लें और उस समिति को आप वहां पर भेजें जो जाकर यह देखें कि कितने पट्टे हुए थे और कितनों पर उनको कब्जा मिल गया है । इसमें आप कोई हजिस्टेशन न करें । आपको जो सूचनायें दी जाती हैं वे सब झूठी होती हैं । मैं तो चाहता हूं कि आपका ही नाम हो जाय । आप इस कार्य को देखने के लिए सदन की एक समिति बना दें जो सवा लाख व्यक्तियों द्वारा चुन कर आते हैं सब को विश्वास होगा ।

यहां पर सदन में ग्रामीण उद्योगों की बात कही गयी है जब तक इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग नहीं पनपेंगे तब तक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी । अभी कुछ दिन पूर्व हमारे उद्योग मंत्री जी ने यह एनौन्स किया था कि हर ब्लाक के अन्दर 12-12 उद्योग लगेंगे । इसके लिए भी मेरी प्रार्थना है कि एक कमेटी बना दें यह काम बहुत ही अच्छा होगा लेकिन कहीं ऐसा न हो कि पान की दुकान को भी लघु उद्योग और चाय की दूकान को भी लघु उद्योग की संज्ञा दी जाय । अगर आपकी नियत साफ है लघु उद्योग को लगवाने के लिए, तो आप उसके लिए परीक्षण करें और कमिश्नरी वाइज एक सदन की 3 या 4 आदमियों की एक कमेटी बना दें और जिन जिन

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

जिलों में उद्योग लगाने का विचार हो वह जाकर देखें कि वहां पर वास्तव में लघु उद्योग लगे भी हैं या नहीं, या केवल फर्जी आंकड़े ही दिखा दिए गये हैं। इससे प्रदेश का बहुत भला होगा।

मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि यह बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें 425 माननीय सदस्य हैं। इतने माननीय सदस्य किसी भी प्रदेश के अन्दर नहीं हैं लेकिन जितने दिन हमारा बजट सत्र चलता है उतने ही दिन हरियाणा का बजट चलता है। सामान्य प्रशासन पर वहां पर 2 दिन ही बहस होती है और 2 दिन ही यहां पर बहस होती है। इन बुलन्द चीजों को कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप फिर से सदन को आहूत करें ताकि इन मसलों पर फ्री डिस्कशन हो सके, विशेष रूप से एग्रीकल्चर पर, सामान्य प्रशासन के और उद्योग के बजट पर। सभी माननीय सदस्यों की भावना है कि वे भी अपने-अपने जिलों से आकर अपनी बातें सदन में कहें। उसमें अगर कोई खर्च बढ़ता भी है तो बढ़ने दीजिए। अधिकारी को रखने के लिए तो एक सेकेन्ड में पोस्ट क्रिएट कर देते हैं लेकिन जिस कार्य में उपयोगी होगा, आपको जन प्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा, सही दिशा में चलने का कार्य हो सकेगा उसके लिए आप संकोच करते है।

मान्यवर, फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने कई बार अपने भाषणों में कहा हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध है। ऐसे आश्वासन हमको 8 महीने से उनके भाषण में सुनने को मिल रहे हैं। करप्शन की एक छोटी सी शिकायत उनसे की। 19 फरवरी को मैंने शिकायत भेजी कि एक अमुक जगह पर ऐसा है। अगर आपका नायब होता तो तुरन्त उस पर कार्यवाही होती लेकिन 6 मार्च को संबंधित सचिव को सूचना भेजी गई और 6 से 18 तक वह सूचना उनके पास पड़ी रही। सभी सूचनायें बेकार हो गयी। इस प्रकार प्रतिबद्धता आपका फेल हो जाता है जब हम इस तरह की चीज देखते हैं। अब अगर हम कोई सूचना देते हैं, वह गलत है तो आप कहिये कि वह गलत है और अगर सच है तो आपकी सरकार की छवि ठीक होगी कि इतना करप्शन आपने पकड़ा।

चरित्र हनन की बात कही गयी लेकिन ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। पिछली बार और इस बार भी एक दर्जन से भी अधिक आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता के आरोप लगाये गये। लेकिन न आपने और न किसी मंत्रि ने खड़े होकर सदन में यह कहा कि उस पर लगाया गया यह भ्रष्टाचार का आरोप गलत है। हम इसके लिए चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो इन सारे चार्जेज की इंक्वायरी कर ले। इसमें आपको क्या हिचकिचाहट है? आपके लोगों के द्वारा भी ये बातें कही गयी हैं जो पेपर में भी आती है। आपके माध्यम तथा हमारे माध्यम से भी आती हैं। आप कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और न्यायिक शासन देना चाहते हैं तो इस कमेटी के नियुक्त करने की बात आप स्वीकार कर लें और सदस्यों को अध्यक्ष जो नामिनेट कर दें और वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। इसमें आपकी छवि निखरेगी, धूमिल नहीं होगी। विमल तिवारी जी ने यहां पर हमारे बारे में कुछ कहा लेकिन मुझे खुशी होती कल जो चाय पर बात उन्होंने कही थी वही यहां पर कहते लेकिन इतना नैतिक साहस आप में नहीं है।

(व्यवधान)

कहा गया कि चौधरी चरण सिंह ने एक करोड़ रुपया किसान रैली में लिया। ठीक है लेकिन उन्होंने मिल मालिकों से नहीं लिया। आप बड़े आदमियों से पैसा लेकर किसानों को ले गये, उनको खाना खिलाया और इस तरह से नैतिक स्तर गिराया। आपने जो किया, वह हमने नहीं किया। हमारे यहां किसान अपने पैसे से गया। इसके लिए भी एक कमेटी बना ली जाय और दोनों किसान रैलीज की जांच हो जाय। आप किसी बात के लिये जमिये तो।

श्रीमन्, मैं अब अधिक नहीं कहूंगा। मैं पुनः अपने साथियों का आभारी हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए, जिससे आपकी छवि सुधरे।

(मुख्य मन्त्री को पुकारे जाने तथा श्री यदुनाथ के सदन के बीच खुला स्थान पर आकर बैठ जाने पर)

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो अनुरोध करता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह को दो मिनट हमारे समय में से इन्हें दे दें।

श्री अध्यक्ष--

अब तो कोई प्रक्रिया नहीं है। अब तो आपको बोलना है। नियमानुसार कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के बाद दूसरा कोई बीच में नहीं बोल सकता है। इसलिये आप ही को बोलना है।

श्री यदुनाथ--

(सदन के बीच खाली स्थान पर बैठे हुये) अब तो मैं रात भर यहीं पर रहूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। क्या सदन अव्यवस्थित रहते भी, यहां की, सदन की प्रक्रिया चालू रहेगी? माननीय यदुनाथ के यहां पर बैठे रहते सदन की कार्यवाही चालू रहेगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जाइये।

श्री यदुनाथ--

मुझे दो मिनट दे दीजिए।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

अखबार में इनका नाम निकल जायगा, इनसे कहिये ये कृपया बैठ जायं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह, कृपया आप उधर चले जायं । माननीय यदुनाथ सिंह, कृपया आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें, आप अपने स्थान पर चले जायं ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, समय तो आपको देना ही होगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह, कृपया आप उधर चले जायं ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, जो भी आपका अधिकार हो कर लीजिए, बगैर समय दिए हुये मैं नहीं जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह, मेरा कोई भी अधिकार हो, मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहता हूं । मेरी एक प्रार्थना है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप चले जायं । मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कर लें । सदन के अध्यक्ष के नाते आप मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कर लें ।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ के सदन के खाली स्थान से न जाने पर)

माननीय यदुनाथ सिंह, अब आप सदन छोड़ें, बाहर जायं ।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ के सदन न छोड़ने पर)

मार्शल, श्री यदुनाथ सिंह को सदन से निकाल दीजिए

(व्यवधान)

(मार्शल विधान सभा रक्षक की सहायता से श्री यदुनाथ को सदन से बाहर ले गये ।)

(व्यवधान)

(सदन से बाहर जाते समय श्री यदुनाथ नारे लगाते रहे ।)

*श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर मैं नेता विरोधी दल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आलोचना के साथ आज कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिये। मैं सबसे ज्यादा धन्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

याद इसलिये देना चाहता हूं कि उन्होंने कल 3 घंटे के बाद आज बड़ी कृपा की । क्योंकि आपको याद होगा कल मैंने आपसे निवेदन किया था एक चुटके पर । कल जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो एक सदस्य बोले हम हाथ जोड़ते हैं । हमने एक पत्र चुटके पर लिखा था माननीय अध्यक्ष जो सुरक्षा करें । लेकिन आज जो उन्होंने सुझाव रचनात्मक और संक्षेप में रखे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं । आंकड़ों की बात कई सदस्यों ने उठाया और यह कहा कि यह अधिकारी के आंकड़े हैं वह सत्य नहीं है । मैं कोई आंकड़ा बगल में खड़े होकर शपथ नहीं ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन जो पत्र माननीय अम्मार रिजवी साहब, ग्राम्य विकास मंत्री ने लिखा था उस पत्र को नेता विरोधी दल सीने से लगाकर सदन में खड़े होकर उसके एक-एक आंकड़े को देखा । मैं सरकारी आंकड़ों को छोड़ देता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

वह सरकारी आंकड़े थे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आपको कोई आंकड़ा पसन्द नहीं है । लेकिन उधर से आंकड़े निकल रहे हैं । मैं सरकारी आंकड़ों पर नहीं जाता लेकिन साथ में एक चीज करना चाहता हूं । हमारे जो निर्भीक, साहस रखने वाले पत्रकार हैं हमारे भाई हैं जो हमारे अखबार हैं । मैं अखबार वालों का आंकड़ा देता हूं । पत्रकार तो सरकार के साथ नहीं हैं । वह सरकार से तो नहीं मिले हैं । मैंने रिव्यू कराया है । गत वर्ष 1 महीने में जनवरी में अखबार के अन्दर 71 जुर्म अखबार में आये और इस वर्ष उसी अखबार में 59 जुर्म आया है । इस तरह से 17 प्रतिशत क्राइम कम हुआ है । यह पायनियर अखबार है नेशनल हेराल्ड नहीं । दूसरा अखबार जो है वह जनवरी महीने में 49 जुर्म की रिपोर्ट है और इस वर्ष 42 जुर्म उस अखबार में हैं । 14 प्रतिशत की कमी इस बार क्राइम में हुई है । यह कोई हम लोगों का अखबार नहीं है यह आज का अखबार है ।

एक सदस्य--

एक दिन में 30 कत्ल नहीं हुए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आपको आइना देखने में तकलीफ हो रही है अपनी शक्ल नहीं देखना चाहते । मान्यवर इस पर ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं । बहुत सी चीजें कहीं गयीं प्रशासन और पुलिस की ढिलाई के बारे में, और जिन चीजों को कहा गया मैं तो उन्हीं को पुलिस की चुस्ती के सबूत में पेश करता हूं । कहा गया हमारे सिद्दीकी भाई, जो पत्रकार थे, की हत्या के बारे में बात उठायी गयी और तलवार के बारे में बात उठायी गयी और कहा गया कि भूतपूर्व विधायक की हत्या पर एक

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

विधायक जो हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा था, इन्हीं को मैं प्रशासन की चुस्ती के सबूत में पेश करता हूं । आज श्री लटूरी सिंह और उनके शेंडो जेल में हैं । तलवार और सिद्दीकी साहब दोनों के ही केसेज बहुत कम समय के अन्दर, आप आशा नहीं करते थे, उसका रहस्योद्घाटन हो गया । इस समय जुबानी तलवारों को तो इतना तोड़-मरोड़ कर रख दिया जाता है कि पता नहीं चलता कि दो महीने पहले क्या कह रहे थे और अब क्य कह रहे हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजनीतिक लेबिल किसी जुर्म को बचा नहीं सकेगा । जो एक जुर्म करता है वह एक क्रिमिनल पहले होता है राजनीतिक बाद की चीज होती है । इस सम्बन्ध में अगर सिक्यूरिटी ऐक्ट को भी लगाने की जरूरत होगी तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम हिचकिचायेंगे नहीं ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, यह प्रश्न उठाया गया था कि डकैती के खिलाफ जो अभियान चला वह बेहमई कान्ड के बाद ही क्यों चला, पहले क्यों नहीं चला । मैं सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं कि "एण्टी डैकोइट्स आपरेशन' या दस्यु विरोधी कार्य-वाही जून में ही घोषित की गयी थी और वह अभियान एक अच्छे ढंग से चला था लेकिन कुछ हिंसात्मक घटनाओं के कारण फोर्स को 'विद् ड्रा' करना पड़ा, इसलिये इनको राहत मिली । अब फिर जब प्रान्त में शान्ति है तो उसको फिर तेज किया जा रहा है । यदि उस समय यदि कुछ समय पूर्व अगर सेल्फ लोडिंग राइफल्स की ट्रेनिंग न दी गयी होती, तो आज सेल्फ लोडिंग राइफल्स के साथ हमारे जवान वहां पर न होते । यह अभियान पहले से चलाया जा रहा था ।

माननीय मोहन सिंह जी ने और अभी नेता, सदन ने . . . . . .

(हंसी)

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को "नेता, विरोधी दल" का उच्चारण करने के लिए कहा गया ।)

तो माननीय मोहन सिंह जी ने और नेता विरोध दल ने . . .

एक सदस्य--

यह आपने सही कहा था "नेता, सदन"

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

ऐसा सामंजस्य है कि विरोध का आभास ही नहीं होता । इसलिये याद करके कहना पड़ा है, "विरोधी दल" ।

तो यह बात उठायी गयी मन्त्रियों के बारे में । इस विषय में नम्र निवेदन करना चाहता हूं और धृष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि तथ्यों के बिना इस प्रकार के आरोप लगाना, प्रजातंत्र की जिस श्रृंखला पर हम बैठे हुए हैं, उस कड़ी को तोड़ना है । अभी इसी सदन में कहा गया कि श्री जैराज गौतम, उप मन्त्री जी ने बड़ी भूमि खरीद ली है । उनका लिखित पत्र मेरे हाथ में है, जिसमें लिखा है :--

"मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी हम 3 भाई भूमिहीन की श्रणी में हैं । मन्त्री बनने के बाद एक धूर जमीन मैंने या मेरे परिवार ने नहीं खरीदी है ।"

अनुदान संख्या 3--मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29--सतर्कता, अनुदान संख्या 3०--नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रोद्योग विभाग तथा अनुदान सख्या 81--गृह (पुलिस विभाग)--पूंजीगत परिव्यय

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं बैनामे का दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप इसकी सत्यता की जांच करा लीजिये।

(श्री मोहन सिंह ने एक कागज सदन में दिखाया।)

मान्यवर, मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप इस तथ्य की जांच करा लीजिये।

एक सदस्य--

मान्यवर, यह बैनामा किसके नाम है और किसके पक्ष में है?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं इसे पढ़े देता हूं।

'मैं कि श्री उदय प्रताप सिंह आत्मज श्री शमशेर बहादुर सिंह, निवासी ग्राम पहाड़पुर, बस्तीपुर, पत्रालय कामतागंज, परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर का हूं, विदित हो कि निम्न सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व भूमिधर हूं जो मेरे कब्जा व दखल में है। मान्यवर, फिर लिखा है, अतएव स्वस्थ मस्तिष्क व प्रसन्न चित्त की दशा में बिना किसी प्रकार के जोर व दबाव के स्वयं अपनी राजी व खुशी से श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी महोदय से परमीशन लेकर निम्न सम्पत्ति को धनराशि 29,000 रु0 जिसका आधा 14,500 रु0 होता है मूल्य में श्रीमती मनराजो देवी विधवा श्री नोहर हरिजन, निवासी ग्राम पहाड़पुर, बस्तीपुर, पत्रालय कामतागंज, परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर को रजिस्ट्री करता हूं।' मान्यवर, इनको मां के नाम है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर चीज है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी नोटिस लें। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया इसी सदन में कि उप मंत्री जैराज गौतम जी ने भूमि खरीदी है और इस दस्तावेज में उनका कहीं नाम नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

वह उनकी मां के नाम हैं।

श्री पंचानन--

मान्यवर, तारीख बता दें, किस तारीख की रजिस्ट्री है?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं दस्तावेज को आपके सुपुर्द करता हूं कि आप इसकी जांच कराइये यह आपके हवाले है । इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं आप इसकी जांच करवायें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपकी इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय सदन के सामने इस समय आज एक बहुत बड़ा मामला आरोप, प्रत्यारोप का खड़ा हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कही कि उनके नाम नहीं है । मोहन सिंह जी ने कहा कि उनकी मां के नाम बेनामा हुआ है, जमीन खरीदी है । माननीय मंत्री जी की जो माता जी हैं वह विधवा हैं । यह स्पष्ट हो जाता है, वह विधवा हैं, जो भी ताल्लुक है, मंत्री जी से है । यह इतना बड़ा मामला माननीय सदन के समक्ष खड़ा हो गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, उनके पुत्र ने कहा है, मेरे या मेरे परिवार के पास, मैंने सम्पत्ति नहीं खरीदी है । दूसरी तरफ बेनामा है । तो मैं चाहता हूं कि यह चीज कार्यवाही में है, आपके सामने है । इस बात पर व्यवस्था दें कि माननीय सदन के समक्ष यह जो चीज हुयी है, इस मामले का निपटारा आप कैसे करेंगे ? कौन सी चीज को आप सत्य मानेंगे ?

श्री पंचानन--

मान्यवर, किस तारीख को रजिस्ट्री की है ? इसकी तारीख बता दें । तारीख बतायें कि किस तारीख की है ?

श्री मोहन सिंह--

मैं चाहता हूं कि श्रीमन्, पूरा वस्तावेज आप ही पढ़ लें । इनको अविश्वास हो रहा है ।

श्री पंचानन--

मोहन सिंह जी, तारीख बता दें ?

श्री रियासत हुसैन--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके सामने दो पक्ष आये हैं । मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि आप किस बात को स्पष्ट रूप से सही मान रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, एक तो यह कि श्री गौतम ने कहा कि उन्होंने या उनके भाइयों ने कोई भूमि नहीं खरीदी है, और माननीय मोहन सिंह जी का कहना है कि खरीदी है, तो उसकी तारीख बतायें और दूसरी मान्यवर, यह कि उनके 3 भाई हैं और कलकत्ते में काम करते हैं, वहां पर उनके अपने आर्थिक साधन हैं । अगर उनमें से कोई अपनी माता को कोई चीज प्रदान करे तो उसमें किसी मंत्री का क्या दोष होगा (तालियां) और इस तरह से मान्यवर, तोड़-मरोड़कर तथ्यों को सदन के सामने रखना उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में दे दिया जाय । श्रीमन्, साफ सुबूत है कि जमीन खरीदी गयी और यह उसको छुपा रहे हैं, इसलिये इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजिये, सारे तथ्य सामने आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन--

मान्यवर, तारीख के बारे में बराबर पूछा जा रहा है कि तारीख दस्तावेज में लिखी होगी, उसमें देखकर कृपया तारीख बता दें तो मामला और साफ हो जायेगा ।

एक सदस्य--

यह भूमि मान्यवर; साफ है दस्तावेज में कि मंत्री जी के परिवार वालों के नाम खरीदी गयी है, इससे ठोस सुबूत और क्या हो सकता है, इन्हें मान्यवर, इस्तीफा दे देना चाहिए ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, केवल एक मिनट मुझे दे दें । माननीय मोहन सिंह जी से कहना चाहूंगा कि यह हमारे ही जनपद से मंत्री रह चुके हैं और मैं जानता हूं कि उनकी हैसियत क्या है और उनके परिवार के लोग राजा हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक मिनट दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

(5 बजकर 40 मिनट)

एक सदस्य--

यह बात बरदाश्त के बाहर है, इसे बरदाश्त नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपके नेता सदन बोल रहे थे, आपकी ग्रान्ट पर मतदान पेश होनी है। इस तरह से अशान्ति सदन में रहेगी तो सदन का कार्य नहीं चल सकता। माननीय मोहन सिंह ने जो कहा था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। उसके बाद माननीय रियासत हुसैन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर देने के लिये मंत्री जी खड़े हुए थे। अब उनके सारे दस्तावेज सदन के संज्ञान में आ गये हैं। इसको देख कर इस पर विचार करके निर्णय दूंगा। अब कृपया ग्रान्ट होने दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माान्यवर, आपके माध्यम से एक अनुरोध करूंगा कि माननीय मोहन सिंह जी दस्तावेज की तारीख बता दें?

श्री मोहन सिंह--

मैं मान्यवर, एक अनुरोध आपसे करना जाहता हुं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से शोर)

मैं बता रहा हूं कि तारीख है 2 दिसम्बर, 1980।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह स्पष्ट हो गया। मान्यवर, यह बैनामा श्री गौतम जी के शपथ लेने के पहले का था। मान्यवर, मैं माननीय मोहन सिंह से निवेदन करूंगा कि आप कल्पना करिये कि गरीब परिवार ह, हरिजन परिवार है और एक सम्मानित परिव र है, किसी तरह से उसमें से एक लड़का अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, कहीं पर कार्य करके अपनी मां को सेवा के लिये अपनी सारी जिन्दगी का धन संचित करके अपनी माता के लिये अन्तिम समय में कोई चीज अर्पित करता है। मान्यवर, मैं कहता हूं कि कोई पुत्र अपनी माता की सेवा अपने अर्जित धन से करता है तो उसकी प्रशंसा न करके, उसको इस तरह से तोड़-मरोड़ करके यहां प्रस्तुत किया गया और यह साबित करने की कोशिश की गयी कि उनके मंत्री पद में रहने के बाद अपनी माता के नाम उन्होंने उसे खरीदा, इससे गलत चीज कोई नहा हा सकती है।

अनेक सदस्य---

माननीय मोहन सिंह ने सदन को गुमराह किया है।

श्रीमती महारानी दोहरे--

मोहन सिंह हरिजन विरोधी हैं।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इसे विशेषाधिकार समिति को दिया जाय।

श्री त्रिवेनी--

मोहन सिंह ने सदन को गुमराह किया है। प्रिविलेज मोशन की मांग करूंगा। इसकी जांव समिति बनाकर इसकी जांव होनी चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मान्यवर, यह कहा गया कि यहां कल सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा कि 39 आई० ए० एस० के लोग इस शासन में बढ़ा दिए गए, पद बढ़ा दिए गए हैं। मान्यवर, बात सही है। यह वैसी गलत नहीं है जैसी मोहन सिंह जी की बात। लेकिन एक ही फर्क है। 39 जो हुई हैं उसके स्थान पर पिछली सरकार ने, जनता सरकार ने 129 पदों की सिफारिश की थी। अगर 139 हो गए होते तो आज क्या होता। आपकी सरकार ने किया है, कागज पर है, केन्द्र को लिखा है कि 139 पद आई० ए० एस० के बढ़ा दिए जायें और उस चीज को लेकर के यह मर्यादा की बात है, इन्टीग्रेटी की बात है, राजनीतिक इन्टीग्रेटी की बात है कि जिस चीज को अपने शासनकाल में हम मानते हों, तो जब हम न रहें उसका प्रतिवाद किय जाये। मौजूदा आवश्यकता पड़ती है, यह बहुत ही सम्यक चीज है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। यह भी कहा गया कि 4 साल के अनुभव के आई० ए० एस० को जिलों में रख दिया गया है। मैंने सब आंकड़े मंगवाये जो सब डी० एम० हैं––6 वर्ष के अनुभव वाले 8 जगहों पर हैं, 7 वर्ष के अनुभव वाले 8 जगहों पर हैं, 8 वर्ष वाले 9 जगहों पर हैं, 9 वर्ष वाले 6 जगहों पर हैं और 10 वर्ष के अनुभव वाले 25 जगहों पर हैं।

मान्यवर, भीखा लाल जी ने बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिए। मैं जानता हूं कि जिला स्तर पर प्रशासन को चलाने की आवश्यकता है और उसमें बिना किसी बाधा के सब का सहयोग मागूंगा क्योंकि सबके सामने एक प्रक्रिया का प्रश्न है। जिला स्तर पर और कैसे सुधार किया जाये, प्रशासन को सुदृढ़ किया जाये, यह एक गम्भीर प्रश्न है। कमियां हैं, दिक्कतें हैं कि जिला स्तर से दिक्कतें उठकर लखनऊ आती हैं और फिर वहीं भेज दी जायें, तो यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर शासन को विचार करना है। तो इसका कैसे निराकरण करें, इसके लिए हम सब को मिल कर सोचना होगा। मैं इधर बैठा हूं या उधर बैठा हूं, इसका प्रश्न नहीं है, गम्भीर समस्या की बात है। इसमें कुछ प्रयास किए गए हैं और उसमें कुछ थोड़ा बहुत, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं ऐलान करूं कि सफलता मिल गयी लेकिन प्रयास का कुछ रिजल्ट मिला है। हर डिवीजन में एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। हमको फक्र है अपने नौजवान मंत्री पर, मुरादाबाद में रखा, जफर नकवी को, गली कूचे में जा–जाकर के सम्पर्क किया, हम यह नहीं कहते कि उन्हीं की वजह से, अवाम की बात है, उसके परिणाम मिले। इस प्रकार से निश्चय किया गया कि डिवीजनल लेविल पर, सत्ता को डेलीगेट करके प्रशासन को जनता के नजदीक ले आयें और जिले से जो प्रश्न उठते हैं, बजाये लखनऊ आने के वहीं पर हल कर सकते हैं। इस पर शासन में भी विचार हो रहा है और आप लोगों के सुझावों की भी आवश्यकता है।

यह बात भी आप लोगों ने सही कही कि सिफारिशों के आधार पर प्रशासन नहीं चल सकता। क्योंकि सिफारिश के आधार पर प्रशासन चलाना दरबार के आधार पर चलाना है, जो सामने है वह सही है, क्योंकि उसकी सिफारिश है लेकिन जो नहीं है आपके सामने उसका क्या कसूर है क्योंकि वह पहुंच नहीं सका क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं है। अगर प्रशासन

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---]

है तो सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वह आंख के सामने हो या ओझल हो क्योंकि वह प्रक्रिया के आधार पर चयन होगा। माननीय भोखालाल की बात को मैं ग्राह्य करता हूं और इसको जितना ही इन्स्टीट्यूशनाइज्ड तरीके से हम निर्णय पद्धतियों को निकालेंगे, उतना ही हम बहुत चीजों से बच जायेंगे। इस प्रक्रिया का पालन कहां तक और कैसे किया जाता है इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। लगभग जून में पावर मिलने की दरख्वास्त फर्टीलाइजर फैक्टरी भी भेज रहा है और आइसक्रीम फैक्टरी भी भेज रहा है तो उसको इन्स्टीट्यूशनाइज्ड करने का प्रयास किया गया कि जो हमारी कोल्ड इन्डस्ट्रीज हैं उनकी लिस्ट बना ली जाय, ए0वी0सी0 और उसमें तय कर लें कि किसको 100 परसेन्ट देंगे, किसको 75 परसेन्ट देंगे हमारा जितना भी मेगावाट उत्पादन होगा उस हिसाब से, इससे रोज न किसी को दरख्वास्त देने की जरूरत है और न दौड़ने की जरूरत है। इस प्रान्त में हम लोग जब तक मजबूत इन्स्टीट्यूशनाइज्ड डिसीजन मेकिंग नहीं अपनायेंगे तब तक नहीं चल सकेगा। यह अपने बोझ के नीचे दब जायेगा। यह जो आपने सुझाव दिया कि अधिकारियों पर मैं किसी पर बिलीव नहीं करता हूं लेकिन तबादला करने की कोई बात होती है तो इतना बड़ा उसको सर्टीफिकेट मिल जाता है कि वही अच्छा है, मैं ही गलती पर हूं, सब सर्टीफिकेट हैं मेरे पास रखे हैं, सदन में नहीं रखूंगा। मैं भेद को, पार्टी भेद लेकर बात नहीं कर रहा हूं।

एक चीज है और अगले वर्ष में मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि जितना भी अधिकारी हम लोगों का समय और सेवा ले लेता है उतना जनता की सेवा नहीं करता है। एक अधिकारी अपने तबादले के लिए होटल के कमरे में तानकर सो रहा हो और हम लोग आधी रात को बैठकर मगजपच्ची करते हैं कि उसका तबादला होना चाहिए या नहीं। जिस मनुष्य से मजबूती से काम लेना चाहिए वह बजाय जनता की सेवा करने के हम लोगों की सेवा ले लेता है। उसकी इस अक्षमता को मैं तोड़ूंगा और इस बार जो आदेश होंगे और जो अधिकारी उस आदेश को मान्य नहीं करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। देखते हैं कैसे उनकी चलती है ?

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह की एक आशा पर ओला पड़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि माननीय मोतीलाल देहलवी नेता विरोधी दल की सीट के बगल से जरा भी नहीं हट रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वह सुपरसीड कर लें।

मान्यवर, यह कहा गया कि आई0 ए0 एस0 के लोगों को ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध होना चाहिए और कुछ समय के लिए उनको ग्रामीण जीवन बिताना चाहिए। मैं भी इस पक्ष का हूं। शहर के अतिरिक्त जितनी ग्रामीण परिस्थितियों को हमारा प्रशासनिक वर्ग जानेगा उतना ही हम जनता के पास पहुंच पायेंगे। लेकिन जो लोग गांव में ही पैदा हो करके हाल ही में अफसर हुए हैं कम से कम वे तो ग्रामीण स्थिति को जानते हैं। लेकिन, जैसा आपने सुझाव दिया, अब भी एक महीने के लिए आई0 ए0 एस0 की ट्रेनिंग बी0 डी0 ओ0 के पद पर होती है।

शैडो की बात उठाई गई। मैंने जानकारी की। 19 शैडो को नियमतः प्रोन्नति के लिए इन्टरव्यू लिया गया। उनमें से 6 प्रोन्नति के लिए उपयुक्त हो गये। इनमें से एक जो क्रान्ति कुमार जी के साथ हैं वह भी प्रोन्नत हो गए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसीलिए तो नाराज हैं····

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उसमें चार हुये, कोई दो नहीं हुये । थोड़ी सी, मान्यवर, दिक्कतें हैं । छोटी सी खिड़की से देखते हैं, छत पर खड़े हो कर देखिये तो चारों तरफ दिखलाई पड़ता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

आप भी देखिये····

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

हमारे माननीय राम औतार दीक्षित, चन्द्र शेखर त्रिवेदी, संजय सिंह जी ने कुछ प्रमोशन के बारे में बात कही, हमारे जो पुलिस के अधिकारीगण हैं, एस0 आई0 के बारे में, कान्स्टेबिल के बारे में चिन्ता व्यक्त की । यह मैं मानता हूं कि किसी भी कैडर में प्रोन्नति के अवसर होने चाहिए और इस दिशा में जो प्रयत्न किये गये हैं वह एस0 आई0 के मोटर साइकिल के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा था--मोटर साइकिल सब्सीडी 1500 से 2500 कर दी गई है, मोटर साइकिल भत्ता 30 रुपये से 75 रुपये महीना कर दिया गया है, धुलाई भी 15 रुपये कर दी गई है और वर्दी के लिए 350 रुपये से 500 रुपये की व्यवस्था की गई है । मेस का प्रबंध भी किया गया है ताकि हमारा कान्स्टेबिल को चौराहे पर किसी के आश्रित होकर कहीं खाने की आवश्यकता न पड़े । एक मेस रहे, संयत···· (तालियां)····

श्री रियासत हुसैन--

कान्स्टेबिल, हेड कान्स्टेबिल, के लिए भी एस0 आई0 की तरह कपड़ा एलाउन्स वगैरह की व्यवस्था की है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वह हमारे पास है, आपको सूचना दे दूंगा ।

मान्यवर,····

श्री कुबेर भण्डारी--

थाने में चौकीदार रहते हैं उनके लिए क्या कुछ दिया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, पुलिस का व्यवहार जनता के साथ कैसा हो, उसमें सुधार होना चाहिए, इसके बारे में भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। यह सुझाव ग्राह्य हैं। हाल में एक ट्रेनिंग शुरू की गई है, एक प्रयास इस दिशा में, एक सप्त विदसीय कैपसूल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम बना गया है जिसमें एक गजेटेड आफिसर, 30-35 नान गजेटेड आफिसर इस बारे में ट्रेनिंग करेंगे और यह विश्वास है कि दो वर्ष के काल में नान गजेटेड आफिसर इस सम्बन्ध में ट्रेन्ड हो जायेंगे, इस दिशा में कि पब्लिक के साथ उनका कैसा व्यवहार हो। इस ट्रेनिंग के अलावा वैसे भी जनरल इस पर हिदायत रखी जायगी।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

करीब 400 डिप्टी एस0 पी0 अस्थायी हैं और आपने दिसम्बर में आश्वासन दिया था। उनके बारे में कुछ कहें, स्थायी करने के बारे में ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है, उसका परीक्षण कर लेंगे। मैं धन्यवाद तो दे लूं तिवारी जी को और माननीय रियासत भाई को। जो भी बात हो, करोड़ों की योजना थी, शुक्रिया ही दे देते।

श्री रियासत हुसैन--

वह तो मैंने कहा। जजबात की बात मैंने कही, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने की अब बात है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

नेता विरोधी दल ने पी0 सी0 एफ0 के बारे में कहा कि 11 करोड़ का घोटाला है। यह 77-78 में हुआ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ आप ऐक्शन लीजिये, वह चाहे किसी सन् का हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वह तारीखों का फेर है चाहे वह मोहन सिंह जी की तारीख की बात हो या आपकी बात हो। मान्यवर, कारपोरेशन्स के बारे में कहा गया और उनके आय-व्ययक के बारे में बात कही गई। मैं 74-75 की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है उस समय 16 कम्पनियां थीं जिन्होंने आय-व्ययक नहीं पेश किया था। मान्यवर, मौजूदा परिस्थिति में हम लोगों ने विशेष प्रयास किया। इस समय 54 कारपोरेशन्स हैं जिनमें से 34 के पूरे आय-व्ययक के एकाउन्ट्स कम्प्लीट हो चुके हैं और बाकी के करीब-करीब कंप्लीशन पर हैं। उसमें से कुछ के आडिट भी हो चुके हैं इसकी सूचना मैं आपको बाद में दूंगा। इसके अलावा सेतु निगम, लघु उद्योग निगम, निर्यात निगम तथा पंचायती राज निगम जो कि 1974-75 के लेखे जोखे में यह दिखाये गये थे कि उनके एकाउन्ट्स कम्प्लीट नहीं हैं, उन्होंने उसे कम्प्लीट कर दिये हैं। सी0 डी0 ओ0 अलीगढ़ के नाम की चर्चा हुई। मान्यवर, अलीगढ़ ही उसमें नहीं है बल्कि 11 जिले और भी हैं। जहां इस तरह के मामले

में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफीसर अलीगढ़ के बारे में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में बात कही गई। उनको भी रिलीव, उनके चार्ज से कर दिया गया है। मैं तो केवल नमूने के रूप ही बता सकता हूं।

माननीय, मेरे पास समय नहीं है। वैसे माननीय, मुझे तो ओवर टाइम मिलना चाहिए। मैंने एक–एक शब्द माननीय सदस्य का नोट किया है। इस तरह से 9 पन्ने फुलस्केप साइज के नोट हुये हैं। मलिक जी के बारे में बात उठाई गई और कहा गया कि उनके खिलाफ जो इन्क्वायरी है वह दबाई जा रही है। 21–2–81 को विभाग से उसके बारे में शासन को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार हो रहा है .... (व्यवधान)। मैं तो एक–एक वाक्य का जवाब दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह––

उसमें चार्जशीट देने की बात थी, ऐक्शन होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

यह बात उठाई गई कि हमारे प्रेसीडेंट ने यह कहा कि गरीबी बढ़ती जा रही है, फासला बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1973–74 में रूरल पापुलेशन में, ग्रामीण क्षेत्र में 63·19 लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे और अब जो आंकड़े आये हैं उसमें 47·85 परसेंट गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो इसका मतलब है इसमें कुछ सुधार हुआ है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में 1973–74 में 49·52 गरीबी की रेखा के नीचे थे और लेटेस्ट फीगर जो आई है उसमें 43·53 परसेंट गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उसमें तीन साल आप अपने भी ले लीजिये क्यों अकेले कांग्रेस को कोसते हैं।

कल एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने ठीक कही कि कानून और व्यवस्था में आर्थिक परिस्थितियों को आंख से ओझल नहीं किया जा सकता। माननीय रियासत साहब ने कहा कि यह सामान्य चर्चा हो गयी लेकिन मैं कहता हूं कि यह सामान्य प्रशासन पर भी चर्चा है। महाराष्ट्र में गन्ने की परिस्थिति ने कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी।

श्री रियासत हुसैन––

यह मालूम होता तो डिस्कशन के लिए 4 दिन ले लेते। यह कमी रह गयी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

इसीलिए हमने सीधी खरीद की किसानों के धान की। हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ियां हों इतना बड़ा प्रदेश है कहीं-कहीं खराबियां हो सकती हैं लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर सरकार बाजार में नहीं आती तो इस वक्त दाम एकदम नीचे चले जाते। यह सरकार की खरीद का ही कारण है कि भाव उठे हैं। लेकिन जो गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है।

इसी प्रकार सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ आलू को खरीदा और 30 रु० दिया अगर ऐसा नहीं करते तो आप आन्दोलन चलाते और कानून व्यवस्था की स्थिति आ जाती फर्रुखाबाद में। कल बात आई गेहूं के भाव की, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं जनता शासन काल में जो वृद्धि हुई उस समय गेहूं के दाम 112 रु० 50 पैसे थे और 1980 में 117 रु० थे तो इस प्रकार तीन साल में यानी 1978 से 1980 में साढ़े चार रुपये की वृद्धि हुई।

श्री मोहन सिंह---

लागत में कितनी कमी हुई थी, वह भी बता दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

आपने भी मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाये, आपके ही आंकड़े हैं। उस समय 28 रु० की लागत में वृद्धि हुई, तो आपने जो तीन साल में बढ़ाया था, एक साल में हमने 117 से 130 रुपया दिया यानी एक साल में 13 रुपया बढ़ाया। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं जैसा कि धान की फसल में और आलू की फसल में किया गया, वैसे ही शासन ने 20 लाख टन गेहूं खरीदने का निर्णय किया है 20 टन गेहूं की खरीद की जाएगी। यह कहा गया कि किसान-सेल केवल एक महीने के लिए है। किसान सेल भी वही प्रयोग है, जो माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की। शासन ने विभिन्न प्रशासकीय सीढ़ियां काटकर शासन को सीधे जनता के पास ले आने का एक सराहनीय कार्य किया है। सिंचाई के सम्बन्ध में 24 घंटे इस सेल में एक आदमी रहता है और उसके बाद यह अपने नार्मल टाइम में काम करेगा। इसमें सीमित चीजें रखी गई हैं, वरना पूरा विभाग हो जाएगा। बुआई के टाइम में डीजल, बिजली, बीज, फर्टीलाइजर और सिंचाई के साधनों के सम्बन्धी शिकायतों को शासन को सुनाने के लिए सरकार ने एक साधारण किसान को भी अधिकार दे दिया है कि वह सीधे सरकार से कह सकता है कि जो पावर और सिंचाई इंजीनियर्स हैं उनको अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी भी थाने से अपने हेडक्वार्टर पर वायरलेस कर सकते हैं और वह अपनी दिक्कत उन्हें बता सकते हैं।

बिजली के बारे में चर्चा आई कि सबसे ज्यादा यहां बिजली का रेट है। इस सम्बन्ध में हमारे सामने आंकड़े हैं कई प्रदेशों के 10 हार्स पावर को 925 यूनिट मानकर हम लोगों से अधिक, आन्ध्र, बिहार, देहली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु, वेस्ट बंगाल प्रदेशों में बिजली के रेट्स हैं। अपना तेरहवें नम्बर पर आता है। वसूली के सिलसिले में बात आई सिंचाई और बिजली आदि की हमारी मांग 180 करोड़ रुपये की है, वसूली अभी 44.31 करोड़ हो सकी है। मार्च में मान लीजिए बहुत वसूली हो तो अगर 35 करोड़ और वसूली मान लें, तब भी 100 करोड़ नहीं वसूल किया गया है। 180 करोड़ में 100 करोड़ भी मौजूदा सरकार ने वसूल नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र सिंह––

मैं रेमिशन की बात कह रहा हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

माना गया था कि एक साल बहुत तेजी से वसूली की जाए । लैण्ड एक्वीजीशन के बारे में जो कहा गया कि शीघ्रता होनी चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं । इस पर चिंतन हो रहा है । इसमें हमें केन्द्रीय सरकार को लिखना होगा, क्योंकि केन्द्र सरकार के तहत एक्वीजीशन होता है, हमें वहां इसको भेजना होता है । लेकिन इसके बारे में हम भी चिन्तित हैं कि कोई रास्ता निकले जिससे लैंड एक्वीजिशन पेमेन्ट में जो देर होती है वह न हो और हम पैसा शीघ्र दिला सकें ।

एक बात यहां पर बहराइच की जमीन के बारे में कही गयी । उसके बारे में मेरा निवेदन है कि वहां पर 76,753 अवंटियों में 32,306 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी । यह 15 फरवरी की स्थिति है । उनमें से 727 व्यक्तियों के अतिरिक्त और 510 हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त सबको कब्जा मिल गया है ।

एक चीज माननीय भीखालाल जी ने जल वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कही । यह साहसिक कदम हमने उठाया है कि निजी क्षेत्र से उठाकर इसे कोआपरेटिव क्षेत्र में रखा गया है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग इसमें दृढ़ता के साथ सामना करने को तैयार हैं, हम लोग भले ही कन्टैम्पट आफ दि हाई कोर्ट में आ जायं, लेकिन कन्टैम्पट आफ दि पीपुल में नहीं आयेंगे । (मेजें थपथपायी गयीं) मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जो भी आदेश जनता के पास चीनी और गल्ले के वितरण के सम्बन्ध में हुए हैं, वे मेरे ही आदेश से हुए हैं और मैं उनके लिए जिम्मेदार हूं ।

यह बात सही है कि विजीलेन्स के बहुत से केसेज पड़े हैं । मैंने देखा है कि 15–15 साल की फाइलें पड़ी हैं । ऐसे केसेज में जल्दी प्रक्रिया होनी चाहिए ।

गौरी शंकर जी ने कहा कि शैड्युल्ड कास्ट और शैड्युल्ड ट्राइब्स के आरक्षण के लिए जो कैरी ओवर है वह होना चाहिए । उसके लिए भी हमने मौनिटरिंग शुरू कर दिया है कि हर विभाग रिपोर्ट करे । कैरी ओवर भर रहे हैं । प्रशासन के मौनिटरिंग के सुझाव भी आये हैं । इस पर भी गम्भीर चिन्तन हो रहा है । जहां तक भूमि का कब्जा दिलाने की बात है, हमारा एक एन0 आर0 पी0 का प्रोग्राम है जिसमें मजदूरों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या हमारी आवश्यक सामग्री के वितरण की बात है इसमें प्रशासन के अतिरिक्त मैं विश्वास करता हूं कि जनता और जन प्रतिनिधियों की सहायता लिए बिना हम पूरी कामयाबी नहीं पा सकेंगे । यह प्रक्रिया कैसी हो, कुछ दिनों में वह किसी न किसी रूप में आपके सामने हम ले आयेंगे जिससे जन प्रतिनिधियों का भी उस पर अंकुश लगा रहे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

स्पेशल रिक्रूटमेन्ट कर दीजिए, कम से कम 50 फीसदी हर सर्विस में ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इसका भी परीक्षण किया जायेगा ।

एक चीज की चर्चा और करना चाहता हूं। जन आकांक्षाओं के निकट पहुंचने के लिए और अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि प्रदेश के सभी 56 जिलों में उर्दू में प्रार्थना-पत्र दिये जा सकेंगे और उन्हें प्राप्त किया जायेगा । यह एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार का है । एक चीज में और कहना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक माइनारिटीज के हकों का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, हरिजनों की समस्या का सवाल है, उनके हितों के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ तत्पर है और कार्य करेगी ।

फ्रीडम फाइटर्स का भी जिक्र किया गया, हमने उनकी पेन्शन अभी हाल ही में 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये की है । शादी के सार्टिफिकेट के सिलसिले में भी जो जिक्र किया गया उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जायेगा कि ऐसी चीज न हो ।

एक चीज और कहूंगा । पुलिस के बारे में कहा गया । यह भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से हम लोग आते हैं । जिन पुलिस वालों के बारे में आप कहा करते हैं कि वे इस तरह की रिपोर्ट देते हैं, या ठीक काम नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस के कान्स्टेबिल्स से लेकर आफिसर्स तक 85 लोगों ने अपनी जान की आहूति दी है । अगर आप उनकी आलोचना करते हैं तो जिनकी मांग का सिन्दूर पुछ गया है, उनके बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिये ।

(व्यवधान)

माननीय श्याम नारायन जी ने जो सुझाव दिये उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं

(व्यवधान)

यह भी एक अच्छा सुझाव आया है कि एक दिन बैठ कर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विचार किया जाये और कोई उपाय ढूंढ़ा जाये । यह अच्छा सुझाव है । यह चिन्तन की बात है, इस पर जरूर विचार किया जायेगा । आर्थिक अपराधों को कैसे रोका जाये, यह भी एक समस्या है, इस पर भी विचार करना है । इन शब्दों के साथ, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर गम्भीरता के साथ विचार किय जायेगा ।

एक सदस्य--

138 बातों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

(व्यवधान)

अनुदान संख्या 3––मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या 17––सचिवालय, अनुदान संख्या 18––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 18––गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29––सतर्कता, अनुदान संख्या 30––आर्थिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37––विज्ञान और प्रायोग विभाग तथा अनुदान संख्या 81––गृह (पुलिस विभाग)–पूंजीगत परव्यय

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मैं माननीय नेता, विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

अब आप कृपया शान्त हो जायें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3––मंत्रिपरिषद्––सम्पूर्ण अनुदान के सम्बन्ध मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3––मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17––सचिवालय के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17––सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,32,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,26,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,90,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 3--मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29--सतर्कता, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रोद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81--गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,01,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,61,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--गृह (पुलिस विभाग)--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से एक सूचना सर्वश्री हरिवंश सहाय, नन्द किशोर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह एवं कुबेर भन्डारी की देवरिया शहर कोतवाली पुलिस द्वारा विगत 23 मार्च से 25 मार्च, 1981 के बीच शहर के विभिन्न स्थानों पर छापा मार कर नोट छापने की मशीन, बम बनाने का कारखाना तथा चोरी की 49 साइकिलें तथा तीन मोटर साइकिलें बरामद होने विषयक स्वीकार की गयीं और शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बज कर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
27 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नल्वी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1189 पर)

संलग्नक

वित्त पोषण योजना की संशोधित प्रणाली लागू किये जाने वाले जनपदों में दिनांक 31-1-1981 को खाद स्टाक की स्थिति

	नाम जनपद	खाद का प्रकार			
		एन0	पी0 (मीटरिक टन)	के0	मूल्य (लाख रु0 में)
1	मुजफ्फरनगर	1226	605	154	87·74
2	फैजाबाद	141	12	11	7·14
3	गोरखपुर	260	333	63	29·21
4	रामपुर	94	46	28	7·02

अनुबन्धी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1215 पर)

क्रम सं0	उपभोक्ता का नाम व पता	आवेदन-पत्र देने की तिथि	लाइन काटने की तिथि	अ0 आ0 के कार्यालय से अंतिम आदेश जारी करने की तिथि
1	श्री गंगा प्रसाद सिंह, खापड़ा	13-4-76	22-2-76*	पत्र सं0 8400 दिनांक 7-9-76
2	श्री रामसकल, बिसुनपुर	4-5-76	3-7-76	,, 8544 दिनांक 15-9-76
3	श्री जगपति यादव, गंगटिया	21-5-76	15-2-76	,, 5630 दिनांक 14-7-76
4	श्री राम रूप, टीकापुर	2-9-76	30-6-76*	,, 10400 दिनांक 9-12-76
5	श्री बसन्त मौर्य, सीधा सुल्तानपुर	14-7-76	5-8-76	,, 8324 दिनांक 3-9-76
6	श्री रामधारी राय, औहनी	15-6-76	30-6-76	,, 8401 दिनांक 7-9-76
7	श्री मु0 मारूफाबारी खास	30-6-76	5-7-76	,, 8327 दिनांक 3-9-76
8	श्री मारकण्डे सिंह, सिकहुला	26-7-76	5-8-76	,, 8321 दिनांक 3-9-76
9	श्री मकबूल हुसेन, सीधा सुल्तानपुर	19-8-76	29-1-76*	,, 10008 दिनांक 23-11-76
10	श्री आदित्यशंकर राय, तहबरपुर	20-11-76	30-11-76	,, 243 दिनांक 11-1-77
11	श्री राम आसरे राय, सौडेरी	14-5-76	31-6-76	,, 10294 दिनांक 7-12-76

* यह कनेक्शन पहले से ही कटे हुए थे और कटने की तिथि से स्थाई माना गया है ।

पी0 एस0 यू0 पो0--48 वि0 सभा--24-8-1982--835--(पी0 डी0)